सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की जनजातियों के अतिथियों के साथ

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह 2021
के दौरान सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप–एक सिंहावलोकन	15
3	कार्यकलापों की विशेषताएं	19
4	अनुसूचित जनजातियों की रुपरेखा	34
5	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	50
6	जनजातीय विकास कार्यनीति और कार्यक्रम	59
7	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	67
8	शिक्षा के संवर्धन से संबद्ध कार्यक्रम	73
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	91
10	अनुसंधान, आसूचना और जनसंचार	94
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	101
12	जनजातीय उपज के लिए विपणन सहायता	105
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	115
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	118
15	मानव अधिकार	126
16	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	131
17	जेंडर बजटिंग	132
18	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	136
19	'जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार, 2005' अधिनियम का कार्यान्वयन	138
20	विभागीय लेखा प्रणाली	140
21	नागरिक/ग्राहक चार्टर	142

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	संगठनात्मक चार्ट–जनजातीय कार्य मंत्रालय	153
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची	154
3क	वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्कीम–वार बजट आवंटन/संशोधित अनुमान तथा व्यय	155
3ख	वर्ष 2020–21 के लिए स्कीम–वार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान और 31.12.2020 तक व्यय	156
4क	जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की लैंगिक तथा आवासीय आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या	157
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता	159
4ग	भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के लैंगिक अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण	160
4घ	जनगणना–2011 के अनुसार समस्त जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर	161
4 ड.	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के स्नातक तथा इससे ऊपर के शैक्षिक स्तर वाली अनुसूचित जनजाति	162
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति	163
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारी [महिला]/एएनएम	164
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम	165
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	166
4ञ	जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	167
4ट	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर[2]	168
4ठ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत	169

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
4ड	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले, सुविधा रहित तथा खुले में शौच करने वाले परिवारों की प्रतिशतता	170
4ढ	ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकान जनगणना की श्रेणियों के अनुसार हैं	172
4ण	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	173
4त	वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन होल्डिंग की संख्या का राज्य–वार प्रतिशत वितरण	174
4थ	2017–2019 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार	175
4द	अनुसूचित जनजातियों के विरूध अपराध / अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार) – 2019	177
4ध	मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले (आईपीसी) –2019	185
4न	अनुसूचित जनजातीय के प्राथमिकता वाले जिले, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार	186
4प	अनुसूचित जनजातीय प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र तथा जिला–वार सूची	191
4फ	अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011	214
5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन	222
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	225
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची	237
5घ	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति	264
6क	वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बाध्यता, आंवटन और व्यय	265
6ख	वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक राज्य जनजातीय उप–योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे	269
6ग	2011–12 से 2020–21 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत निर्मुक्त निधियां	270
6घ	वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधियां अनुदान	271
7	दिनांक 31.08.2020 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण	272

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
8क	स्वीकृत ईएमआरएस की सूची (ब्लॉक वार) 31.12.2020 तक	273
8ख	2020–21 के दौरान ईएमआरएस के लिए आवर्ती लागत हेतु राज्य ईएमआरएस सोसायटी को निर्मुक्त निधि (31.12.2020 तक)	296
8ग	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	297
8घ	अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे	298
9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	299
9ख	वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि का सारांश (31.12.2020 तक)	301
10क	"टीआरआई को सहायता" स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्मुक्त निधि	302
10ख	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	303
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) वर्ष 2020–21 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2020 तक)	305
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के पते एवं कार्य अधिकार क्षेत्र	306
14क(i)	2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान' की योजना के तहत वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों /गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	307
14क(ii)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत वर्ष 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक निधि पोषित की गई सहायता अनुदान वाले गैर–सरकार संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों की राज्य–वार सूची'	324
14ख(i)	"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य वार सूची	329
14ख(ii)	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के तहत 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 50 लाख रुपए या उससे अधिक निधि पोषित संगठनों की राज्य–वार सूची	333
16	वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्मुक्त राशि (31.12.2020 तक की स्थिति अनुसार)	335

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
17	वर्ष 2020–21 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां	336
18	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	339
19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची	341

शब्दावली

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन–शिकायत, निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	प्रस्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास अभिकरण
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग सिस्टम
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा का अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना / एजेंसी

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	आशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉडयूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजनाएं
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एन.सी.एस.टी.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसी, शास्त्री पार्क	नेशनल डेटा केन्द्र, शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता

संक्षिप्तियां	अर्थ / पूरा रूप
एसटी	भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों के उन समुदायों को संदर्भित किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि केवल उन्हीं समुदायों को जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग–ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्वशिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–योजना
टीएसएस	जनजातीय उप–स्कीम
यूसी	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर)
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्ल्यूएएन	व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (वाइड एरिया नेटवर्क)

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न समय अवधि में निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैंः–

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैंः–

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।
2. जनजातीय कल्याणः जनजातीय कल्याण योजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकास
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र

(ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियमः

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों को जारी करना।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन।
10. नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए फ्रेमवर्क और मेकेनिजम के आधार पर जनजातीय उप–योजना की मॉनीटरिंग।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। हालाँकि, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं, नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के संबंध में भी उनके समन्वय के

लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

भूमिका

1.4 मंत्रालय के कार्यक्रम और स्कीमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय पोषण के माध्यम से आलम्बन प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के जरिए उनके प्रयासों की संपूर्ति करता है। संस्थान निर्माण के माध्यम से आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्री की सहायता से कार्य करता है। मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं जिसकी सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव, एक उप महानिदेशक और एक आर्थिक सलाहकार हैं। वित्तीय सलाहकार आंतरिक वित्त और बजट मामलों में मंत्रालय की सहायता करते रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में मदद करता है। मंत्रालय प्रभागों और अनुभागों के रूप में संगठित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 99 कर्मचारियों की कार्य बल के साथ 148 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। इसमें 48 समूह 'क' पद, 64 समूह 'ख' पद (राजपत्रित / गैर–राजपत्रित) तथा 36 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–I पर है।

प्रशासन

1.6 मंत्रालय की स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि की स्थापना संबंधी मामलों पर भी इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय तीन स्थानों पर स्थित हैं। यह शास्त्री भवन (राजेंद्र प्रसाद रोड), निर्माण भवन (मौलाना आजाद रोड) और जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग), नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)

1.8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं /कार्यकलाप

मंत्रालय ने मंत्रालय की राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के समन्वय में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं:

- ई–गवर्नेंस परियोजनाओं व सम्बंधी प्रशिक्षण का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों को नियोजित किया गया है।
- जेनेरिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन व आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलन
- साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आईसीटी संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों में ट्राइफेड, एनसीएसटी और एनएसटीएफडीसी को सहायता।

1.9 परियोजनाओं / गतिविधियों का अवलोकन

- **प्रदर्शन डैशबोर्ड (https://dashboard.tribal.gov.in):** आवश्यक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड को एनआईसी क्लाउड पर डिजाइन और होस्ट किया गया था। डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं के डेटा पर विश्लेषण (एनालिटिक्स) प्रदान करता है ताकि योजनाओं की कुशल योजना (प्लानिंग) और निगरानी की जा सके। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम (एनएफएस), नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (एनओएस), टॉप क्लास स्कॉलरशिप, एनजीओ ग्रांट, ईएमआरएस, सिकल सेल डिजीज स्टैटिस्टिक्स, मंत्रालय वार एसटी कंपोनेंट स्टैटिस्टिक्स, गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स (गोल) परियोजना और डेटा रिपोजिटरी आँकड़ों के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एनालिटिक्स किया गया । इस विश्लेषण का उपयोग मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की निगरानी के लिए किया जा रहा है। डैशबोर्ड को पॉवर बीआई विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके डिजाइन किया गया था।

नीति आयोग के सीईओ द्वारा 10.08.2020 को डैशबोर्ड को प्रारम्भ (लॉन्च) किया गया था।

- **प्रयास–पीएमओ डैशबोर्ड (https://prayas.nic.in) पर योजनाएं:** छह योजनाओं का माहवार संचयी डेटा (प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, एनएफएस, एनओएस, एनजीओ, टॉप क्लास छात्रवृत्ति) को एलजीडी (स्थानीय सरकार डायरेक्टरी) अनुपालनकर्ता बनाया गया था और वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड में पोर्ट की गई थी। डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला (टाइम सीरिज) विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है।

- **स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल (https://swasthya.tribal.gov.in):** पीरामल स्वास्थ द्वारा विकसित जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण पर एक वेब पोर्टल एनआईसी क्लाउड में सुरक्षा ऑडिट और होस्ट किया गया। यह पोर्टल 117 जनजातीय बहुल जिलों के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करता है और ग्राफिकल इंटरफेस और डैशबोर्ड

के रूप में आंकड़े भी रखता है। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 17/08/2020 को पोर्टल लॉन्च किया गया था।

- **ट्राइबल डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल (https://repository.tribal.gov.in)**: ट्राइब्स और ट्राइबल रिसर्च से संबंधित दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों और अन्य दस्तावेजों के डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने के लिए एक वेब पोर्टल डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। यह इन दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में खोजे जाने योग्य डिजीटल स्वरूप में रखता है। इसे सुरक्षा ऑडिट के बाद एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

- **गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (गोल) प्रोजेक्ट (https://goal.tribal.gov.in)**: गोल (गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) फेसबुक और जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे मेंटरशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण, और डिजिटल साक्षरता कौशल के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। गोल के पीछे का उद्देश्य न केवल भारत में आदिवासी उद्यमिता व्यवसायों की संख्या में वृद्धि करना है, बल्कि जनजातीय समुदाय के भीतर रोल मॉडल भी बनाना है, जो आगे चलकर एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकते हैं और आदिवासी युवाओं का पता लगाने, सीखने और उनके विकास में मदद कर सकते हैं। कार्यक्रम पूरी तरह से फेसबुक द्वारा वित्त पोषित है।

कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गोल परियोजना के लिए वेब पोर्टल को तैयार, कार्यान्वित किया गया था व इसे साइबर सुरक्षा ऑडिट क्लीयरेंस के बाद एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 14.06.2020 को लॉन्च किया गया था।

- **स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, 2020 में भागीदारी:** उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, 2020 के लिए जनजातीय उत्पादों के लिए ई–मार्केट प्लेस पर एक समस्या स्टेटमेंट को लघुसूचीबद्ध किया गया था। पांच फाइनलिस्टों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, एनआईसी और ट्राइफेड के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा छात्रों/छात्र टीमों की लगभग 100 प्रविष्टियों का मूल्यांकन ऑनलाइन किया गया था। इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए ऑन लाइन इवेंट के माध्यम से निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा विजेता घोषित किया गया।
- **राष्ट्रीय अध्येतावृति छात्रवृति (नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप) (https://fellowship.tribal.gov.in) और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति (नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप) (https://overseas.tribal.gov.in) पोर्टल्स का नया स्वरूप (रीडिजाइन):** नेशनल फैलोशिप स्कॉलरशिप (https:fellowshiptribal.gov.in) और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (https://overseas.tribal.gov.in) के वेब पोर्टल को पुनः डिजाइन किया गया व नए स्वतंत्र यूआरएल पर होस्ट किया गया। संचार मॉड्यूल के प्रावधान दोनों पोर्टल्स में शामिल किए गए।

  सचिव (समन्वय) द्वारा पुनः डिजाइन किए गए पोर्टलों को सचिव (जनजातीय कार्य) और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में वीसी लिंक पर लॉन्च किया गया।
- **एनजीओ अनुदान पोर्टल (https://ngo.tribal.gov.in) का नया स्वरूप (रीडिजाइन):** एनजीओ अनुदान पोर्टल को उन्नत (अपग्रेडिड) ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ नया रूप दिया गया और आवश्यक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद नए यूआरएल पर एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया। एनजीओ ब्योरे नीति आयोग के वेब सेवाओं का उपयोग करके एनजीओ–दर्पण पोर्टल से मान्य हैं। यह पोर्टल जिला से राज्यों और राज्यों से मंत्रालय को गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की समग्र कार्य प्रवाह–आधारित प्रणाली को अंतिम रूप प्रदान करता है और मंत्रालय के भीतर स्वीकृति पत्र के सृजन तक आंतरिक प्रोसेसिंग करता है। अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अलर्ट /अधिसूचनाएं प्रदान की जाती हैं।
- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एमआईएस पोर्टल (https://dbttribal.gov.in):** डीबीटी–एमआईएस पोर्टल जो (मैट्रिक–पूर्व) (प्री–मैट्रिक) और (मैट्रिकोतर) (पोस्ट–मैट्रिक) छात्रवृत्ति डेटा को प्रग्रहण (कैप्चर) करता है को संचार मॉड्यूल और डेटा एनालिटिक्स जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ और समृद्ध किया गया। उचित फार्मेट में डेटा अपलोड करने के लिए राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर राज्यों से संबंधित डेटा को वेब सेवाओं का उपयोग करके एनएसपी से प्राप्त किया गया था।

  यह पोर्टल राज्यों और मंत्रालय के बीच संचार की सुविधा भी प्रदान करता है जैसे लाभार्थी डेटा, यूसी, एसओई, प्रस्ताव, प्रतिक्रिया (फीडबैक) आदि को उनकी शिकायतों के साथ अपलोड करना है। इन योजनाओं के डेटा को वेब सेवाओं के माध्यम से डीबीटी मिशन के डीबीटी भारत पोर्टल को भी प्रदान किया गया।

  नीति आयोग द्वारा अधिदेशित केपीएमजी द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के राष्ट्रीय मूल्यांकन पर किए गए अध्ययन में सामाजिक समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। पोर्टल को पारदर्शिता, जवाबदेही लाने और सामाजिक वितरण में सुधार लाने के लिए ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी गई है।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) (https://tritribal.gov.in) के लिए वेब पोर्टलः मंत्रालय देश भर में जनजातीय संस्कृति व विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीआरआई और सीओई को सहायता अनुदान प्रदान करता

है। यह अनुसंधान व प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में जनजातियों के लिए विनिमय यात्राओं, आदिवासी त्योहारों का आयोजन, स्वास्थ्य और पोषण पर परियोजनाओं को लागू करना व भंडार और डेटा विश्लेषिकी आदि के माध्यम से है।

टीआरआई पोर्टल को टीआरआई और उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) (सीओई) के प्रस्तावों को ऑन लाइन कैप्चर करने और मॉनीटर करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। कार्यान्वयन से प्रक्रिया में तेजी आई है और कागज रहित निष्पादन हुआ है। वेब पोर्टल को आवश्यक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद एनआईसी क्लाउड पर विकसित और होस्ट किया गया है और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा आईआईपीए में टीआरआई की दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान शुभारम्भ (लॉन्च) किया गया।

- **आवंटित बजट में एसटी घटक की मॉनीटरिंग (निगरानी) के लिए वेब आधारित एमआईएस (https://stcmis.gov.in):** 41 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित की जा रही जनजातीय उप–योजना के तहत निधि आबंटन, इसके उपयोग व लक्षित लाभ प्रदान करने को मॉनीटर करने के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की गई हैं। इन मंत्रालयों हेतु पोर्टल में संबंधित विवरणों को अद्यतन करने के लिए सभी को लॉगिन आईडी प्रदान की गई है। एसटी घटक (कंपोनेंट) का डेटा पीएफएमएस सिस्टम से प्राप्त किया जा रहा है और उसी डेटा को इन मंत्रालयों को उनके लॉगिन आईडी के माध्यम से परिलक्षित किया जा रहा है।

  एक वेब फॉर्म को सभी 41 मंत्रालयों से सूचना और आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि बजट के एसटी घटक का एक राष्ट्रीय स्तर का निगरानी ढांचा विकसित किया जा सके जिसे मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण और पीडब्ल्यूसी द्वारा सभी मंत्रालयों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया गया था। सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद पोर्टल को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

- **वन अधिकार अधिनियम मॉनीटरिंग (निगरानी) प्रणाली (https://forestrights.nic.in):** ग्राम सभा, उप–मंडल और जिलों जैसे भिन्न–भिन्न स्तरों पर वन अधिकार दावों (व्यक्तिगत और समुदायिक, दोनों) को कैप्चर और प्रोसस करने के लिए वेब आधारित सिस्टम को उच्च ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के साथ उन्नत किया गया और आवश्यक साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद होस्ट किया गया। राज्यों से एमपीआर प्रग्रहण (कैप्चर) करने और पीएमओ के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए नया मॉड्यूल विकसित किया गया था और राज्यों को एक कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण दिया गया था।

- **मंत्रालय की वेब साइट (https://tribal.gov.in उर्फ https://tribal.nic.in):** मंत्रालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित द्विभाषी आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से बनाए रखी जा रही है। वेबसाइट अद्यतन (अप–टू–डेट) सामग्री के साथ समृद्ध है।

- **ई–एचआरएमएस का कार्यान्वयन:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की परियोजना – ई–एचआरएमएस को मंत्रालय के लिए अनुकूलित और कार्यान्वित किया गया था। यह डीओपीटी के कैडर अधिकारियों की सेवाओं से संबंधित विभिन्न ऑन लाइन सुविधाएं प्रदान करती है। सुविधाओं में ई–सर्विस बुक का रख–रखाव, छुट्टी, दौरा, प्रशिक्षण, एलटीसी, कार्य प्रवाह (वर्क फ्लो) का उपयोग करके ऑनलाइन डेपुटेशन शामिल है।

  सभी कार्मिको की सेवा पुस्तिकाओं को डिजिटलकृत किया गया है व वैयक्तिक रूप से और प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया है और मंत्रालय के कार्य प्रवाह के लिए सॉफ्टवेयर को अनुकूलित किया गया है।

- **ई–ऑफिस के कार्यान्वयन पर समर्थन**

(https://mta.eoffice.gov.in): ई–ऑफिस के कार्यान्वयन पर निरंतर समर्थन है। नए कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और वीपीएन एकाउन्टों को वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यालय से बाहर भी ई–ऑफिस तक पहुंचने के लिए प्रदान किया गया। पीएफएमएस से वेतन स्लिप के प्रकाशन का प्रावधान ई–ऑफिस में किया गया हैं।

ई–ऑफिस को एनसीएसटी, ट्राइफेड, एनएसटीएफडीसी में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। कार्य प्रवाह को परिभाषित किया गया और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कोविड–19 महामारी के दौरान घर से काम करने के लिए मंत्रालय, एनसीएसटी, ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी के कार्मिकों को वेब वीपीएन सुविधा प्रदान की गई थी।

- जिनेरिक ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों/पोर्टलों पर समर्थन: अन्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) पर मंत्रालय के कार्मिकों को निरंतर परिचालन सहायता जैसे:
    - https://nsp.gov.in (अजजा छात्रों को शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति डेटा के लिए)
    - http://bhavishya.gov.in (पेंशन, स्वीकृतियाँ और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली)
    - https://limbs.gov.in (कोर्ट मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन)
    - pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल),
    - https://e-samiksha.gov.in
    - ई–टेंडरिंग, ई–सेवा पुस्तक, स्पैरो, ई–विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएलआईएस, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।
- **ट्राइफेड को सहायता:** वन धन केंद्रों के सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्प के विकास, प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत वन धन केंद्रों के लिए वेब पोर्टल, आदिवासी उपज तथा लघु वन उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए ई–मार्केट प्लेस के लिए ट्राइफेड को आवश्यक तकनीकी सहायता का विस्तार किया गया।

  ई–ऑफिस, कोर्ट केस मॉनीटरिंग, ऑडिट पैरा मॉनीटरिंग और ई–एचआरएमएस जैसी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी सहायता भी विस्तारित की जा रही है।
- **एनसीएसटी के लिए शिकायत निवारण प्रणाली का कार्यान्वयन:** एनसीएसटी के लिए एनसीएसटी शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग (निगरानी) प्रणाली 'की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन शुरू किया गया। डेटा कैप्चरिंग फॉर्म और रिपोर्ट डिजाइन पूरा हो गया है। पूर्णता और आवश्यक सुरक्षा ऑडिट अनुपालन के बाद, इसे एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा।
- **स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और नेटवर्किंग सेवाएं:** दोनों परिसरों (शास्त्री भवन और जीवन तारा भवन) में उपयोगकर्ताओं को एलएएन और इंटरनेट की सेवाए बहाल रखने के लिए सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। एलएएन सेट–अप को जीवन तारा बिल्डिंग के नए परिसर में स्थापित किया गया। सम्मेलन हॉल सहित सचिव एवं अन्य उच्च अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न स्थानों पर मंत्रालय में उच्च गति वाईफाई कनेक्टिविटी के पांच पहुंच बिंदु (एक्सेस प्वाइन्ट) भी स्थापित किए गए हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** विभिन्न स्कीमों की समीक्षा के लिए मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष प्रगति और माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री समूह की बैठकों की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न आयोजनों की शुरूआत जैसे कि टीआरआई कॉन्क्लेव, सीओई का इंडक्शन किया गया। डेस्कटॉप वीसी सोल्यूशन का उपयोग करके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आंतरिक बैठकें भी

आयोजित की गईं।

- **ई–मेल की सुविधा सहायताः** मंत्रालय, ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों को एनआईसी ई–मेल की सुविधा जारी रखी गई थी।

- **डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) पर रैंकिंगः** नीति आयोग द्वारा डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) पर विभिन्न मानदंडों के आधार पर किए गए एक अध्ययन में, मंत्रालय को निम्नानुसार स्थान दिया गयाः

वर्ग	स्कोर	रैंक
65 मंत्रालयों के बीच कुल मिलाकर कार्य–निष्पादन	3.19 / 5	8
सामाजिक श्रेणी	3.19 / 5	3
प्रौद्योगिकी का उपयोग	3.70 / 5	5
डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता	5 / 5	1 (शीर्ष 5 ने 5 अंक प्राप्त किए)

- **स्कॉच डिजिटल भारत गोल्ड अवार्डः** 'आईटी समर्थित छात्रवृति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तीकरण' के लिए मंत्रालय को 66 वें स्कॉच डिजिटल भारत गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.10 हिन्दी संघ की राजभाषा है। अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है व सक्रिय रूप से संलग्न है। मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग, हिन्दी अनुवाद का कार्य करने के साथ–साथ राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी देखता है । जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी भी करता है। मंत्रालय के अधिकांश अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य–साधक ज्ञान रखते हैं ।

1.11 भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.) एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के दो पद अनुमोदित हैं ।

राजभाषा अधिनियम / नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.12 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए गए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये गए हैं । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के साथ शत–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने के यथासंभव प्रयास किए गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें, नाम पट्ट (नेम प्लेट्स) तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करवाई गई हैं । मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं तथा मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है।

हिन्दी माह का आयोजन

1.13 हिन्दी के आधिकारिक प्रयोग को बढ़ावा देने और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए देश में कोविड–19 महामारी

के होते हुए भी मंत्रालय में 1 से 30 सितम्बर, 2020 के दौरान 'हिन्दी माह' का आयोजन किया गया था। इसके दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी स्वरचित कविता पाठ, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्परी), हिन्दी टंकण, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद, अनुवाद और वर्ष भर हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता सहित 10 प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं।

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया और आर्थिक सलाहकार महोदय द्वारा हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह – 2020 के अवसर पर 67 पुरस्कार विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 1,39,000/– रुपए के नकद पुरस्कारों तथा संबंधित प्रमाण–पत्रों से सम्मानित किया गया।

आर्थिक सलाहकार हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह, 2020 के अवसर पर पुरस्कार विजेताओं के साथ।

आर्थिक सलाहकार हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह, 2020 के अवसर पर हिन्दी स्टाफ के साथ।

सतर्कता कार्यकलाप

1.14 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.15 मंत्रालय ने 27.10.2020 से 02.11.2020 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इस वर्ष का विषय ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' था। कोविड –19 रोकथाम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सीवीसी की वेबसाइट पर जाकर ई–प्रतिज्ञा ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सतर्कता गतिविधियों की सत्यनिष्ठा (प्रोबिटी) रिपोर्ट और त्रैमासिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट को नियमित आधार पर क्रमशः डीओपीएंडटी और सीवीसी को भेजा जा रहा है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.16 श्री विजय गोपाल मंगल, उप–सचिव को दिनांक 24.09.2020 से मंत्रालय में निदेशक, शिकायत के तौर पर नामित किया गया है। निदेशक, शिकायत के ब्योरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि को व्यापक रूप से परिचालित किया गया हैं। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) निगरानी भी की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान सीधे तौर पर ऑनलाइन किया जा रहा है।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

1.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक / ग्राहक चार्टर के ब्योरे इस रिपोर्ट के अध्याय 21 में दिए गए हैं।

1.18 इस मंत्रालय की योजनाओं / कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदायगी प्रणाली सृजित की गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.19 वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह का गवाह बनने के लिए भारत सरकार के आदिवासी मेहमानों के रूप में प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से दो आदिवासी प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को आमंत्रित करता है। 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, 22 राज्या / संघ राज्यक्षेत्रों (25 पुरुष और 17 महिलाएं) के जनजातीय मेहमानों ने 21 राज्या / संघ राज्यक्षेत्रों के सम्पर्क अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्व युवा केंद्र, चाणक्यपुरी में मेहमानों का स्वागत किया। जनजातीय मेहमानों ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास स्थान पर समारोह में भाग लेने के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और 28 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली में भाग लिया। जनजातीय मेहमानों और झांकी के कलाकारों के सम्मान में रात के खाने के साथ एक सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था।

गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के दौरान कलाकारों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और माननीय जनजातीय राज्य मंत्री।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 2021
के दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या पर जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शन

संसदीय स्थायी समिति

1.20 संसदीय स्थायी समिति ने ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (5) (घ) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की वार्षिक रिपोर्टों का परीक्षण'' और संघ सरकार के कार्य क्षेत्र के भीतर मामलों के संबंध में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर रिपोर्ट करने संबंधी विषय पर 26/02/2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

परामर्शदात्री समिति की बैठक

1.21 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता के तहत 'संविधान के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों का शासन और जनजातीय कार्यों की भूमिका' कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु परामर्शदात्री समिति की बैठक 23.12.2020 को हुई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.22 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संस्था है जिसे 10.04.2001 को स्थापित किया गया था। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.23 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा नए अनुच्छेद 338–क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य–अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्याकंन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं।

जनजातीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग

1.24 जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परामर्श से निम्नलिखित पहलों का अनुसरण किया जा रहा है :–

(क) जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों के विषयगत मानचित्र के संबंध में डेटाबेस तैयार करना

(ख) आकाशीय आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेत (फार्म) में तालाबों/मछली के तालाबों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना

(ग) विकासात्मक योजना के लिए जनजातीय जिलों के अंतर्गत नियमित जलाशयों की पहचान।

1.25 जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय मानचित्र तथा विषयगत मानचित्रण संगठन (एनएटीएमओ), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ''भारत–राज्या/जनजातीय जनसंख्या वाले जिले'', के संबंध में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया में भी है। 17 राज्या/संघ राज्य क्षेत्रों को खगोलीय आंकड़ों के उपयोग संबंधी अपनी फीडबैक/सफलता गाथा आदि

उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र भेजा गया है जैसाकि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी) द्वारा वांछित है।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.26 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अन्य बातों के अलावा संविधान के भाग IX तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना है, जैसा कि इसे अधिदेशित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रित तथा भागीदारी वाली स्थानीय स्व–शासन प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय तथा सेवाओं की कार्यकुशल उपलब्धता के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण सामर्थ्य तथा जवाबदेही, पंचायती राज मंत्रालय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसे लागू करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को अधिनियमित किया।

1.27.1 संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से सरोकार रखती है। पेसा अधिनियम, 1996 का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ संशोधनों तथा अपवादों के साथ संविधान के भाग IX तक किया जाता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना में विद्यमान है।

1.27.2 इन क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को लोगों की परंपराओं तथा रीति–रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद हल करने के प्रथागत तरीके की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना जाता है। ग्राम सभाओं के पास गांव की पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करने, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की अनिवार्य कार्यकारी शक्ति है तथा जनजातीय उप योजना सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श करने; लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे नियमित करनेय भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति; शराब की बिक्री/उपभोग को नियमित करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने को नियंत्रित करना और लघु वन उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार भी है।

1.27.3 इसके अतिरिक्त जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत क्षेत्रों में वन अधिकार हैं, वहां अधिनियम के तहत यथा पारिभाषित ग्राम सभा की संसूचित सहमति किसी भी विकास परियोजना के लिए अनिवार्य है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति

1.28 इस मंत्रालय में कार्यस्थल पर प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए यौन उत्पीड़न मुक्त, सुरक्षित और कार्यक्षम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। सुश्री आर.जया, संयुक्त सचिव समिति की अध्यक्ष हैं। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान समिति को यौन उत्पीडन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस):

1.29 भारत सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान 10 सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (एसजीओएस) को मोटे तौर पर दस अलग–अलग सेक्टरों में स्थापित किया है और प्रत्येक समूह को समूह के पांच साल के संदृश्य प्रलेख/दृष्टि दस्तावेज (विजन डॉक्यूमेंट) तैयार करने और अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था। ऐसा करते समय, समूहों को समूह के भीतर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/आयोगों के स्वास्थ्य/शिक्षा /कौशल विकास/आजीविका/सामाजिक सुरक्षा/संस्कृति और विरासत आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर रणनीतिक पहल/

गतिविधियों/कार्य योजना को ध्यान में रखना था व इसे मिलाना और विजन डॉक्यूमेंट को संकलित/अंतिम रूप देना था। प्रत्येक क्षेत्रीय समूह में 10 मंत्रालय/ विभाग आदि होते हैं और सचिवों में से एक को समूह का संयोजक नामित किया जाता है। सेक्टोरल समूहों को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए पांच साल के विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है, जिसे "वार्षिक उप–योजना, समय–सीमा और मील के पत्थर के साथ बहुत ही विशिष्ट, मूल्यांकन योग्य और परिणाम उन्मुख होना है"।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, कल्याण संबंधी सीजीओएस के संयोजक हैं और समूह में अन्य नौ सचिव/ सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य हैं। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव हैं।

मंत्रालय ने कल्याण संबंधी एसजीओएस को सचिवालय सहायता प्रदान की है जिसने समूह का 5 वर्षीय विजन दस्तावेज तैयार किया है। यह समूह अब अपने सदस्यों के बीच कम से कम एक मासिक बैठक का आयोजन 5–वर्षीय दृष्टि दस्तावेज व साथ ही समय–समय पर इसे सौंपे गए मदों में भी कार्रवाई योग्य बिंदुओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए कार्य कर रहा है।

इसके अलावा, समूह के विभागों/मंत्रालयों/आयोगों के संघटक सदस्यों के अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों का एक और समूह इसके कामकाज में एसजीओएस की सहायता करता है। यह समूह भी हर महीने बैठक करता है और सदस्यों को कल्याण संबंधी एसजीओएस द्वारा समीक्षा किए जा रहे मामलों पर उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

*****

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप – एक सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विकास के लिए व्यापक नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय जनसंख्या के समावेश और सतत विकास के लिए प्रयास करता है । मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करती हैं तथा उन्हें पूरा करती हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतरों को दूर करता हैं। यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक संवर्धन तथा सामाजिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय उपायों के रूप में उनके प्रयासों को पूरा करता है। ये स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान तथा जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा केंद्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमें चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची **अनुलग्नक–2** में दी गयी है।

2.3 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है जबकि इनके ब्यौरे अनुवर्ती अध्यायों में दिये गये हैं।

2.4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए वर्ष के दौरान विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रतिधारण को बढ़ाने तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी छात्रवृतियों के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करते हुए अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कीमों को कार्यान्वित करते हुए शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए गए थे।

2.5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्कीम को वर्ष 1997–98 में शुरू किया गया था ताकि सुदूर क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को गुणवत्तापरक उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए। शुरूआत में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत' अनुदान के तहत वित्तपोषित है, को 2019–20 में एक अलग स्कीम का रूप दे दिया गया है।

2.6 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना 01.07.2012 से आरंभ की गई थी। कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहायता करना इस योजना का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटनाओं को कम से कम किया जा सके तथा मैट्रिकपूर्व स्तर की कक्षा IX तथा X में अजजा के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर सत्र के चरणों में उन्हें प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके। स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की दर को 2019–20 (01.12.2019) के अकादमिक सत्र से संशोधित किया गया है और आय की अधिकतम सीमा को अकादमिक सत्र 2020–21 से संशोधित कर 2.50 लाख रू. प्रति वर्ष किया गया है।

2.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को छात्रवृत्ति की दर, आयुसीमा तथा विषयों के समूहीकरण के कुछ आशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु यह केन्द्र द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है।

2.8 यह मंत्रालय, विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.9 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीमों नामतः 'राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' तथा 'उच्च श्रेणी शिक्षा' की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य बनाने और इसके स्तरों, जिसमें समय ज्यादा लगता है, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों स्कीमों को केन्द्रीय क्षेत्र की "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति" नामक एकल स्कीम में मिला दिया है।

2.10 मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों की पहचान की है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी के निर्धारण के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर;
- एक स्थिर या घटती जनसंख्या;
- बहुत कम साक्षरताय तथा
- अर्थव्यवस्था का एक जीवन–निर्वाह स्तर।

अन्य जनजातीय समूहों की तरह, पीवीटीजी भारत सरकार और राज्य सरकारों की उन सभी योजनाओं के लाभों के पात्र हैं जो सामान्य जनसंख्या के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही इन योजनाओं के एसटीसी हिस्से के लिए भी हैं। इसके अलावा, वे जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के लाभों के साथ–साथ राज्यों में केवल जनजातीय समूहों के उद्देश्य से ऐसी योजनाओं के भी पात्र हैं। बहरहाल, भारत सरकार ने उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हुए और पीवीटीजी के विकास के लिए एक समुदाय/क्षेत्र से प्रेरित दृष्टिकोण के लिए, पीवीटीजी के विकास की दिशा में विशेष रूप से निर्देशित एक योजना का प्रावधान किया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत मंत्रालय 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अनुमोदित ''संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) के तहत प्राथमिकता वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उनकी पीवीटीजी आबादी के लिए निधियां प्रदान करता है। योजनाएं "शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और निवास के अधिकारों की मान्यता'' के क्षेत्रों से संबद्ध है। योजना के तहत सहायता अनिवार्य रूप से अंतर/त्रुटियां दूर करने वाले उपायों की प्रकृति की है।

2.11 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों, गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, इत्यादि को कवर करते हुए परियोजनाओं को निधिपोषित करता है।

2.12 कम सारक्षता जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा को सुदृढ़ करना की, योजना एक लैगिंक विशिष्ट स्कीम है जिसे कम साक्षरता वाले स्थानों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए 1993–94 में शुरू किया गया था। स्कीम को 2008–09 में संशोधित किया गया है और यह 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई है।

2.13 जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना आकलन समिति (पीएसी) में विचार किए जाने के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता हैं।

2.14 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर के उत्थान तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 26 राज्यों को अनुदान सहायता जारी की जाती हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की

आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

आश्रम विद्यालयों, बालक और बालिकाएं छात्रावास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) से संबंधित कार्यों पर अब टीएसएस को एससीए व भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की स्कीमों के तहत विचार किया जाता है।

2.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 को स्थापित एक शीर्ष संगठन है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2.16 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी। आयोग के मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के द्वारा मामले की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

2.17 मंत्रालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता स्कीम के द्वारा नए टीआरआई, जहां ये स्थापित नहीं है को स्थापित करने की योजना और विद्यमान टीआरआई के कार्यकरण को सुदृढ़ करने की स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय परंपरा इत्यादि के संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी को पूरा कर सकें।

2.18 "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" स्कीम वर्ष 2013–14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के एकत्रीकरण एवं बिक्री पर निर्भर करती है, उनके लिए बहुअपेक्षित सुरक्षा नेट और सहायता दी जा सके।

प्रारम्भ में, यह स्कीम संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा इसमें दस एमएफपी मदों को शामिल किया गया था। फरवरी, 2019 में इस स्कीम के दिशा–निर्देशों को विभिन्न हितधारकों तथा ट्राइफेड के साथ परामर्श के पश्चात् संशोधित किया गया था एवं स्कीम के प्रारम्भ से ही एक भाग के रूप में उभरी 10 एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी के संशोधन के दौरान, एमएफपी की 40 और वस्तुओं को एमएसपी सूची में शामिल किया गया था। तत्पश्चात एमएफपी सूची में और मदें शामिल की गयीं और मंत्रालय द्वारा एमएफपी मदों की एमएसपी में संशोधन किया गया। अब इस स्कीम में कुल 73 मदों का प्रबंधन किया जाता है।

2.19 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी और यह जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदायक और मार्केट विकासक दोनों के रूप में कार्य करती है। यह देश में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करती है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

2.20 जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा नामक स्कीम के द्वारा समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा, सूचना का प्रचार और जागरूकता सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प व आहार, उत्सव, खेल–कूद, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शन, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्त–चित्रों की प्रस्तृति प्रकाशनों को प्रदर्शित करना, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण अध्ययनों पर विशेष बल दिया जाता है व जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं व नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय व राज्य विभागों की उपलब्धियों का प्रलेख शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों के अंतराल को भरने के लिए विख्यात एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों जहां विशेषज्ञता पायी जाती है व जिन्होंने पहले ही उत्कृष्ट केंद्र (सीओई) के रूप में जनजातीय संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करके पहले ही अपनी छाप छोड़ी है, को मान्यता देता है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि सीओई द्वारा समर्पित संस्थानों के पूरक के रूप में ज्ञान बैंक के निर्माण हेतु अर्थात सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां बनाने के लिए राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जानी चाहिए।

2.21 जनजाति उप–योजना/अनुसूचित जनजाति संघटक की मॉनीटरिंग: जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा बनाए गए ढांचे और मैकेनिजम के आधार पर जनजातीय उप–योजना निधियों को मॉनीटर करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, वेब–पता http://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ढांचे में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के तहत जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) निधियों के आबंटन की तुलना में सामने व्यय की मॉनीटरिंग का उल्लेख है।

2.22 मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य समुदायों को अनुसूचित/गैर–अनुसूचित करना है। संविधान, राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को उन वर्तमान प्रविधियों के अनुसार प्रसंस्कृत किया गया है, जिनकी अनुमति 15.06.1999 को दी गई थी एवं जिनको दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित किया गया था।

*****

अध्याय 3
कार्यकलापों की विशेषताएं

योजना/स्कीम परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2020–21 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन (योजनाओं और गैर योजनाओं के तहत) 7411.00 करोड़ रूपये है। तथापि, वर्ष 2020–21 के लिए योजना परिव्यय हेतु बजट आवंटन 7355.76 करोड़ रूपये है। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा योजनाओं के तहत कुल निर्मुक्ति 3882.84 करोड़ रूपये है (योजना तथा गैर योजना दोनों), जो बजट अनुमान का 52.39% है

3.2 वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्कीम–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा **अनलुग्नक–3क** के अनुसार हैं। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान बजट अनुमान संशोधित अनुमान तथा व्यय के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–3ख** में दिए गए हैं।

जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता

3.3 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के तहत जनजातीय आबादी वाले राज्यों में जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अनुदान प्रदान किए जाते है। निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन तथा इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन पश्चात निर्मुक्त की जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार सह आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए टीएसएस को एससीए स्कीम के लिए 17.09.2019 को संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। टीएसएस को एससीए की योजना के तहत निम्नलिखित पहलें की गई:

(i) प्रभाग ने अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निर्वाचित पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों को पेसा, पीओए, वन अधिकार अधिनियम–2006 और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय/राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण देने की पहल भी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में, फरवरी 2020 में ओडिशा में स्थानीय स्व सरकारों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय कार्यक्रम का आरंभ किया है।

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच अभिसरण अवसर की पहचान की गई है और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुख्य सचिवों को जनजातीय कार्य मंत्रालय और एक संयुक्त अभिसरण योजना जारी की गई है।

(iii) मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण अवसरों की भी पहचान की है।

(iv) सचिव, जनजातीय कार्य द्वारा सचिव, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डी/ओ एसी और एफडब्ल्यू) को एक अ.शा. पत्र भी भेजा गया था, जिसमें मंत्रालय द्वारा चिह्नित 177 प्राथमिकता वाले जिलों में 567 ब्लॉकों में से प्रत्येक में एक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को आवंटित करने की गुंजाइश थी, (जहां जनजातीय जनसंख्या 25% से अधिक है) के लिए इन ब्लॉकों के व्यापक विकास के लिए एमएफपी, गैर एमएफपी आर्गेनिक, गैर एमएफपी कृषि, गैर कृषि आधारित और मिश्रित उत्पादों पर आधारित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी डी/ओ एसी एंड एफडब्ल्यू से अनुरोध किया कि इन आकांक्षी जिलों के जनजातीय ब्लॉकों में

जनजातीय कार्य मंत्रालय को 500 एफपीओ आवंटित करें।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अधीन राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार 24 राज्यों के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान अनुमोदित कुछ कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (प्रतिबद्ध देयता: अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत ईएमआरएस के लिए),
- प्राथमिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उन्नयन/अतिरिक्त अवसंरचना।
- अजजा बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
- सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवनों का निर्माण/वृद्धि/सुदृढ़ीकरण।
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान।
- कौशल विकास
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार
- कृषि पहलें/जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन / डेयरी / सुअर पालन/ मछली पालन / भेड़ /बकरी पालन आदि को आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में बढ़ावा।
- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन/पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- साफ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा

3.5 सचिव, जनजातीय कार्य तथा संयुक्त सचिव (अनुदान/ईएमआरएस) की अध्यक्षता में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के आकलन के लिए राज्य सरकारों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी।

3.6 इस वर्ष कोविड – 19 महामारी की परिस्थिति के कारण राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव तथा राष्ट्रीय स्तर ईएमआरएस खेल समारोह आयोजित नहीं किया जा सका।

3.7 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और ई–पहल:

- सभी शामिल स्कीमों के संदर्भ में मासिक रिपोर्ट को डीबीटी भारत पोर्टल पर अद्यतन किया जा रहा है। इन स्कीमों के लाभार्थी–वार आंकड़े एकत्रित करने तथा मंत्रालय स्तर पर एमआईएस बनाने के लिए इस मंत्रालय के स्थानीय एनआईसी सर्वर पर डीबीटी ऐप इंस्टाल किया गया है।
- मंत्रालय की छः योजनाओं, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय समुद्रपारीय, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, गैर सरकारी संगठन अनुदान, मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रयास डैशबोर्ड (https://prayas.nic.in) के साथ एकीकृत की गई है और एपीआई के माध्यम से मासिक डेटा प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदर्शन डैशबोर्ड (https://fellowship.tribal.gov.in/) एक इंटरैक्टिव और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एसडीजी प्राप्त करने

के लिए मंत्रालय की योजनाओं/पहलों के अद्यतन और वास्तविक समय के विवरण को दिखाता है। सभी योजनाओं और पहलों के लिए, जिला स्तर तक की जानकारी संकलित की गई है और इंटरेक्टिव मानचित्र पर दिखाई गई है। डैशबोर्ड मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन को एकत्रित करता है, जिसमें हर वर्ष लगभग 30 लाख वंचित अ.ज.जा. लाभार्थियों को 2500 करोड़ रूपये का लाभ मिलता है। यह मंत्रालय की अन्य योजनाओं का विवरण भी प्रदर्शित करता है।

- केपीएमजी, ने नीति आयोग के लिए अपने जनादेश के हिस्से के रूप में, सामाजिक समावेश पर केंद्रित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन किया है, जिसमें ई–शासन के सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में इसने जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल को मान्यता दी है जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और मौलिक सुधार लाया है।
- छात्रवृत्ति संवितरण प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए की गई डिजिटल पहल की श्रृंखला के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी ''आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण'' पहल के लिए स्कॉच डीजिटल इंडिया एंड ई–गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लेना तय किया है। कई दौर की प्रतियोगिता के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय को 30 जुलाई, 2020 को आयोजित, 66वां स्कॉच समिट में वर्ष 2020 के लिए 'इंडिया रेसपोंड्स कोविड एंड गवर्नेंस' के नाम से गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- नीति आयोग ने दिनांक 23.09.2020 के पत्र के माध्यम से हाल ही में द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) की रिपोर्ट साझा की है। यह अभ्यास माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री भास्कर खुल्बे द्वारा डीजी, डीएमईओ, नीति आयोग को लिखे गए पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2020 के अनुक्रिया में एनआईसी के साथ सहयोग से किया गया था। इस रिपोर्ट में, नीति आयोग ने डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता के संबंध में 5/5 अंक के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले में शीर्ष 5 मंत्रालयों के बीच जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्थान दिया है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

3.8 आवेदन, जांच, अंतिम चयन तथा पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति सीधे वितरित करने के लिए एकल विंडो प्रदान करने हेतु अजजा के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की स्कीम के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर प्राप्त किये गये हैं।

विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीमः–

3.9 वर्ष 2017–18 से आगे अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://overseas.tribal.gov.in/) को विकसित किया गया तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे पूर्ण रूप से कार्यशील किया गया। सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए (सरकार द्वारा जारी/स्वतः अपलोड किए गए) दस्तावेज मंगवाने के लिए डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है

3.10 अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

- राष्ट्रीय जनजातीय अध्येतावृत्ति पोर्टल (https://fellowship.tribal.gov.in/) को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया तथा इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर संचालित किया गया।
- लाभार्थियों को यथासमय भुगतान करने के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
- अनंतिम रूप से चयनित अध्येतावृत्ति के विद्यार्थियों के ब्यौरों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉडयूल तैयार किया गया है।

- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉडयूल तैयार किया गया।
- सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए (सरकार द्वारा जारी/स्वतः अपलोड किए गए) दस्तावेज मंगवाने के लिए डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.11 जनजातीय कार्य मंत्रालय मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में 300 परियोजनाओं के लिए लगभग 200 एनजीओ को वित्त पोषण कर रहा है। गैर–सरकारी संगठनों को निधियां निर्मुक्त और संसाधन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए, आवेदनों को आमंत्रित करने, सत्यापन और निधि निर्मुक्त करने से पूरी प्रक्रिया अब एक समर्पित एनजीओ पोर्टल (https://ngograntsmota.gov.in) के माध्यम से की जाती है जहां एनजीओ भी अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। गैर–सरकारी संगठन केवल उस उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी, को सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों की निगरानी पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है। एनजीओ पोर्टल में एक संचार मॉड्यूल भी शामिल है जो एनजीओ को प्रश्नों, दस्तावेजों और उनकी शिकायतों को अपलोड करने और उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल कैसे काम करता है और गैर–सरकारी संगठन इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

वर्ष 2020–21 के दौरान 12 राज्यों में 26 आवासीय विद्यालयों में 3,877 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला, 04 राज्यों में 06 गैर–आवासीय विद्यालय से 1419 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला, 8 राज्यों में 10 छात्रावासों के 1042 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला और 08 राज्यों में 20 सचल–औषधालयों को निधि–पोषित किया गया था जिससे 1,81,272 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला, 06 राज्यों में 07 अस्पतालों को निधि–पोषित किया गया है जिससे 1,02,299 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला।

3.12 इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत 4 राज्यों में 2143 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 12 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.26 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम

3.13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना, 18 राज्यों में फैले सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। यह योजना लचीली है क्योंकि यह राज्यों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिन्हे वे पीवीटीजी के लिए प्रासंगिक समझते हैं। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और अधिवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में सरकारों द्वारा संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाएं तैयार की जानी हैं।

यह योजना पीवीटीजी जनसंख्या के लिए सूक्ष्म योजना परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रावधान करती है। योजना दिशानिर्देश को अंतिम रूप से 2019–20 में संशोधित किया गया है और सीसीडी योजनाओं के निर्माण के लिए अलग–अलग महिला सभा बैठकों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीसीडी योजनाओं के मूल्यांकन के समय, लाभार्थियों की लिंग संबंधी जानकारी पर विचार करना होगा। इसके अलावा, राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं/बालिकाएं हैं। सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों के संवर्धन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के

रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम ने 37,152 लाभार्थियों के लिए 241.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। दिनांक 31.12.2020 तक निगम ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 65.14 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

3.15 दिनांक 31.08.2020 तक एफआरए के तहत कुल 42,53,089 दावे दर्ज किए गए, जिसमें से 87.97% दावों का निपटान किया जा चुका है तथा 19,85,911 अधिकार–पत्र (46.69%) जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा राज्य को सबसे ज्यादा 4,46,013 अधिकार–पत्र (4,39,436 व्यक्तिगत तथा 6,577 सामुदायिक अधिकार–पत्र) जारी करने का गौरव प्राप्त है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

3.16 सरकार ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के तौर पर विकसित करने और जनजातीय विकास के लिए ज्ञान–कोष तथा जनजातीय लोगों की वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षण के लिए टीआरआई की कार्यप्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया है। 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' स्कीम के लिए वर्ष 2016–17 के 21.00 करोड़ रूपये के वार्षिक परिव्यय को वर्ष 2017–18 में बढ़ा कर 80.00 करोड़ रूपये, वर्ष 2019–20 में इसे बढ़ाकर 100.00 करोड़ रूपये और वर्ष 2020–21 में बढ़ाकर 110.00 करोड़ रूपये कर दिया गया। वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में जहां जनजातीय अनुसंधान केन्द्र नहीं हैं, नये जनजातीय अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए निधियां जारी की गई हैं। आज की तिथि तक 26 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान केन्द्र विद्यमान हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन, जनजातीय उत्सव का आयोजन मूलभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्त–चित्र/अभिलेख, विनियम दौरों का आयोजन टीआरआई भवनों तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के निर्माण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए मिजोरम को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

टीआरआई और सीओई परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानीः

3.17 इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और अनुसंधान संस्थानों को स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए टीआरआई प्रभाग ने tri.tribal.gov.in के वेब पते के साथ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पोर्टल विकसित किया है। टीआरआई / सीओई अपने स्वीकृत प्रोजेक्ट विवरण त्रैमासिक स्थिति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, यूसी और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

3.18 जनजातीय कोषः समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, http://tribal.nic.in/repository के वेब पते के साथ एक डिजिटल कोष विकसित की गई है जिसमें उनके विकास, मूल उत्पत्ति, जीवन शैली, पाक–कला, वास्तु कला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानवशास्त्रीय दस्तावेजों से संबंधित उनके विकास के बारे में विवरण संग्रहित है। वर्तमान में इस कोष (रिपॅाजिटरी) में 10,000 चित्र, वीडियो और प्रकाशन संग्रहित हैं जिन्हें ज्यादातर टीआरआई द्वारा संग्रहित किया गया है।

3.19 जनजातीय डिजिटल दस्तावेज कोषः ''जनजातीय डिजिटल दस्तावेज कोष'' http://repository.tribal.gov.in के वेब पते के साथ प्रकाशित शोध पत्र, किताबें, रिपोर्ट और भारतीय जनजाति के संबंध में विभिन्न मापदंडों जैसे राज्य, टीआरआई, लेखक, जनजाति, विषय आदि पर मेटा डेटा जैसे दस्तावेजों का एक अनूठा डिजिटल कोष है। हर कोई आसानी से अपने प्रासंगिक दस्तावेज पा सके।

3.20 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयः जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्ति के कार्यों को मान्यता देने के लिए, सरकार ने उन राज्यों में एक अत्याधुनिक जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जहाँ जनजाति

रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और झुकने से इनकार कर दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि कैसे हमारे जनजातीय लोग बलिदान देने में कितने आगे थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2019–20 के दौरान मणिपुर और मिजोरम सहित निम्नलिखित राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय के लिए स्थान	जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता	निर्मुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	लाम्बासिंगी	15.00	7.50
2	छत्तीसगढ़	रायपुर	15.00	4.65
3	गुजरात	राजपिपला	50.00	50.00
4	झारखंड	रांची	25.00	25.00
5	केरल	कोझिकोड	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	15.00	6.93
7	मिजोरम	केलसिह	15.00	7.00
8	तेलंगाना	हैदराबाद	15.00	1.00
9	मणिपुर	सेनापति	15.00	1.00
		कुल	**180.00**	**110.58**

3.21 राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान: देश भर के सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के कामकाज में तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और जनजातियों से संबद्ध मुद्दों के लिए टीआरआई को एक विशेषज्ञ समूह तथा ज्ञान भंडार के रूप में विकसित करने के सरकार के संकल्प को साकार करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आईआईपीए, दिल्ली में अलग–अलग अत्याधुनिक भवन अवसंरचना के साथ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

निधियों का उपयोग: 31.12.2020 तक, राज्य सरकारों को 110.00 करोड़ रूपये के कुल आवंटन में से 10.48 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है, यानी 9.53%

3.22 टीआरआई का पुनर्उत्थान: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आईआईपीए को एक परियोजना सौंपी है जो टीआरआई के लिए कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए मूर्त परिणामों के प्रति उनके कामकाज के पुनरावर्तन के लिए कार्रवाई की आवश्यकता और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगा।

3.23 ट्राइबल टैलेंट पूल: जनजातीय प्रतिभाओं से जुड़ने के लिए, उनके हित के क्षेत्रों को समझने और उद्यमियों, शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के संबंध में जागरूक बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इन छात्रों द्वारा प्रस्तुत थीसिस का मूल्यांकन किया जा रहा है और राष्ट्रीय मेंटर पूल के माध्यम से एक व्यापक मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली एनटीआरआई, विभिन्न टीआरआई और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े सीओई की भागीदारी के माध्यम से विकसित की जाएगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान समिति में आंतरिक अनुसंधान समिति होना प्रस्तावित है। अनिवार्य ओरिएंटेशन वर्कशॉप होंगे और छात्र मंत्रालय और टीआरआई द्वारा किए जा रहे अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़े होंगे। समिति छात्रों द्वारा किए गए शोध विषयों की पहचान करेगी और शोध करने वाले प्रत्येक छात्र को अनुसंधान परियोजना के साथ कम से कम 2 महीने की नौकरी अनुसंधान

की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के दौरान दिल्ली और भुवनेश्वर में तीन इंटरैक्टिव कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों द्वारा उठाए गए अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, उनके शोध कौशल में सुधार करना, छात्रों से संबंधित मुद्दों को समझना, उनकी रुचि और आकांक्षाओं और क्षमता निर्माण के क्षेत्र को जानना है।

जनजातीय उत्सव, अनुसंधान–सूचना और जन शिक्षा

3.24 उत्कृष्टता केन्द्रः वर्ष 2020–21 में, निम्न प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के तौर पर मान्यता प्रदान की हैः–

(i) आईआईटी दिल्ली

(ii) एसोचैम, दिल्ली

(iii) एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता

(iv) दिशा फाउंडेशन, नासिक

(v) एएफसी फाउंडेशन, नई दिल्ली

(vi) पिरामल स्वास्थ प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (पीएसएमआरआई), हैदराबाद

(vii) जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), दिल्ली का सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएनईएसपीआर)

(viii) श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट (एग्रीकल्चर ट्रस्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल फाउंडेशन), बेंगलुरु और

(ix) व्यक्ति विकास केंद्र भारत (वीवीकेआई), बेंगलुरु)।

3.25 जनजातीय राष्ट्रीय उत्सवः जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष समस्त देश में जनजातियों के लोक नृत्यों, गीतों, खान–पान, चित्रकला और कारीगरी में पारंपरिक कौशल के प्रदर्शन और चिकित्सा पद्यतियों आदि के विभिन्न विशिष्ट रूपों के माध्यम से समृद्ध विरासत की झलक दर्शाने के लिए राष्ट्रीय उत्सव और कार्निवल आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2015 से अबतक किए गए आयोजनों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	विषय	अवधि	स्थान
2015	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव–वनज	13–18 फरवरी, 2015	इंदिरा गांधी आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली
2016	राष्ट्रीय जनजाति कार्निवल–2016	25–28 अक्तूबर, 2016	इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम और प्रगति मैदान, नई दिल्ली
2017	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2017	दिल्ली हॉट, आईएनए, सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस आदि नई दिल्ली
2018	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2018	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली
2019	राष्ट्रीय जनजाति उत्सव (आदि महोत्सव)	16 –30 नवम्बर, 2019	दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली

जनजातीय कार्य मंत्रालय कोविड –19 महामारी के कारण वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय महोत्सव का आयोजन नहीं कर सका। हालाँकि, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने मध्य प्रदेश में एक वर्चुअल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 1 दिसंबर, 2020 को किया गया था।

जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा ऐसा प्रथम उत्सव, वर्ष 2017–18 के दौरान नवम्बर, 2017 में आयोजित किया गया था। सभी ओर से प्रोत्साहन भरी प्रतिक्रिया मिलने के पश्चात ट्राइफेड ने तत्पश्चात वर्ष 2017–18 में 5 (पांच) और वर्ष 2018–19 के दौरान 11 और वर्ष 2019–20 के दौरान देश के 16 अन्य स्थानों पर आदि महोत्सवों का आयोजन किया गया। मंत्रालय और ट्राइफेड ने संयुक्त रूप से 2019–20

के दौरान "आदि महोत्सव" नामक 16 जनजातीय उत्सव आयोजित कीं, जिसमें 15–20 करोड़ रुपये की राशि के खरीद आदेशों को हासिल करने में अतिरिक्त व्यवसाय का सृजन करने के अलावा 2500 से अधिक जनजातीय कारीगरों और रसोइयों ने 12.50 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बिक्री को साकार किया।

प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी

3.26 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों, जो अजजा के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित किए गए हैं, की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय है। पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (stcmis.gov.in) को इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालय/विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) की निधियों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए प्राइस वाटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) को एक शोध और मूल्यांकन परियोजना दी है। पीडब्लूसी ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एक वीसी को जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ उनकी टिप्पणियों/ विचारों को शामिल करके रिपोर्ट की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया था।

वित्त वर्ष 2020–21 में 52024.23 करोड़ रुपये के एसटीसी फंड के कुल आवंटन में से 31.12.2020 तक व्यय 29349.80 करोड़ रुपये (यानी 56.42%) है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.27 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दुकानों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ट्राइफेड ने 31.10.2020 तक 211.86 लाख रुपये का व्यापार किया है।

3.28 विपणन विकास गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

- ट्राइफेड ने 73 स्वयं की 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा 33 परेषण आधारित दुकानों तथा 15 फ्रैंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड ने 2019–2020 के दौरान ऊटी, शिमला, इंदौर, लेह, विजाग, पुणे, नोएडा, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, जयपुर, पुडुचेरी, भोपाल, गोवा, लखनऊ, प्रयागराज और रांची में "आदि महोत्सव" नामक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन किया। ट्राइफेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 71.50 लाख रूपये की बिक्री की है।
- कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस तरह के 13 आभासी राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवों "आदि महोत्सव" आयोजित करने की योजना है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्राइफेड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम) आयोजित करते हुए जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को पैनलबद्ध करने के लिए एक प्रमुख पहल आरंभ की गई, जिससे अब तक वर्ष 2020–21 के दौरान (31.10.2020) पैनलबद्ध के लिए 3093 कारीगरों को चिन्हित किया गया है।
- इसके अलावा वर्तमान महामारी के दौरान दुकानों से कम बिक्री होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए ई–बाजार स्थान लॉच किया है और जनजातीय कारीगरों को उनके उत्पादों के साथ शामिल किया जा रहा है। यह दिनांक 02.10.2020 को ट्राइफेड/जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित शानदार समारोह ने माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुण्डा द्वारा लॉच किया गया था। अब तक 3093 कारीगरों को ई–बाजार स्थान में पंजीकृत तथा 12760 उत्पादों को अपलोड किया गया है (31.10.2020 तक)

- इसके अलावा, ट्राइफेड ने रायगढ़ तथा जगदलपुर में ट्राइफेड परियोजना आरंभ की है, जिसका उद्‌घाटन वेबीनार के माध्यम से दिनांक 20.07.2020 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा द्वारा किया गया था।

राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्यशाला:

3.29 राज्यों के नोडल विभागों, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों को एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम के संबंध में अवगत कराने तथा उन्हें स्कीम के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि स्कीम को लाभार्थियों की बड़ी संख्या को कवर करने के लिए विस्तृत किया जा सके। वर्ष 2020–21 के दौरान तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में ट्राइफेड द्वारा "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना को अगले स्तर पर ले जाने" के विषय पर राज्य स्तरीय पक्षपोषण कार्याशालाएं आयोजित की गई थीं।

3.30 वर्ष के दौरान 20 राज्य सरकारों ने स्कीम के तहत भाग लेने के लिए ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ स्कीम के तहत भाग लेने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ई–गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच चैलेंजर अवार्ड और अपनी अभिनव पहल के लिए स्वर्ण श्रेणी में चार पुरस्कार हासिल किया।

3.31 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को पिछले वर्ष के दौरान की गई विभिन्न पहलों के लिए प्रतिष्ठित ''स्कॉच चैलेंजर अवार्ड''–''ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन'' प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार वर्चुअल स्कॉच शिखर सम्मेलन में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्राप्त किया गया था।

स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार स्कॉच समूह का सर्वोच्च सम्मान है। इसे भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है और इसे संपूर्ण शोध और विशेषज्ञ मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है। यह साक्ष्य के आधार पर महसूस–जरूरतों के आकलन और परिणाम मूल्यांकन पर आधारित है।

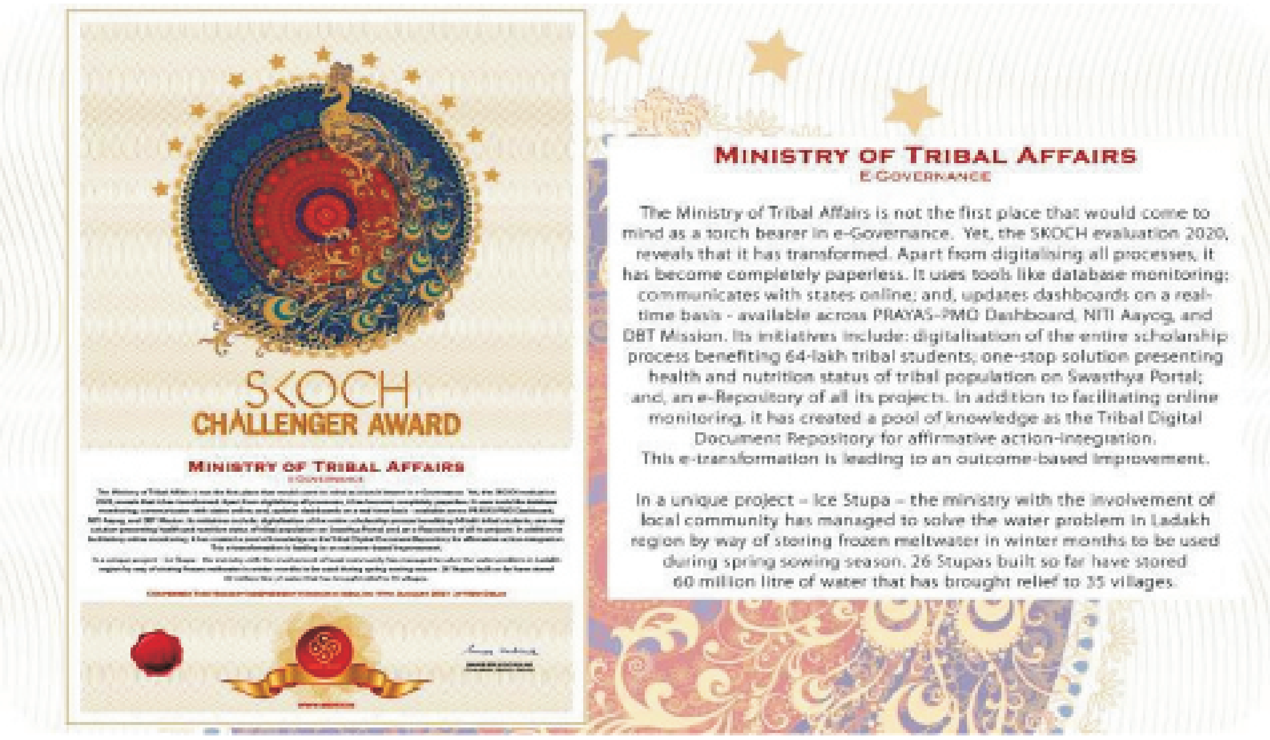

(स्कॉच चौलेंजर अवार्ड–ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन)

इसके अलावा, मंत्रालय ने अपनी पहल नामतः ''बर्फ–स्तूप का उपयोग करके जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन के माध्यम से जनजातीय गांवों का पर्यावरण–पुनर्वास'', ''स्वास्थः जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल'', ''प्रदर्शन डैशबोर्ड सशक्त जनजाति बदलता भारत'' और ''आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण'' के लिए 4 स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त किया।

'स्वास्थ्य', स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी एक ही मंच पर प्रदान करता है। 'स्वास्थ्य' ने साक्ष्य, विशेषज्ञता और अनुभव के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए नवीन अभ्यासों, अनुसंधान संक्षिप्तताओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी संग्रहित किया है। पोर्टल http://swasthya.tribal.gov.in को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

पानी और आजीविका की समस्या को हल करने के लिए लद्दाख के छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन (एसईसीएमओएल) के साथ साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 50 गाँवों में बर्फ स्तूप के निर्माण के उद्देश्य से दो साल का कार्य अनुसंधान परियोजना आरंभ किया गया है और इस तरह पेयजल और जल सिंचाई संकट हल होगा । लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए बर्फ स्तूप एक अनूठी परियोजना है जो जलवायु परिवर्तन के कारण कमी का सामना करती है। यह सर्दियों में जमे हुए पिघल पानी को संग्रहित करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल वसंत जल बुवाई के मौसम के दौरान किया जा सकता है। यह संरचना अधिक धारण क्षमता के साथ स्थानीय रूप से पाए जाने वाले सामग्रियों से युक्त है, जो स्तूप की तरह दिखता है। 2019–20 में, 26 बर्फ स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसकी क्षमता 60 मिलियन लीटर पानी जमा करने की है।

प्रदर्शन डैशबोर्ड, 'सशक्त जनजाति बदलता भारत' अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने और प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। पोर्टल एक इंटरैक्टिव और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्रासंगिक एसडीजी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की 17 योजनाओं/पहलों के वास्तविक समय के विवरण को प्रदर्शित करता है। डैशबोर्ड मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन को एकत्रित कर लेता है, जिसके तहत हर साल लगभग 30 लाख वंचित अजजा लाभार्थियों को लगभग 2500 करोड़ रूपये का लाभ मिलता है। यह डैशबोर्ड एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) योजना के तहत कार्यशील विद्यालयों, विभिन्न ईएमआरएस में विद्यार्थियों के जिले–वार ब्योरे के साथ निर्माणाधीन विद्यालयों का ब्योरा भी प्रदर्शित करता है। मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को भी निधियां उपलब्ध कराता है। डैशबोर्ड जिले के एनजीओ के विवरण के साथ–साथ प्रदान किए गए निधियों का विवरण प्रदान करता है। मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति सहित केंद्र प्रायोजित योजनाएं, राज्यों द्वारा मंत्रालय के साथ अपना डेटा साझा करती हैं।

मंत्रालय के अन्य आईटी पहल जो प्रदर्शन डैशबोर्ड से जुड़े हैं, वे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पोर्टल, शोध पत्रों के जनजातीय कोष (रिपोजिटरी), एनजीओ ग्रांट ट्रैकिंग सिस्टम, अनुसूचित जनजाति घटक निगरानी प्रणाली, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (गोल), डिजिटल उद्यमिता, स्प्रिंग वाटर एटलस, नेशनल माइग्रेशन रिपॉजिटरी, आदिग्राम्स है। ये सभी आईटी पहल मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

मंत्रालय एसटीसी (अनुसूची जनजाति घटक) पर भी नजर रखता है, जिसमें 41 मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत खर्च करते हैं। 2020–21 में, लगभग 300 से अधिक योजनाओं में बाध्य मंत्रालयों ने 52,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया। इन सभी मंत्रालयों के प्रदर्शन को मंत्रालय की विभिन्न ई–पहल के साथ डैशबोर्ड में विभिन्न मापदंडों पर देखा जा सकता है।

डैशबोर्ड को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) द्वारा (http://dashboard.tribal.gov.in) के डोमेन नाम के साथ विकसित किया गया है।

इस वर्ष मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की "आईटी–सक्षम छात्रवृत्ति योजना" के माध्यम से "जनजातियों का सशक्तिकरण" के लिए मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था।

'डिजिटल इंडिया' की बड़ी दृष्टि के साथ आत्मसात करने और ई–शासन के पोषित लक्ष्य को साकार करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीबीटी मिशन के मार्गदर्शन के तहत डीबीटी पोर्टल के साथ सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत किया है। लाभार्थी डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है और 19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वेब सेवाओं और 12 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का उपयोग कर डेटा भेजते हैं। सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को डीबीटी मिशन अधिदेश के अनुसार डिजिटल किया गया है। 13 योजनाएँ मंत्रालय के डैशबोर्ड पर हैं, 6 पहलें प्रयास पीएमओ डैशबोर्ड पर हैं।

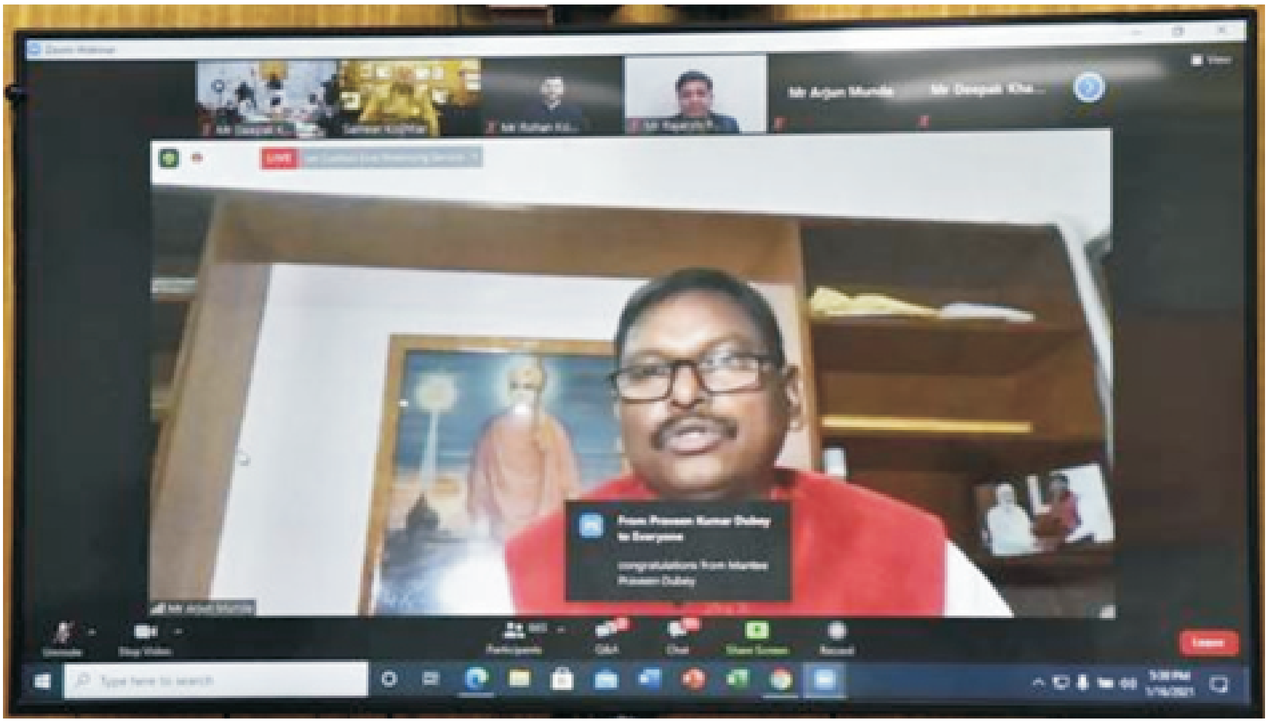

(वर्चुअल स्कॉच शिखर सम्मेलन में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा)

(सचिव जनजातीय कार्य द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख सुधार एवं पहल "सशक्त जनजाति बदलता भारत" – पुस्तिका का ई–लांच)

(जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त चार गोल्ड स्कॉच अवार्ड के प्रमाण पत्र)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार पैदा करना है, खादी कारीगरों और जनजातीय जनसंख्या को मजबूत करना है।

3.32 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के लिए खादी कपड़े की खरीद के लिए और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केवीआईसी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय की भागीदारी पर दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी और जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एकलव्य आवासीय विद्यालयों में छात्रों के लिए 2020—21 में 14.77 करोड़ रुपये के खादी कपड़े के 6 लाख मीटर से अधिक की खरीद करेगा। प्रति वर्ष एकलव्य विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ खादी कपड़े की खरीद की मात्रा भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक एजेंसी भारत में जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होगी, और पीएमईजीपी योजना को लागू करने के लिए एक भागीदार के रूप में जोड़ा जाएगा। एनएसटीएफडीसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के इच्छुक उद्यमों के वित्तपोषण के लिए रियायती ऋण योजनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार समझौता ज्ञापन से जनजातियों को विभिन्न उत्पादन गतिविधियों में संलग्न करके और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनएसटीएफडीसी और केवीआईसी के गठबंधन से अजजा के बीच पीएमईजीपी योजना के कवरेज में वृद्धि होगी।

ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वाहन के साथ संरेखित है, क्योंकि इसका लक्ष्य देशभर के जनजातीय जनसंख्या के बड़े हिस्से तथा खादी कारीगरों को मजबूत बनाते हुए स्थानीय रोजगार सृजित करना है।

(समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम के दौरान मंच पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा

(एमएसएमई मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्री के बीच समझौता ज्ञापन का विनिमय)

3.33 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रमशक्ति नामक एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल (https://shramshakti.tribal.gov.in) लॉन्च किया। यह मंत्रालय की एक और डिजिटल पहल है जो प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू संचालन में प्रभावी रूप से मदद करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद सावंत ने एक समर्पित प्रवासन सेल का शुभारंभ किया, जो विभिन्न राज्यों से प्रतिवर्ष गोवा आने वाले लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में माननीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, गोवा के माननीय जनजातीय कल्याण मंत्री, श्री गोविंद गौड़े तथा माननीय श्रम एवं राजगार मंत्री सुश्री जेनिफर मोनसेरेट शामिल होकर इसकी शोभा बढाई। इस कार्यक्रम में प्रवासियों के कल्याण के लिए मंत्रालय तथा राज्य के सहयोग से कार्यरत संगठन दिशा फाउंडेशन द्वारा तैयार जनजातीय प्रवासियों के पूर्व प्रस्थान और आगमन पश्चात प्रशिक्षण जागरूकता कल्याण के लिए श्रम शक्ति, मार्गदर्शिका की पुस्तिका एवं वीडियो भी लांच किया गया।

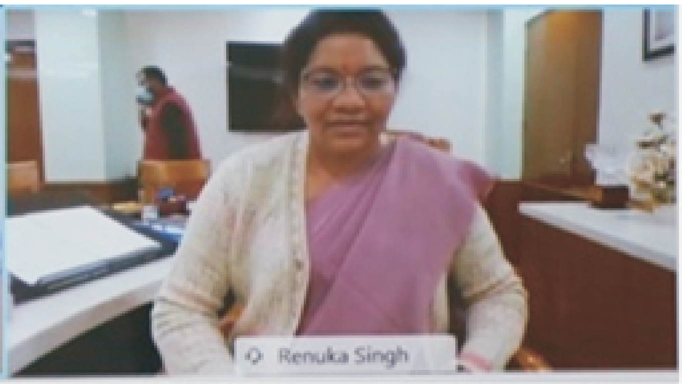

(प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजिटल डेटा समाधान, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल (श्रम शक्ति) का शुभारंभ)

जनजातीय प्रवासियों के पूर्व प्रस्थान और आगमन पश्चात प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के लिए पुस्तिका श्रमसाथी, मार्गदर्शिका का शुभारंभ

*****

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गई दशकीय वृद्धि से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%), अनुसूचित जनजाति के पुरूष जनसंख्या की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है।

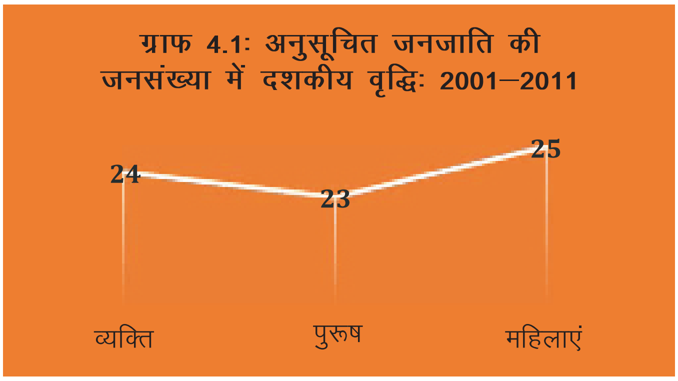

लैंगिक और आवासीय आधार पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4क** में दिया गया है। भारत में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशत आबादी, भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम **तालिका–4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम: जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		नीचे के 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%	उत्तर प्रदेश	0.6%
मिजोरम	94.4%	तमिलनाडु	1.1%
नागालैण्ड	86.5%	बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%	केरल	1.5%
लद्दाख	79.5%	उत्तराखंड	2.9%

जनगणना से संबंधित आंकड़ों के बारे में अद्यतन जानकारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाने वाली जनगणना 2021 के पश्चात उपलब्ध होगी।

लैंगिक अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लैंगिक अनुपात 990 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लैंगिक अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिलाएं हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात उच्चतर दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं का लैंगिक अनुपात निम्नतम अर्थात

924 दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवासीय आधार पर अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात राज्य–वार **अनुलग्नक–4ग** में दिया गया है।

बाल लैंगिक अनुपात

4.3 0–6 वर्ष आयु वर्ग के संबंध में बाल लैंगिक अनुपात 2001 में 972 से घट कर 2011 में 957 हो गया है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लैंगिक अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लैंगिक अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां है, की तुलना में अधिक है।

ग्राफ 4.2: साक्षरता दरों में अंतर
जनगणना: 1991, 2001 तथा 2011

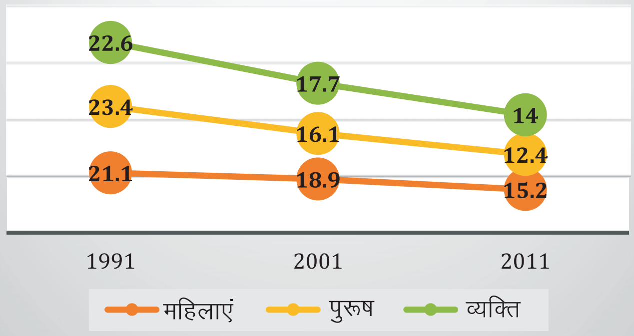

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 47.1% से बढकर 2011 में 59% हो गई है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की साक्षरता दर 59.2% से बढ़कर 68.5% तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 34.8% से बढ़कर 49.4% हो गई है। संपूर्ण जनसंख्या की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में बढ़कर 73% हो गई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर, जैसा **ग्राफ 4.2** में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें नीचे **तालिका 4.2** में दी गई हैं:

तालिका 4.2: अनुसूचित जनजाति और सभी की साक्षरता दरें

वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40

स्रोतः जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशत से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि सभी राज्यों में वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में कमी दर्ज की गई है। संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतरों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4घ** में दिए गए हैं।

4.6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोगः शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी–जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 67% है तथा तदनुरूप, सभी श्रेणियों का आंकडा 76% है। एनएसएस के "सामाजिक उपयोगः शिक्षा" पर 75वें सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 71.4% और तदनुरूप सभी वर्गों की साक्षरता दर 77.7% है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4ङ** में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लैंगिक–वार अलग–अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10–14 वर्ष, 15–19 वर्ष, 20–24 वर्ष की आयु) किशोर (10–19 वर्ष) तथा युवा (15–24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, **तालिका 4.3** में दी गई है:

तालिका 4.3: साक्षरता दर: जनगणना–2011

सभी श्रेणियां (आयु वर्ग)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार समस्त तथा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की अखिल भारत स्तर पर युवा साक्षरता दर, **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातीय युवाओं की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की युवा पुरुष साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर में 20 प्रतिशत–बिन्दुओं का महत्वपूर्ण उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अंतर अभी भी विद्यमान है।

ग्राफ 4.3: अखिल भारतीय युवा साक्षरता दर (15–24 वर्ष) जनगणना 2001 तथा 2011

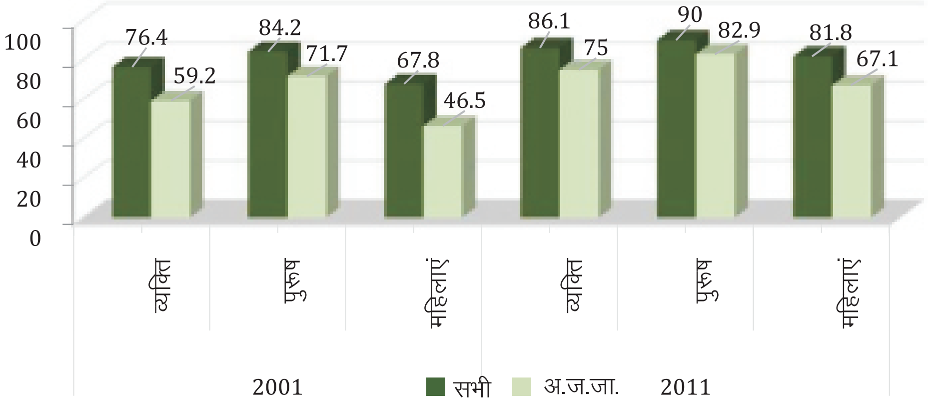

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात **तालिका 4.5** में दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में प्राथमिक (I-V), प्रारम्भिक (I-VIII), माध्यमिक (IX-X) तथा वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) स्तरों पर जीईआर में सुधार हुआ है। अजजा बालिकाओं के लिए जीईआर अपर प्राथमिक (VI-VIII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 93.2% से 2016–17 में 97% तक, माध्यमिक (IX-X) स्तर पर 2014–15 में 71.7% से 2016–17 में 74.4% तक और वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) स्तर पर वर्ष 2014–15 में 37.6% से 2016–17 में 42.6% तक बढ़ा है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में अजजा जीईआर में भी सुधार हुआ है।

तालिका 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर/वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6–10 वर्ष			अपर प्राथमिक (VI-VIII) 11–13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6–13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2014-15	110.3	107.7	109.0	92.0	93.2	92.6	103.8	102.6	103.2
2015-16	107.5	105.2	106.3	94.3	96.1	95.2	102.8	102.0	102.4
2016-17*	102.6	100.6	101.6	94.6	97.0	95.7	99.8	99.4	99.6

तालिका 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण दाखिला अनुपात

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (I-V) 6–10 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 11–13 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18–23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2014-15	71.1	71.7	71.4	39.4	37.6	38.5	15.2	12.3	13.7
2015-16	73.0	74.4	73.7	43.4	42.2	42.8	15.6	12.9	14.2
2016-17*	72.7	74.4	73.5	42.7	42.6	42.7	16.7	14.2	15.4
2017-18	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	17.0	14.9	15.9
2018-19#	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	17.9	16.5	17.2

डेटा स्रोत:
स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), एनयूइपीए
उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)
टिप्पण: विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं।
उप. नहीं: उपलब्ध नहीं
*प्राथमिक, अपर प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक के लिए उपलब्ध अद्यतन जीईआर
#उच्चतर माध्यमिक के लिए उपलब्ध अद्यतन जीईआर
प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषा: आयु इतर प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन एक विद्यालय–वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय–आयु (6–10+ वर्ष) की गणना की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

लैंगिक (जेंडर) समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) में वरिष्ठ माध्यमिक के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। तथापि, यह माध्यमिक स्तर पर स्थिर है। आंकड़े **तालिका 4.6** में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX -X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI -XII)	उच्चतर शिक्षा
2015 -16	1.02	0.97	0.83
2016 -17	1.02	1.00	0.85
2017 -18	उप. नहीं	उप. नहीं	0.87
2018 -19	उप. नहीं	उप. नहीं	0.92

आंकड़ों का स्रोत:
स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), एनयूइपी।
उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की रिपोर्टें।
टिप्पण: विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं।
उप. नहीं: उपलब्ध नहीं।

स्कूली शिक्षा मध्य में छोड़ने की (ड्रॉप–आउट) दर

4.11 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा की ड्रॉप–आउट दरों के ब्यौरे नीचे **तालिका 4.7** में दिए गए हैं:

तालिका 4.7: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा में ड्रॉप–आउट दर

वर्ष/ कक्षाएं	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक		प्राथमिक		माध्यमिक		ग्रेड XI से XII	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
2014-15	7.97	7.98	8.03	8.85	7.99	8.25	27.42	26.96	3.09	2.77
2015-16	7.02	6.84	8.48	8.71	7.48	7.44	24.94	24.40	-	-
2016-17	8.57	8.51	9.46	9.70	8.86	8.90	27.41	26.51	8.94	7.87

नोट: ऋणात्मक ड्राफ्ट आऊट दर सूचित नहीं की गई है।
स्रोत: फ्लैश सांख्यिकी 2016–17 एकीकृत– शिक्षा जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई)

परीक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2016 के दौरान 65.0% तथा 68.2% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है। सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः **तालिका 4.8** तथा **तालिका 4.9** में दशाई गई है।

तालिका 4.8: वर्ष 2011 से 2016 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की प्रतिशतता

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011(अ)	73.3	76.7	74.8	62.4	61.7	62.1
2012 (अ)	74.4	78.0	76.0	61.5	61.2	61.4
2013 (अ)	75.8	80.1	77.8	64.2	64.8	64.5
2014 (अ)	77.6	81.0	79.2	65.1	63.8	64.5
2015 (अ)	77.5	80.6	78.9	65.0	63.2	64.1
2016 (अ)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0

तालिका 4.9: वर्ष 2011–2016 के दौरान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011 (अ)	70.8	81.0	75.3	63. 9	68.4	65.8
2012 (अ)	75.2	82.8	78.5	66.6	72.0	68.9
2013 (अ)	75.0	83.0	78.5	66.7	72.0	69.0
2014 (अ)	75.8	84.1	79.5	67.9	73.7	70.6
2015 (अ)	75.2	84.1	79.2	65.8	72.2	68.9
2016 (अ)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अ– अस्थायी

स्वास्थ्य संसूचक

4.13 वर्ष 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की स्थिति **ग्राफ 4.4** में दर्शाई गई है।

ग्राफ 4.4 स्वास्थ्य संसूचकः एनएफएचएस–4 (2015–16)

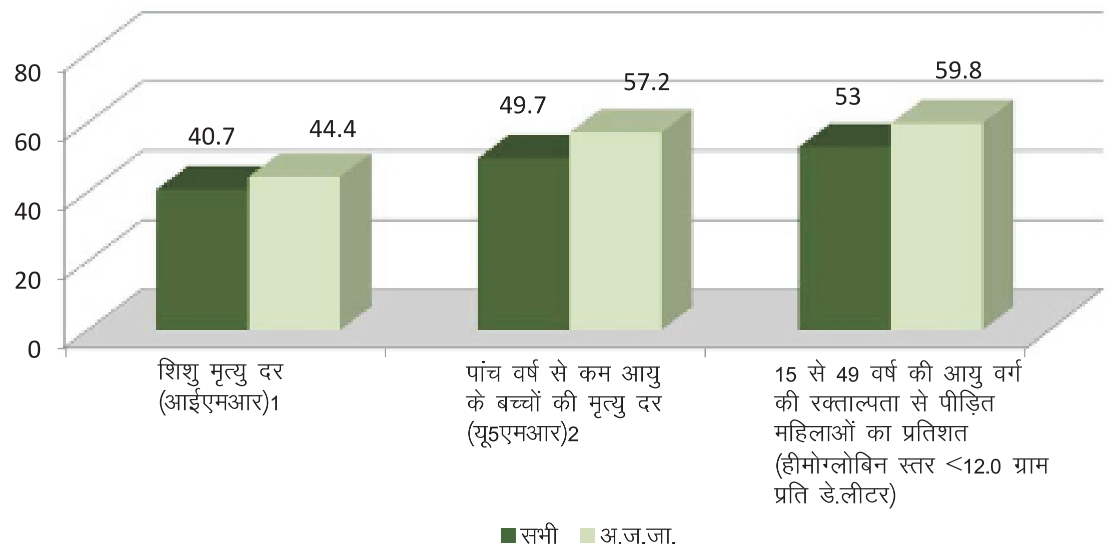

ग्राफ 4.5 दर्शाता है कि सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया में वर्ष 2005–06 (एनएफएचएस–3) से 2015–16 (एनएफएचएस–4) तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

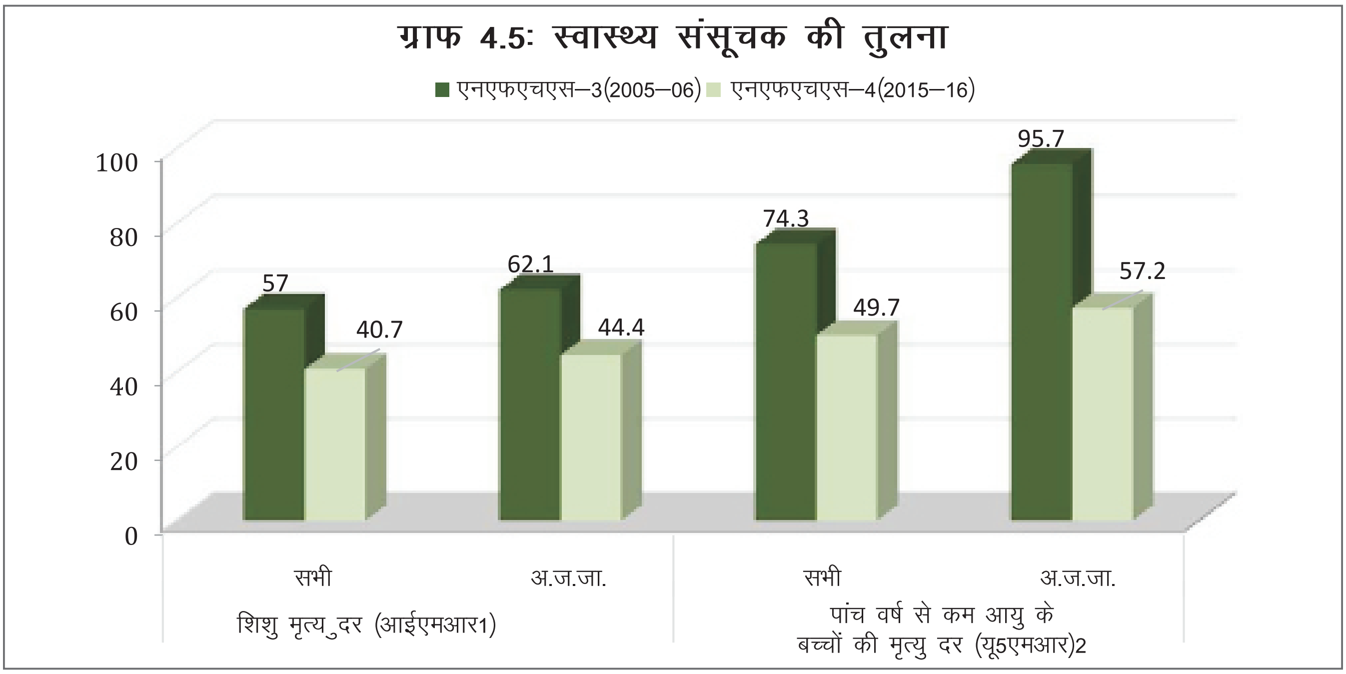

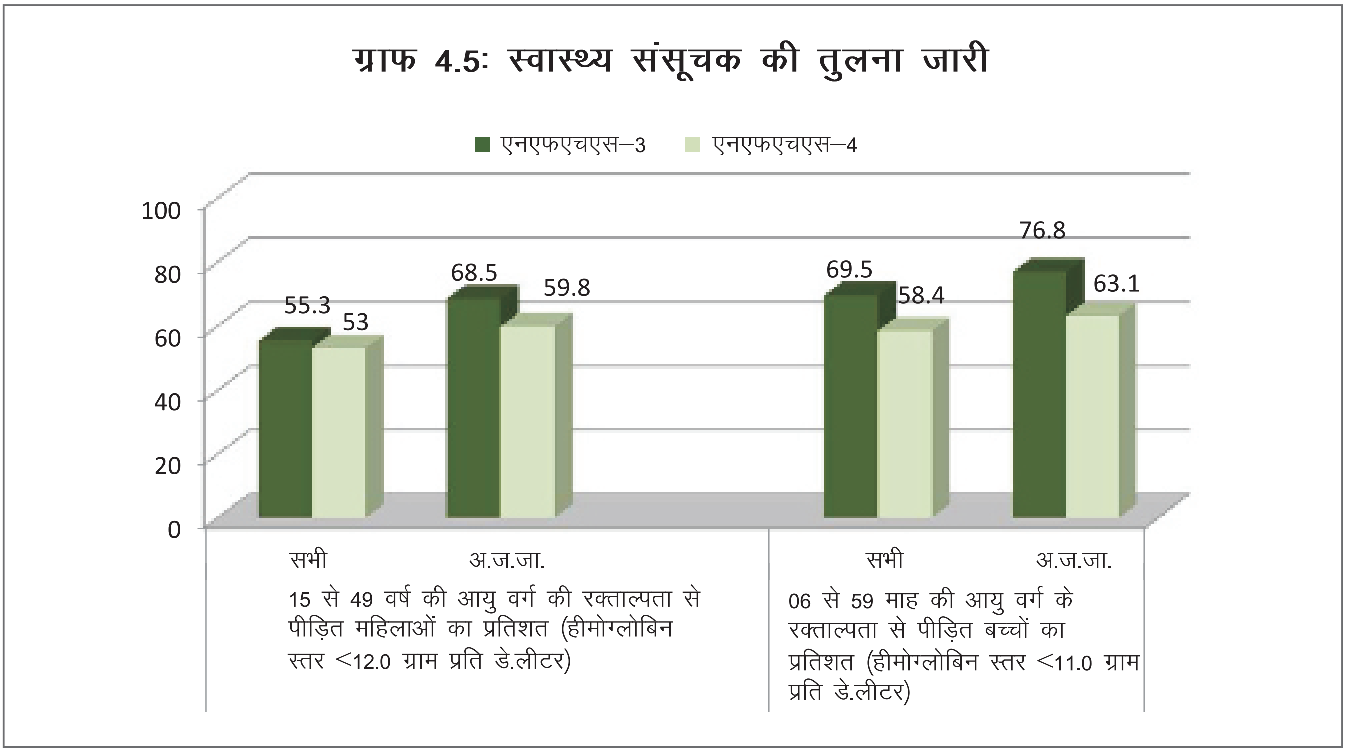

आंकड़ों का स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

[1]आईएमआर, वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्म के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

[2]यू5एमआर इस आयु समूह में वर्ष के दौरान प्रति 1000 बच्चों पर, 0–4 वर्ष आयु के बीच बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः 2005–06 और 2015–16 के दौरान किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–3 और 4 के आंकड़ों पर आधारित, 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की प्रतिशतता की स्थिति अवरूद्ध विकास (आयु के अनुसार कद), कमजोर (कद के अनुसार वजन) और कम वजनी (आयु के अनुसार वजन) के तौर पर कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, **ग्राफ 4.6** में दी गई है।

डेटा से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अजजा बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि, अभी भी काफी अंतर है।

ग्राफ 4.6: पोषण स्थिति की प्रसार की तुलना

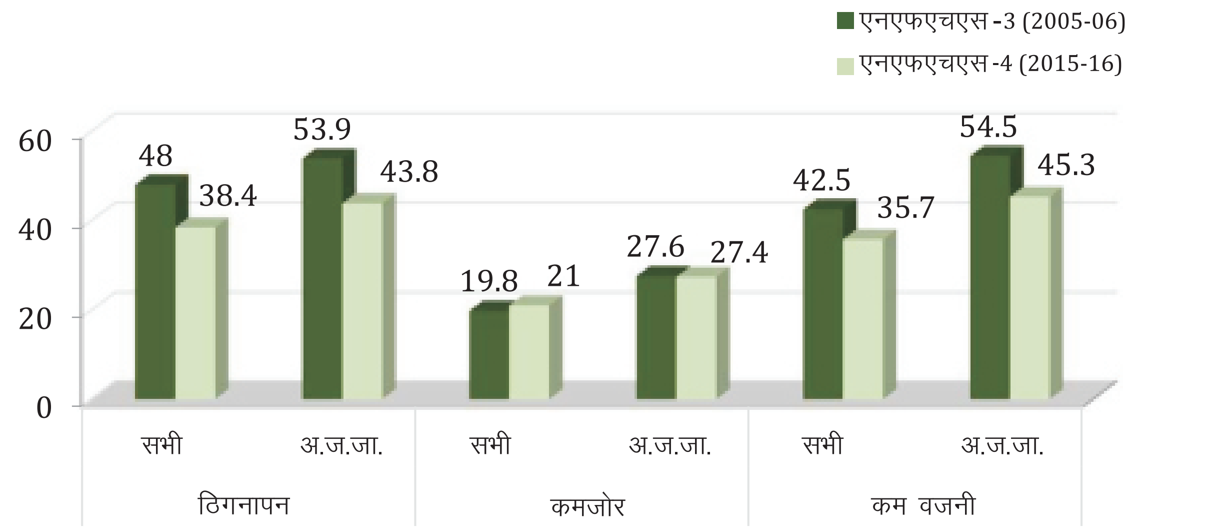

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 12–23 माह के अनुसूचित जनजाति के बच्चे, जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **तालिका 4.10** में नीचे दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टीके को छोड़कर), और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

तालिका 4.10: 12–23 माह आयु के अजजा तथा सभी श्रेणियों के बच्चों की प्रतिशतता जिनका सम्पूर्ण टीकाकरण हुआ है/कोई प्रतिरक्षण नहीं हुआ है

स्रोत	संपूर्ण टीकाकरण		कोई प्रतिरक्षण नहीं	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा
एनएफएचएस -3 (2005-06)	43.5	31.3	5.1	11.5
एनएफएचएस -4 (2015-16)	62.0	55.8	6.0	9.2
स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				

संस्थागत प्रसूति

4.16 **ग्राफ 4.7** में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005–06 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 68 प्रतिशत हो गई है जबकि सभी श्रेणियों के लिए आंकड़ों में 38.7% से 78.9% होने का सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा कराई गई प्रसूतियां वर्ष 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान 25.4 प्रतिशत से बढ़कर 71.5 प्रतिशत हो गई हैं। दोनों मामलों में सभी महिलाओं की तुलना में, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आंकड़ों में लगभग 10 प्रतिशत का अंतर है।

ग्राफ 4.7: संस्थागत प्रसूति

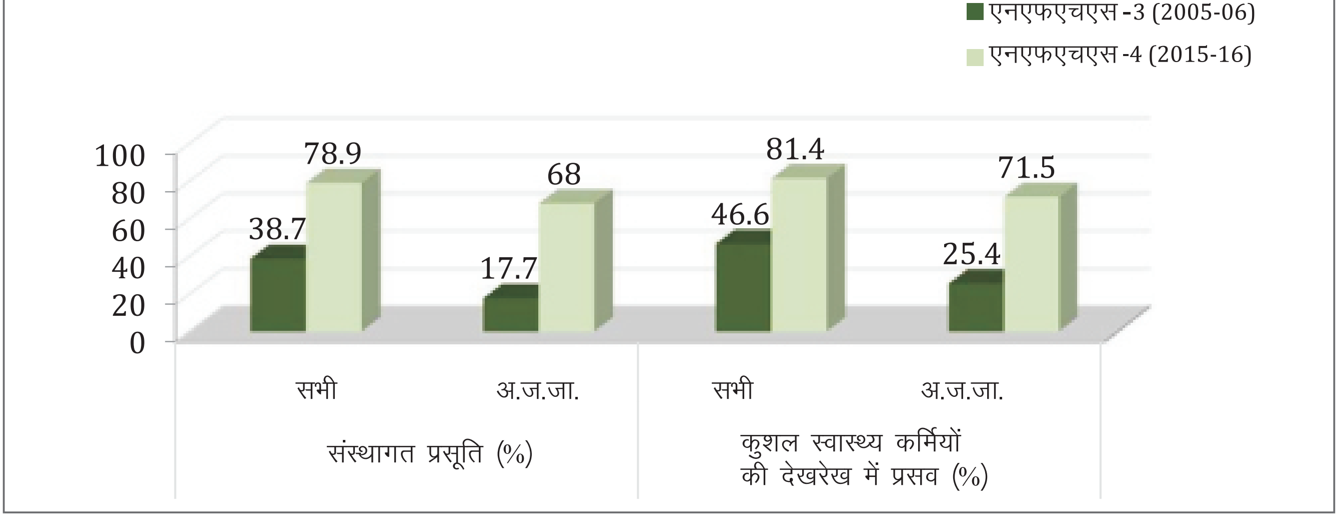

नोटः [1]कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों में डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी/मिडवाइफ शामिल हैं

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकडों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक 28682 उपकेन्द्र (एससी), 4211 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) तथा 1022 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में 591 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 240 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 05 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 7054 उपकेन्द्रों, 1204 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश (2067), राजस्थान (1653) और कर्नाटक (833) में उप–केंद्रों की संख्या में बहुत कमी है। मध्य प्रदेश में 463 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है, इसके पश्चात राजस्थान में 251 तथा झारखंड में 247 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक (101) की कमी दर्शाता है, इसके पश्चात राजस्थान (54) और महाराष्ट्र (50) तथा का स्थान है।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की जाती है, जो **तालिका 4.11** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक –4च** में दिए गए हैं।

तालिका 4.11:

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	समतल क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/मुश्किल क्षेत्र
उप केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4.18 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में 31.03.2019 तक उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 10.33 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उप केन्द्रों में गुजरात में 666 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/एएनएम की कमी है। इसके पश्चात त्रिपुरा (295) तथा कर्नाटक (79) का स्थान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पश्चिम बंगाल में 230 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/एएनएम की कमी है, इनके पश्चात आंध्र प्रदेश (153) और तेलंगाना (93) का स्थान है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4छ** तथा **अनुलग्नक–4ज** में दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 31.03.2019 तक जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों का 18.8 प्रतिशत और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों का 27.2 प्रतिशत रिक्त हैं। महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 177 नर्सिंग कार्मिकों की सर्वाधिक कमी है, इसके बाद मध्य प्रदेश (173) तथा झारखंड (171) का स्थान है। ओडिशा में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ की सर्वाधिक कमी 326 है। उसके बाद झारखंड (306) और महाराष्ट्र 163 का स्थान हैद्य इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों की सर्वाधिक कमी चिकित्सकों (219) की कमी है, इसके बाद ओडिशा (120) तथा मध्य प्रदेश (49) का स्थान है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4झ, अनुलग्नक–ञ** तथा **अनुलग्नक–ट** में दिए गए हैं।

गरीबी का आकलन

4.19 पूर्व के योजना आयोग ने उन वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित आकलन उपलब्ध कराए हैं जिनके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्य–वार ब्यौरे नीचे **तालिका 4.12** में दिए गए हैं:

तालिका 4.12: गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता (तेंदुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता और उनकी प्रकाश की व्यवस्था का स्रोत– अनुसूचित जनजाति एवं सभी सामाजिक समूहों का तुलनात्मक विवरण

4.20 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षदीप में 99.7% परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन व दीव (96.6%), हिमाचल प्रदेश (94.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप (94%) तथा गोवा (93.8%) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान (91.5%) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3%) तथा नागालैंड (81.2%) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5% परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार के 43% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के 15.6% परिवार बिजली का उपयोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं (विस्तृत **तालिका अनुलग्नक–4ठ** में देखें)

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है– अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों का तुलनात्मक विवरण

4.21 जनगणना, 2011 के आंकडों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9% के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 0.1 प्रतिशत परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में शौच के लिए जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षद्वीप सबसे ऊपर है क्योंकि उसके (98.3%) परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (88.2%), सिक्किम (85.9%), मणिपुर (78.4%), नागालैंड (74.8%) तथा केरल (71.4%) हैं। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1% के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22% है। जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के सभी 8.9 प्रतिशत परिवारों की तुलना में 5.2 प्रतिशत परिवार मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति अपनाए हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर और दादर व नगर हवेली में इस ढंग को अपनाए हुए हैं। ब्यौरे **अनुलग्नक–4ड** में दिए गए हैं।

जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं – अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों का तुलनात्मक विवरण

4.22 जनगणना 2011 के अनुसार कुल के 53 प्रतिशत परिवार की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत और असम में 32 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग रसोई है ऐसे 61.3 प्रतिशत परिवारों की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत हैद्य इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में हैं वे अंडमान व निकोबार में (97.9 प्रतिशत) देखे गए हैं, इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत) , लक्षद्वीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। घर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (21.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखंड

(34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ढ** में दिए गए हैं।

पेयजल के मुख्य स्रोत की दिष्ट से अजजा परिवारों का प्रतिशत

4.23 जनगणना 2011 के अनुसार, यह देखा गया है कि देश के सभी परिवारों में अधिकांश 47 प्रतिशत परिवारों के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा है वहीं 20 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ण** में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13 अजजा परिवारों के लिए पेयजल के स्रोत

(संख्या % में)

जनगणना	पेयजल स्रोत का स्थान	शोधित स्रोत से टेप (नल) द्वारा जलापूर्ति	हैंडपंप	ट्यूबवेल/नलकूप	कुंआ	तालाब/पोखर/झील	नदी/नहर	स्रोत	अन्य स्रोत
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर के अंदर	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नजदीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर के अंदर	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नजदीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोतः जनगणना 2001 तथा 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

भूमि स्वामित्व

4.24 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित कृषि जनगणना 2015–16 के आधार पर पता चलता है कि सभी प्रकार के आकारों से संबद्ध में कुल स्वामित्व (होल्डिंग) 146,454 हजार हैं। इनमें 12,669 हजार (8.7%) अनुसूचित जनजातियों के हैं। कुल क्षेत्र के अनुपात में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत सभी सामाजिक समूहों की वंचित श्रेणी (24.03%), अनुसूचित जनजाति के लिए अर्ध–मध्यम श्रेणी (26.72%) के लिए उच्चतम है। प्रति स्वामित्व (होल्डिंग) के लिए औसत संचालित क्षेत्र बड़ी श्रेणी (सभी के लिए 17.07%, अजजा के लिए 15.11%) के लिए उच्चतम और वंचित श्रेणी के लिए निम्नतम (0.38% सभी के लिए, 0.48% अजजा) है। कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार स्वामित्व (होल्डिंग) और संचालित क्षेत्र का आबंटन – सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14: कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार स्वामित्व (होल्डिंग्स) और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजाति

आकार समूह	स्वामित्व (होल्डिंग) की संख्या (000)		संचालित क्षेत्र (000 हे.)		कुल स्वामित्वों (होल्डिंग) के अनुपात में स्वामित्व (होल्डिंग) का प्रतिशत		कुल क्षेत्र में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत		औसत संचालन क्षेत्र प्रति स्वामित्व (होल्डिंग) (हे.)	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा	सभी	अजजा	सभी	अजजा	सभी	अजजा
वंचित (नीचे 1.00 हे.)	100251	7127	37923	3413	68.45	56.26	24.03	19.19	0.38	0.48
छोटा (1.00–2.00 हे.)	25809	2972	36151	4202	17.62	23.46	22.91	23.63	1.40	1.41
अर्ध–मध्यम (2.00–4.00 हे.)	13993	1771	37619	4752	9.55	13.98	23.84	26.72	2.69	2.68
मध्यम (4.00–10.00 हे.)	5561	704	31810	3984	3.80	5.56	20.16	22.40	5.72	5.66
बड़ा (10.00 हे. और ऊपर)	838	95	14314	1434	0.57	0.75	9.07	8.06	17.07	15.11
कुल*	146454	12669	157817	17784	100.00	100.00	100.00	100.00	1.08	1.40

स्रोतः कृषि जनगणना, 2015–16
*शून्यांतक होने के कारण कुल योग का मिलान नहीं हो सकता।

4.25 परिवारों का सर्वोच्च अनुपात (68.45: सभी, 56.26: अजजा) भू–स्वामित्वों के वंचित वर्ग से निम्न संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात बड़े स्वामित्वों (0.57: सभी, 0. 75: अजजा) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी पारिवारिक सामाजिक समूहों में देखा गया है।

कृषि जनगणना, 2015–16 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित स्वामित्वों (होल्डिंग) की संख्या का राज्यवार प्रतिशत वितरण अनुलग्नक –4त में दिया गया है।

रोजगार

श्रमिक शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर)

4.26 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित आवधिक श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018–19 के अनुसार, 2018–19 के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिक शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में) **तालिका 4.15** में दी गई है। अजजा के लिए सामान्य स्थिति (पीएस. एसएस) और पीएलएफएस 2018–19 में सभी सामाजिक समूहों के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में) **ग्राफ 4.8** में दी गयी है।

ग्राफ 4.8: पीएलएफएस 2018–19 के अनुसार सभी सामाजिक समूह और अजजा श्रमिक शक्ति सहभागिता दर (प्रतिशत में)

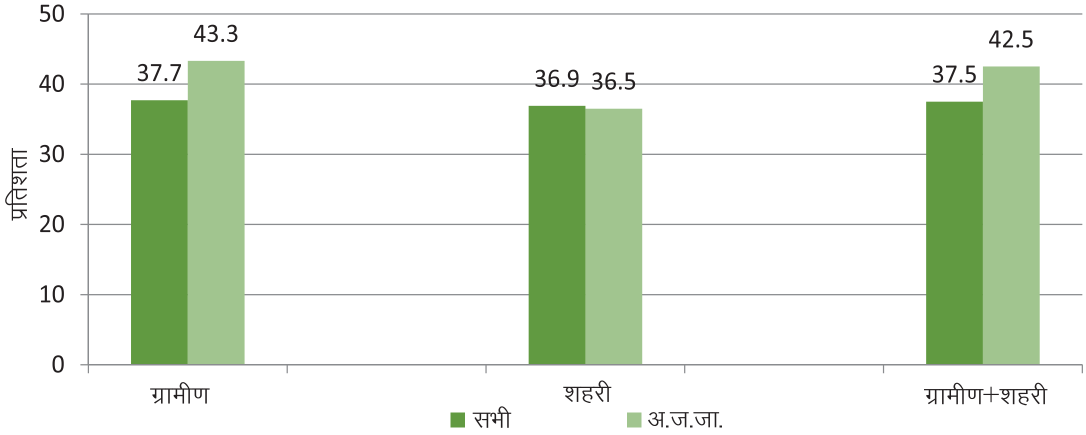

तालिका 4.15: पीएलएफएस 2018–19 में विभिन्न सामाजिक समूहों की सामान्य स्थिति (पीएस+एस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर)

(संख्या % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
अजजा	57.3	28.7	43.3	54.3	18.4	36.5	57.0	27.6	42.5
अजा	55.1	19.5	37.7	57.2	18.4	38.4	55.6	19.2	37.9
ओबीसी	54.1	19.6	37.1	56.4	16.6	36.9	54.8	18.7	37.0
अन्य	56.1	15.1	36.1	57.0	14.5	36.5	56.5	14.9	36.3
सभी	55.1	19.7	37.7	56.7	16.1	36.9	55.6	18.6	37.5

स्रोतः पीएलएफएस 2018–19, एनएसओ, एमओएसपीआई

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.27 आवधिक श्रमिक शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018–19 के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) 2018–19 के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों को **तालिका 4.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16: पीएलएफएस 2018–19 में विभिन्न सामाजिक समूहों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर),

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
अजजा	54.8	28.0	41.6	48.6	15.8	32.3	54.1	26.7	40.6
अजा	51.6	18.9	35.6	51.8	16.8	34.8	51.6	18.4	35.4
ओबीसी	51.1	18.9	35.2	52.4	15.0	34.1	51.5	17.7	34.9
अन्य	53.2	14.3	34.2	53.7	13.1	34.1	53.4	13.7	34.1
सभी (एनआर सहित)	52.1	19.0	35.8	52.7	14.5	34.1	52.3	17.6	35.3

स्रोतः पीएलएफएस 2018–19, एनएसओ, एमओएसपीआई

बेरोजगारी दर (यूआर)

4.28 बेरोजगारी दर उन व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है जो काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन संदर्भित अवधि के दौरान उन्हें काम नहीं मिला। 2018–19 के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामान्य स्थिति में शहरी (पीएस+एस) (प्रतिशत में) **तालिका 4.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.17: पीएलएफएस 2018–19 में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (यूआर)

(संख्या % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
अजजा	4.4	2.4	3.8	10.5	14.4	11.5	5.0	3.3	4.5
अजा									
ओबीसी	5.6	3.3	5.0	7.2	10.0	7.8	6.1	5.1	5.9
अन्य	5.1	5.8	5.3	5.8	9.8	6.6	5.5	7.5	5.9
सभी	5.6	3.5	5.0	7.1	9.9	7.7	6.0	5.2	5.8

स्रोतः पीएलएफएस 2018–19, एनएसओ, एमओएसपीआई

सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) की परिभाषाः यूपीएस दृष्टिकोण सर्वेक्षण की तिथि से पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति से संबंधित है। कार्यकलाप की स्थिति जिस पर व्यक्ति ने उस अवधि के दौरान सापेक्षिक रूप से लम्बा (183 दिन अथवा अधिक) समय बिताया है, को उस व्यक्ति के कार्यकलाप की सामान्य प्रमुख स्थिति माना जाता है।

सामान्य प्रमुख तथा अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रमुख तथा अनुषंगी स्थिति का दृष्टिकोण प्रमुख स्थिति का विस्तार है। यदि एक व्यक्ति पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगा है तो वह व्यक्ति इस पहलू के तहत नियोजित माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध किए गए अपराध

4.29 वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की उच्चतम संख्या मध्य प्रदेश में (1922 मामले) रिपोर्ट की गई है जो 23.3% है, इसके पश्चात 21.8% (1797 मामले) के साथ राजस्थान तथा 8.7% (721 मामलों) के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4थ** में दिए गए हैं। 2017 से 2018 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे **तालिका 4.18** में दिए गए हैं।

अपराध शीर्ष	अपराध घटना		अपराध दर	
	2018	2019	2018	2019
अजजा के लोगों के प्रति अत्याचार	6528	8257	6.3	7.9

स्रोतः एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अपराध शीर्ष–वार मामले दर्शाते हैं कि वर्ष 2019 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रति अपराधों/अत्याचारों के मामलों की रिपोर्ट की गई उच्चतम संख्या 'मामूली चोट के' (1675 मामले) है जो 20.3% हैं इसके पश्चात 13.4% (1110 मामलों) बलात्कार और 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की भावना के साथ उन पर हमला' करने के 10.7% (880 मामले) का स्थान है। अपराध शीर्ष–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4द** में दिए गए हैं।

4.30 मानव तस्करी मामलों (आईपीसी) संबंधी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान महाराष्ट्र ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों की उच्चतम संख्या (282) रिपोर्ट की है इसके पश्चात आंध्र प्रदेश (245) तथा असम (201) का स्थान है। गोवा में मानव तस्करी की राष्ट्रीय औसत दर 0.2% की तुलना में उच्चतम दर (2.5%) दर्ज की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले **अनुलग्नक–4ध** में दिए गए हैं।

ध्यान संकेन्द्रित पहलों/प्रयासों के लिए चिह्नित जिले, उप–जिले तथा समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.31 अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण एवं विकास के लिए ध्यान संकेन्द्रित पहलों/प्रयासों योजना बनाने के लिए 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- **प्राथमिकता 1**: वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित अनुसूचित जनजाति की 50% या इससे अधिक जनसंख्या वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2**: वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 7 जिलों सहित अनुसूचित जनजाति की 25% या इससे अधिक किंतु 50% से कम जनसंख्या वाले 69 जिले।
- **प्राथमिकता 3**: अनुसूचित जनजाति 25% से कम की जनसंख्या वाले शेष 14 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले।

58% अनुसूचित जनजातियां (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में रहती है अर्थात 163 (94+69) जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है। प्राथमिकता वाले 177 जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा **अनुलग्नक– 4न** में दिया गया है।

672 उप–जिले

4.32 जनगणना, 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार 672 उप–जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% तथा 10 हजार से अधिक है। 672 उप–जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4प** में दिये गए हैं।

मुख्य अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.33 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदाय देश के अलग–अलग राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए हैं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंदर कुछ अनुसूचित जनजाति के समुदाय 5% जनसंख्या से अधिक संख्या में हैं। इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार चिह्नित तथा समेकित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में से 111 समुदाय प्रत्येक में (संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का) 5% से अधिक की संख्या में है। इन 111 अनुसूचित जनजातीय समुदायों का योग 803.25 लाख अर्थात् कुल जनसंख्या का 76.8% बनता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4फ** में दिए गए हैं।

*****

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाएगा।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक लगभग 15% क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालातों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्य धारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), और जिनकी विशेषताओं को स्कीम के खंड के तहत पीवीटीजी के संरक्षण और विकास के लिए शामिल किया गया है।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या अर्थात् 62 उड़ीसा राज्य में है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर–अनुसूचीकरण:

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है"। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या सूची से हटाने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों/अधिनियमों की सूची **अनुलग्नक–5 क** में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं–

- आदिम लक्षणों के संकेत,
- विशिष्ट संस्कृति,
- भौगोलिक एकांकीपन
- समुदाय के साथ सम्पर्क में बड़े पैमाने पर संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5.10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकार हो चुके हैं। इनमें 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा गया है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सूची **अनुलग्नक 5–ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तविक रूप से संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू, राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिएं;

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है।

5.13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति/समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जाएगा।

5.14 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसमें वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं

कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

'अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र' जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतन भोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप–मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (जो प्रथम श्रेणी के वृत्तिका भोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों);

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट;

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों;

(iv) उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, का उप–मण्डलीय अधिकारी;

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए चले गए हैं, वे उस राज्य से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माता/पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता/पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण–पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों को देय लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण के लिए प्रविधियां

5.20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.

2002 को पुनः संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है) की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/सूची से हटाने के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो प्रविधियों के अनुसार मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने/से हटाने के मामले जिनका राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र अथवा आरजीआई, अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियां, अन्य समुदायों के विपरीत समीपवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनूसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग–ग की खण्ड 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र–

(1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा,

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा,

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा,

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानक

5.23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं–

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में इस रूप में सूचित नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की कवरेज

5.24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–5 ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं :

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और उसके पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम–

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या प्रतिबंधित कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप–पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।"

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट

5.26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का दायरा राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–5 घ** में दिया गया है।

जनजातीय सलाहकार परिषद

5.28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें

अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे, जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5.29 जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, तो भी उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :

क्रम सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख जिसके लिए लागू है	राज्य (राज्यों) का नाम
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.01.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	02.06.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	09.09.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ.109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.02.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	02.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ.192)	20.02.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.04.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सी.ओ. 270)	19.05.2018	राजस्थान

5.31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में दिनांक 11.04.2007 को अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनूसूचित क्षेत्र 12 फरवरी, 1981 के सं.आ. 114 को रद्द करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 के अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं.आ. 270) के माध्यम से नए संवैधानिक आदेश को लागू करते हुए घोषित किए गए थे।

छठीं अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) तथा 275 (1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति (माडा) को अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय सघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता 50 प्रतिशत या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी/आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉक/पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटन इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यतः इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थित है, के नाम पर किया जाएगा।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों में ऐतिहासिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। अतः आईटीडीए (अर्थात एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (सम्पूर्ण ब्लॉक/पंचायत समितियां) माडा तथा क्लस्टर पॉकेट पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.36 आशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा)

10,000 या अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों के तहत एक से अधिक राजस्व गांवों को शामिल करते हुए गांवों में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाना चाहिए।

5.37 5,000 या अधिक की कुल जनसंख्या के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों, संघटक इकाई होने के नाते, के साथ) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगा तथा क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वोच्च प्रतिशत वाले गांव के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा।

5.38 आटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स की राज्य–वार सूची निम्नानुसार दी गई है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेट्स	क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	–	–
3	बिहार	–	7	–
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	–
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	–
7	जम्मू–कश्मीर	–	–	–
8	झारखंड#	14	34	7
9	कर्नाटक	5	–	–
10	केरल	7	–	–
11	मध्य प्रदेश#	31	30	6
12	महाराष्ट्र#	16	44	24
13	मणिपुर	5	–	–
14	ओडिशा#	22	46	14
15	राजस्थान#	5	44	11
16	सिक्किम	4	–	–
17	तमिलनाडु$	9	–	–
18	तेलंगाना	3		–
19	उत्तर प्रदेश	1	1	–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेट्स	क्लस्टर
20	उत्तराखंड	–	–	–
21	पश्चिम बंगाल $	12	–	1
	संघ राज्यक्षेत्र			
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	––
23	दमन और दीव	1	–	–
	कुल	**193**	**259**	**82**

#अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$ केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

अध्याय 6

जनजातीय विकास रणनीति तथा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की आबादी 10.45 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित जनजातीय है। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, भारत सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, अधिवासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातीय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब अनुसूचित जनजाति घटक के रूप में ज्ञात) कार्यनीति अपनाई गई थी। इस कार्यनीति में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विकास के सभी क्षेत्रों में परिव्यय तथा लाभों के प्रवाह को चैनेलाइज करने की परिकल्पना की गई है। टीएसपी निधियां, जनजातीय विकास के लिए निधियों का समर्पित स्रोत हैं। 41 केन्द्रीय मंत्रालयों को प्रतिवर्ष जनजातीय विकास की स्कीम के लिए कुल आवंटन से 4.3 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक निधि जनजातीय उप–योजना के लिए निर्धारित करने के अधिदेश दिए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतरों को दूर करके इन पहलों में अपना योगदान देता है। टीएसपी/एसटीसी कार्यनीति के माध्यम से किये गये प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि संबंधी विभिन्न जनजातीय पहलुओं में कुछ सुधार आया है। हालांकि, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच मानव विकास के क्षेत्र में अंतर अभी भी कायम हैं।

6.2 बजट 2020–21 के अनुसार, 38 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास 'जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)' निधियां हैं जो अलग–अलग 300 स्कीमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जनजातीय विकास की व्यवस्था करती हैं, जैसा केन्द्रीय बजट 2020–21 की व्यय रूपरेखा के विवरण 10ख में दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सभी मंत्रालयों में आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31920.00 करोड़ रुपए से बढ़ कर वर्ष 2018–19 में 37803.26 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2019–20 में 51283.53 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020–21 में 52024.23 करोड़ रुपए हो गया है।

अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी / जनजातीय उप–स्कीम की निगरानी

6.3 कार्य आवंटन नियमावली (एबीआर) को जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया है जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों की एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे ही आंकड़े ग्रहण करती है और आवंटनों के साथ–साथ व्यय का अवलोकन करने के लिए हमें विवरण प्रदान करती है। वास्तविक कार्य–निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणामों की जानकारी, भी इस प्रणाली में समाहित की गई हैं। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में अनुकूल प्रपत्र दिया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। उत्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय–पत्र की साझेदारी की गई है।

6.4 31.12.2020 तक, कुल आवंटित एसटीसी राशि का 56.42% शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी कर दिया गया है।

6.5 तत्कालीन जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) (अब एसटीसी के रूप में ज्ञात) के तहत निधियां, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार, जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) की वृहद कार्यनीतियों के अंतर्गत उनके योजना आवंटन के प्रति, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्दिष्ट की गयी थीं। कार्यदल ने अलग–अलग निर्धारण की सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनकी योजना परिव्यय के प्रति विभिन्न दरों पर निर्धारण करना। 'योजना' तथा 'गैर–योजना' के समन्वय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एसटीसी निधियों के निर्धारण हेतु प्रतिशतता संशोधित की थी तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास एवं उद्दिमता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के उद्दिष्टीकरण के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया है तथा अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन–प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालय/विभाग अर्थात पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी कार्य मंत्रालय इस एसटीसी के दायरे में शामिल किए गए हैं। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

तालिका 6.1
जनजातियों के कल्याण हेतु केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संघीय बजट 2020–21 में यथा–उल्लेखित किए गए आवंटन का पृथक–पृथक ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता	कुल स्कीम आवंटन (सीएस+सीएसएस)	बजट अनुमान 2020–2021	निर्धारण प्रतिशतता
1	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	8.6	133809.77	11507.65	8.60
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	4.3	2729.00	118.65	4.35
3	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4.3	841.00	37.70	4.48
4	कोयला मंत्रालय	8.6	819.98	70.52	8.60
5	वाणिज्य मंत्रालय'	4.3	5306.00	25.00	0.47
6	दूरसंचार विभाग	4.3	13279.50	357.89	2.70
7	उपभोक्ता कार्य विभाग '	4.3	2195.00	2.58	0.12
8	संस्कृति मंत्रालय	4.3	578.32	24.86	4.30
9	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.6	3027.65	822.92	27.18
10	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.7	3958.00	265.19	6.70
11	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.6	1943.23	127.00	6.54
12	मत्स्य विभाग	8.6	570.00	53.00	9.30
13	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	8.6	3105.00	270.89	8.72
14	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.3	1081.41	46.50	4.30
15	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.6	49600.00	4300.00	8.67

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता	कुल स्कीम आवंटन (सीएस+सीएसएस)	बजट अनुमान 2020–2021	निर्धारण प्रतिशतता
16	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.3	46333.01	164.03	0.35
17	विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	10.7	50600.00	5844.00	11.55
18	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.6	8706.9.0	1640.00	18.84
19	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय	8.6	8092.54	279.63	3.46
20	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10	21494.10	2149.41	10.00
21	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.6	11371.49	977.95	8.60
22	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय	8.6	7515.35	634.13	8.44
23	खान मंत्रालय	4.3	854.83	23.23	2.72
24	नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.6	5646.50	486.00	8.61
25	पंचायती राज मंत्रालय	8.6	867.73	74.62	8.60
26	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ’	4.3	42802.44	1840.50	4.30
27	विद्युत मंत्रालय	8.6	12327.16	857.00	6.95
28	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.3	91656.45	2920.00	3.19
29	ग्रामीण विकास विभाग’	17.5	119874.43	5026.00	4.19
30	भूमि संसाधन विभाग	10	2238.65	223.87	10.00
31	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4.3	3202.00	137.69	4.30
32	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	8.6	2726.03	209.65	7.69
33	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.6	780.00	68.56	8.79
34	कपड़ा मंत्रालय	8.6	3428.76	222.55	6.49
35	पर्यटन मंत्रालय	4.3	2375.21	102.00	4.29
36	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100	7355.76	7355.76	100.00
37	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.6	29720.38	2555.95	8.60
38	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	8.6	1745.92	201.35	11.53
	कुल योग		**704559.50**	**52024.23**	**7.38**

*एसटीसी निधियों को तय करने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा अजजा या सामान्य सहित व्यापक प्रकृति की कवरेज के व्यय को शामिल नहीं किया गया है:

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(ii) उपभोक्ता मामले विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) वाणिज्य विभाग

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालयों की सूची जिन्होंने अजजा के लिए पृथक रूप से आवंटन नहीं किया है

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल स्कीम आवंटन (सीएस+सीएसएस)	बजट अनुमान 2020–2021 (एसटीसी9	निर्धारण प्रतिशतता
1	उर्वरक विभाग	4.3	71309.00	0.00	0.00
2	औषध विभाग	4.3	281.00	0.00	0.00
3	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.3	121097.92	0.00	0.00

6.6 वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक टीएसपी निधियों के आवंटन का मंत्रालय /विभाग–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–6क** में दिया गया है।

6.7 केन्द्रीय टीएसपी के लिए दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, अंतरों का आकलन करना तथा अन्तरों को पाटने के लिए स्कीमों को उन्मुखी बनाना है।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी स्कीमों से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/ परिवारों /अधिवासों को सीधे तथा परिमाणात्मक लाभ मिलना चाहिए।
- दर्शायी गयी आवंटन प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्नतम प्रतिशतता के रुप में माना जाए।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक निर्धारण करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी इकाई के मुखिया के रुप में, पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- सभी मंत्रालयों/ विभागों में नोडल इकाइयां स्थापित की जानी चाहिएं जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाएगी, जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी हैं।

6.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने 36 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए प्राइस वाटरहाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) को एक शोध और मूल्यांकन परियोजना सौंपी है। पीडब्ल्यूसी द्वारा सभी मंत्रालयों/ विभागों की तैयार की गई रिपोर्टों को उनकी टिप्पणियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था। जुलाई 2020 के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी ताकि उनकी टिप्पणियों /विचारों को शामिल करके रिपोर्ट की समीक्षा और उसे अंतिम रूप दिया जा सके। मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं और तदनुसार, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग, एसटीसी निधियों वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता रहा है। बैठकों में मंत्रालयों/विभागों के लिए इस बात पर पुनः जोर दिया गया है कि एसटीसी निधियां प्रचलित निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार होनी चाहिएं। यह दोहराया गया था कि डीईए द्वारा निर्धारित आवंटन प्रतिशतता का पालन किया जाए। परियोजना–स्थलों तथा लाभार्थियों के ब्यौरों सहित एसटीसी निधियों से स्वीकृत कार्य की वास्तविक प्रगति की जानकारी साझा करने के लिए भी कहा गया था।

राज्य टीएसपी

6.10 तत्कालीन, योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों में 18 जून, 2014 को संशोधन किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया गया है जो कुल योजना परिव्यय में राज्य में अनुसूचित जनजातियों के 2011 की

जनगणना के अनुपात से कम नहीं है। दिशा–निर्देश, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के परिणामों के साथ–साथ मानकों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुनः अनुबद्ध करते हैं।

जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का उद्देश्य अजजा विकास को गति देकर उन्हें (i) शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास करना, (ii) आदिवासी क्षेत्रों / आवासों सहित, क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन को उन्नत बनाना; (iii) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और आय सृजन के अवसर (iv) अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता, अधिकार प्राप्त करना और अन्य क्षेत्रों के साथ बराबरी पर अधिकार और सुविधाओं में सुधार, और (v) शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को पाटना है।

टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, टीएसपी के लिए चिह्नित/आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने चाहिएं।

ii. टीएसपी के तहत निधियां जो, 2011 की जनगणना के राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में कम नहीं हैं, कुल योजना परिव्ययों (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े) से चिन्हित की गई हैं ।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिएं। अतः प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए टीएसपी निधियों की मात्रा की सूचना सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ देने की योजनाएं नहीं हैं, उन्हें सैद्धान्तिक तौर पर कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा ।

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक दूरी तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में उच्च वित्तीय मानक तय करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी की जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल और अन्य स्कीमोंध्कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. निधि के अन्यत्र उपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां, क्रियाशील मुख्य शीर्ष/उप–मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण की जाएंगी।

6.11 विगत तीन वर्षों अर्थात 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक –6ख पर दिया गया है। वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल राज्य योजना परिव्यय और टीएसपी आवंटन और व्यय का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है।

तालिका: 6.2 केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा एसटीसी / टीएसएस आवंटन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एसटीसी वाले मंत्रालयों / विभागों के कुल योजना आवंटन	एसटीसी आवंटन	व्यय	टीएसएस / एसटीसी आवंटन के संदर्भ में व्यय का%	एसटीसी वाले मंत्रालयों / विभागों के कुल योजना / योजना आवंटन का%
2014–15 (वास्तविक)	236508.72	19961.29	19436.85	97.37	8.44
2015–16 (वास्तविक)	275174.59	20177.62	20024.66	99.24	7.33
2016–17 (वास्तविक)	380035.71	24671.58	20956.40	84.94	6.49
2017–18 (वास्तविक)	594482.66	29643.67	30020.25	101.27	4.99
2018–19 (वास्तविक)	632141.00	35352.77	33381.93	94.43	5.59
2019–20 (सं.अ.)	745367.29	47748.83	41943.41	87.84	6.41
2020–21 (ब.अ.)	704559.50 *	52024.23	29349.80#	56.42	7.38

*एसटीसी निधियों को तय करने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा अजजा या सामान्य सहित व्यापक (यूनिवर्सल कवरेज) प्रकृति के व्यय को शामिल नहीं किया गया है:

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(ii) उपभोक्ता कार्य विभाग

(iii) ग्रामीण विकास विभाग

(iv) वाणिज्य विभाग

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

31.12.2020 तक की स्थिति

तालिका: 6.3 राज्य सरकार द्वारा टीएसपी आवंटन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन का %	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय के संदर्भ में व्यय का %	कुल टीएसपी आवंटन के व्यय का %
2017–18	1471843.85	152813.06	10.38	130067.97	8.84	85.12
2018–19	1810508.40	173762.35	9.60	131571.36	7.27	75.72
2019–20#	1840150.31	166834.03	9.07	97668.01	5.31	58.54
2020–21*	1504477.44	120825.84	8.03	45681.81	3.04	37.81

#मिलान किया जा रहा है, *अनंतिम आंकड़े

एसटीसी / टीएसपी निधि का आकलन

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

6.12 'जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' भारत सरकार से प्राप्त (वर्ष 1977–78 से अब तक), 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा, एक अनिवार्य मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए एक परिवर्धक है। यह अनुदान आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, क्लस्टर, पीवीटीजी और फैली हुई जनजातीय आबादी, लोगों के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है।

6.13 टीएसएस को एससीए के उद्देश्य:

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी पहुंच को बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास
- आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों/स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर, गुणवत्तापूर्ण जीवन (अधिकांशतः प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य योजनाओं के तहत)
- गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, संवर्धकशील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों का निर्माण
- अन्य क्षेत्रों के समान अवसरों की प्राप्ति हासिल करने, अधिकार और स्वामित्व प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्षमता में संवर्धन, और
- शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा

6.14 मुख्यत, गैर—आवर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों (कम—से—कम 3 वर्ष के कार्य—जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) के लिए इन स्कीमों के तहत सहायता दी जाती है। ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों के आवर्ती घटक, राज्य निधियों/टीएसपी आवंटन द्वारा वहन करने होते हैं। समान आजीविका पद्धति/परंपरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ—व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) घटकों को 'टीएसएस को एससीए' के तहत आयोजना (प्लानिंग) के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए। सड़क संपर्क, बिजली, पेय—जल, मुख्य सिंचाई परियोजना, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग में दिए जाने के कारण टीएसएस को एससीए के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, कौशल विकास, खेल और खेल को बढ़ावा देने और अन्य आय सृजन गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को वित्त पोषण की योजना के तहत माना जाता है।

6.15 वर्ष 2020—21 के लिए 800.00 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) की तुलना में 31.12.2020 तक टीएसएस को एससीए के तहत 502.95 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2011—12 से 2020—21 (31.12.2020 तक) तक निधियों का वर्ष—वार आवंटन और निर्मुक्ति **अनुलग्नक—6ग** में दी गई है।

6.16 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से 26 राज्यों को प्रदत्त 100 प्रतिशत वार्षिक अनुदान है। इसका भुगतान (पूर्वोत्तर राज्यों, एक अनिवार्य मद के लिए अनुदानों को छोड़कर) भारत की समेकित निधि से किया जाता है और जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए एक परिवर्धक है।

तालिका 6.4: वर्ष 2020—21 के लिए बजट

(करोड़ रुपये में)

स्कीम	बजट अनुमान 2020—21	संशोधित अनुमान 2020—21	निर्मुक्त (31.12.2020 तक)	जन.—मार्च 2021 के लिए प्रक्षेपण/अनुमान
संविधान का अनुच्छेद 275 (1)*	1350.00	800.00	710.80	89.50

*प्रशासनिक व्यय सहित

वर्ष 2010—11 से 2020—21 के दौरान भारत के 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान—सहायता' के तहत राज्य—वार निर्मुक्त राशि दिखाने वाला, (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) निधि के वर्षवार आवंटन का एक विवरण **अनुलग्नक—6घ** पर और अनुच्छेद 275 (1) के तहत 2010—11 से 2020—21 के दौरान **ग्राफ 6.1** पर दिया गया है।

ग्राफ 6.1 अनुच्छेद 275 (1) के तहत आवंटन (ब.अ.) तथा निधियों की निर्मुक्ति का विवरण (31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

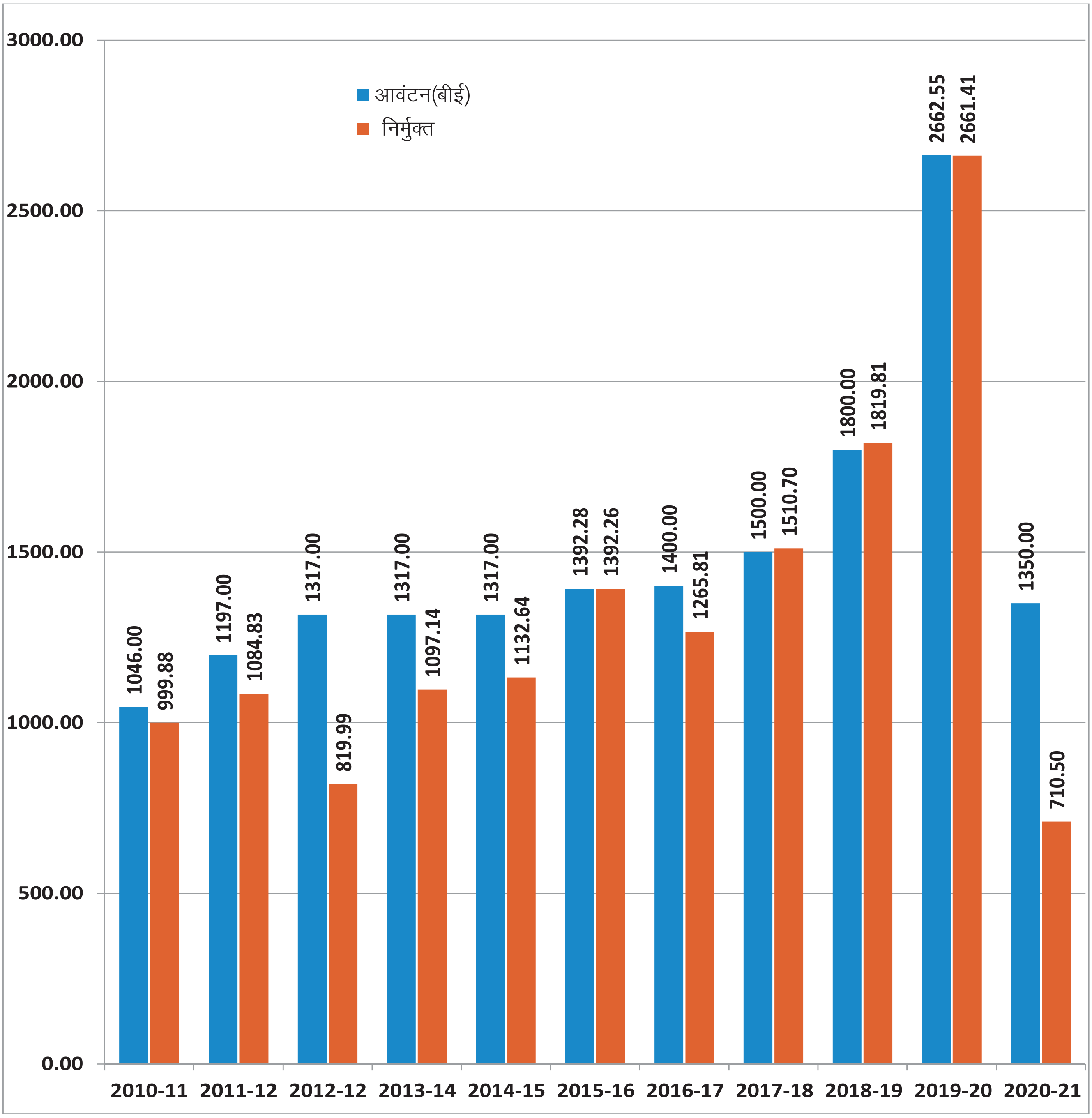

अध्याय 7
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 कई जनजातीय लोगों और वन में निवास करने वाले अन्य समुदायों के लिए वन उनके लिए आजीविका, पहचान, रीति–रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रही वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि के अधिभोक्ता रहे थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत से लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रूप से रह रहे हैं, वैधानिक ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक हितों को किसी तरह नजर–अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा उनकी आधुनिक नियामक ढांचे की सामान्य अज्ञानता, जिन क्षेत्रों से वे संबंधित हैं तथा जिन पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधानों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकारों को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। भूमि जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे तथा सम्पन्न थे, वहां से निष्कासन का डर व अवधि की असुरक्षा ही जनजातीय समुदायों के भावनात्मक रूप के साथ–साथ वास्तविक रूप से वनों और वन भूमि से विस्थापित होने का शायद सबसे बड़ा कारण था। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता थी और इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है व यह 31.12.2007 को अधिसूचित हुआ। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम के प्रावधान प्रचालन में आये।

7.3 अधिनियम, वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से भी आगे जाता है और वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थाओं को किसी भी सामुदायिक वन स्रोतों, की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में अपने आप यह एक निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में सही अर्थों में मील का पत्थर होने के साथ यह अधिनियम, सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े सकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं

7.4 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(1) अधिनियम की धारा 3 उन अधिकारों को सूचीबद्ध करती है, जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमियों पर वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्ही सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन

भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार,

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं,

(ग) गौंण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है,

(घ) यायावरी या चरागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार,

(ङ.) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू–धृतियां भी हैं,

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार,

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं,

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं,

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रुप में स्वीकार किया गया है,

(ट) जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव–विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार,

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खण्ड (क) से खण्ड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का पंरपरागत अधिकार नहीं है,

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

(3) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देती है तथा इन्हें प्रदान करती है।

(4) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय उद्यानों (पार्कों) और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनःस्थापन हेतु प्रावधान है, जिसमें विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसा शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अपरिवर्तनीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनःस्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनःस्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनःस्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग करने वालों के लिए बाद में अपवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर अधिभोग किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(6) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(7) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(8) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(9) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा; (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती जलागम–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थतिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक का पालन करने के लिए सशक्त करती है।

10. इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती

है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

11. अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13. धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय–IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14. अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.5 दिनांक 31.08.2020 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 42,53,089 है, जिनमें से 87.97% दावों का निपटान किया गया है और 19,85,911 अधिकार–पत्र (टाइटल) (46.69%) जारी किए गए हैं। ओडिशा को उच्चतम अधिकार–पत्र जारी करने का गौरव प्राप्त है जो 4,46,013 (4,39,436 व्यक्तिगत अधिकार–पत्र और 6,577 सामुदायिक अधिकार–पत्र) हैं। 31.08.2020 को अधिनियम के तहत प्राप्त दावों (राज्य–वार) के संबंध में निपटाए गए दावों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–7** में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए स्पष्टीकरण और निर्देश प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय भी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की निगरानी को मजबूत करने, हस्तक्षेप क्षेत्रों का विश्लेषण करने और अन्य सभी क्षेत्रों में चूकों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

- मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकारों की मान्यता और अधिकार–पत्रों के निहित होने में प्रगति की नियमित निगरानी रखता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रूप में सभी राज्यों से नियमित अपडेट मांगा जाता है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर हर महीने प्रकाशित किया जाता है। एमपीआर उच्च / निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों और हस्तक्षेपों की आवश्यकता की पहचान करने में भी मदद करता है। इस वर्ष मंत्रालय द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- इस वर्ष के दौरान, कोविड –19 स्थितियों के कारण, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

    » दिनांक 24.02.2020 को राज्य सरकारों के साथ हुई बैठक के अनुसरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट पिटिशन (सी) 109/2008 से संबंधित अस्वीकृत दावों की समीक्षा की प्रगति के बारे में, 2 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित और लॉन्च किया गया। मॉड्यूल एक दो–स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करता है ताकि प्राप्त आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके और साथ ही साथ प्रस्तुत किए जा रहे डेटा को ट्रैक करने का अवसर प्रगति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जा सके।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डॉ. एन.सी सक्सेना (सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में 21.02.2020 के आदेश के तहत एक समिति का गठन किया, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षण, प्रबंधन और सामुदायिक वन संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श दिशानिर्देश तैयार करने के लिए (संक्षेप में सीएफआर गाइडलाइन) है। समिति ने 05.08.2020 और 24.12.2020 को अपनी बैठक की और उनसे समिति के कार्यकाल की अंतिम तिथि अर्थात् 28.02.2021 तक रिपोर्ट, सिफारिश और सुझाव देने संबंधी दिशानिर्देश प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

- पीवीटीजी के पर्यावास अधिकारों और घुमंतू जनजातियों और चरागाही समुदायों के लिए मौसमी संसाधन पहुंच पर विशेष ध्यान देने के साथ व सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए, मंत्रालय ने श्री ह्रषिकेश पांडा (सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। । उक्त समिति की पहली बैठक 16.03.2020 को हुई थी। कोविड –19 स्थितियों के कारण, समिति के सदस्यों को क्षेत्र की यात्राओं के साथ–साथ समिति की बैठकों का आयोजन करना मुश्किल हो गया। समिति की दूसरी बैठक 11.09.2020 को हुई थी। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह समिति के कार्यकाल की अंतिम तिथि यानी 31.01.2021 तक अपनी रिपोर्ट/सुझावात्मक दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगी।

- मंत्रालय वर्ष के दौरान, इन समितियों को उनके सुपुर्द लक्ष्यों को प्राप्त करने में तकनीकी और तार्किक सहायता प्रदान करता रहा है। समिति सदस्य वांछित दिशा–निर्देशों की तैयारी के लिए इनपुट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय दौरे कर रहे हैं व इसके साथ–साथ समुदाय के सदस्यों, सिविल सोसायटी आदि के साथ परामर्श कर रहे हैं।

- राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों, 2004 में संशोधन की शुरुआत की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, ने एनबीए के सदस्य होने के नाते, प्रस्तावित संशोधन में इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के साथ तालमेल बनाने के लिए टिप्पणियां प्रदान की गई हैं। मंत्रालय ने एनबीए और एमओईएफसीसी को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में अपनी टिप्पणी 06.07.2020 के पत्र के तहत सूचित की और जैव विविधता नियम, 2004 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में टिप्पणियां पत्र संख्या 16922–एफआरए दिनांक 10.07.2020 और 15.07.2020 को सूचित की।

- इसी तरह, वन और वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यावरण–पर्यटन के लिए मसौदा नीति पर टिप्पणियाँ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ पत्र सं. 16657–एफआरए दिनांक 30.06.2020 के तहत साझा की गई थीं ताकि यह सुनिश्चित हो कि वन और वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों के विकास के दौरान वन अधिकार धारकों के साथ–साथ पी.वी.टी.जी., वन संसाधनों, आवास और आजीविका की पहुंच संरक्षित और सुरक्षित रहें।

- इन योगदानों के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के एफआरए प्रभाग ने लाइन मंत्रालयों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों जैसे 05.08.2020 को आयोजित ग्रीन क्लाइमेट वित्त–पोषित परियोजना (फंडेड प्रोजेक्ट) ''एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज'' पर राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में भाग लिया है और इसमें योगदान दिया है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियमावली, 2004 में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा कई बैठकें आयोजित की गई 08.09.2020 को जैव विविधता के संरक्षण के लिए योजना पर विचार–विमर्श करना; 16.09.2020 को स्थानान्तरी जुताई (शिफ्टिंग कल्टिवेशन) पर विशेषज्ञ समिति की बैठक आदि है।

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 10.08.2020 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, और माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद दोनों संबंधित मंत्रालयों के सचिवों ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों

को संयुक्त रूप से संबोधित करने की आवश्यकता वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.09.2020 को एक बैठक आयोजित की।

- जनजातीय सरोकारों के ऐतिहासिक कानूनों के कार्यान्वयन के परिणामों और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अर्थात् पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, दोनों अधिनियमों के पूरक प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के साथ सहयोग किया है। 28.10.2020 को दोनों मंत्रालयों के सचिवों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों पर भारतीय वानिकी सेवा के अधिकारियों को वानिकी संबंधित केंद्रीय कानून कोर्स पर प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करता है व साथ ही ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक, कानूनी, नीतिगत ढांचे को प्रदान करता है। हाल ही में 23.09.2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से एक प्रशिक्षण सत्र राज्यों के वन अधिकारियों को दिया गया था और तीन प्रशिक्षण सत्र 22.08.2020, 19.09.2020 और 23.10.2020 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के अधिकारियों को प्रदान किए गए।

- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से भारत में सीएफआर प्रबंधन की स्थिरता का आकलन करने के लिए रूपरेखा विकसित करने पर एक अन्वेषण अध्ययन (एक्सप्लोरेशन स्टडीज) के एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा होने के नाते जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 28.11.2020 और 12.12.2020 को प्रारंभिक कार्यशाला में भाग लिया।

आगे की राह

7.7 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में करोड़ों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की क्षमता है। इस मंत्रालय तथा सभी स्टेकहोल्डरों के नियमित समर्थन और ग्राम सभाओं एवं कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर दिशा–निर्देश द्वारा निरंतर प्रयासों से वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की तैयारी के साथ, यह आशा की जाती है कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पीवीटीजी के पर्यावास अधिकार और खानाबदोश और चरागाही समुदायों के मौसमी संसाधन उपयोग के अधिकार आने वाले वर्षों में सभी राज्यों में गति प्रदान करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे इस ऐतिहासिक अधिनियम के उद्देश्य को जमीनी स्तर पर अक्षरशः साकार करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे।

आगे की राह की ओर उठाए जाने वाले कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

- जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के तहत दायर किसी भी दावे की कोई गलत अस्वीकृति न हो।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करना और पीवीटीजी के आवास अधिकारों पर ध्यान देने के साथ व घुमंतू जनजातियों और चरागाही समुदायों के लिए मौसमी संसाधन पहुंच हेतु सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करना।

*****

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन से संबद्ध कार्यक्रम

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक स्कीमें और कार्यक्रम आरंभ किए हैं । ये निम्नलिखित हैं:–

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

8.2 जनजातीय छात्रों को दूरस्थ क्षेत्रों में सर्वोत्तम अवसरों तक उनकी पहुंच बनाने के लिए गुणतापरक शिक्षा प्रदान करने और उन्हें सामान्य आबादी के समकक्ष लाने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में 480 विद्यार्थियों की क्षमता वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित किए जाते हैं ।

8.3 ईएमआरएस विद्यालय स्थापित करने और उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने और खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों, बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान एवं एक प्रेरक वातावरण उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सुविधाओं के लिए बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, रसोईघर और भोजनालय तथा शैक्षिक व गैर–शैक्षिक स्टाफ आदि के लिए आवास–गृहों सहित, आधुनिक क्लास–कक्ष, पूरी तरह से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर–प्रयोगशालाएं, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्राध्यापक के लिए प्रशासनिक सुविधाएं और स्टाफ, शौचालय तथा पेयजल सुविधा खेल (आतंरिक और बाह्य) तथा अन्य सुविधाएं आदि शामिल हैं।

मानदंडों के अनुसार कक्षा VI से कक्षा X तक प्रत्येक सैक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ दो खंडों में कुल 60 विद्यार्थी तथा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में कक्षा XI और XII के प्रत्येक सैक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ कक्षा में कुल 90 विद्यार्थी अनुमत्त हैं।

8.4. छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत 20 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जिसके पर्वतीय और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपए तक होने का प्रावधान है। विद्यालय के संचालन और छात्र के खर्चों (वर्दी, पुस्तकें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के वहन के लिए रु. 1.09 लाख तक प्रति छात्र की दर से आवर्ती लागत प्रदान की जाती है।

8.5 वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि 'सरकार जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में उत्तम शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को पूरा करने के वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले और न्यूनतम 20000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालयों के समरूप होंगे और स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।'

8.6. वर्ष 2020–21 के दौरान 2018–19 की बजट घोषणा के अनुरूप ही चिन्हित ब्लॉकों के लिए 150 नये विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गई। संचयी रूप से, देशभर में 588 विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 285 विद्यालय 31.12.2020 तक कार्यशील हैं। आज तक स्वीकृत ईएमआरएस विद्यालयों की सूची (ब्लॉक–वार) **अनुलग्नक–8क** पर दी गई है। स्वीकृत विद्यालयों की राज्य–वार सारांश, उनके कार्यशील होने की स्थिति सहित, नीचे **तालिका 8.1** में दिया गया है।

तालिका 8.1: स्वीकृत और कार्यशील ईएमआरएस की संख्या (31.12.2020 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत स्कूल	कार्यशील स्कूल
1	आंध्र प्रदेश	26	19
2	अरुणाचल प्रदेश	10	2
3	असम	10	1
4	बिहार	3	0
5	छत्तीसगढ	71	42
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0
7	गुजरात	35	35
8	हिमाचल प्रदेश	4	4
9	जम्मू और कश्मीर	6	0
10	झारखंड	79	13
11	कर्नाटक	12	10
12	केरल	4	2
13	लद्दाख	2	0
14	मध्य प्रदेश	63	45
15	महाराष्ट्र	30	24
16	मणिपुर	15	3
17	मेघालय	15	0
18	मिजोरम	17	2
19	नगालैंड	19	3
20	ओडिशा	70	19
21	राजस्थान	30	18
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडु	8	8
24	तेलंगाना	23	16
25	त्रिपुरा	16	5
26	उत्तर प्रदेश	4	2
27	उत्तराखंड	3	1
28	पश्चिम बंगाल	8	7
	कुल योग	**588**	**285**

*कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, विद्यालय खुलने पर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अधिक स्कूलों के कार्यशील होने की उम्मीद है ।

8.7 वर्ष 2020–21 के दौरान, आवर्ती लागतों के लिए राज्य ईएमआरएस सोसायटियों को 50,321.50 लाख रूपये जारी किए गए हैं। राज्यवार सारांश **अनुलग्नक 8–ख** में दिया गया है।

2020–21 की मुख्य विशेषताएं:

8.8 इस वर्ष ईएमआरएस के अधिकांश कार्यक्रम का नवीकरण(रिवेम्पिंग) किया गया। नवीकरण का मुख्य केंद्र स्कूलों और नामांकित छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना था। स्कीम के अभिशासन में सुधार, वित्तीय प्रबंधन और प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थीकरण, मानव संसाधन के नेतृत्व और क्षमता निर्माण का विकास, सामान्य पाठ्यक्रम का आरंभ , निगरानी(मॉनीटरिंग) प्रणाली में सुधार आदि के लिए कई कार्यनीतिक प्रयास/पहलें की गईं।

8.9 जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी का संचलन (एनइएसटीएस):

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत, जनजातीय छात्रों के लिए एक स्वायत्त सोसायटी के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी की स्थापना की गई है। संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्त के पदस्थ पदों का निर्धारण किया गया है। उपायुक्त पहले ही पद ग्रहण कर चुके हैं और अन्यों द्वारा भी शीघ्र ही पद ग्रहण करने की आशा है।

भारत में, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एजुकेशनल कनसल्टेंट्स इंडिया लि0 (ईसीआईएल) को, शेष पदों को भर्ती के माध्यम से भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निगरानी और मूल्यांकन, मानव संसाधन, वित्त, प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त सलाहकारों के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, एनईएसटीएस में की गई थी।

एक समर्पित कार्यालय स्थान की पहचान की गई और उसका नवीकरण किया गया। बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद सहित सभी संबद्ध कार्य पूरे किए गए।

8.10 विद्यालयों का निर्माण:

निर्माण एजेंसियों के लिए, आवंटन के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और निर्माण एजेंसियों ने शेष स्थानों की पहचान कर ली है। 40 ईएमआरएस का निर्माण कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया हैं। 18 स्थानों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति, प्रारंभिक मंजूरी सहित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ दे दिया गया है और निर्माण–पूर्व गतिविधियों को शुरू करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को 39.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गये हैं। 2018–19 और 2019–20 के दौरान स्वीकृत 32 ईएमआरएस/ईएमडीबीएस के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 95.24 करोड़ रुपये जारी किए गए। 77 स्कूलों के निर्माण के लिए 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, निर्माणपूर्व गतिविधियों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को रु.7.70 करोड़ (/रू.10 लाख प्रति स्थल की दर से) जारी किये गये हैं।

चरणबद्ध रूप से अधिकाधिक निर्माण करने के लिए बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप दिया गया। चरण –1 के निर्माण में स्कूल का भवन, बालक और बालिकाओं के छात्रावासों के 50 यूनिट शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 120 बॉयज और 120 गर्ल्स, रसोई, भोजनालय, चारदीवारी और कैंपस का सीमित विकास जैसे कि सड़कें, नाले, इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशन आदि शामिल हैं। चरण–1 का निर्माण मैदानी जिलों के लिए 20.00 करोड़ रुपये और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और एलडब्ल्यूई जिलों के लिए 24.00 करोड़ की अनुमोदित लागत तक सीमित है। चरण –2 निर्माण में बालिका छात्रावास की शेष 0–50 ईकाईयां , बालकों के लिए छात्रावास, शिक्षकों के आवास–गृह और गैर–शिक्षण कर्मचारी, खेल सुविधा और शेष परिसर का विकास शामिल हैं। चरण–2 का निर्माण व्यय विभाग द्वारा संशोधित अनुमान के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

8.11 भूमि की पहचान:

भूमि के मुद्दों को दूर करने के लिए, पहली बार, राज्य सरकारों /केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे तैयार की गई जांच–सूची के अनुसार भूमि को चिन्हित करें और सभी आवश्यक विवरणों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि विद्यालयों की मंजूरी के बाद भूमि संबंधी कोई विवाद उत्पन्न न हो। विस्तृत जाँचसूची में भूमि से गुजरने वाले सार्वजनिक–मार्ग, वहां से जल मार्ग (चैनल) सहित भूमि की स्थिति, आसपास के क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, संपर्क, अतिक्रमण–मुक्तता या अन्य अवरोधों के माध्यम से

बहने आदि की उपयुक्तता का पता लगाया गया। जांच–सूची की शुरूआत से उचित भूमि की पहचान सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप हुई है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसियां मंजूरी की तारीख और काम के आवंटन से थोड़े समय के भीतर ही अपना काम शुरू करने में सक्षम हो गई हैं।

8.12 राज्य की ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापनाः

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, ईएमआरएस के प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा एक राज्य स्तरीय सोसाइटी की स्थापना अपेक्षित थी । वर्ष के दौरान राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापना की गई है और शेष 4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भी इसे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

8.13 राज्यों की ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः

राज्यों को ईएमआरएस नवीकृत स्कीम के स्तर पर लाने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्रों की ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था । समझौता ज्ञापन में बुनियादी तौर पर ईएमआरएस के नवीकृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में एनईएसटीएस और राज्य/संघराज्य क्षेत्रों की ईएमआरएस सोसाइटियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है । संचयी रुप से 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं ।

8.14 जिला स्तरीय समिति का गठन (डीएलसी)

बेहतर मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए यह अनुभव किया गया कि जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का होना बहुत महतवपूर्ण है। इसलिए, राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को जिलों में विद्यालयों की कार्यशीलता के पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति को अधिसूचित करने के निदेश दिए गये। विद्यालय की कार्यशीलता का पर्यवेक्षण और उनके प्रभावी रुप से कार्यशील होने में सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समितियां, सदस्य के रुप में स्थानीय शिक्षाविदों, जनजातीय प्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों सहित डीएलसी के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे । 18 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में डीएलसी को अभिसूचित किया गया है।

8.15 कोविड–19 और ईएमआरएस

राष्ट्र, जबकि, महामारी के विरुद्ध लडाई लड रहा है, हमारे ईएमआरएस ने जागरुकता, स्टाफ द्वारा निर्मित मास्क का निशुल्क वितरण, क्वारंटीन केंद्रों का प्रबंधन, राहत निधि के लिए वित्तीय योगदान इत्यादि जैसे विभिन्न प्रयासों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सहायता में एक महत्पूर्ण भूमिका अदा की है । कोविड–19 महामारी से लडाई की यह यात्रा अभी भी जारी है।

क राज्यों को अवकाश का पुनः निर्धारण करते हुए 21.03.2020 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल दिवा बोर्डिंग विद्यालयों को 25. 05.2020 तक बंद रखने के आदेश दिए। तत्पश्चात, 24–03–2020 को घोषित पूर्ण लॉकडाऊन के मद्देनजर राज्यों को स्कूल की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए ।

ख राज्यों को ईएमआरएस स्कूल भवनों को यथापेक्षित क्वारेंटीन/आइसोलेशन केंद्र के तौर पर प्रयोग करने का परामर्श भी दिया गया । तदनुसार, वर्तमान में 30 ईएमआरएस क्वारेंटीन/आइसोलेशन केंद्र के तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं।

गुजरात में क्वारेंटीन/आइसोलेशन केंद्र के तौर पर प्रयुक्त ईएमआरएस विद्यालय का सैनेटाइजेशन

उत्तराखंड में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरुकता का प्रसार करते ईएमआरएस कर्मी

कोविड–19 के विरुद्ध लडाई के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष निधि में अपना योगदान देते हुए, ईएमआरएस रायगढ़ (ओडिशा) के कर्मी

विभिन्न राज्यों में स्थानीय समुदाय में निशुल्क मॉस्क का वितरण करते हुए ईएमआरएस अध्यापक और कर्मी

ज्ञानार्जन की डिजिटल और वैकल्पिक पद्धति का अभिग्रहण/परिवर्तन

कोविड–19 के अभूतपूर्व संकट ने हमारे छात्रों की ज्ञानार्जन(शिक्षा) में निरंतरता के समक्ष एक ऐसी गंभीर चुनौती बनकर आया, व इससे स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। संकट को एक अवसर में परिवर्तित करते हुए, ईएमआरएस ने दूरस्थ स्थानों में रहने वाले छात्रों के लिए ज्ञानार्जन(शिक्षा) की 'डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग' एवं विभिन्न अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाए जाने संबंधी कई कदम उठाए ।

कार्रवाई दो–आयामी दृष्टिकोण – लघु अवधि और दीर्घकालिक पर आधारित था। लघु अवधि (शॉर्ट टर्म) प्रतिक्रिया में राज्यों को, जहां कहीं भी व्यवहार्य है, छात्रों द्वारा वर्चुअल लर्निंग के लिए एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न ई–संसाधनों का उपयोग करने की सलाह देना शामिल है। कई राज्यों ने मौजूदा संसाधनों का उपयोग किया है और यू–ट्यूब' 'व्हॉट्स एप', गूगल क्लास रुम, मोबाइल एप (स्टैप ऐप) आदि जैसे विभिन्न तकनीकी मंचों(प्लेटफार्मों) के माध्यम से शिक्षण में निरंतरता सुनिश्चित की है। पायलट आधार पर स्टेप 'ऐप' जो खेल–खेल में सीखने वाला एक 'मोबाइल एप्लिकेशन है', आरंभ किया गया था।

भविष्य की तकनीक जो मिश्रित डिजिटल तकनीक और अनुप्रयोगों पर आधारित होगी, को अपनाने के लिए स्कूलों की डिजिटल फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए, एक विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए भी अवधि का उपयोग किया गया था।

ज्ञानार्जन के लिए तकनीकी मंचों (प्लेटफार्मों) के उपयोग पर राज्यों से नियमित प्रतिक्रिया का आग्रह किया गया था। ज्ञानार्जन के आधार, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक मिशन शुरू किया है कि छात्रों को एक अनुकूल 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम' का उपयोग करने के लिए मोबाइल आधारित कम से कम एक उपयुक्त टैब उपलब्ध करायी जाए, जिसके माध्यम से डिजिटल आधारित समुचित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

गृह आधारित शिक्षा में शामिल विद्यार्थी।

स्टेप ऐप से संपूर्णता प्रमाणपत्र

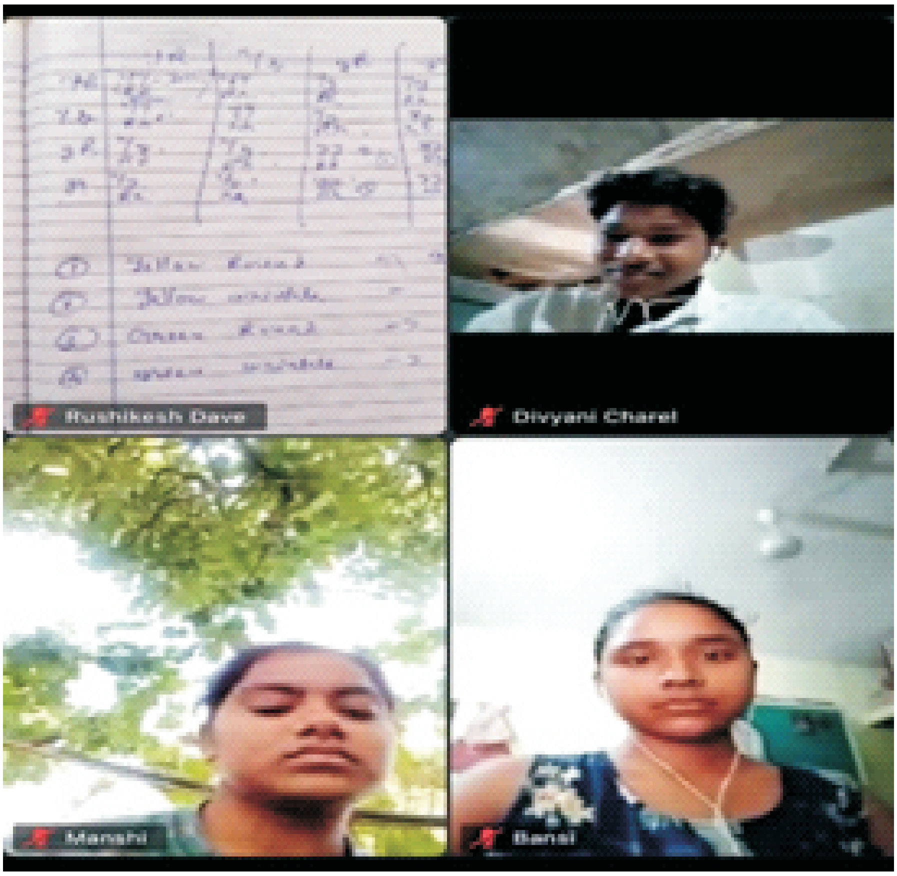

विद्यार्थी – ऑन लाईन शिक्षा प्राप्त करते हुए।

8.16 ईएमआरएस में प्राध्यापकों और अध्यापकों का क्षमता निर्माण :

भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के सहयोग से मंत्रालय ने ईएमआरएस स्कूल प्रमुखों और प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल– नेतृत्व में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। नेतृत्व कार्यक्रम 21 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2020 तक 10 दिनों की अवधि के लिए एक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में 12 राज्यों के 50 ईएमआरएस स्कूल प्राचार्यों ने भाग लिया।

'आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट' के सहयोग से, ईएमआरएस स्कूल के शिक्षकों के लिए 28 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2020 तक 5 दिनों की अवधि के लिए एक शिक्षक विकास कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। दो राज्यों अर्थात् कर्नाटक और तेलंगाना से 50 नियमित ईएमआरएस स्कूल शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

मंत्रालय ने, स्वायत्त स्वैच्छिक संगठन – इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (आईएपीटी) के सहयोग से ईएमआरएस स्कूलों के माध्यमिक स्तर के भौतिकी शिक्षकों के लिए एक शिक्षक विकास कार्यशाला का आयोजन किया। आईएपीटी संगठन, पूरे भारत में, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से भौतिकी शिक्षण और भौतिकी शिक्षकों के उन्नयन के लिए काम करता है। कार्यशाला 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2020 तक 5 दिनों की अवधि के लिए एक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण में 3 राज्यों के 60 से अधिक ईएमआरएस स्कूल के शिक्षकों ने भाग लिया था।

इसे पूरा वर्ष चलने वाली प्रक्रिया बनाने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों संबंधी एक कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी का भी पता लगाया जा रहा है।

8.17 स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा (लर्निंग) का प्रचार :

यह देखते हुए कि ईएमआरएस छात्रों द्वारा ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच बहुत कम थी, ईएमआरएस में छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा–प्रदान करने के लिए एसटीईपी ऐप के साथ एक समझौता किया गया था। इसके क्रियान्वयन के दौरान यह पाया गया था कि अधिकांश छात्रों के पास ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच के लिए स्मार्ट फोन/टैबलेट तक पहुंच नहीं है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी और प्रथम बार यह पहल की गई कि प्रत्येक छात्र के पास एक उपयुक्त मोबाइल उपकरण (डिवाइस) तक पहुंच हो। इस संबंध में एक उपयुक्त प्रणाली का सुझाव देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ कई परामर्श किए गए थे। तदनुसार, सीडीएसी मुंबई को 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम', 'लाइव क्लास' और 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' सुविधा के विकास के लिए हमारे तकनीकी सलाहकार–सह–भागीदार के रूप में चुना गया था।

पहले चरण में, कक्षा 10 वीं से 12 वीं तक के सभी छात्रों को लाभान्वित करने वाले गर्वनमेंट–इ–मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से लगभग 30,000 मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, खरीदे जाएंगे। शेष सभी छात्रों को फीडबैक के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी।

8.18 ईएमआरएस छात्रों के लिए यूनिफॉर्म का डिजाइन

एनआईएफटी, नई दिल्ली को, छात्रों की वर्दी में एकरुपता लाने के लिए ईएमआरएस और ईएमडीबीएस में वर्दी (यूनिफॉर्म) का नमूना(डिजाइन) तैयार करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि वर्तमान में हर राज्य की अपनी वर्दी, डिजाइन और लोगो है। अंतिम रुप से तैयार किए गए स्वीकृत डिजाइन, डिजाइन विनिर्देशों के साथ एक उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ खरीद के लिए साझा किए गए ।

8.19 सीबीएसई स्कूलों की संबद्धता

राज्यों और सीबीएसई के साथ लगातार अनुवर्तन संपर्क करके, 37 स्कूलों ने सीबीएसई के साथ संबद्धता प्राप्त की। 14 स्कूलों के आवेदन सीबीएसई के पास लंबित हैं, जिसके लिए मामले में तेजी से लाने के प्रयास किए गए हैं। संचयी रूप से 190 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध किए जा चुके हैं।

8.20 शिक्षकों के लिए इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि अपनी स्थापना के बाद से, पहली बार, ईएमआरएस, कलसी, देहरादून, उत्तराखंड की उप–प्राध्यापक, सुश्री सुधा पेंनुली, एनएटी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल का गठन किया। सुश्री सुधा पेनुली ने 3–स्तरीय कठोर ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में अपना स्थान बनाया। उनके अभियान की सबसे अनूठी विशेषताओं के नवीन प्रयोग हैं – एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में रंगमंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएँ आदि।

उनकी सतत उपलब्धियां, जनजातीय छात्रों के शैक्षणिक विकास और सर्वांगीण विकास के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों को सही दिशा में ले जाती हैं।

ईएमआरएस, कलसी, उत्तराखंड की उप–प्राध्यापिका, सुश्री सुधा पेनुली, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त करते हुए।

8.21 मंत्रालय जनजातीय उप–योजना (एससीए से टीएसएस) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की योजना को लागू कर रहा है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के लिए धनराशि प्रदान की जाती है जैसे मौजूदा भवन बुनियादी ढांचे, सह–एड आवासीय विद्यालयों का निर्माण, लड़कियों का निर्माण और बॉयज हॉस्टल, आवासीय विद्यालयों में आश्रम स्कूलों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माणय आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं/उपकरण आदि, आश्रम स्कूलों, लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) से संबंधित हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत एससीए से टीएसएस और अनुदान की योजना के तहत शुरू किए गए हैं।

छात्रवृत्ति स्कीमें:

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) 4 छात्रवृत्तियों का संचालन करता हैं, जैसे कि मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां केंद्र प्रायोजित स्कीमें हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए (राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति), और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं।

कक्षा IX तथा X में अध्ययनशील अनुसूचित जनजाति के जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.22 उद्देश्य:– स्कीम के उद्देश्य हैं –(i) कक्षा IX तथा X में अनुसूचित जनजाति के अध्ययनशील विद्यार्थियों के माता–पिता की सहायता करना ताकि विशेष रुप से शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने तथा माध्यमिक स्तर के दौरान, स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) के मामले कम किये जा सकें, तथा (ii) कक्षा IX तथा X के मैट्रिकपूर्व स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार लाना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें प्रगति करने के बेहतर मौके प्राप्त हो सकें ।

8.23 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।
- छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं ।
- राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और समय पर इन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है ।

8.24 पात्रता :

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजातीय होना चाहिए।
- उसके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त न कर रहा हो ।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष में उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ।

8.25 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा विद्यार्थियों के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से किया जाता है । (01.12.2019 से संशोधित)
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्रों के लिए 750/– रूपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रूपये वार्षिक की दर से किया जाता है ।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी दिव्यांगता के आधार पर 160/– रूपये से 240/– रूपये के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं ।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्तियां अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अध्यधीन जारी रहेगी । कक्षा IX में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा X के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.26 कार्य निष्पादन : स्कीम के तहत वर्ष 2020–21 के लिए 400 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से 31–12–2020 तक 195.22 करोड़ रूपये खर्च किए गए। वर्ष 2018–19 से 2020–21 (31–12–2020 तक) के दौरान राज्य–वार शामिल लाभार्थियों और जारी की गई केंद्रीय सहायता की विवरणी **अनुलग्नक – 8ग** पर दी गई है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएस)

8.27 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र : इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ 01.07.2010 से संशोधित की गई है। यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खुली है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय दिनांक 01.04.2013 से 2.50 लाख रुपये या इससे कम है तथा छात्रवृत्ति का वितरण उस राज्य ध्संघ राज्यक्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है जहां वे अधिवासित है ।

8.28 प्रमुख विशेषताएं :

i. इस योजना में राज्य फीस नियामक बोर्ड द्वारा नियत की गई ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर अनुरक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/– रूपये प्रतिमाह से 1200/– रूपये प्रतिमाह है जैसाकि निम्नलिखित है।

समूह	पाठ्यक्रम	अनुरक्षण भत्ता की दर (रुपये प्रति माह)	
		छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह I	एम. फिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च [मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सीए आदि, सहित डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम।	1200	550
समूह II	ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र जैसे क्षेत्रों में फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा–मेडिकल शाखाएं [एमए, एम.एससी, एम.कॉम, एम.फार्मा, एम.एड आदि]	820	530
समूह III	स्नातक डिग्री के लिए अन्य सभी पाठ्यक्रम समूह I और II के तहत कवर नहीं किया गया बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि।	570	300
समूह IV	सभी पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री [व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, 3 वर्ष पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि]	380	230
	उपर्युक्त के अलावा, अजजा के दिव्यांग छात्रों के लिए 160 रूपये से लेकर 240 रूपये तक का प्रावधान किया गया है।		

ii. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ते का प्रावधान है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह विद्यार्थियों के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

iv. राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और इन्हें समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

8.29 निधियन पद्धतिः स्कीम राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है। बिना विधानमण्डल के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100% केन्द्रीय अंश है।

8.30 कार्य–निष्पादनः 1563.08 करोड़ रुपये की राशि (31–12–2020 तक) (अंब्रेला स्कीम के सामान्य घटक) के बजट आवंटन की तुलना में 1900 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2018–19 से 2020–21 (31–12–2020 तक) के दौरान राज्य–वार लाभार्थियों तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक–8घ** में दिया गया है।

8.31 डीबीटी पोर्टल ई–पहल

जैसा कि डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय द्वारा अधिदेशित है, जनजातीय कार्य मंत्रालय 'डीबीटी' – पोर्टल विकसित करने वाला पहला मंत्रालय है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई प्री और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थी डेटा एकत्र करने और उससे मिलान के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है। इसमें 3 मुख्य मॉड्यूल हैं जैसे डेटा मॉड्यूल, संचार और निगरानी मॉड्यूल। 'डेटा मॉड्यूल' में राज्यों को वेब सेवाओं, एक्सेल/सीएसवी फाइल के माध्यम से या राज्य की आईटी क्षमता के आधार पर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि के माध्यम से ऑनलाइन लाभार्थी डेटा साझा करने की सुविधा दी गई है। जैसा कि पोर्टल जून 2019 में शुरू किया गया था, वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए 50 लाख लाभार्थियों के बारे में डेटा को राज्यों द्वारा अपलोड किया गया है। जैसा कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपने – अपने पोर्टल हैं, विभिन्न डेटाबेस और विभिन्न प्रारूप का उपयोग करते हुए, राज्यों द्वारा डेटा साझा करने के लिए एक 31 क्षेत्रीय सामान्य प्रारूप को डिजाइन किया गया है। राज्यों को पूरे और सही डाटा को अपलोड करने के लिए निरंतर आग्रह और प्रयासों की आवश्यकता है। एनआईसी के तहत सेंटर फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए) को डेटा का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। "राज्यवार डेटा (स्टेट वाइज) विश्लेषण सहित डेटा एनालिसिस रिपोर्ट" राज्यों के साथ साझा की जाती है। नियमित वीसी के माध्यम से राज्यों के साथ ऑनलाइन और नियमित बैठकें की जाती हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्य का दौरा और इसके विपरीत दौरे होते हैं। डेटा का मानकीकरण, और शुद्ध और सही डेटा प्राप्त करना एक विशाल प्रक्रिया है, जिसे समर्पित टीम द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ निरंतर अनुसरण की आवश्यकता होती है।

राज्य डीबीटी पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" में प्रश्न, दस्तावेज उपयोग प्रमाणपत्र, तेजी से पत्राचार पर व्यय का विवरण अपलोड कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण नोटिस और पत्राचार पोर्टल के माध्यम से भेजे जाते हैं और इसमें थोक में (बल्क) संदेश भेजने की सुविधा होती है। मॉनिटरिंग के लिए "मॉनिटरिंग मॉड्यूल" में राज्य वार, संस्थान वार, लिंग वार, विषय (स्ट्रीम) वार रिपोर्ट जैसे विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की सुविधा है। ई–पहल के परिणाम स्वरूप मैनुअल यूसी आधारित मोड से डेटा आधारित ऑनलाइन मोड के प्रतिमान में बदलाव हुआ है। डेटा संग्रह प्रक्रिया का मानकीकरण है और निधियां जारी करने के लिए डेटा साझाकरण अनिवार्य है। जारी निधियों की मैपिंग और उनके उपयोग का प्रावधान है। इसने राज्यों के साथ संचार में सुधार किया है और बजट रिलीज प्रक्रिया में तेजी लाई है। जिन राज्यों ने जीएफआर और डेटा आवश्यकता का अनुपालन किया है उन्हें 2019–20 तक बकाया राशि जारी की गई है और शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के लिए अधिकांश राज्यों को 25% –50% निधियां जारी की गई है। मंत्रालय का प्रयास प्रवेश की तारीख (शैक्षणिक वर्ष में) और छात्रवृत्ति जारी करने के बीच के समय के अंतराल को डीबीटी मोड के माध्यम से कम करना है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.32 उद्देश्यः इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु वित्तीय सहायता के रुप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है । यह योजना वर्ष 2005–06 से शुरु की गई है ।

8.33 कवरेजः यह स्कीम निम्नानुसार भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों को कवर करती है:–

i. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) /

2(8) / 1 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल मानद गए विश्वविद्यालयों पर विचार किया जायेगा तथा वे यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

iii. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निधि पोषित विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

iv. राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान

अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:—

क.	एम.फिल का नामांकन	2 वर्ष
ख.	विशेषत: पीएचडी	5 वर्ष
ग.	एम.फिल पूरी होने के पश्चात पीएचडी में नामांकन	2 वर्ष (एम.फिल) तथा 3 वर्ष (पीएचडी)

8.34 निधियन पद्धति: यह एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है और पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। अध्येतावृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:

निधियों को सीधे ही स्कॉलर के एकाउन्ट में यूजीसी द्वारा 2011 से नामित अधिकृत केनरा बैंक के माध्यम से अन्तरित किया जाता है। छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी होने के लिए तिमाही जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

कोर्स	राशि (रु.)	आकस्मिकता	एचआरए	एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता
एम.फिल	प्रतिमाह 25000/— रूपये	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 10,000/— रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 12,000/— रूपये	विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामले में प्रतिमाह 2000/— रूपये
पीएचडी	प्रतिमाह 28000/— रूपये	i. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 20,500/— रूपये ii. विज्ञान, इंजिनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 25,000/— रूपये		

8.35 प्रमुख विशेषताएं :

- इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस स्कीम में आय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय 5487 शोध छात्रों को निधियां जारी कर रहा है जिन्होंने 2011 से 2019 तक 331 विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है। 2020—21 शैक्षिक वर्ष के लिए चयन प्रक्रिया जारी है।

8.36 कार्य–निष्पादन: वर्ष 2020–21 के दौरान 31.12.2020 तक 100.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 86.24 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई थी (उच्च श्रेणी) छात्रवृत्ति घटक सहित)।

8.37 ई–पहलें (राष्ट्रीय जनजातीय अध्येयतावृत्ति पोर्टल): चयन प्रक्रिया पारदर्शी मेरिट आधारित हैय और समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nfs.aspx (फैलोशिप पोर्टल) के माध्यम से प्रबंधित होती है। सितंबर में विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के चयन और संवितरण की प्रक्रिया उसी शैक्षणिक वर्ष में पूरी हो। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2020–21) के दौरान, पोर्टल 20.12.2020 तक खुला था और 1996 छात्रों ने आवेदन किया है ।

8.38 डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण: आवेदन पत्र में, छात्रों को आधार, आय, जाति, जन्म और अंक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्थानों द्वारा जहां उन्होंने प्रवेश लिया है सत्यापित किया जाना आवश्यक है ।अधिकांश राज्य और सरकारी एजेंसियां, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित डिजी–लॉकर पर ऐसे दस्तावेज अपलोड कर रही हैं। ऐसे दस्तावेज प्रामाणिक हैं और आगे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष के दौरान, अध्ययेतावृत्ति (फैलोशिप) और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (ओवरसीज स्कॉलरशिप) पोर्टल्स दोनों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। छात्र उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ डिजी–लॉकर और छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करता है। डिजी–लॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज स्वचालित रूप से प्राप्त होते हैं और आवेदन पत्र पर दिखाई देते हैं। डिजी–लॉकर पर कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, छात्र के पास इसे आवेदन पत्र में मैन्युअल रूप से अपलोड करने का विकल्प होता है। इसने नकली और फर्जी दस्तावेजों को अपलोड करने से रोका है और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

8.39 फैलोशिप पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरण: सभी विश्वविद्यालय जहां 5487 छात्र (स्कॉलर) अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, को फैलोशिप पोर्टल के साथ "सत्यापन मॉड्यूल" के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पंजीकृत नोडल अधिकारी डिजी–लॉकर पर उपलब्ध दस्तावेजों और स्कॉलर द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं और आवेदन को डिजिटल रूप से अनुमोदित या अस्वीकार कर सकते हैं। इसका परिणाम समय की बचत और धोखाधड़ी सत्यापन की जांच और इसे रोकना हुआ हैं। विश्वविद्यालयों के पास लंबित आवेदनों को मॉनीटर करने की सुविधा भी है और सत्यापन में तेजी लाने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

8.40 शिकायत निवारण और संचार तंत्र: तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स, अर्थात, छात्र, विश्वविद्यालय, कैनरा बैंक (संवितरण के लिए अधिकृत बैंक) और डिजी लॉकर को फेलोशिप पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। यह न केवल त्वरित शिकायत निवारण में मदद करता है, बल्कि सभी हितधारकों से बल्क संदेशों और मेल के माध्यम से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इन ई–पहलों ने प्रसंस्करण समय और मैनुअल हस्तक्षेप को कम कर दिया है। पदानुक्रम में सभी अधिकारी प्रश्नो/शिकायत की लंबित स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रश्नों को 24 घंटे में हल किया जाए। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को प्रश्न के आधार पर सिलसिलेवार (थ्रेड–आधारित क्वेरी) अपडेट किया जाता है। छात्रों को उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा रिमोट एक्सेस के माध्यम से निरंतर सहायता (हैंडहोल्डिंग) भी प्रदान की जाती है।

8.41 जनजातीय प्रतिभा पूल (ट्राइबल टैलेंट पूल): जनजातीय कार्य मंत्रालय फेलोशिप स्कीम में एमफिल और पीएचडी करने के लिए 5487 शोध छात्रों (रिसर्च स्कॉलर्स) को निधि प्रदान कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के जनजातीय छात्र (स्कॉलर), चुनिंदा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जनजातीय प्रतिभाओं से जुड़ने के लिए, उनके हित के क्षेत्रों को समझने और उद्यमियों, शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। शोधकर्ता के लिए पहली पारस्परिक (इंटरैक्टिव) 3–दिवसीय

कार्यशाला का आयोजन 3 से 5 दिसंबर, 2019 तक दिल्ली में किया गया था, जहां जेएनयू, डीयू, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जामिया मिलिया जैसे 7 विश्वविद्यालयों के 57 छात्रों ने भाग लिया था। कार्यशाला में सचिव और छात्रवृत्ति प्रभाग के अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र था और छात्रों को योजना में सुधार के लिए अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा करने के लिए कहा गया था। कंप्यूटर–असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) सॉफ्टवेयर के उपयोग व शोध कौशल में सुधार और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध संकाय द्वारा तकनीकी सत्र किए गए थे। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को जानने के लिए गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया था। समूह चर्चा और प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके संचार और प्रस्तुति कौशल का विश्लेषण किया गया। इसके बाद हरियाणा में रेवाड़ी (डिजिटल गांव) के एक क्षेत्र का दौरा किया गया, जहां उन्हें सीएपीआई के अनुभव को बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, उनके शोध कौशल में सुधार करना, छात्रों से संबंधित मुद्दों को समझना, उनकी रुचि और आकांक्षाओं और क्षमता निर्माण के क्षेत्र को जानना है।दूसरी पारस्परिक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 28 और 29 फरवरी 2020 को आयोजित की गई जिसमें 350 छात्रों ने भाग लिया। तीसरी कार्यशाला का आयोजन वीडिओं कान्फ्रेस के माध्यम से 13–14 अगस्त 2020 को आयोजित की गई जिसमें 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया । चौथी कार्यशाला का आयोजन विशेषकर पूर्वोत्तर के विद्वानों के लिए 13 अक्तूबर 2020 को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया गया जिसमें 700 विद्वानों ने भाग लिया । 5वीं कार्यशाला 04 दिसंबर 2020 को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से की गई जिसमें 200 विद्वानों ने भाग लिया । इसके अलावा स्कीम के तहत 04 से 05 नवंबर 2020 तक आयोजित 'राष्ट्रीय वर्चुअल कान्फ्रेंस ऑन एम्पॉवरमेंट ऑफ ट्राइबल वीमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डिवेलपमेंट' में 40 अनुसंधान विद्वान उपस्थित हुए।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी) स्कीम (स्नातक स्तर):

8.42 उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 246 संस्थानों की चुनिंदा सूची में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनकी, पैतृक आय 6.00 लाख रूपये से कम है। यह स्कीम 2007–08 में शुरु की गई है। प्रत्येक वर्ष नई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या वित्तीय वर्ष 2015–16 से 1000 है।

8.43 प्रमुख विशेषताएं:

(i) सभी स्रोतों से अजजा विद्यार्थियों की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सरकार/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय योग्य देयताओं को कवर करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, निजी संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।

(iii) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% आधार पर वित्त–पोषित है तथा निधियां संबंधित लाभार्थी/संस्थान के बैंक खाते में सीधे निर्मुक्त की जाती है।

(iv) (उच्च श्रेणी) छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता।

संघटक	विवरण
ट्यूशन फीस	सरकार/सरकारी निधि–पोषित संस्थानों के संबंध में पूरी ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिपूर्ति देय
पुस्तकें और स्टेशनरी	रू. 3000/– की दर से
निर्वाह खर्च	रू. 26400/– प्रति वर्ष
कंप्यूटर और अनुषंगी उपकरण	रू. 45000/– कार्यअवधि के दौरान एक बार सहायता)

8.44 कार्य निष्पादन: वर्ष 2020–21 के दौरान 100.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 86.24 करोड़ रूपए का व्यय (31.12.2020 तक) किया गया था (अध्येतावृत्ति घटक सहित)।

8.45 ई–पहलें (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल): चयन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://scholarships.gov.in के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के लिए, यह पोर्टल 20–01–2021 तक खुला रहा है और 06–01–2021 तक

1559 नए उम्मीदवारों और 1893 शामिल छात्रों ने आवेदन किया था। नए उम्मीदवारों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद, अंतिम मेरिट सूची सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाई जाएगी, जो चयन के मानदंडों को भी तय करती है। चयन वष 2019–20 में, इंजीनियरिंग से 82.3%, मानविकी से 4.7%, विज्ञान से 5.5 % और प्रबंधन से 7.5% छात्र चुने गए। धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र आधार लिंक्ड बैंक खाते और संस्थान खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। विश्वविद्यालयों और छात्रों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्यवार, संस्थान वार, लिंग वार, विषय (स्ट्रीम) वार रिपोर्ट जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों के लिए सुविधा है।

8.46 सकारात्मक कार्रवाई: 2019–20 में, क्योंकि इस योजना में केवल 1000 स्लॉट थे और इस योजना में कुल आवेदन 2400 थे। पीएमओ की पहल पर, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई के साथ बैठक की गई और उन छात्रों की मदद करने के लिए जो 1000 स्लॉट में चयनित नहीं हो सके की सहायता के लिए आगे आने को कहा गया । फिक्की कुछ कॉरपोरेट्स से जनजातीय कार्य मंत्रालय को जोड़ सकता है, जिन्होंने मेडिकल कोर्स करने वाले 25 छात्रों की मदद करने की पेशकश की है। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने भी चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अपनी अभिरुचि दिखायी है । उन्होनें छात्रों से सम्पर्क किया है।

8.47 ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन: छात्रवृत्ति योजना के तहत मंत्रालय के पीएफएमएस ईएटी (व्यय अग्रिम हस्तांतरण) मॉड्यूल पर 163 राष्ट्रीय संस्थान हैं और इससे फंड की निगरानी सुदृढ़ हुई है।

8.48 शिकायत निवारण और संचार तंत्र: तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए छात्रों और संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। इससे न केवल त्वरित शिकायत निवारण में मदद मिलती है, बल्कि संदेशों और मेल के माध्यम से सभी हितधारकों से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इन ई–पहलों ने प्रसंस्करण समय और मैनुअल कार्रवाई को कम कर दिया है। पदानुक्रम में सभी अधिकारी लंबित पूछताछ/शिकायत निगरानी कर सकते हैं। छात्रों को रिमोट एक्सेस के माध्यम से, उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा निरंतर मार्गदर्शन/सहायता (हैंडहोल्डिंग) भी प्रदान की जाती है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रावृत्ति (एनओएस) स्कीम:

8.49 उद्देश्य : इस स्कीम का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8.50 कार्य क्षेत्र: विदेश में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्क्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.51 मुख्य विशेषताएं :

i. यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता–पिता/अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

ii. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली संगत स्नातक डिग्री वांछनीय है तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। एम.फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/एम.फिल डिग्री वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के पास डॉक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव हो।

iii. उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

छात्रवृत्ति और अन्य भत्तों की दरें: –

घटक	यूके डॉलर/यूके पाउंड में राशि
i). ट्यूशन फीस	वास्तविक के अनुसार
ii). वार्षिक रखरखाव भत्ता	$ 15,400 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 9,900 (यूके के लिए)
iii). वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	$ 1532 (यूके को छोड़कर यूएसए और अन्य देश) £ 1116 (यूके के लिए)
iv). प्रसांगिक यात्रा व्यय	$ 18.70 तक
v). पोल टैक्स, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई मार्ग की लागत, स्थानीय यात्रा, वीजा शुल्क	वास्तविक, जहाँ कहीं लागू हो

8.52 यात्रा अनुदान: इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा पीवीटीजी अभ्यर्थियों को चार 'वार्षिक यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रतिभा–छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं ,जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है। इस योजना में इकोनॉमी–क्लास द्वारा भारत से / में आने–जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.53 निधियन प्रतिमान: चयनित अभ्यार्थियों को विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधे अनुदान दिए जाते हैं।

8.54 कार्य–निष्पादन: वर्ष 2020–21 के दौरान 20 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2019–20 के लिए किया गया है तथा वर्ष 2020–21 के लिए भी विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के लिए 2.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2020 तक 1.89 करोड़ रूपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

8.55 ई–पहलें (राष्ट्रीय समुद्रपारीय पोर्टल): चयन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से प्रबंधित की जाती है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के दौरान, पोर्टल 30.10.2020 को बंद कर दिया गया था और 215 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। यह पोर्टल डिजी लॉकर के साथ भी एकीकृत है। पात्र छात्रों के आवेदनों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा ऑनलाइन जांच की जाती है और 20 उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति द्वारा चुना जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल व प्रबंधन और कला संकाय के 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं। प्रश्नों और शिकायतों को हल करने के लिए, छात्रों को संचार मॉड्यूल पर पंजीकृत किया गया है और पोर्टल के माध्यम से प्रश्नों को ऑनलाइन हल किया जाता है। ऐसे सभी छात्रों और शिकायतों के डेटा बेस की निगरानी ऑनलाइन की जाती है, जो शिकायत के निवारण और ऑनलाइन संचार में तेजी लाने में मदद करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इन छात्रों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए इन देशों में भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करता है।

8.56 प्रदर्शन डैशबोर्ड– "जनजातियों का सुदृढीकरण–भारत परिवर्तन" : डैशबोर्ड, अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने की दिशा में डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है और प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाएगा। प्रदर्शन डैशबोर्ड एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें एसडीजी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की 11 योजनाओं/पहलों के अद्यतन और वास्तविक समय के विवरण को दर्शाया जाता है। यह पोर्टल श्री अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग और श्री रमेश चंद, सदस्य नीति आयोग द्वारा 10 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। डैशबोर्ड को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा (http://dashboard.tribal.gov.in) डोमेन के नाम से विकसित किया गया है। सभी योजनाओं और पहलों के लिए, जिला स्तर तक की जानकारी संकलित की गई है और इंटरेक्टिव मानचित्र पर दिखाई गई है। डैशबोर्ड मंत्रालय की

छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन पर कब्जा कर लेता है, जिसमें हर साल लगभग 30 लाख वंचित एसटी लाभार्थियों को भारतीय मुद्रा 2500 करोड़ का लाभ मिलता है। यह मंत्रालय की अन्य योजनाओं का विवरण भी प्रदर्शित करता है। डैशबोर्ड में मंत्रालय की विभिन्न ई–पहलों के लिंक भी दिए गए हैं।

8.57 उमंग ऐप: नेशनल फेलोशिप स्कीम और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को 'इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उमंग' के साथ एकीकृत किया गया है। छात्र, अब इन स्कीमों के तहत आवेदन भरने और देखने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

*****

अध्याय 9

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

9.1 अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि–पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–9 क** में दी गई है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी घटती आबादी की प्रवृत्ति की रोकथाम को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। अतः पीवीटीजी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित तथा 'राज्य योजना' स्कीमों से पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1998–99 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय क्षेत्र की एक अलग योजना आरंभ की गई थी। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त जानकारी और अनुभव के आधार पर इसे दिनांक 17.09.2019 से संशोधित किया गया है।

कार्यक्षेत्र

9.3 इस योजना में केवल 75 चिह्नित 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकास गतिविधि जैसे कि आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों और जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशा–निर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रबंध नहीं किया जाता है। निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

योजना का कार्यान्वयन

9.4 संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती है और मंत्रालय की परियोजना आंकलन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इन्हें अनुमोदित की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि वे अपने राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। एक ही क्षेत्र में उपायों की पुनरावृत्ति से बचना है। नवीन योजनाओं और प्रक्रिया विधियों के माध्यम से प्रदायगी (संवितरण) तंत्र को सुदृढ़ किया जाना है।

संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/वार्षिक योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.5 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना आकलन समिति (पीएसी) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/वार्षिक योजना के प्रस्तावों की जांच करती है और उनके तहत संगत क्रियाकलापों के लिए निधि का अनुमोदन करती है।

9.6 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर 13 राज्यों नामतः आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को विभिन्न परियोजनाएं करने के लिए निधियां जारी की गई हैं।

9.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरा होने की समय–सीमा प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति की निगरानी (मॉनीटरिंग) कुशलता से की जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था की जाती है और संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यान्वयन अभिकरण (एजेंसी)

9.8 इस योजना को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है।

निधियन पद्धति

9.9 यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजित योजना है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप राज्यों को एक या अधिक किस्तों में निर्मुक्त की जाती हैं।

अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) और मूल्यांकन

9.10 योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा/अथवा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। किसी भी समय प्रगति की निगरानी में सुधार के लिए प्रपत्र अथवा दिशा–निर्देश निर्धारित करने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु उन्हें बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और नीति आयोग के लिए के.पी.एम.जी. द्वारा किया गया है। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- सभी राज्यों को सीसीडी योजना के तहत सूक्ष्म योजना परियोजनाओं का गठन करना चाहिए, जिसमें न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाए बल्कि पारंपरिक आजीविका और कौशल विकास को भी मजबूत किया जाए। सीसीडी योजनाओं में 3 से 5 वर्ष का दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए।
- पीने के पानी और स्वच्छता का प्रावधान, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण और पीवीटीजी आवास की सभी मौसम सड़कों के साथ कनेक्टिविटी।
- पीवीटीजी समुदायों के लिए उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए मानदंडों में छूट।
- जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान के साथ यह उल्लेख करने के लिए कि व्यक्ति मिशन मोड में पीवीटीजी समुदाय से है।
- पीवीटीजी क्षेत्रों में एमएफपी को एमएसपी योजना का कार्यान्वयन ताकि वन उपजों का उचित मूल्य सुनिश्चित हो।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वास अधिकारों की मान्यता।

आवंटन और व्यय

9.11 गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत किया गया आवंटन तथा निर्मुक्ति / व्यय **तालिका 9** में दिया गया हैः—

तालिका 9: वर्ष 2018—19 से वर्ष 2020—21 के दौरान आवंटन एवं निर्मुक्तियां 31 / 12 / 2020 तक

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय/निर्मुक्ति	जनवरी–मार्च 2021 के लिए प्रक्षेपण/अनुमान
2018-19	260.00	250.00	250.00	-
2019-20	250.00	250.00	249.99	-
2020-21 (31.12.2020 तक)	250.00	140.00	71.76	68.23

वर्ष 2020—21 के दौरान (31.12.2020 तक) 13 राज्यों को 71.76 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2018—19 से 2020—21 (31.12.2020) के दौरान इस स्कीम के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य– वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक—9ख** में दिया गया है।

*****

अध्याय 10

अनुसंधान, आसूचना और जनसंचार

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन

10.1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित व प्रशासनिक तौर पर समर्थित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित वित्तीय मानकों और चिह्नित उपायों के साथ "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि टीआरआई को साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कमोबेश विचारक–मण्डल (थिंक–टैंक) तथा अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

10.2 योजना की कवरेजः

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप तथा जम्मू एवं कश्मीर में टीआरआई कार्य करते हैं।

10.3 दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार "टीआरआई को समर्थन" की स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः–

10.3.1 अवसंरचना निर्माण

क. टीआरआई/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन।

ख. दैनिक रख – रखाव जैसे, गृह – व्यवस्था (हाउस–कीपिंग), दिन–प्रतिदिन का रख–रखाव, उपयोगिता बिल आदि को छोड़कर विद्यमान टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. वास्तविक संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए समर्थन।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए समर्थन।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय भोजन (फूड) कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी की प्रर्दशनी–सह–बिक्री केन्द्र, स्मारक इत्यादि स्थापित करना।

10.3.2 अनुसंधान तथा प्रलेखन (श्रव्य/दृश्य/आभासी वास्तविक (वीआर)/विस्तृत वास्तविकता (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित)

(क) जनजातीय कल्याण उपाय

(ख) सफलता की कहानियां

(ग) जनजातीय प्रोफाइल

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कारीगिरी, परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कथाएं तथा कहानियां, जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशेष लक्षण

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी तथा मूल्यांकन

(च) स्थानीय जनजाती भाषाओं में प्रवेशिकाओं का विकास तथा मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.3.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण:

(क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 सहित अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि अधिनियमित किए हैं।

(ख) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी कार्यकर्ताओं तथा जनजातीय प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माण–कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

(घ) विभिन्न जनजातीय संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा कार्यशालाएं कराना।

(ड.) विचारक–मण्डल (थिंक टैंक) संबंधी कार्यकलाप।

10.3.4 राज्यों में कई जनजातीय उत्सव/यात्राएं आदि मनाई जाती हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए प्रचार किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत अनुपूरक समर्थन प्राप्त करने के लिए टीआरआई ऐसे उत्सवों/त्यौहारों को प्रस्तावित कर सकता है।

10.3.5 "जनजातीय लोगों द्वारा दौरे का आदान–प्रदान" आयोजित करना: जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य/देश के अन्य भागों के लिए यात्राओं के आदान–प्रदान का प्रबंध करेगा। यात्रा करने वाले समूहों में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं जिनमें महिलाओं तथा अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इसके उद्देश्य में संस्कृति तथा परम्पराओं का वृहत् परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना, अन्य क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास/सर्वोत्तम प्रक्रिया के बारे में जानना तथा यह देखना कि टीआरआई का और अधिक दक्षता के साथ कैसे प्रबंध किया जा सकता है तथा यह देखना कि मूल संस्कृति आदि खोए बिना कैसे सामाजिक–आर्थिक विकास किया जा सकता है, शामिल होना चाहिए।

10.3.6. नवीन परियोजनाएं / पहलें / कार्यकलाप जो जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों की सहायता कर सकते हैं।

10.4. "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" स्कीम के तहत निधियन

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में आवश्यकताओं की कोई एकरूपता नहीं है। कुछ टीआरआई के अपने स्वयं के भवन हैं, कुछ अन्य किराए के भवनों में चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ टीआरआई में पुस्तकालय, संग्रहालय आदि हैं, दूसरी तरफ कुछ अन्य में ये नहीं हैं। अतः राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु कठोर मानक निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इस योजना के तहत निधियन सर्वोच्च समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान होगी। टीआरआई बजटीय आवश्यकता के साथ वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों की स्थिति **अनुलग्नक–10क** पर दी गई है। टीआरआई का ब्यौरा **अनुलग्नक– 10ख** में दिया गया है।

10.5 सर्वोच्च स्तरीय समिति:

सर्वोच्च स्तरीय समिति टीआरआई द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत वार्षिक योजना का अनुमोदन करेगी तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सर्वोच्च समिति द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च समिति का गठन निम्नानुसार है:

1.	सचिव, जनजातीय कार्य	अध्यक्ष
2.	सयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, टीआरआई मामलों के प्रभारी	सदस्य
3.	सयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति घटक के प्रभारी	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, कौशल विकास मंत्रालय	सदस्य
8.	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव/ आयुक्त (प्रभारी), जनजातीय विकास	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य टीआरआई	सदस्य
11.	निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

10.6 उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) को सहायता अनुदान

मंत्रालय ने अनुसंधान संस्थानों और संगठनों को देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालीन और नीति आधारित व कार्रवाई अनुसंधान अध्ययनों के लिए 'उत्कृष्ट केन्द्रों' के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:

मंत्रालय द्वारा 31.12.2020 तक मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) का नाम
1	भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र, वडोदरा, गुजरात
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला
3	बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे, महाराष्ट्र
4	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
5	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
6	अमृत विश्व विद्यापीठम, केरल
7	इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), तेलंगाना

क्र.सं.	उत्कृष्टता केन्द्र का नाम (सीओई)
8	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक
9	वंजीवन, एनएसटीएफडीसी
10	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली
11	मानव विकास संस्थान, दिल्ली
12	काउंसिल ऑफ एनालिटिक्ल ट्राइबल स्टडीज (सीओएटीएस), ओडिशा
13	अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, भोपाल
14	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल
15	इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट जेनेटिक्स एण्ड ट्री ब्रीडिंग (आईएफजीटीबी), तमिलनाडु
16	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फारमेसीयूटिक्लस एजूकेशन एण्ड रिसर्च (एनआईपीईआर), गुवाहाटी
17	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-सोशल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (आईबीआरएडी), कोलकाता
18	उर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली
19	सीईडीए, एनआईसीएसआई, नई दिल्ली
20	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति (सीएसएसईआईपी) के अध्ययन के लिए केंद्र - कर्नाटक
21	मातृसेवा संघ सामाजिक कार्य संस्थान, नागपुर
22	भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ), नई दिल्ली
23	प्रवर आयुर्विज्ञान संस्थान, लोनी
24	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
25	हिम्मोथन सोसायटी, देहरादून, उत्तराखंड
26	पतंजलि अनुसंधान संस्थान, देहरादून
27	एसईसीएमओएल - लद्दाख
28	फिक्की - सामाजिक आर्थिक एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
29	उत्तर-पूर्व अध्ययन और नीति अनुसंधान (सीएनईएसपीआर) केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), दिल्ली
30	व्यक्ति विकास केंद्र भारत (वीवीकेआई), बेंगलुरु
31	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
32	पिरामल स्वास्थ प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (पीएसएमआरआई), हैदराबाद।
33	श्री श्री कृषि विज्ञान संस्थान और प्रौद्योगिकी ट्रस्ट (एगीकल्चर ट्रस्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविगं इंटरनैशनल फाउन्डेशन), बेगलुरू
34	वाणिज्य और उद्योग, एसोसिएटेड चैंबर्स (एसोचैम) नई दिल्ली
35	दिशा फाउंडेशन, नासिक
36	एएफसी फाउंडेशन, नई दिल्ली
37	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता

10.6.1 जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की संस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करने तथा इन्हें सुदृढ़ करने के लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10.7 अखिल भारतीय या अंतर राज्य प्रकृति की सहायक परियोजनाएं

इस घटक के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों में संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार–प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10.8 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100% वित्तीय सहायता अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों/गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। परियोजनाओं/प्रस्तावों की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति (आरएसी)/सीओई पर समिति द्वारा चयन किया जाता है। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति का संयोजन निम्नानुसार है :

1.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3.	निदेशक / उप सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
4.	निदेशक / उप सचिव (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	निदेशक / उप सचिव (जनजातीय अनुसंधान संस्थान), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

10.9 कार्यशाला/सेमिनार के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं / गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रुपए में)
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिनों के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/-

10.10 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं/विद्वानों को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय अधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000/– रुपए की सहायता दी जाती है।

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.11 जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) कोविड –19 महामारी के कारण वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय महोत्सव का आयोजन नहीं कर सका। हालाँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से एक वर्चुअल जनजातीय महोत्सव (ट्राइबल फेस्टिवल) का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 1 दिसंबर, 2020 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

*****

MARKETPLACE
tRIBES India
Ministry of Tribal Affairs
Government of India
TRIFED
Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.
Ministry Of Tribal Affairs, Government of India
PRESENTS
go tribal
virtual
aadi mahotsav
by
Shri Arjun Munda
(Hon'ble Union Minister for Tribal Affairs, Government of India)
will preside
In the august presence of
Smt. Renuka Singh
&
Ms Meena Singh
Shri Ramesh Chand Meena
(Chairman, TRIFED)

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL TRIBAL FESTIVAL
VIRTUAL AADI-MAHOTSAV-2020
Madhya
Pradesh
1 Dec-10 Dec 2020
www.tribesindia.com

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 संगठनः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) 10.04.2001 को अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

मिशन

11.2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

उद्देश्य

11.3 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कार्य

11.4 एनएसटीएफडीसी के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैंः–

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा राज्यीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त सहायता प्रदान करना।

अंश पूंजी

11.5 निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपये है और दिनांक 31.12.2020 तक प्रदत्त पूंजी 750 करोड़ रुपये थी।

पात्रता मानदण्ड

11.6 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं: –

क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
- आवेदनकर्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

ख. सहकारी समितियां: कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

ग. गरीबी रेखा से दुगनी (डीपीएल) से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक दरों से 2 प्रतिशत कम है।

स्कीमें

11.7 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:–

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत प्रमुख स्कीमें:

- **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त (मार्जिन) धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह स्कीम केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस स्कीम के तहत एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु (माइक्रो) ऋण योजना:** यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 50,000/–रु. और प्रति स्व–सहायता समूह 5.00 लाख रु. ऋण प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इस स्कीम के लिए ब्याज–सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के एक वर्ष या छह माह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।
- **जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय

सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस स्कीम के तहत एनएसटीएफडीसी, लाभार्थियों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

ख. विपणन समर्थन सहायता

निगम लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड सरसरी तौर पर इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधि ऋण योजना	50.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से ऊपर) (उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	2 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ)	प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	10 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	2 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	2%	4%

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- **कौशल तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए:**

स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11.8 निगम का निष्पादन

क. संस्वीकृतियां: निगम ने दिनांक 31.12.2020 तक 37,152 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए आय सृजनकारी कार्यकलापों के तहत 134 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें इसकी हिस्सेदारी 241.22 करोड़ रुपए है।

ख. संवितरणः निगम ने 55,902 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 31.12.2020 तक 65.14 करोड़ रुपए निर्मुक्त किये हैं। इसमें मियादी ऋण के तहत 57.53 करोड़ रूपए और लघु (माइक्रो) ऋण योजना के तहत 5.81 करोड़ रूपए का संवितरण शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–11** में दर्शायी गई है।

वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.9 निगम ने दिनांक 17.11.2020 को वर्ष 2020–21 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के लिए लक्ष्य/मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं।

*****

अध्याय 12

जनजातीय उपज के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास

12.1 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास" वर्ष 2013–14 में प्रारंभ की गई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो उन एमएफपी संग्रहकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षोपाय के रूप में आरंभ की गई जो अनुसूचित जनजातियों के मुख्यतः सदस्य हैं।

12.2 यह स्कीम एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में उनके (अजजा के) प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। यह लागत में कमी के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में से उन्हें राजस्व का हिस्सा दिलाने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का भी समाधान करना है।

12.3 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन का प्रचालन निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। स्कीम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एमएफपी के निर्धारित एमएसपी से बाजार मूल्य कम हो जाने पर यह सक्रिय हो जाती है। इसके साथ–साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रह, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास तथा ग्राम सभा/पंचायत के मोल–भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्कीम के तहत आदिवासियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, दिनांक 01.05.2020 की अधिसूचना के अंतर्गत 50 पूर्व अधिसूचित मदों की एमएसपी में संशोधन किया। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत एमओटीए की अधिसूचना दिनांक 26.05.2020 के तहत अखिल भारतीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमएफपी मदों में 23 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल कर लिया है, इस प्रकार वर्तमान स्कीम में 73 मदें शामिल हैं।

योजना का कार्यान्वयन

12.5 प्रारंभ में, इस स्कीम के तहत 9 पेसा राज्यों की 10 एमएफपी शामिल थीं। बाद में इसे सभी राज्यों में और 50 एमएफपी तक विस्तारित किया गया। यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एसएलए के लिए एक परिक्रामी निधि प्रदान करता है। नुकसान, यदि कोई हो, तो उसे केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। वर्तमान में, इस स्कीम में 73 वस्तुएं शामिल हैं । दिनांक 26.05.2020 तक एमएसपी सूची में शामिल कुछ वस्तुओं के लिए एमएसपी दरें केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू हैं।

राज्य स्तरीय समर्थन कार्यशाला

12.6 राज्यों के नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और अन्य हितधारकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एमएफपी स्कीम के लिए एमएसपी और वन धन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हें इस योजना के तहत भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय समर्थन/सहायता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ताकि स्कीम के दायरे का लाभार्थियों तक अधिक से अधिक विस्तार किया जा सके। "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) स्कीम – को अगले आयाम तक ले जाने'' के मुद्दे पर ट्राइफेड द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से राज्य स्तरीय समर्थन/सहायता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 01.05.2020 और 26.05.2020 की अधिसूचना के माध्यम से 73 वस्तुओं के लिए नयूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 12.1** में दिया गया है।

तालिका 12.1 : वस्तु–वार न्यूनतम समर्थन मूल्य

(₹ प्रति कि.ग्राम में)

क्र.सं.	एमएफपी / वस्तुओं के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नई एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति किग्रा)	वर्ग एफ–वन ए–कृषि एस–मसाला	प्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	31	36	–	एफ	अखिल भारत
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	195	225	–	एफ	अखिल भारत
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेंस)	98	114	–	एफ	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	19	22	–	एफ	अखिल भारत
5	साल के बीज (शोरिया रोबुस्टा)	20	20	–	एफ	अखिल भारत
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	25	29	–	एफ	अखिल भारत
7	साल के पत्ते शोरिया रोबुस्टा	30	35	–	एफ	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांजन)	109	126	–	एफ	अखिल भारत
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15	15	–	एफ	अखिल भारत
10 क	रंगिनी लाख	130	200	–	एफ	अखिल भारत
10 ख	कुसुमी लाख	203	275	–	एफ	अखिल भारत
11	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	20	23	–	एफ	अखिल भारत
12	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	23	27	–	एफ	अखिल भारत
13	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	14	16	–	एफ	अखिल भारत
14	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17	17	–	एफ	अखिल भारत
15	पहाड़ी झाड़ू घांस (थायसानोलेना मैक्सिमा)	30	50	–	एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी / वस्तुओं के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नई एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति किग्रा)	वर्ग एफ–वन ए–कृषि एस–मसाला	प्रयोज्यता
16	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	43	50	–	एफ	अखिल भारत
17	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	27	30	–	एफ	अखिल भारत
18	नागरमोथा (सायपरस रोटुंडस)	27	30	–	एफ	अखिल भारत
19	शतावरी की जड़ (सुखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	92	107	–	एफ	अखिल भारत
20	गुडमर / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	35	41	–	एफ	अखिल भारत
21	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	33	35	–	एफ	अखिल भारत
22	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	54	63	–	एफ	अखिल भारत
23	गुग्गुल (एक्ज्यूटेड)	700	812	–	एफ	अखिल भारत
24	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	17	30	–	एफ	अखिल भारत
25	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	33	40	–	एफ	अखिल भारत
26	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	36	42	–	एफ	अखिल भारत
27	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	45	52	–	एफ	अखिल भारत
28	भिलावां (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	8	9	–	एफ	अखिल भारत
29	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	12	14	–	एफ	अखिल भारत
30	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	11	13	–	एफ	अखिल भारत
31	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	18	21	–	एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी / वस्तुओं के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नई एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति किग्रा)	वर्ग एफ–वन ए–कृषि एस–मसाला	प्रयोज्यता
32	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	25	29	–	एफ	अखिल भारत
33	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	21	40	–	एफ	अखिल भारत
34	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	18	21	–	एफ	अखिल भारत
35	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	29	34	–	एफ	अखिल भारत
36	वेयबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	81	94	–	एफ	अखिल भारत
37	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीयाफ्लोरिबंडा)	32	37	–	एफ	अखिल भारत
38	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	36	42	–	एफ	अखिल भारत
39	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	19	22	–	एफ	अखिल भारत
40	शीरनी (हेमीडेसमसइंडिकस)	30	35	–	एफ	अखिल भारत
41	बकुल (सूखी छाल) (मीमुसोपसइलेंगी)	40	46	–	एफ	अखिल भारत
42	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स / एच.एनीडायसेन्टेरिका)	27	31	–	एफ	अखिल भारत
43	नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया)	15	17	–	एफ	अखिल भारत
44	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	18	21	–	एफ	अखिल भारत
45	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	39	45	–	एफ	अखिल भारत
46	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	27	31	–	एफ	अखिल भारत
47	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	21	34	–	एफ	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी / वस्तुओं के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नई एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति कि.ग्राम)	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2020 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए नए एमएसपी की दरों की सूची (रु प्रति किग्रा)	वर्ग एफ–वन ए–कृषि एस–मसाला	प्रयोज्यता
48	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	24	28	–	एफ	अखिल भारत
49	सुगंधमंत्री जड़ें / कंद (होमालोमिना एरोमैटिक)	33	38	–	एफ	अखिल भारत
50	वन तुलसी के बीज	–	–	16	एफ	अखिल भारत
51	वन जीरा	–	–	70	एफ	अखिल भारत
52	इमली का बीज	–	–	11	एफ	अखिल भारत
53	बाँस की झाड़ियाँ	–	–	60	एफ	अखिल भारत
54	सूखा आँवला	–	–	60	एफ	अखिल भारत
55	काचरी बहेडा	–	–	20	पी	अखिल भारत
56	काचरी हर्रा	–	–	23	पी	अखिल भारत
57	लाख के बीज	–	–	677	एफपी	अखिल भारत
58	कच्चा चुकंदर	–	–	30	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
59	सूखा चुकंदर	–	–	200	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
60	मशरूम (सूखा)	–	–	300	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
61	काले चावल	–	–	100	ए	पूर्वोत्तर राज्य
62	जोहर चावल	–	–	50	ए	पूर्वोत्तर राज्य
63	राजा मिर्च (किंग चिली)	–	–	300	ए	पूर्वोत्तर राज्य
64	सरसों	–	–	40	ए	पूर्वोत्तर राज्य
65	कच्चा काजू	–	–	450	ए	पूर्वोत्तर राज्य
66	काजू	–	–	800	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
67	अदरक सूखा	–	–	50	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
68	पेरिल्ला	–	–	140	कृषि	पूर्वोत्तर राज्य
69	रोसेला	–	–	200	कृषि	पूर्वोत्तर राज्य
70	माजूफल	–	–	150	कृषि	पूर्वोत्तर राज्य
71	जेंथोक्सिलम सूखा	–	–	200	कृषि	पूर्वोत्तर राज्य
72	कटहल के बीज	–	–	45	कृषि	पूर्वोत्तर राज्य

12.8 स्कीम के तहत खरीद राज्य स्तरीय नामित संगठनों द्वारा स्वसहायता समूहों (एसएचजी) को साथ लेते हुए की जाएगी।

12.9 इस स्कीम में जनजातियों की आजीविका–आय को संवर्धित करने के लिए मूल्यवर्धन पर बल दिया गया है। एमएफपी संग्रहकर्ता अपने उत्पादों के विक्रय से पहले सफाई, सुखाने और घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण जैसे प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह इनकी आय को संवर्धित करता है।

12.10 एमएफपी के लिए एमएसपी की स्कीम के दिशा–निर्देशों में फरवरी 2019 में संशोधन किया गया है ताकि वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके) को प्रोत्साहित किया जा सके।

12.11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, विपणन और ब्रांडिंग गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अब वन धन विकास कार्यकम के रूप में संशोधित किया गया है। यह पहल जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगी।

वर्ष 2019–20 से वन धन योजना के शुभारंभ के माध्यम से एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला घटक का विकास किया जा रहा है। इससे देश भर में वन धन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, यह पूरी तरह से राज्य सरकार के मूल्यांकन की आवश्यकता पर निर्भर होगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल के दोहन और वन धन केंद्रों की सहायता और मार्गदर्शन के साथ जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों के निर्माण और संचालन के माध्यम से जनजातीय ज्ञान को अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में शामिल करना है। ये केंद्र जनजातीय पर्यावासों और आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उपज के मूल्य–संवर्धन और बेहतर विपणन के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक जानकारी, उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करेंगे। वीडीवीके का उद्देश्य एक ऐसे जनजातीय उद्यम का निर्माण करना है, जिसमें जनजाति के संग्रहकर्ताओं (बटोरने वाले)/उद्यमियों का समावेश हो, जो सामूहिक रूप से मूल्य–वर्धित उत्पादों के संग्रह, मूल्य–संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन से संबंधित सभी कार्य करेंगे। इन केंद्रों में मूल्य संवर्धन कार्य और उत्पादों के भंडारण, परिवहन की व्यवस्था, मूल्य वर्धित उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खुदरा विपणन के लिए स्थान की व्यवस्था भी होगी। वे एमआईएस के माध्यम से अपने सदस्यों को विपणन से संबंधित सभी जानकारी भी प्रदान करेंगे।

17.11.2020 तक, ट्राइफेड, जिसे कार्यक्रम के तहत उपयुक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, ने 21 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में 1358 वन धन विकास केंद्रों के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इन में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्य और लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र) शामिल हैं। कार्यान्वयन कार्य राज्य सरकारों द्वारा नामित जिला कार्यान्वयन इकाइयों /राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि यह परिकल्पना की गई है कि जनजातीय उद्यमियों के सृजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे हमारे देश के जनजातीय समुदाय की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

21 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में अनुमोदित/स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों का विवरण **तालिका 12.2** में दिया गया है

तालिका: 12.2 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019–20			2020–21		
		स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	स्वीकृत/अनुमोदित निधि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	स्वीकृत/अनुमोदित निधि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	75	1064	22500	–	–	–
2	असम	50	770	15000	78	1170	23530
3	बिहार *	8	81.5	1630	–	–	–
4	छत्तीसगढ	139	2085	41700	–	–	–
5	गोवा	1	15	300	–	–	–
6	गुजरात	116	1721.2	34424	–	–	–
7	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	10	150	3000	–	–	–
8	झारखंड	39	569.7	11601	–	–	–
9	कर्नाटक	19	285	5700	–	–	–
10	केरल	13	195	3900	–	–	–
11	मध्य प्रदेश	86	1290	25800	–	–	–
12	महाराष्ट्र	64	960	19350	–	–	
13	मणिपुर	77	1155	23259	23	341.95	6935
14	मिजोरम	44	581.55	11668	115	1725	34500
15	नागालैंड	78	1170	23400	14	210	4200
16	ओडिशा	156	2269.25	45578	–	–	–
17	राजस्थान	25	372.2	7590	2	30	600
18	सिक्किम	80	1200	23800	–	–	–
19	तमिलनाडु	7	105	2100	–	–	–
20	तेलंगाना	17	255	5100	–	–	–
21	त्रिपुरा	17	226.25	4530	–	–	–
22	उत्तर प्रदेश	5	59.55	1238	–	–	–
	कुल	**1126**	**16580**	**333168**	**232**	**3477**	**69765**

*बिहार में वीडीवीके के कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी स्वीकृत /सहमति पत्र नोडल एजेंसी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (आजीविका) को नहीं दिया गया है। निधि निर्मुक्त नहीं हुई है।

12.12 वर्ष 2019–20 से 2020–21 के दौरान 17.11.2020 तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास की स्कीम के तहत जारी सहायता अनुदान का विवरण **तालिका –12.3** में दिया गया है।

तालिका 12.3: राज्यों के लिए निर्मुक्त सहायता अनुदान–(परिक्रामी निधि)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2019–20 तक राज्यों को निर्मुक्त परिक्रामी निधि	वर्ष 2020–21 में राज्य को निर्मुक्त परिक्रामी निधि	राज्यों के लिए निर्मुक्त कुल परिक्रामी निधि (17/11/20 तक)
1	छत्तीसगढ	15366	0	15366
2	गुजरात	622	0	622
3	झारखंड (जेएचएएमसीओएफईडी)	2415	0	2415
	झारखंड (जेएएससीओएलएएमपीएफ)	2257	0	2257
4	महाराष्ट्र	500	0	500
5	आंध्र प्रदेश	828.75	0	828.75
6	मध्य प्रदेश	3489	0	3489
7	ओडिशा	4991	0	4991
8	राजस्थान	20	0	20
9	पश्चिम बंगाल	201.72	0	201.72
10	मणिपुर	10.5	0	10.5
11	नागालैंड (डीयूडीए)	252.16	0	252.16
12	उत्तर प्रदेश	240	0	240
13	केरल	59.74	0	59.74
14	कर्नाटक	124.6	0	124.6
15	असम	30.24	0	30.24
16	त्रिपुरा (टीआरपीसी लिमि.)	192.15	0	192.15
	त्रिपुरा (एमएआरकेएफईडी)	8.51	0	8.51
17	तमिलनाडु	0	228.97	228.97
18	मिजोरम	0	91.50	91.50
	कुल	**31608.37**	**320.47**	**31928.84**

तालिका 12.4: वर्ष 2020–21 के दौरान राज्यों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद

राज्य	कुल एमएफपी खरीद (मैट्रिक टन में)	एमएफपी खरीद का मूल्य (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	231.32	96.09
असम	58.56	34.79
छत्तीसगढ	46857.11	10653.59
गुजरात	870.74	345.47
झारखंड	73.71	324.44
कर्नाटक	18.46	41.54
मध्य प्रदेश	280.72	96.10
महाराष्ट्र	121.54	31.59
नागालैंड	31.01	12.40
ओडिशा	14391.23	3041.24
राजस्थान	7.01	5.92
तेलंगाना *	5323.00	235.19
पश्चिम बंगाल	101.43	28.44
कुल	68365.83	14946.80

* तेलंगाना राज्य ने राज्य कोष से एमएफपी की खरीद की

12.13 2017–18 से 2020–21 तक ''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास स्कीम'' के तहत ट्राइफेड को निर्मुक्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

राज्य / संस्थान	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (17.11.2020 तक)
ट्राइफेड	2.00	31.47	147.43	17.70

जनजातीय उत्पादों / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन:

12.14 ट्राइफेड देश भर में खुदरा दुकानों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, ट्राइफेड ने 211.86 लाख रु. (31.10.2020 तक) का कारोबार किया है।

12.15 विपणन विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

- ट्राइफेड ने स्वयं के 73 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, 33 कंसाइनमेंट आउटलेट्स और 15 फ्रैंचाइज आउटलेट्स की एक रिटेल नेटवर्क चेन स्थापित की है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड ने 2019–2020 के दौरान ऊटी, शिमला, इंदौर, लेह, विजाग, पुणे, नोएडा, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, जयपुर, पांडिचेरी, भोपाल, गोवा, लखनऊ, प्रयागराज और रांची में "आदि महोत्सव" के नाम से सोलह (16) राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का आयोजन भी किया ।

- ट्राइफेड ने कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में ऐसे 13 वर्चुअल राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव "आदि महोत्सव" आयोजित करने की योजना बनाई है।

- जनजातीय उत्पाद 47.06 लाख रुपये (अनंतिम) खरीदी गई है।

- चालू वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्राइफेड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लाइन जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम) आयोजित करके जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को पैनलकृत करने के लिए एक प्रमुख अभियान शुरू किया गया है; अब तक वर्ष 2020–21 के दौरान (31.10.2020 तक) 3093 कारीगरों की पहचान पैनल में शामिल करने के लिए की गई है।

- इसके अलावा, मौजूदा महामारी के दौरान दुकानों से धीमी बिक्री को ध्यान में रखते हुए, ट्राइफेड ने ऑनलाइन बिक्री के लिए उनके उत्पादों के साथ जनजातीय कारीगरों को शामिल करने के लिए एक ई–मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा इसे 02.10.2020 को ट्राइफेड / जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित शानदार समारोह में लॉन्च किया गया था। अब तक 3093 कारीगरों को नामांकित किया गया है और 12760 उत्पादों (31.10.2020 तक) को ई–मार्केट प्लेस में अपलोड किया गया है।

- ऑन–लाइन ई–कॉमर्स पोर्टल्स: ट्राइफेड ने अपना ई–कॉमर्स पोर्टल www.tribesindia.com स्थापित किया है और यह सभी प्रमुख ई–कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और जेम पर भी मौजूद है। डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आक्रामक प्रचार की योजना बनाई जा रही है ताकि प्रामाणिक वास्तविक जनजातीय उत्पादों के स्रोत के रूप में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन चौनलों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जा सके। इस पहल के एक भाग के रूप में, ट्राइफेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 71.50 लाख रुपए की बिक्री की है। चालू वित्त वर्ष में ट्राइफेड की 80 इकाइयों अर्थात ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट्स और क्षेत्रीय कार्यालयों के गोदामों के पूरे भंडार (स्टॉक) को ई–मार्केट प्लेस से जोड़ा जा रहा है।

12.16 2017–18 से 2020–21 तक "जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन" योजना के तहत जारी सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संस्थान	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (17.11.2020 तक)
ट्राइफेड	39.00	62.50	118.50	40.00

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन और विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

12.17 प्रस्तावना

i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), एक बहु राज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना 1987 में बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।

ii. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। एक क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वनोपज (एमएफपी) इकट्ठा करने वालों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

iii. ट्राइफेड की अधिकृत शेयर पूंजी 300.00 करोड़ रुपए है। 31.03.2020 तक ट्राइफेड की प्रदाता शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपए थी। ट्राइफेड के 17.11.2020 तक 31 सदस्य (शेयरधारक) हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयरधारक है।

12.18 ट्राइफेड निम्नलिखित योजनाओं के तहत विभिन्न गतिविधियाँ करता है:

1. "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन"।

2. 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास'

जनजातीय कार्य मंत्रालय दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ट्राइफेड को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" के तहत ट्राइफेड के लिए 118.50 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान मंजूर की गई और वर्ष 2020–21 के लिए बजट का आवंटन 120.00 करोड़ रुपए (ब.अ.) है। ''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास'' की योजना के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान ट्राइफेड के लिए 147.43 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान स्वीकृत की गई और 2020–21 के लिए बजट आवंटन 112.51 करोड़ रुपए (ब.अ.) है।

इसके अलावा, ट्राइफेड ने रायगढ़ और जगदलपुर में ट्राइफूड परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने 20.07.2020 को वेबिनार के माध्यम से किया था।

ट्राइफेड ने झारखंड में पाकुर शहद प्रसंस्करण की एक और परियोजना भी शुरू की है जिसका उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने 02.10.2020 को किया था।

ट्राइफेड ने वन धन उत्पादक कंपनियों के गठन के लिए छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्राइफेड ने अनुसूचित जनजाति के कारीगरों व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए 3 व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4 डिजाइन कार्यशाला प्रशिक्षण और 1 डिजाइन और तकनीकी उन्नयन सह उत्पादन कार्यशाला के लिए 27.19 लाख रुपए की मंजूरी दी है।

*****

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में नए अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी ।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) तथा (8) में दी गई हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास में कमियों को दूर करना और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को

धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13.5 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय; से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के बाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थातः–

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें;

13.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक–13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई **तालिका 13** मे दी गयी है:–

तालिका 13 :
एनसीएसटी द्वारा इसके गठन के बाद रिपोर्टों की स्थिति तथा तत्संबंधी कार्रवाई

क्र.सं.	रिपोर्ट	वर्ष	भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की तारीख	संसद में प्रस्तुत करने की तिथि	
				लोकसभा	राज्यसभा
1	2	3	4	5	6
1.	पहली वार्षिक रिपोर्ट	2004–05 तथा 2005–06	08.08.2006	31.08.2012	30.08.2012
2.	दूसरी वार्षिक रिपोर्ट	2006–07	30.09.2008	26.04.2013	02.05.2013
3.	तीसरी वार्षिक रिपोर्ट	2007–08	29.03.2010	08.08.2016	10.08.2016
4.	चौथी वार्षिक रिपोर्ट	2008–09	27.08.2010	08.08.2016	10.08.2016
5.	पांचवी वार्षिक रिपोर्ट	2009–10	13.07.2011	08.08.2016	10.08.2016

क्र.सं.	रिपोर्ट	वर्ष	भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की तारीख	संसद में प्रस्तुत करने की तिथि	
				लोकसभा	राज्यसभा
1	2	3	4	5	6
6.	जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन की विशेष रिपोर्ट	2012	18.06.2012	13.12.2013	12.12.2013
7.	छठवीं वार्षिक रिपोर्ट	2010–11	25.10.2013	10.04.2017	29.03.2017
8.	सातवीं वार्षिक रिपोर्ट	2011–12	20.02.2015	10.04.2017	29.03.2017
9.	आठवीं वार्षिक रिपोर्ट	2012–13	16.11.2015	10.04.2017	29.03.2017
10.	नौंवीं वार्षिक रिपोर्ट	2013–14	24.05.2016	31.12.2018	03.01.2019
11.	दसवीं वार्षिक रिपोर्ट	2014–15	31.05.2016	11.02.2019	07.02.2019
12.	ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट	2015–16	28.10.2016	25.11.2019	28.11.2019
13.	इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना प्रभावित जनजातीय व्यक्तियों पर विशेष रिपोर्ट	2018*	03.07.2018		
14.	बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट	2016–17*	14.11.2019		
15.	तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट	2017–18*	15.01.2020		
16.	विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पर राउरकेला स्टील प्लांट की स्थिति पर विशेष रिपोर्ट	2020*	15.01.2020		

*जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रक्रियाधीन

*****

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और उनकी सेवा भावना के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। वे यह सुनिश्चित करने में सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचें। कुछ मामलों में, स्वैच्छिक संगठन (वीओ) सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर– सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठन ही सरकार के भागीदार के रूप में विकासात्मक क्रियाकलाप करें।

14.3 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 से गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008–09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन द्वारा प्रणाली को और सुदृढ़ किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारा/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने राज्य के प्रधान सचिव/सचिव, जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। यह बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर–सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों के साथ–साथ चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केवल उन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान जारी किये जा रहे हैं जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल, एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान (आईडी) पर 03 पदधारितों के अद्यतन पैन/आधार ब्यौरों के साथ पंजीकृत हैं।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन

14.4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य समाज कल्याण विभाग जैसी भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहु–विषयक राज्य समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

ii. सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

iii. सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

iv. अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संगठन;

v. आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान: सदस्य सचिव।

राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका

14.5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका निम्नानुसार है:

i राज्य समिति की बैठकों का प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार आयोजन किया जाना चाहिए।

ii मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार तथा क्षेत्रीय कार्यकरणों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों तथा निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच,

iii प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी:

- संस्तुत परियोजनाएं सही ढंग से संचालित की जा रहीं हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही हैं;
- प्रभाव का आकलन करने के बाद चालू परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य सहायक आंकड़ों सहित दिया जाता है;
- जब तक परियोजना जारी रहेगी या निधियों की आवश्यकता होगी, की संभावित अवधि
- आम तौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों जैसी परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है;
- कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;
- बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए;
- जहाँ कहीं भी संभव हो, अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
- प्रत्येक वर्ष, बजटीय अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं, जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाओं को भी, जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;
- ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;
- नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए)

14.6 मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्वरूप के उन स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को चिन्हित करनेका प्रयास भी किया गया था जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में अपनी निःस्वार्थ सेवा और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं तथा उनकी परियोजनाओं की स्वीकृति और वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति से संबंधित कुछ निबंधन और शर्तों में ढील देने के लिए उन्हें अलग श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों को "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। ये संगठन निम्नानुसार हैं:

1. रामकृष्ण मिशन और इससे संबद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन।

5. सेवा भारती और इससे सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. प्रबंध समिति, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की स्कीमें

14.7 वर्तमान में मंत्रालय की दो स्कीमें चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये स्कीमें निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
2. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

14.8 "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" स्कीम 1953–54 में आरंभ की गई थी तथा तभी से यह स्कीम जारी है। संशोधित स्कीम 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन प्रपत्रों इत्यादि सहित स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.9 इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण स्कीमों की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास अथवा आजीविका–सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर भी स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया एवं वित्तपोषण

14.10 यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। संशोधित स्कीम में निर्धारित परियोजनाओं की श्रेणियों के लिए पात्र गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्त सोसाइटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। स्कीम में निर्धारित समय– अनुसूची के अनुसार आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होते हैं। आमतौर पर सरकार द्वारा 90%तक निधि प्रदान की जाती है। शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की आशा की जाती है। तथापि, इस स्कीम के तहत उन परियोजनाओं के लिए सहायता की सीमा 100 प्रतिशत है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा अनुदान संशोधित स्कीम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.11 गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के लेख अलग रखने चाहिए और सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा उन लेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं की सनदी लेखाकार से वार्षिक लेखा–परीक्षा भी कराने की आवश्यकता होती है और सा.वि.नि.2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 12–सी) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों की लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियां का पूरा सेट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है।

14.12 सामान्यतया, जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। मंत्रालय स्कीम के तहत मानीटरिंग मेकेनिजम को सुदृढ़ करने के लिए और प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय भारत ग्रामीण आजीविका प्रतिष्ठान (बीआरएलएफ) को तृतीय पार्टी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि योजना के तहत चालू गैर सरकारी संगठनों के परीक्षण और ग्रेडिंग के लिए मानक और फार्मेट तैयार किए जाएं व राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत नई परियोजना आवेदनों की संवीक्षा हो व सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले गैर सरकारी–संगठनों को ही स्कीम में शामिल किया जाएं।

14.13 गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

स्कीम का निष्पादन

14.14 वर्ष 2020–21 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किये गये व्यय के ब्यौरे तथा विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के साथ **तालिका 14** में दिये गये हैं:

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2018-19	130.00	120.00	114
2019-20	110.00	110.00	94.85
2020-21	110.00	60.00	10.73 (22.12.2020 तक)

*बजट में निम्नलिखित स्कीमों के लिए वित्तपोषण शामिल हैं:–

i. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ii. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

14.15 संशोधित स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की कई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है:

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर–आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल
6. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई नवीन परियोजना।

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

14.16 आवासीय विद्यालय, परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने आस–पास स्कूल न होने की वजह से और अपने घर से दूर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल नहीं हैं तथा जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य प्रासंगिक प्रभार की लागत भी स्कीम से वहन की जाती है। अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान से किया जाता है। 'आवासीय विद्यालय' परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को निजी या किराए के भवन में चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा शौचालय/स्नानघर की सुविधाएं हों। रख–रखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान सहायता अनुदान से किया

जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और बालिकाओं की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14.17 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 12 राज्यों में 26 आवासीय विद्यालयों को निधि–पोषित किया गया जिनसे अनुसूचित जनजाति के 3877 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर–आवासीय विद्यालय

14.18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय श्रेणी की परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सीय सहायता और अन्य आनुषंगिक खर्चों को भी स्कीम से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी मानदेयसहायता अनुदान से दिया जाता है। "गैर–आवासीय विद्यालय" परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इसका संचालन अपने स्वयं के भवन या किराए के भवन में कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे और शौचालय सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14.19 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 4 राज्यों में संचालित 6 गैर–आवासीय विद्यालयों को वित्तपोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 1419 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

छात्रावास

14.20 इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राथमिक या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की है लेकिन अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं न होने और शहरों में रहन–सहन की उच्च लागत के कारण अपनी शिक्षा आगे जारी नहीं रख सकते। छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

14.21 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 8 राज्यों में 10 छात्रावासों को वित्त–पोषित किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति के 1042 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

सचल औषधालय

14.22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग–थलग गांवों/कस्बों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु संगठन को इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वैन/जीप और उपकरणों की खरीद की लागत को वहन करने के अलावा डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने केलिए स्कीम के तहत वार्षिक रूप से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

14.23 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 8 राज्यों में 20 सचल औषधालयों को निधियां प्रदान की गयी थीं जिससे अनुसूचित जनजाति के 1,81,272 लाभार्थियों को फायदा हुआ है।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

14.24 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां, अब तक सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने में सहायता करना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन वहां अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी विद्यमान हैं। फर्नीचर, मेज–कुर्सी आदि, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर–सेट की खरीद तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की खरीद, भवन किराया प्रभार इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14.25 वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 6 राज्यों में 7 अस्पतालों को वित्त–पोषित किया गया है, जिससे अनुसूचित जनजाति के 1,02,299 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

14.26 पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अलग–अलग परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों /गैर–सरकारी संगठनों /स्वायत्तशासी समितियों की सूची अनुलग्नक–14क (i) में दी गई है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 50 लाख रू. अथवा इससे अधिक की अनुदान सहायता जिन संगठनों को प्रदान की गई है उनका विवरण अनुलग्नक 14क (ii) में दिया गया है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की स्कीमः

14.27 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु लिंग–विशिष्ट स्कीम की शुरूआत वर्ष 1993–94 में की गई थी। इस स्कीम में वर्ष 2008–09 में संशोधन किया गया था जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुआ। आवेदन–प्रपत्र सहित इस स्कीम के दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस स्कीम को अब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत विलय किया जा रहा है।

उद्देश्य

14.28 इस स्कीम का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए आवश्यक परिवेश सृजित करके विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों में सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता अन्तर को भरना है। यह स्कीम नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए अ.ज.जा. की बालिकाओं को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां भी 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास दोनों की सुविधा प्रदान की जाती है। सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में सुधार लाना अति आवश्यक है।

व्याप्ति (कवरेज)

14.29: स्कीम की व्याप्ति (कवरेज) निम्नानुसार दी गयी है–

क) यह स्कीम, संशोधित स्कीम में यथा निर्दिष्ट 54 चिह्नित जिलों को कवर करती है जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

ख) उपर्युक्त 54 चिह्नित जिलों के अलावा, जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जहां 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी शामिल किया गया है।

ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (उदाहरणार्थ ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) रहते हैं।

घ) उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

14.30 इस स्कीम का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों (वीओ)/गैर–सरकरी संगठनों (एनजीओ) और स्वायत्तशासी सोसाइटियों/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु–विषयक "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति (एससीएसवीई)" भी इस योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की पहचान तथा संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान (पैटर्न)

14.31 स्कीम के तहत प्रक्रिया एवं प्रतिमान निम्नानुसार हैंः

क) यह केन्द्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट स्कीम है तथा मंत्रालय इसके लिए 100 प्रतिशत निधि प्रदान करता है। अनुदान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन करने वाले पात्र गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। संशोधित स्कीम में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन–पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान, योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित हैं। ये अनुदान सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किये जाते हैं। अनुदान स्कीम से संबद्ध निबंधन

एवं शर्तों के अनुसार निर्मुक्त किए जाते हैं।

ख) गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों से संबंध के लेखा अलग रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सहायता अनुदान के लेखाओं (खातों) की चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक लेखा–परीक्षा कराना आवश्यक है और सा.वि.नि. 2017 के तहत निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर–12–सी) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ खातों के लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग) सामान्यतया जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रति वर्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसे जिला कलेक्टर द्वारा तारीख सहित प्रति–हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

घ) गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

14.32 जनजातीय बालिकाओं में साक्षरता को सुधारने हेतु संकेंद्रित ढंग से प्रयास करने के लिए निम्नलिखित उपाय/कार्रवाईयां की गई हैं:

(क) ब्लॉक स्तर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में तथा पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए जनजातीय लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

ख) यदि आवश्यक हो तो, 100 बालिकाओं वाले प्राथमिक स्कूल के लिए तथा 150 बालिकाओं वाले मिडिल एवं उच्च विद्यालय के लिए चरणबद्ध ढंग से क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर केवल छात्रावास सुविधाएं, न कि स्कूल की स्थापना की जा सकती है। अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में, शामिल की जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, विद्यालय से इनकी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू–भाग में 2 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) अपवादिक मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवीएस) परिचालन में हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

ङ) संशोधन पूर्व, स्कीम के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के 54 नव–चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों में आते हैं या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं एवं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें निर्बाध रूप में जारी रखा गया है।

(च) प्राथमिक स्तर की छात्राओं को कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए 100/– रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर की छात्राओं को 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) छात्रों की दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर (कक्षा V तक) 100/– रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों पर (कक्षा VI से XII तक) 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

स्कीम का कार्य निष्पादन

14.33 वर्ष 2015–16 से इस स्कीम के तहत बजट आवंटन को,"अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत मिला दिया गया है।

14.34 वर्ष 2020–21 के दौरान, 12 शैक्षिक परिसरों के लिए 3.26 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं, जिसमें 04 राज्यों की 2143 अनुसूचित जनजाति की बालिका लाभार्थियों को शामिल किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वयत्तशासी सोसाइटियों की सूची, जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई; अनुलग्नक–14ख (i) में दी गई है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 50 लाख रू. अथवा इससे अधिक की सहायता अनुदान जिन संगठनों को प्रदान की गई है उनका विवरण अनुलग्नक 14ख (ii) में दिया गया है।

एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली

14.35 एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है जिसके माध्यम से गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए एनजीओ प्रभाग की स्कीमों के तहत अपने आवेदन जमा करने होते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव की सिफारिश करते हैं। वर्ष 2017–18 और उसके बाद से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा मैनुएल एप्लीकेशन प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया का सारांश इस प्रकार है:

क) एनजीओ, जनजातीय कार्य मंत्रालय के वैध 'एनजीओ दर्पण यूनीक आईडी' पोर्टल पर रजिस्टर है ।

ख) गैर सरकारी संगठनों को परियोजनाओं हेतु आवेदन करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाता है ।

ग) परियोजनाओं का जिला प्राधिकारियों द्वारा व्यावहारिक रूप से निरीक्षण किया जाता है और स्वीकृत आवेदन राज्य सचिवालय को भेजे जाते हैं ।

घ) राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) परियोजनाओं पर विचार करती है और अनुशंसित परियोजनाएं मंत्रालय को अग्रेषित की जाती हैं ।

ङ) मंत्रालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुदान सहायता पर विचार करता है और स्वीकृतियों/ भुगतान बिलों को पोर्टल पर सृजित किए जाते हैं।

पोर्टल के कार्यान्वयन ने स्कीम की समस्त प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता को बढ़ाया है क्योंकि गैर सरकारी संगठन / स्वैच्छिक संगठन अपने आवेदनों की स्थिति (जिला / राज्य / केंद्रीय स्तर पर) की जांच पोर्टल पर कर सकते हैं।

एनजीओ/वीओ से आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी मांगे जाते हैं।

गैर सरकारी संगठनों, जिला/राज्य/मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संचार मॉड्यूल को अधिक पारदर्शिता और उपयोगकर्ता–मित्रता लाने के उद्देश्य से पोर्टल में जोड़ा गया है।

आवेदन पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और निधि प्रसंस्करण मॉड्यूल को भी सरल बनाया गया है।

*****

अध्याय 15

मानव अधिकार

प्रस्तावना

मानव अधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (घ) के तहत परिभाषित किया गया है, जो भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवनचर्या, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों में शामिल है व भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। सरकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में, व्यैक्तिक या समूहों, की मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी संरक्षा करने के लिए कुछ निश्चित तरीकों से कार्य करने या कुछ कृत्यों से परहेज करने के लिए अनिवार्यताओं का उल्लेख किया गया है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद 1999 में की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य विशिष्ट पहचान और संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में जनजातियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रगतिशील और रचनात्मक रास्ते पर दूसरों के साथ बराबरी बनाए रखते हुए जनजातीय समुदायों का, सभी विकास संकेतकों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित हैं;

- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण और विकास
- उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का संरक्षण
- ६ जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन
- ६ जनवरी, 2017 से नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप–योजना/एसटीसी की निगरानी।

2. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार और नागरिक सुविधाओं तक बेहतर पहुँच के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया है और भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम, 1961 के तहत अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए समग्र नीति, योजना और कार्यक्रमों के जो आवंटित विषयों में से हैं, के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है ।

3. अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय

भारत की जनजातीय जनसंख्या के मानवाधिकारों के लिए सभी सुरक्षा उपायों में से संवैधानिक सुरक्षा उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे इस प्रकार हैं:

क. अजजा के रूप में समुदायों की परिभाषा और निर्धारण

i. अनुच्छेद 366 (25) में उन जनजातियों की परिभाषा दी गई हैं जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के तौर पर अधिमान्य माना जाता है।

ii. अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति का घोषित कर सकते हैं और (2) संसद खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकती है या हटा सकती है ।

भारत सरकार ने समुदायों को अजजा की सूची में शामिल करने और सूची से हटाने की प्रविधियां जारी की हैं। ये प्रविधियां निर्दिष्ट करती हैं कि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष यथावत

रखा जाएगा और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति अधिसूचना में एक संशोधन के उपयुक्त अधिनियमन के लिए इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इस पर आरजीआई और एनसीएसटी दोनों की सहमति आवश्यक होगी ।

ख. अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान

iii. अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किये गये हैं कि (1) पांचवीं अनुसूची के प्रावधान, असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण के लिए लागू होंगे और (2) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इन चार राज्यों में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे।

iv. अनुच्छेद 339 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट प्रस्तुत के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा और (2) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं के निर्दिष्टीकरण और उनके क्रियान्वयन के लिए संघ की कार्यकारिणी शक्तियां निर्देश देने के लिए राज्य को, अधिकृत की जाएंगी।

ग. सार्वजनिक रोजगार, सामाजिक—आर्थिक सुरक्षा और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास से संबंधित प्रावधान

v. अनुच्छेद 15 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म—स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान हैं कि इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी, राज्य को, किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।

vi. अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

vii अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान है कि सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगाः

(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार;

(ख) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्रित होने का अधिकार;

(ग) संघों या यूनियनों के गठन का अधिकार;

(घ) पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने—फिरने का अधिकार;

(ङ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार; तथा

(च) किसी पेशे, या किसी विशिष्ट व्यवसाय, या कोई भी कार्य करने, व्यापार या कारोबार को अपनाने का अधिकार।

अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में, ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जनजातियों को देश के समान नागरिकों के अनुरूप अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।

viii. अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के साथ—साथ बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाते हैं । अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक—आर्थिक कमजोरियों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

ix. अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। राज्य, उस पर समुदाय की अपनी संस्कृति के अलावा किसी अन्य संस्कृति को नहीं थोपेगा।

x. अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य, विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा ।

xi. अनुच्छेद 275 (1) में, विकास की ऐसी विकासात्मक योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को भारत की समेकित निधि से अनुदान का प्रावधान है जो राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजाति का कल्याण या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर के उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाएंगी।

xii. अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघीय या राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दावों पर प्रशासकीय दक्षता के साथ विचार किया जाएगा बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पक्ष में संघ या राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं या पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने के लिए, इस अनुच्छेद में किसी भी प्रावधान को बनाने से नहीं रोका जाएगा ।

xiii. अनुच्छेद 350 में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है;

घ. राजनीतिक सुरक्षा–उपायों से संबंधित प्रावधान

xiv. अनुच्छेद 330, 332, 243घ और 243न में क्रमशः लोक सभा (हाऊस ऑफ पीपल), राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों (पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं) में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किये गये हैं।

ङ. संवैधानिक उपचार का अधिकार

xv. अनुच्छेद 32 में राज्य या अन्य संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का प्रावधान करता है। यह भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार देता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जिसका मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होता हो। यह अधिकार भारत की एसटी आबादी के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

च. अजजा के हितों की सुरक्षा के लिए वैधानिक प्रावधान

भारत सरकार ने माना है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कानूनी और अन्य उपायों में निरूपित किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसटी अपनी अद्वितीय सामाजिक–सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ विकसित करने में सक्षम हो सकें। इस संबंध में मुख्य वैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

i. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को "अस्पृश्यता" को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर उससे संबंधित मामलों में उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के खिलाफ दंडित करने के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

ii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा–उपाय है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।

iii. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (संक्षेप में 'पेसा') अधिनियम, 1996 को, संविधान के भाग IX में प्रदत्त पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

iv. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम {वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में लोकप्रिय}, 2006

का मुख्य उद्देश्य, वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन भूमि में वन अधिकारों और व्यवसायों को मान्यता देना तथा उन्हें अधिकार प्रदान करना है और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देना और निहित करना है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है।

v. अनुसूचित जनजातियों के हितों और अधिकारों से संबद्ध अन्य कानून हैं– भारतीय वन अधिनियम 1927, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 , भारतीय वन नीति 1988, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम 2018, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि का हस्तांतरण और बहाली या परिवर्तन से संबद्ध सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम और विनियम ।

छ एसटी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का समर्थन

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के उल्लेख में दो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का महत्व है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का स्वदेशी और जनजातीय आबादी सम्मेलन, 1957 और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 2007 हैं।

I. भारत द्वारा स्वदेशी और जनजातीय जनसंख्या सम्मेलन, 1957 की अधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। इस सम्मेलन में स्वदेशी लोगों के कुछ अधिकारों को मान्यता दी गई। यह उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में मान्य अधिकारों को एफआरए, 2006 में शामिल किया गया है।

ii. स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, 2007 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 107वें सम्मेलन में प्रावधानों पर बल देते हुए पुनः उल्लेख किया गया है कि स्वदेशी लोगों ने अपनी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों के उपनिवेशन के परिणामस्वरूप अन्याय का सामना किया है और जनजातियों को उनकी अपनी जरूरतों और रुचियों के अनुसार विकास के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने 'स्वदेशी पीपुल्स' शब्द की, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह भारत में व्याप्त स्थिति के साथ मेल नहीं खाती है।

4. सुरक्षा–उपायों की निगरानी के लिए एजेंसी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में नए अनुच्छेद 338क को शामिल करके की गई थी। इस संशोधन द्वारा, तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर, 19 फरवरी, 2004 से दो पृथक–पृथक आयोग अर्थात् (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) स्थापित कर दिये गये थे।

एनसीएसटी आयोग के कार्य

अनुच्छेद 338 क के खंड (5) के प्रावधान हैं कि:–

(क) इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए या सरकार के किसी भी आदेश के तहत और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना और

सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक तौर पर और अन्य ऐसे समयों पर, जब भी आयोग उपयुक्त समझें, उन सुरक्षा उपायों के आकलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसी रिपोर्ट और सिफारिशें करना जो उन उपायों के रूप में संघ या किसी भी राज्य द्वारा उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के लिए की जानी चाहिए तथा

(च) राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अध्यधीन, नियम के तहत निर्दिष्ट ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन।

आयोग, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के संबंध में उपरोक्त कार्यों के अलावा, उत्पादन, कल्याण और विकास और निम्नलिखित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा –

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाले अजजा को लघु वन उपज के संबंध में स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय करना;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए खामियों को दूर करने और अधिक व्यवहार्य आजीविका कार्यनीतियां बनाने के लिए काम करने के लिए उपाय;

(घ) विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता में सुधार के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों को भूमि से अलग करने और ऐसे लोगों को प्रभावी ढंग से पुनर्वासित करने के लिए उपाय करना जिनके मामले में अलगाव पहले ही हो चुका है;

(च) वनों की रक्षा और सामाजिक तौर पर वनीकरण के लिए जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग और भागीदारी के लिए उठाए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा शिफ्ट खेती को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए, उनके निरंतर सशक्तिकरण और भूमि और पर्यावरण के क्षरण की प्रवृत्ति को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

*****

अध्याय 16

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

16.1 तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अपने बजट आबंटन का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित कर रहा है। सामान्यतया, कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि प्रदान की जाती है।

16.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण', के लिए सीधे अनुदान निर्मुक्त करता है। 'जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में तथा 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर सभी स्कीमों के तहत अनुदान, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्मुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और 'जनजातीय उप–स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता', और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.), योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना आकलन समिति (पी.ए.सी.) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन स्कीमों के लिए बजट आबंटन का कम से कम 10% प्रवाह (फ्लो) सुनिश्चित किया है।

16.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–16** में दिये गये हैं।

*****

अध्याय 17

जेंडर बजटिंग

संवैधानिक तथा विधिक ढांचा

17.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को भेद–भाव के विरुद्ध महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

मंत्रालय की पहलें

17.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसीलिए, सामान्यतः महिलाओं का और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है अपितु कार्यनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है ।

17.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिंतित है जो एक समूह के रुप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व परिणामतः पृथक–वास अलगाव के कारण वंचित समूह के रुप में पीड़ित हैं। तदनुसार, मंत्रालय की प्रमुख नीतियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएं अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाओं को योजनाओं से समान रुप से लाभ प्राप्त हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय की कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के हित के लिए भी हैं।

17.4 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ पुनर्गठित किया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के क्रियान्वयन की तुलना में मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह जेंडर असंतलुन का समाधान कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों, का आबंटन और प्रबंध तद्नुसार किया जाए।

17.5 जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए परिवर्धक (अतिरिक्त) योगदान है। यह 'जेंडर तटस्थ कार्यक्रम' है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए हितकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास ।
- आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य योजनाओं के तहत अधिकांशत शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों / बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना ।
- गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और आय सृजन के सुअवसर।
- सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए संवर्धित क्षमता, अधिकारों और पात्रताओं की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान उन्नत सुविधाएं, तथा
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा।

टीएसएस को एससीए की योजना के लिए संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार महिला लाभार्थियों के लिए लक्षित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि समग्र रूप से कम से कम 33% लाभार्थी महिलाएं हों।

17.6 "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए है। जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु निधियां, राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले विषयों/मुद्दों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं की सहभागिता सहित, मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिए।

17.7 "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" स्कीम के तहत वर्ष 2019–20 के दौरान 73391 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया था जिनमें नामांकित बालिकाओं की संख्या 36,567 (49. 82%) थी।

17.8 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरुरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रतिबद्ध दायित्वों/देनदारियों के अलावा मंत्रालय से 100 % केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है।

17.9 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में (1) वार्षिक आय सीमा; (2) पाठ्यक्रम समूहों में संशोधन; तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ 01.07.2010 से संशोधन किया गया है।

17.10 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। अन्य बातों के साथ–साथ कुल 750 स्लॉट्स में से 30% स्लॉट्स महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एमफिल के लिए प्रति माह 25,000/– रुपये तथा पीएचडी के लिए प्रतिमाह 28,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

17.11 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है द्य प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाली कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए चिह्नित हैं। तथापि, चिह्नित स्लॉट्स खाली रह जाने के मामले में ये स्लॉट्स बालकों को अंतरित कर दिए जाएंगे। माता–पिता / परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं ।

17.12 अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता कम होना, एक विशेष चिंता का विषय होने के कारण 'जनजातीय

क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए वर्ष 1993–94 में कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना' की लिंग विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई जिसे वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया था तथा इसका नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' रखा गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित योजना का क्रियान्वयन कम साक्षरता वाले उन 54 चिन्हित जिलों में किया जा रहा है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है। 54 चिन्हित जिलों के अलावा जिले में कोई अन्य ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है, को भी शामिल किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) द्वारा आबाद क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिन्हित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा आबाद क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं के 100% दाखिले को सुगम तथा प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के लिए अपेक्षित माहौल बनाकर बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप–आउट) वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/सस्थानों के माध्यम से किया जाता है। यह योजना विद्यालयों में नियमित रुप से उपस्थित रहने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जाएगाद्य संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, योजनाओं के साथ तालमेल की परिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ–साथ मिडिल/ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। संशोधित योजना में औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है।

17.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम', अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) नाम से विशेष योजना प्रारम्भ की है। योजना के तहत, निगम 2 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2020 तक 600 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 7.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम, अन्य आय सृजनकारी स्कीमों के तहत महिला लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

17.14 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' नामक स्कीम के तहत देश के अलग–अलग भागों में जनजातीय लोगों को यात्राओं के आदान–प्रदान आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है। भेंट (विजिटिंग) दल में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

17.15 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को {धारा 2(छ)} में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ''ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और ऐसे राज्यों के मामले में जहां कोई पंचायत, पाड़ा, टोला तथा अन्य परम्परागत ग्राम संस्थान और चयनित ग्राम समितियां नहीं है उनमें महिलाओं की पूर्ण और अबाधित भागीदारी होगी''। इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे, किन्तु संबद्ध अथवा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रुप से पंजीकृत होंगे और एक मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस न होने की स्थिति में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को हस्तांतरित हो जाएंगे। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप मण्डल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राज्य

सरकारों के राजस्व, वन तथा जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य होंगे जो संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किये जाएंगे, जिसमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है''। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3 (1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में इनके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रुप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते कि ऐसे सदस्यों से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों। यह आगे भी उपबंधित किया गया है कि जहां कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

17.16 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि इस समारोह में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से एक महिला तथा एक पुरूष अतिथि भेजा जाए।

17.17 वर्ष 2020–21 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुलग्नक –17** में दिया गया है।

*****

अध्याय 18

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

18.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए स्कीम–वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम

18.2 इस स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता;

(ख) शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) निचले अंगों की गंभीर दिव्यागंता वाले अनावासी विद्यार्थी (डे–स्कॉलर) के लिए अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक, छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन;

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक–18** में दिया गया है।

कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

18.3 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा' (आईईडीएसएस)की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रों के लिए "छात्र–उन्मुख घटक" के तहत रुपये 3,000/– प्रति वर्ष की दर से सहायता पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी गैर–सहायता प्राप्त परंतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत अतिरिक्त भत्तों के पात्र होंगे:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता,

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए मासिक यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) निचले अंगों की गंभीर, दिव्यागंता (80 प्रतिशत या अधिक की दिव्यागंता) वाले अनावासी छात्रः विद्यार्थी के लिए मासिक अनुरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को देय मासिक सहायक–भत्ता।

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को मासिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों के ब्यौरे **अनुलग्नक–17** में दिये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

18.4 शारीरिक रूप से दिव्यांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में रुपए 2000/– प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम तथा जनजातीय उप–स्कीम वाले क्षेत्रों में 'आश्रम विद्यालयों' की स्थापना संबंधी स्कीम

18.5 पीएसी की बैठकों के दौरान, राज्यों से इस बिंदु पर बल देने के लिए कहा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त निर्मित किए जाएं तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

गैर–सरकारी संगठन की स्कीमें

18.6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वैच्छिक/गैर–स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दें कि वे 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006' के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्र जैसे भवनों आदि में अवरोध मुक्त वातावरण जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

*****

अध्याय 19

जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

19.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) में 10 जून, 2016 से ही एक स्वतंत्र जन शिकायत प्रभाग कार्य कर रहा है। श्री विजय गोपाल मंगल, उप–सचिव को 24/9/2020 से मंत्रालय में निदेशक, शिकायत के रूप में पदनामित किया गया है। निदेशक शिकायत का संपर्क ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (http://tribal.nic.in/publicGriev.aspx) पर भी उपलब्ध है।

19.2 प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि कहीं से और किसी भी समय ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां दर्ज की जा सके और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायत निवारण के लिए कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैं:– (क) नागरिकों के लिए जन शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत और निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की (सिंगल विन्डो) प्रणाली है जो: (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल जन शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

19.3 यह मंत्रालय अभ्यावेदन/शिकायतें डाक के साथ ही साथ व्यक्ति द्वारा एवं सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर उनसे संबद्ध वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उनका उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कृत कार्रवाई के विषय में भी सूचित किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान अर्थात् 01.04.2020 से 31.12.2020 तक 52 शिकायतें अग्रेषित की गईं और 484 शिकायतों सहित कुल 536 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 449 शिकायतों अर्थात् 83.76 प्रतिशत का निपटान किया गया। सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में शिकायत निदेशक एवं संयुक्त सचिव, जन–शिकायत द्वारा आयोजित बैठकों में शिकायतों के निपटान की स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

19.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को निर्दिष्ट कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालयों से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

19.5 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–19** में दिए गए हैं। श्री मनोज बापना, निदेशक को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं (यथासंशोधित) मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

19.6 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा भी प्रकाशित की गई हैं और उन्हें अपनी–अपनी संबंधित वेबसाइटों पर डाल दिया

गया है तथा इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

19.7 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके दिए गए उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

01.04.2020 से 31.12.2020 के दौरान आरटीआई की स्थिति

	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
ऑनलाइन	615	540	75
ऑफलाइन	175	160	15
कुल	790	700	90

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलें

19.8 संबंधित निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 24.07.2020 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटान किया जाता है।

*****

अध्याय 20

विभागीय लेखा प्रणाली

संगठन :

20.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), लेखाओं के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के अलावा सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेखा–अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखाओं, लेखाओं के विनियोजन, केन्द्रीय लेन–देन के विवरण, संघ वित्त लेखाओं, अन्य संबंधित कार्यों यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन आदि का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी

20.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखे, प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, आईएनए, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

लेखाओं और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

20.3 इससे पूर्व, वेतन तथा लेखा कार्यालय अग्रिम–जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन जैसे 'कॉम्पैक्ट' के सभी मॉड्यूल उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से ई–भुगतान का तंत्र भी बदल दिया गया है तथा सभी भुगतान (योजना तथा गैर–योजना) पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माध्यम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई–परामर्श डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं।

ई–लेखा

20.4 दैनिक आधार पर ई–लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब, पीएफएमएस स्वतः ही आंकड़े अद्यतित कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य पणधारियों (स्टेकहोल्डर) को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई–लेखा में आंकड़े भर देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

20.5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस संगठन द्वारा इस मंत्रालय की सभी योजनात्मक स्कीमों का आकलन इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया गया है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

20.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में

निधियों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में अतिरिक्त कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है।

20.7 राज्यों को निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतर–सरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए नई कार्य–रीति प्रदान की गयी है तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित करता है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस):

20.8 नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस स्कीमों के तहत वेतन (ग्रेड वेतन + मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से कटौती करके तथा सरकार के 14 प्रतिशत अंशदान सहित सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में लागू है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्रः

20.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

20.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा करती है, अलग–अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा–परीक्षा में निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जाता हैः

- **सामान्यतः** आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभाव का आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता, जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा प्रदायगी तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आकलन और
- कार्य प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

20.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएडंएजी) पैराओं की संख्या निम्नांकित सारणी में दी गई हैः

1	01 .04.2020 तक बकाया पैराओं की संख्या	0
2	वर्ष 2019–20 के दौरान परिवर्धन	0
3	31.12.2020 तक बकाया पैराओं की संख्या	0

पीएसी पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)/कृत– कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)

20.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित लोक लेखा समिति (पीएसी) के पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति अनुलग्नक–20 में दी गई है।

*****

अध्याय 21

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता	गेट नं. 3, भू–तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली––110001
वेबसाइट	www.tribal.nic.in

विज़न:

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना एवं उन्मूलन समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मिशन:

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन एवं उनका संवर्धन करना,
2. क्षेत्र एवं जनसंख्या लक्षित दृष्टिकोणों (अप्रोच) के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी ।

मुख्य सेवाएं/कार्य संपादन

क्र.सं	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	30	श्री मुकेश कुमार, उप-सचिव	kr.mukesh87@nic.in	011-23383303	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, और पीवीटीजी -विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास। क) लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास,		श्री वैभव गोयल, उप-सचिव डा. अनिल कुमार अड्डेपल्ली, निदेशक (पीवीटीजी)	vibhavgoyal.ofb@ofb.gov.in agmu196@cfs.nic.in	011-23340470 011-23073706	ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	i) राज्य सरकारों से योजना दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आवंटित राशि के अधीन प्रस्ताव|	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क श्रेणी	पद्धति	राशि
	ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कौशल विकास, आय सृजन ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।									
						iii) पीएसी की बैठकों का आयोजन iv) मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						v) प्रथम और दूसरी किश्त की संस्वीकृति/ निर्मुक्ति (जैसी भी स्थिति हो) जारी करना।	i) पूर्ववर्ती वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, ii) पूर्ववर्ती वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, (iii) यथापेक्षित भूमि की उपलब्धता।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां।	20	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar.ofb@gov.in	011-23383965		ii) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, i) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।			
3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जनजातीय उत्सवों सहित जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar.ofb@gov.in	011-23383965	(i) प्रस्ताव आमंत्रित करना (ii) राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजना आमंत्रित करना । (iii) राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति (iv) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन	i)निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii)राज्य सरकार की संस्तुति। iii)लेखा का लेखा-परीक्षित विवरण (दूसरी तथा अंतिम किश्त के लिए)। iv) निर्धारित प्रपत्र में पूर्व अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
						(v) अनुसूची के अनुसार पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृति / निर्मुक्ति जारी करना	v) प्रबंधन समिति की सूची vi) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक का प्राधिकार-पत्र,			
4	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री मुकेश कुमार, उप-सचिव	kr.mukesh87 @nic.in	011-23383303	(i) संबंधित एसटीडीसीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के साथ (जहां देय हो) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति (ii)मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम प्राधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन। (iii) पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृति/निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड i)प्रस्ताव ii)वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट। iii)पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी (i) योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/सिफारिश, **(ii)** पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र, **(iii)** पूर्व वर्ष के अनुदान की वास्तविक प्रग़ति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन-मंत्रालयों/ विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल टिप्पणियां तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में निविष्टियां (इनपुट्स)/टिप्पणियां प्रदान करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियां, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
						ii)गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण जनजातियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मत का प्रतिपादन। iii)संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचार संप्रेषित करना,				
6	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य-बलों तथा शासी- परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य- बलों, शासी- परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान।	10	श्री विजय गोपाल मंगल, उप-सचिव	vijay.mangal@nic.in	9818271882	i) शिकायत प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						ii) जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	समर्थनकारी दसतावेज/आदेश			
						iii)आवेदक को उत्तर				
8	आवासीय/गैर-आवासीय/स्वास्थ्य/ व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/ एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक	rajenderkumar.ofb@gov.in	011-23383965	i) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	i)आवेदन पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार%	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	श्रेणी	श्रेणी
						ii) प्रस्तावों की संवीक्षा तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति।	ii) राज्य सरकार की संस्तुति iii) जिला कलेक्टर द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट iv)बजट अनुमान v) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण। vi) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र vii) प्रबंधन समिति की सूची viii) कर्मचारियों की सूची ix) लाभार्थियों की सूची x) वार्षिक रिपोर्ट xi) पंजीकरण प्रमाण-पत्र, नियम एवं उप-नियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं) xii) अद्यतन किराया करार/किराया आकलन प्रमाण-पत्र xiii) अग्रिम जमानत बांड xiv) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति xv) प्राधिकार-पत्र xvi) परियोजना के लिए रखी गई पासबुक के बैंक लेन-देन की प्रति			

नागरिक/ग्राहक चार्टर

सेवा मानक

क्र. सं.	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डेटा स्रोत
1	राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति: क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कौशल विकास, आय सृजन । ग) अजजा बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय अभिलेख
2	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विदयालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां।	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति,	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय उत्सव,	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड

क्र. सं.	सेवाएं/ कार्य संपादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डेटा स्रोत
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/विभागों की नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/टिप्पणी प्रस्तुत करना।	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासी परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों (इनपुट्स) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय का रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

वेबसाइट/यूआरएल शिकायत दर्ज करने के लिए http://pgportal.gov.in/

क्र. सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नं.	ई-मेल
1	श्री विजय गोपाल मंगल, उप-सचिव	9818271882	vijay.mangal@nic.in
2	श्रीमती संगीता महेंद्रा- कार्यकारी निदेशक, (आईसी), ट्राइफेड	011- 26560117	~~smahendra trifed@gmail com~~
3	श्री अनिल कुमार जुयाल, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712562	gmfin.nstfdc@gmail.com

हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक/ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/राज्य मंत्रालय/विभाग
2	केन्दीय/राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/शैक्षिक संस्थान)
4	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
6	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी)
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	एनजीओ
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई-मेल पता	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26569064, 26968247	trifed@rediffmail.com	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3- इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110016
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519, 26712562, 26712583	nstfdc@bol.net.in	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हाल नं 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का जल्द व यथासमय पर प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/योजनात्मक उपाय के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ सूचना देना।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1

संगठनात्मक चार्ट
जनजातीय कार्य मंत्रालय

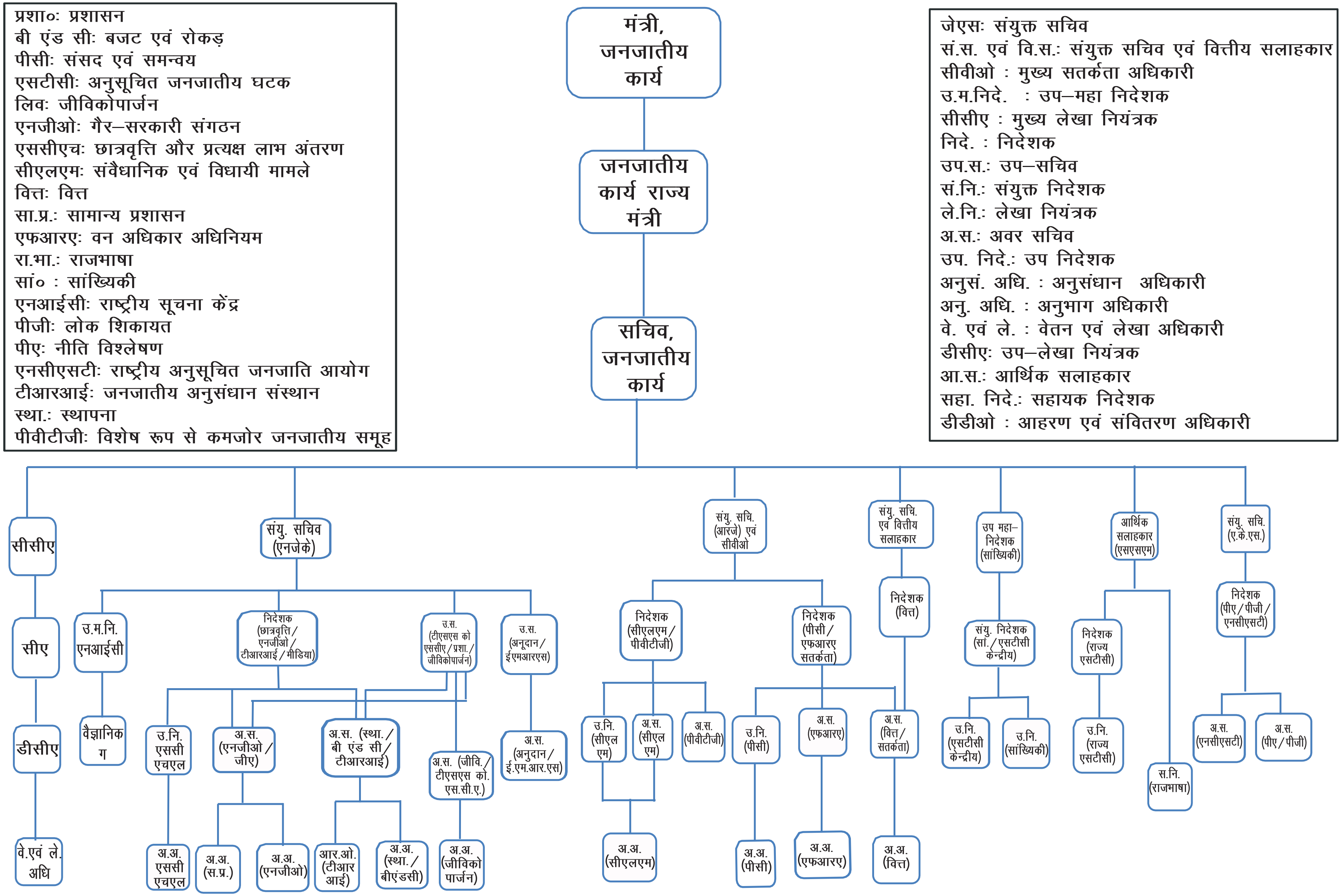

प्रशा०: प्रशासन
बी एंड सी: बजट एवं रोकड़
पीसी: संसद एवं समन्वय
एसटीसी: अनुसूचित जनजातीय घटक
लिव: जीविकोपार्जन
एनजीओ: गैर–सरकारी संगठन
एससीएच: छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
सीएलएम: संवैधानिक एवं विधायी मामले
वित्त: वित्त
सा.प्र.: सामान्य प्रशासन
एफआरए: वन अधिकार अधिनियम
रा.भा.: राजभाषा
सां० : सांख्यिकी
एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना केंद्र
पीजी: लोक शिकायत
पीए: नीति विश्लेषण
एनसीएसटी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
टीआरआई: जनजातीय अनुसंधान संस्थान
स्था.: स्थापना
पीवीटीजी: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जेएस: संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स.: संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सीवीओ : मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे. : उप–महा निदेशक
सीसीए : मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे. : निदेशक
उप.स.: उप–सचिव
सं.नि.: संयुक्त निदेशक
ले.नि.: लेखा नियंत्रक
अ.स.: अवर सचिव
उप. निदे.: उप निदेशक
अनुसं. अधि. : अनुसंधान अधिकारी
अनु. अधि. : अनुभाग अधिकारी
वे. एवं ले. : वेतन एवं लेखा अधिकारी
डीसीए: उप–लेखा नियंत्रक
आ.स.: आर्थिक सलाहकार
सहा. निदे.: सहायक निदेशक
डीडीओ : आहरण एवं संवितरण अधिकारी

अनुलग्नक—2

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम
1	जनजातीय उप—स्कीम (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान
3	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)
5	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय तथा छात्रवृत्ति
	I. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
	II. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए (उच्च श्रेणी शिक्षा) छात्रवृत्ति स्कीम
6	विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
9	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम
12	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान ,सूचना एवं जन—शिक्षा
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) के लिए इक्विटी सहायता
14	जनजातीय उत्पाद के विपणन तथा विकास के लिए संस्थागत समर्थन (ट्राइफेड आदि)

अनुलग्नक–3क

वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना–वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रू. में)

कार्यक्रम/उप–स्कीम	2018–19 (पूर्वोत्तर राज्य सहित)			2019–20 (पूर्वोत्तर राज्य सहित)		
	ब.अ	सं.अ	व्यय	ब.अ	सं.अ	व्यय
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	130.00	120.00	114.00	110.00	110.00	94.84
जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत सहायता	54.15	72.50	72.50	83.00	128.50	128.50
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास (पीटीजी)	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	65.00	65.00	65.00	80.00	80.00	80.00
अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	100.00	100.00	99.98	100.00	100.00	99.89
विदेश में अध्यन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90
लघु वन उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के एमएसपी)	130.00	97.47	96.85	130.00	190.00	164.64
जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्ति	1586.00	1643.03	1647.56	340.00	440.00	440.00
मैट्रीकपूर्व छात्रवृत्ति	350.00	310.00	311.50	1613.50	1826.39	1863.33
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	100.00	100.00	99.99	100.00	110.00	109.98
अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	25.00	25.00	23.35	24.00	24.00	23.23
निगरानी तथा मूल्यांकन	5.00	2.50	2.42	2.50	4.00	3.83
वन बंधु कल्याण योजना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	1350.00	1350.00	1349.81	1350.00	1350.00	1349.86
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	1800.01	1820.00	1819.82	2662.56	2662.55	2662.53
कुल योग	**5957.18**	**5957.50**	**5954.78**	**6847.89**	**7293.66**	**7288.74**

ब.अ. – बजट अनुमान, सं.अ.–संशोधित अनुमान, व्यय – व्यय

अनुलग्नक–3ख

जनजातीय कार्य मंत्रालय
वर्ष 2020–21 के लिए स्कीम–वार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तथा 31.12.2020 तक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब.अ. 2020–21	सं.अ. 2020–21	31.12.2020 तक व्यय
1	2	3	4	5
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	1350.00	800.00	710.80
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00	0.00
3	अजजा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	120.00	87.05
4	विदेश में अध्ययन के लिए अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2.00	4.76	1.89
5	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	150.00	0.00	0.00
6	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	140.00	105.00	62.05
7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1313.23	1200.00	599.55
8	जनजातीय स्मारक सहित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	110.00	60.00	10.75
9	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	400.00	250.00	192.34
10	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1900.00	1833.00	1556.39
11	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	60.00	10.48
12	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	152.51	85.74	41.38
13	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)	250.00	140.00	71.76
14	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)	0.01	0.00	0.00
15	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा	24.00	12.00	5.14
16	निगरानी तथा मूल्यांकन	4.00	2.00	1.08
17	जनजातीय उप–योजनाओं को एससीए	1350.00	800.00	505.07
	कुल योग	**7355.76**	**5472.50**	**3855.73**

अनुबन्ध–4क

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की लैंगिक तथा आवासीय अधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्या

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल/ग्रा./श.	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	भारत	**कुल**	**104545716**	**52547215**	**51998501**
		ग्रामीण	**94083844**	**47263733**	**46820111**
		शहरी	**10461872**	**5283482**	**5178390**
1	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल	1275106	666062	609044
		ग्रामीण	1222204	637064	585140
		शहरी	52902	28998	23904
2	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल	218193	110195	107998
		ग्रामीण	184629	93011	91618
		शहरी	33564	17184	16380
3	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
4	उत्तराखण्ड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
5	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
6	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
7	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
8	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
9	अरूणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
10	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
11	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
12	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
13	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
14	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
15	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल/ग्रा./श.	व्यक्ति	पुरूष	महिला
16	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
17	झारखण्ड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
18	ओडीशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
19	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
20	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
21	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
22	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	कुल	193927	96615	97312
		ग्रामीण	158561	78892	79669
		शहरी	35366	17723	17643
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्रप्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटका	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय
टिप्पणीः 2011 की स्थिति के अनुसार पंजाब, चंड़ीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुददुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है।

अनुलग्नक–4ख

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. का %	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा का %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छतीसगढ	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	1,22,67,013	12,75,106	10.4	1.2
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	2,74,289	2,18,193	79.5	0.2
15	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
16	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
17	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
18	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
19	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
20	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
21	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
22	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
23	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
24	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
25	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
26	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
27	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
28	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
29	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
30	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
32	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
33	दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली	5,86,956	1,93,927	33.0	0.2
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएसटीः कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है (2011 के अनुसार)

अनुलग्नक–4ग

भारत में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के लैंगिक अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लैंगिक अनुपात 2001			लैंगिक अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन और दीव	947	952	928	977	982	972
दादर और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान और निकोबार द्वीप	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः 2001 और 2011 की जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4घ

जनगणना–2011 के अनुसार समस्त जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरुष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादर और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान और निकोबार द्वीप	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पणी: 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुद्दुचेरी में कोई अधिसूचित जनजाति नहीं

अनुलग्नक–4 ड.

15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के स्नातक तथा इससे ऊपर के शैक्षिक स्तर वाली अनुसूचित जनजाति

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातकोत्तर डिग्री	तकनीकी डिग्री या डिग्री के समतुल्य डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू एवं कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखण्ड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखण्ड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादर एवं नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* शिक्षण–जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि
स्रोतः जनगणना 2011,भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4च

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2019 तक)									
		ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष के मध्य 01 जुलाई, 2019 को में अनुमानित जनजातीय जनसंख्या	उपकेन्द्र			पीएचसी			सीएचसी		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2266965	755	802	**	113	153	**	28	21	7
2	अरुणाचल प्रदेश#	839207	279	385	**	41	143	**	10	63	**
3	असम	3993696	1331	778	553	199	181	18	49	27	22
4	बिहार	1454932	484	उप.नहीं	उप.नहीं	72	उप.नहीं	उप.नहीं	18	उप.नहीं	उप.नहीं
5	छत्तीसगढ़	7879417	2626	2812	**	393	395	**	98	81	17
6	गोवा	69097	23	66	**	3	8	**	0	1	**
7	गुजरात	6065876	2021	2778	**	303	421	**	75	92	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	398091	132	104	28	19	47	**	4	8	**
10	जम्मू एवं कश्मीर	1472006	490	307	183	73	48	25	18	11	7
11	झारखण्ड	8787305	2929	2665	264	439	192	247	109	98	11
12	कर्नाटक	3463079	1154	321	833	173	64	109	43	7	36
13	केरल	285346	95	831	**	14	137	**	3	12	**
14	मध्य प्रदेश	16025605	5341	3274	2067	801	338	463	200	99	101
15	महाराष्ट्र	9406508	3135	2582	553	470	467	3	117	67	50
16	मणिपुर	834313	278	252	26	41	55	**	10	7	3
17	मेघालय #	2314912	771	477	294	115	118	**	28	28	0
18	मिजोरम #	528295	176	370	**	26	69	**	6	9	**
19	नागालैंड #	1189355	396	453	**	59	131	**	14	21	**
20	ओडिशा	9202138	3067	2701	366	460	427	33	115	133	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	9681034	3227	1574	1653	484	233	251	121	67	54
23	सिक्किम	142276	47	57	**	7	13	**	1	0	1
24	तमिलनाडु	644645	214	432	**	32	105	**	8	25	**
25	तेलंगाना	2796018	932	698	234	139	93	46	34	23	11
26	त्रिपुरा	1069169	356	484	**	53	48	5	13	9	4
27	उत्तराखण्ड	277051	92	155	**	13	10	3	3	5	**
28	उत्तर प्रदेश	1147580	382	NA	NA	57	NA	NA	14	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल	4908121	1636	3206	**	245	300	**	61	104	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह (1)	25916	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	162390	54	58	**	8	7	1	2	0	2
33	दमन एवं दीव(1)	4288	1	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #(1)	3808	1	14	**	0	4	**	0	3	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**97338441**	**32433**	**28682**	**7054**	**4853**	**4211**	**1204**	**1202**	**1022**	**326**

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एससी और पीएचसी में एचडब्ल्यूसी शामिल हैं

टिप्पणियांः जनजातीय आबादी के आधार पर निर्धारित मानदण्डों का प्रयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। कुछ राज्यों में विद्यमान अधिशेष को अनदेखा करते हुए, कमियों के राज्य–वार आंकड़ों को जोड़ते हुए अखिल भारतीय स्तर पर कमी तैयार की गई है। वर्ष 2019 के मध्यकाल में ज.जा. आबादी का परिकलन, वर्ष 2011 की ग्रामीण क्षेत्रों की कुल ज.जा. आबादी की प्रतिशतता पर आधारित है। आरः आवश्यक; पीः विद्यमान; एसः कमी;'': अधिशेष, ': राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है; #:राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं। (1) [2] जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है। उप. न. : डेटा उपलब्ध नहीं

अनुलग्नक–4छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारी [महिला]/एएनएम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1 [आर1]	स्वीकृत [एस]	तैनात [पी]	रिक्त [एस–पी]	कमी [आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	802	1493	1290	203	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	385	उप.नहीं	477	उप.नहीं	**
3	असम	778	उप.नहीं	1402	उप.नहीं	**
4	बिहार	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं
5	छत्तीसगढ	2812	2906	4254	**	**
6	गोवा	66	59	59	0	7
7	गुजरात	2778	2778	2112	666	666
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	104	104	65	39	39
10	जम्मू और कश्मीर	307	649	591	58	**
11	झारखंड	2665	5530	4128	1402	**
12	कर्नाटक	321	321	242	79	79
13	केरल	831	840	840	0	**
14	मध्य प्रदेश	3274	4180	3305	875	**
15	महाराष्ट्र	2582	4208	7134	**	**
16	मणिपुर	252	666	601	65	**
17	मेघालय #	477	उप.नहीं	817	उप.नहीं	**
18	मिजोरम #	370	405	673	**	**
19	नागालैंड #	453	760	804	**	**
20	ओडिशा	2701	2701	2793	**	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1574	2187	1788	399	**
23	सिक्किम	57	उप.नहीं	93	उप.नहीं	**
24	तमिलनाडु	432	432	407	25	25
25	तेलंगाना	698	1158	1158	0	**
26	त्रिपुरा	484	उप.नहीं	189	उप.नहीं	295
27	उत्तराखंड	155	155	146	9	9
28	उत्तर प्रदेश	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं
29	पश्चिम बंगाल	3206	5297	5396	**	**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	41	57	56	1	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली #	58	39	94	**	**
33	दमन और दीव	5	9	9	0	**
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	14	24	24	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**28682**	**36958**	**40947**	**3821**	**1120**

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टिप्पणियां: # राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र है
एनए = आंकडे उपलब्ध नहीं
** अधिशेष
1 आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार एक नर्सिंग स्टाफ प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
*: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है
इन आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीएचसी और एचडब्ल्यूसी–पीएचसी के आंकड़े शामिल हैं।

अनुलग्नक–4 ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) एएनएम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	153	0	0	0	153
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	145	76	69	67
3	असम	181	उपलब्ध नहीं	415	उपलब्ध नहीं	**
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	448	435	13	**
6	गोवा	8	18	18	0	**
7	गुजरात	421	421	39 6	25	25
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	15	5	10	42
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	67	99	**	**
11	झारखण्ड	192	160	245	**	**
12	कर्नाटक	64	0	0	0	64
13	केरल	137	176	186	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	332	380	**	**
15	महाराष्ट्र	467	842	720	122	**
16	मणिपुर	55	116	70	46	**
17	मेघालय #	118	उपलब्ध नहीं	356	उपलब्ध नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उपलब्ध नहीं	30	उपलब्ध नहीं	39
19	नागालैंड #	131	202	213	**	**
20	ओडिशा	427	650	503	147	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	462	369	93	**
23	सिक्किम	13	उपलब्ध नहीं	42	उपलब्ध नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	120	112	8	**
25	तेलंगाना	93	0	0	0	93
26	त्रिपुरा	48	उपलब्ध नहीं	49	उपलब्ध नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	8	6	2	4
28	उत्तर प्रदेश	NA	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	121	70	51	230
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	30	14	16	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	0	0	0	7
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	4	23	23	0	**
36	पुद्दुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**4211**	**4356**	**4832**	**602**	**724**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है
उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष
मानदण्डों के अनुसार एचडब्ल्यूसी–एससी और एचडब्ल्यूसी पीएचसी प्रत्येक के लिए एक प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
*: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है
इन आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीएचसी और एचडब्ल्यूसी – के आंकड़े शामिल हैं।

अनुलग्नक–4 झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	153	466	448	18	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	उपलब्ध नहीं	172	उपलब्ध नहीं	**
3	असम	181	उपलब्ध नहीं	380	उपलब्ध नहीं	**
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	757	559	198	**
6	गोवा	8	17	22	**	**
7	गुजरात	421	1120	738	382	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	28	12	16	35
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	81	35	46	13
11	झारखण्ड	192	160	21	139	171
12	कर्नाटक	64	56	45	11	19
13	केरल	137	179	185	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	332	165	167	173
15	महाराष्ट्र	467	475	290	185	177
16	मणिपुर	55	73	85	**	**
17	मेघालय #	118	उपलब्ध नहीं	373	उपलब्ध नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उपलब्ध नहीं	154	उपलब्ध नहीं	**
19	नागालैंड #	131	184	200	**	**
20	ओडिशा	427	0	247	**	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	175	82	93	151
23	सिक्किम	13	उपलब्ध नहीं	24	उपलब्ध नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	273	307	**	**
25	तेलंगाना	93	188	160	28	**
26	त्रिपुरा	48	उपलब्ध नहीं	302	उपलब्ध नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	8	6	2	4
28	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	717	605	112	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	9	9	0	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	11	69	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	4	11	11	0	**
36	पुद्दुचेरी *	0	0	0	0	0
कुल		**4211**	**5320**	**5706**	**1397**	**743**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र ध्जनसंख्या नहीं है

आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक ।

उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष

इन आंकड़ों में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीएचसी और एचडब्ल्यूसी – पीएचसी के आंकड़े शामिल हैं ।

अनुलग्नक–4 ञ

जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	147	136	116	20	31
2	अरुणाचल प्रदेश #	441	उपलब्ध नहीं	451	उपलब्ध नहीं	**
3	असम	189	उपलब्ध नहीं	199	उपलब्ध नहीं	**
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	567	957	761	196	**
6	गोवा	7	24	23	1	**
7	गुजरात	644	644	509	135	135
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	56	31	18	13	38
10	जम्मू एवं कश्मीर	77	84	76	8	1
11	झारखण्ड	686	435	380	55	306
12	कर्नाटक	49	88	48	40	1
13	केरल	84	67	93	**	**
14	मध्य प्रदेश	693	707	636	71	57
15	महाराष्ट्र	469	373	306	67	163
16	मणिपुर	49	उपलब्ध नहीं	55	उपलब्ध नहीं	**
17	मेघालय #	196	उपलब्ध नहीं	378	उपलब्ध नहीं	**
18	मिजोरम #	63	NA	51	NA	12
19	नागालैंड #	147	191	191	0	**
20	ओडिशा	931	425	605	**	326
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	469	730	588	142	**
23	सिक्किम	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	175	143	108	35	67
25	तेलंगाना	161	102	23	79	138
26	त्रिपुरा	63	उपलब्ध नहीं	90	उपलब्ध नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	35	18	15	3	20
28	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	पश्चिम बंगाल	728	1382	1374	8	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	7	24	24	0	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	21	43	43	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**7154**	**6604**	**7161**	**873**	**1295**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां : # राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है

*: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है

1 आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक नर्सिंग स्टाफ

उप. नहीं : उपलब्ध नहीं ** अधिशेष

अनुलग्नक–4 ट

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर[2]

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2019 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	153	287	273	14	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	143	उपलब्ध नहीं	123	उपलब्ध नहीं	20
3	असम	181	उपलब्ध नहीं	336	उपलब्ध नहीं	**
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	395	409	176	233	219
6	गोवा	8	19	18	1	**
7	गुजरात	421	1030	531	499	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	47	67	46	21	1
10	जम्मू एवं कश्मीर	48	76	75	1	**
11	झारखण्ड	192	382	240	142	**
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	230	232	**	**
14	मध्य प्रदेश	338	364	289	75	49
15	महाराष्ट्र	467	740	666	74	**
16	मणिपुर	55	उपलब्ध नहीं	77	उपलब्ध नहीं	**
17	मेघालय #	118	उपलब्ध नहीं	149	उपलब्ध नहीं	**
18	मिजोरम #	69	उपलब्ध नहीं	62	उपलब्ध नहीं	7
19	नागालैंड #	131	उपलब्ध नहीं	139	उपलब्ध नहीं	**
20	ओडिशा	427	444	307	137	120
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	233	305	254	51	**
23	सिक्किम	13	उपलब्ध नहीं	21	उपलब्ध नहीं	**
24	तमिलनाडु	105	190	126	64	**
25	तेलंगाना	93	211	186	25	**
26	त्रिपुरा	48	उपलब्ध नहीं	133	उपलब्ध नहीं	**
27	उत्तराखण्ड	10	17	10	7	0
28	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	पश्चिम बंगाल	300	410	352	58	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	4	9	5	4	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	3	17	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	4	8	8	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**4211**	**5265**	**4889**	**1432**	**442**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां : # जनजातीय बहुल क्षेत्र वाले राज्य है

*: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नहीं है

1 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आईपीएचएस मानदण्डों के अनुसार ।

2 एलोपैथिक डॉक्टर

इन आंकड़ों में पीएचसी और एचडब्ल्यूसी – के आंकड़े शामिल हैं ।

अनुलग्नक–4 ठ

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत					
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर ऊर्जा	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
भारत	**2,33,74,527**	**24,67,40,228**	**51.7**	**67.2**	**45.6**	**31.4**	**1.1**	**0.4**
जम्मू एवं कश्मीर	2,62,419	20,15,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1
हिमाचल प्रदेश	92,017	14,76,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1
उत्तराखण्ड	63,322	19,97,068	83.7	87	13.6	11.1	1.9	1.2
राजस्थान	18,36,014	1,25,81,303	39.7	67	57.7	30.9	0.9	0.6
उत्तर प्रदेश	5,12,649	3,29,24,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5
बिहार	4,23,568	1,89,40,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6
सिक्किम	46,013	1,28,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2
अरुणाचल प्रदेश	1,72,913	2,61,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4	2.9
नागालैंड	3,49,022	3,99,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3
मणिपुर	2,19,179	5,54,713	62.5	68.3	28.5	25.1	4	1.9
मिजोरम	2,11,626	2,21,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3
त्रिपुरा	2,59,322	8,42,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9
मेघालय	4,56,683	5,38,299	59.2	60.9	38.6	37	0.8	0.8
असम	8,87,226	63,67,295	28	37	69.3	61.8	2.1	0.8
पश्चिम बंगाल	12,73,423	2,00,67,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2
झारखण्ड	17,18,359	61,81,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7
ओडिशा	22,40,142	96,61,085	15.6	43	82.3	55.3	0.6	0.4
छत्तीसगढ़	17,47,575	56,22,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9
मध्य प्रदेश	32,13,683	1,49,67,597	54	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3
गुजरात	18,37,844	1,21,81,718	80	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0	0
दादर एवं नागर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0
महाराष्ट्र	24,45,645	2,38,30,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3
कर्नाटक	9,36,995	1,31,79,911	83.6	90.6	15	8.6	0.4	0.2
गोवा	33,662	3,22,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2
लक्षद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0	0
केरल	1,36,006	77,16,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2
तमिलनाडु	3,84,713	1,84,93,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1
अंडमान निकोबार दीप समूह	7,743	93,376	94	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ङ

मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले, सुविधा रहित तथा खुले में शौच करने वाले परिवारों की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुलसंख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मैला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं होने वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारत	**23374527**	**2467,40,228**	**22.70**	**46.90**	**0.10**	**0.30**	**77.30**	**53.10**	**74.60**	**49.80**
जम्मू एवं कश्मीर	262419	20,15,088	26.70	51.20	5.20	8.90	73.30	48.80	71.10	46.10
हिमाचल प्रदेश	92017	14,76,581	62.00	69.10	0.20	0.00	38.00	30.90	36.70	29.70
उत्तराखण्ड	63322	19,97,068	46.10	65.80	0.10	0.20	53.90	34.20	51.50	33.10
राजस्थान	1836014	125,81,303	7.90	35.00	0.00	0.00	92.10	65.00	91.70	64.30
उत्तर प्रदेश	512649	329,24,266	35.50	35.60	0.50	1.00	64.50	64.40	62.30	63.00
बिहार	423568	189,40,629	13.70	23.10	0.10	0.10	86.30	76.90	85.00	75.80
सिक्किम	46013	1,28,131	85.90	87.20	-	0.00	14.10	12.80	12.80	11.30
अरुणाचल प्रदेश	172913	2,61,614	58.40	62.00	0.40	0.40	41.60	38.00	38.80	34.80
नागालैंड	349022	3,99,965	74.80	76.50	0.20	0.20	25.20	23.50	17.80	16.50
मणिपुर	219179	5,54,713	78.40	87.00	1.00	2.00	21.60	13.00	19.20	10.70
मिजोरम	211626	2,21,077	91.90	91.90	0.10	0.10	8.10	8.10	6.60	6.60
त्रिपुरा	259322	8,42,781	63.70	86.00	0.20	0.10	36.30	14.00	30.30	11.50
मेघालय	456683	5,38,299	61.00	62.90	0.40	0.40	39.00	37.10	36.20	34.30
असम	887226	63,67,295	43.30	64.90	0.20	0.30	56.70	35.10	54.00	33.20
पश्चिम बंगाल	1273423	200,67,299	24.40	58.80	0.30	0.60	75.60	41.20	73.20	38.60
झारखण्ड	1718359	61,81,607	8.30	22.00	0.00	0.00	91.70	78.00	90.80	77.00
ओडिशा	2240142	96,61,085	7.10	22.00	0.10	0.30	92.90	78.00	91.60	76.60
छत्तीसगढ़	1747575	56,22,850	14.80	24.60	0.00	0.00	85.20	75.40	84.60	74.00
मध्य प्रदेश	3213683	149,67,597	8.50	28.80	0.00	0.00	91.50	71.20	90.90	70.00
गुजरात	1837844	121,81,718	24.30	57.30	0.00	0.00	75.70	42.70	73.50	40.40
दमन एवं दीव	3334	60,381	36.90	78.20	-	0.00	63.10	21.80	54.10	10.50
दादर एवं नागर हवेली	33367	73,063	16.90	54.70	0.20	0.20	83.10	45.30	80.80	40.00
महाराष्ट्र	2445645	238,30,580	30.10	53.10	0.00	0.00	69.90	46.90	59.70	34.00
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	19.10	47.70	0.20	0.10	80.90	52.30	78.10	49.00
तेलंगाना	840723	8420662	19.90	52.40	0.40	0.30	80.10	47.60	78.00	46.40
कर्नाटक	936995	131,79,911	28.70	51.20	0.00	0.10	71.30	48.80	66.90	45.00
गोवा	33662	3,22,813	59.90	79.70	-	0.00	40.10	20.30	36.30	16.40

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुलसंख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मैला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं होने वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लक्षद्वीप	10028	10,703	98.30	97.80	-	0.00	1.70	2.20	1.50	1.80
केरल	136006	77,16,370	71.40	95.20	0.00	0.00	28.60	4.80	25.70	3.80
तमिलनाडु	384713	184,93,003	34.70	48.30	0.10	0.10	65.30	51.70	60.30	45.70
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7743	93,376	88.20	70.10	-	0.00	11.80	29.90	11.50	27.50

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4 ढ

ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकान जनगणना की श्रेणियों के अनुसार हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सभी				अनुसूचित जनजाति			
		कुल आवास (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (:)	शौचालय की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता	अलग से रसोई वाले मकानों की प्रतिशतता	कुल मकान (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	शौचालय की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता	अलग से रसोई वाले मकानों की प्रतिशतता
	भारत	**2467.40**	**53.1**	**46.9**	**61.3**	**233.75**	**40.6**	**22.6**	**53.7**
1	जम्मू एवं कश्मीर	20.15	54.1	51.2	85.7	2.62	32.8	26.7	73.6
2	हिमाचल प्रदेश	14.77	72.4	69.1	88.2	0.92	68.4	62.0	85.4
3	उत्तराखण्ड	19.97	66.8	65.8	70.1	0.63	58.2	46.1	74.3
4	राजस्थान	125.81	51.0	35.0	50.8	18.36	31.3	7.9	22.1
5	उत्तर प्रदेश	329.24	42.8	35.6	40.7	5.13	40.6	35.5	43.0
6	बिहार	189.41	36.1	23.1	33.5	4.24	30.6	13.7	34.4
7	सिक्किम	1.28	56.5	87.2	90.2	0.46	54.7	85.9	91.7
8	अरुणाचल प्रदेश	2.62	51.8	62.0	89.2	1.73	54.5	58.4	89.4
9	नागालैंड	4.00	52.4	76.5	96.0	3.49	52.9	74.8	96.8
10	मणिपुर	5.07	54.1	89.3	93.3	2.19	39.2	78.4	88.3
11	मिजोरम	2.21	62.3	91.9	83.8	2.12	62.4	91.9	83.7
12	त्रिपुरा	8.43	54.2	86.0	85.9	2.59	52.7	63.7	75.9
13	मेघालय	5.38	48.1	62.9	90.7	4.57	47.8	61.0	91.2
14	असम	63.67	32.8	64.9	88.3	8.87	32.4	43.3	89.4
15	पश्चिम बंगाल	200.67	40.9	58.8	60.9	12.73	27.5	24.4	48.2
16	झारखण्ड	61.82	43.4	22.0	39.4	17.18	36.6	8.3	34.5
17	ओडिशा	96.61	29.5	22.0	62.9	22.40	19.1	7.1	59.6
18	छत्तीसगढ़	56.23	46.6	24.6	56.1	17.48	43.1	14.8	54.9
19	मध्य प्रदेश	149.68	52.3	28.8	46.8	32.14	38.8	8.5	36.6
20	गुजरात	121.82	67.3	57.3	72.3	18.38	51.2	24.3	65.0
21	दमन एवं दीव	0.60	68.1	78.2	65.9	0.03	57.4	36.9	83.0
22	दादर एवं नागर हवेली	0.73	66.7	54.7	84.4	0.33	54.4	16.9	84.8
23	महाराष्ट्र	238.31	64.1	53.1	72.7	24.46	48.0	30.1	60.4
24	आंध्र प्रदेश	126.04	71.1	47.7	55.6	7.19	57.7	40.3	19.1
25	तेलंगाना	84.21	67.8	52.4	52.2	8.41	58.0	35.7	19.9
26	कर्नाटक	131.80	60.1	51.2	89.3	9.37	50.0	28.7	82.8
27	गोवा	3.23	76.1	79.7	92.9	0.34	68.6	59.9	90.2
28	लक्षद्वीप	0.11	78.7	97.8	95.5	0.10	78.9	98.3	96.6
29	केरल	77.16	66.3	95.2	96.7	1.36	38.4	71.4	89.6
30	तमिलनाडु	184.93	70.2	48.3	76.5	3.85	59.8	34.7	64.3
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	0.93	66.5	70.1	94.1	0.08	86.5	88.2	97.9

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक – 4 ण

पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों (सभी) का %			अ.ज.जा. के परिवारों का %		
	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार					
	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर
भारत	**46.6**	**35.8**	**17.6**	**19.7**	**46.7**	**33.6**
अंडमान निकोबार दीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर एवं नागर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन एवं दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू एवं कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखण्ड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	13.3	52.9	33.8
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखण्ड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4त

वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन होल्डिंग की संख्या का राज्य–वार प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कृषि आंकडे 2015–16				
		निर्वाह योग	कम	अर्द्ध मध्यम	मध्यम	पर्याप्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	64.83	21.6	10.47	2.84	0.25
3	अरुणाचल प्रदेश	22.68	21.37	26.12	23.79	6.03
4	असम	60.85	21.64	13.99	3.45	0.07
5	बिहार	87.33	8.34	3.73	0.58	0.02
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	47.51	25.42	18.41	7.55	1.11
8	दादर और नगर हवेली	55.74	26.91	12.63	4.3	0.41
9	दमन और दीव	93.57	5.27	1.15	0	0
10	दिल्ली	-	-	-	-	-
11	गोवा	79.54	10.33	6.11	3.64	0.38
12	गुजरात	38.19	28.74	22.02	10.14	0.9
13	हरियाणा	-	-	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश	72.75	17.82	7.66	1.65	0.12
15	जम्मू और कश्मीर	81.64	12.62	4.76	0.94	0.04
16	झारखंड	62.12	17.14	12.79	6.74	1.2
17	कर्नाटक	51.46	28.81	14.33	4.82	0.58
18	केरल	89.95	6.85	2.96	0.24	0
19	लक्षद्वीप	95.83	2.64	1.3	0.22	0.01
20	मध्य प्रदेश	47	27.8	17.68	6.89	0.62
21	महाराष्ट्र	37.55	33.41	20.41	7.85	0.77
22	मणिपुर	44.71	33.92	19.36	2.01	0
23	मेघालय	52.3	26.19	17.38	4.02	0.11
24	मिजोरम	50.14	30.63	15.4	3.55	0.29
25	नागालैंड	4.14	15.16	32.25	37.55	10.91
26	ओडिशा	68.5	22.48	7.76	1.21	0.05
27	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
28	पंजाब	-	-	-	-	-
29	राजस्थान	56.74	22.61	13.86	5.97	0.82
30	सिक्किम	55.06	18.85	18.21	7.16	0.72
31	तमिलनाडु	74.02	17.86	6.35	1.68	0.09
32	तेलंगाना	61.16	26.36	10.64	1.77	0.07
33	त्रिपुरा	75.12	16.15	7.69	1.03	0.02
34	उत्तर प्रदेश	67.09	18.75	9.34	4.26	0.56
35	उत्तराखंड	56.44	15.55	16.24	10.96	0.81
36	पश्चिम बंगाल	85.00	12.34	2.59	0.07	0.00
	सम्पूर्ण भारत	**56.26**	**23.46**	**13.98**	**5.55**	**0.75**

पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुद्दुचेरी में कोई/अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नही है।
स्रोतः कृषि आंकडे, 2015–16

अनुलग्नक—4थ

2017—2019 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अपराध / अत्याचार

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	2017	2018	2019	कुल अखिल भारतीय हिस्सेदारी (2019) का राज्य प्रतिशत	अनुसूचित की जनसंख्या + (लाख में)	अनुसूचित के खिलाफ कुल अपराध दर (2019)
राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	341	330	330	4.0	26.3	12.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.0	9.5	0.0
3	असम	65	6	4	0.0	38.8	0.1
4	बिहार	80	64	97	1.2	13.4	7.3
5	छत्तीसगढ़	399	388	427	5.2	78.2	5.5
6	गोवा	2	5	2	0.0	1.5	1.3
7	गुजरात	319	311	321	3.9	89.2	3.6
8	हरियाणा	0	0	1	0.0	0.0	-
9	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	0.0	3.9	0.3
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0.0	14.9	0.0
11	झारखंड	237	224	342	4.1	86.5	4.0
12	कर्नाटक	401	322	327	4.0	42.5	7.7
13	केरल	144	138	140	1.7	4.8	28.9
14	मध्य प्रदेश	2289	1868	1922	23.3	153.2	12.5
15	महाराष्ट्र	464	526	559	6.8	105.1	5.3
16	मणिपुर	1	1	2	0.0	9.0	0.2
17	मेघालय	0	0	0	0.0	25.6	0.0
18	मिजोरम	0	0	8	0.1	10.4	0.8
19	नागालैंड	0	0	0	0.0	17.1	0.0
20	ओडिशा	700	557	576	7.0	95.9	6.0
21	पंजाब	0	0	1	0.0	0.0	-
22	राजस्थान	984	1095	1797	21.8	92.4	19.5
23	सिक्किम	6	1	2	0.0	2.1	1.0
24	तमिलनाडु	22	15	31	0.4	7.9	3.9
25	तेलंगाना	435	419	530	6.4	32.9	16.1
26	त्रिपुरा	1	0	2	0.0	11.7	0.2
27	उत्तर प्रदेश	88	145	721	8.7	11.3	63.6
28	उत्तराखंड	11	7	8	0.1	2.9	2.7
29	पश्चिम बंगाल	122	101	101	1.2	53.0	1.9
	कुल राज्य (एस)	**7114**	**6524**	**8252**	**99.9**	**1040.0**	**7.9**
संघ राज्यक्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	2	1	3	0.0	0.3	10.5
31	चंडीगढ़	0	0	0	0.0	0.0	-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017	2018	2019	कुल अखिल भारतीय हिस्सेदारी (2019) का राज्य प्रतिशत	अनुसूचित की जनसंख्या + (लाख में)	अनुसूचित के खिलाफ कुल अपराध दर (2019)
32	दादर और नगर हवेली	5	3	0	0.0	1.8	0.0
33	दमन और दीव	0	0	0	0.0	0.2	0.0
34	दिल्ली	4	0	2	0.0	0.0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0.0	0.6	0.0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0.0	0.0	-
	कुल संघ राज्यक्षेत्र (एस)	**11**	**4**	**5**	**0.1**	**2.8**	**1.8**
	अखिल भारतीय कुल योग	**7125**	**6528**	**8257**	**100.0**	**1042.8**	**7.9**

टिप्पणीः

- '+' जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या (आरजीआई)
- अत्याचार का तात्पर्य गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किये गये अपराध से है। केवल आईपीसी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम को छोड़कर) के तहत मामलों को बाहर रखा गया है ।
- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपलब्ध आंकडे
- 2019 के लिए समय पर पश्चिम बंगाल से आंकडे प्राप्त न होने के कारण, 2018 के लिए प्रस्तुत आंकडों का उपयोग किया गया है।

स्रोतः भारत में अपराध 2019, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4द

अनुसूचित जनजातियों के विरूध अपराध/अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार) – 2019

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पिछले वर्ष से लंबित जांच पड़ताल वाले मामले	वर्ष के दौरान रिपोर्ट किये गये मामले	जांच पड़ताल के लिए पुनः खोले गए मामले	जांच पड़ताल के लिए कुल मामले (कॉलम.3 + कॉलम.4 + कॉलम.5)	अपराध दंड सहिंता की धारा 157(1) (ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	1976	7815	8	9799	1
1क.1	हत्या	65	182	3	250	0
1क.2	हत्या करने का प्रयास	50	137	1	188	0
1क.3	साधारण चोट	282	1675	0	1957	0
1क.4	गंभीर चोट	70	112	0	182	0
1क.4.1	गंभीर चोट	69	111	0	180	0
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0	0
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	1	1	0	2	0
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	225	880	0	1105	0
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	207	758	0	965	0
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	126	467	0	593	0
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	53	162	0	215	0
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	14	38	0	52	0
1क.5क.4	ताक–झांक	3	7	0	10	0
1क.5क.5	पीछा करना	11	84	0	95	0
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	18	122	0	140	0
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	23	24	0	47	0
1क.7	अपहरण और हरण	54	153	1	208	0
1क.7.1	अपहरण और हरण	14	68	0	82	0
1क.7.1.1	अपहृत माने गये लापता बच्चे	2	20	0	22	0
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	12	48	0	60	0
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	1	3	0	4	0
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	1	2	0	3	0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	2	0	0	2	0
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	23	54	1	78	0
1क.7.6	अवयस्क बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	3	4	0	7	0

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अन्य राज्यों या एजेंसियों को स्थानांतरित किए गए मामले	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	अंतिम रिपोर्ट		
				गैर संज्ञानात्मक अंतिम रिपोर्ट के रूप में समाप्त मामले	अंतिम रिपोर्ट असत्य के रूप में समाप्त मामले	गलत तथ्य या कानून या सिविल विवाद के रूप में समाप्त मामले
1	2	8	9	10	11	12
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	11	0	8	894	249
1क.1	हत्या	1	0	0	6	0
1क.2	हत्या करने का प्रयास	0	0	0	5	1
1क.3	साधारण चोट	0	0	3	189	49
1क.4.1	गंभीर चोट	0	0	0	0	1
1क.4.2	एसिड हमला	0	0	0	0	1
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	0	0	0	0	0
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	0	0	0	0	0
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	0	0	1	72	14
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	0	0	1	72	12
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	0	0	1	57	7
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	0	0	0	10	0
1क.5क.4	ताक–झांक	0	0	0	3	2
1क.5क.5	पिछा करना	0	0	0	0	0
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	0	0	0	2	3
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	0	0	0	0	2
1क.7	अपहरण और हरण	0	0	1	4	1
1क.7.1	अपहरण और हरण	0	0	0	16	12
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपर्हण हुआ माना जाना	0	0	0	8	5
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	0	0	0	2	2
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	6	3
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	0	0	0	0	0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	0	0	0	0	0
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	0	0	0	0	0
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	0	0	0	6	3
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	0	0	0	0	0

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अंतिम रिपोर्ट			आरोप पत्र दाखिल		
		सत्य किन्तु अपर्याप्त साक्ष्य या अप्रापीय या सुराग न मिलने वाले मामले	मामले जिनमें जांच पड़ताल के दौरान निवारण हुआ	कुल (कॉलम10 - कॉलम 11 - कॉलम 12 - कॉलम 13 - कॉलम 14)	पिछले वर्ष के मामलों में से आरोप–पत्र दाखिल वाले मामले	इस वर्ष के मामलों में से आरोप–पत्र दाखिल वाले मामले	आरोप पत्र दाखिल किये गये (कॉलम 16 कॉलम 17)
1	2	13	14	15	16	17	18
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	79	1	1231	926	5255	6181
1क.1	हत्या	1	0	7	31	136	167
1क.2	हत्या करने का प्रयास	0	0	6	29	97	126
1क.3	साधारण चोट	8	0	249	149	1166	1315
1क.4.1	गंभीर चोट	1	0	2	16	84	100
1क.4.2	एसिड हमला	1	0	2	15	83	98
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	0	0
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	0	0	0	0	0	0
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	0	0	0	1	1	2
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	7	1	95	86	631	717
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	7	1	93	76	538	614
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	4	1	70	43	321	364
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	3	0	13	22	119	141
1क.5क.4	ताक–झांक	0	0	5	2	28	30
1क.5क.5	पिछा करना	0	0	0	2	5	7
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	0	0	5	7	65	72
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	0	0	2	10	93	103
1क.7	अपहरण और हरण	0	0	6	7	7	14
1क.7.1	अपहरण और हरण	4	0	32	13	94	107
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपर्हण हुआ माना जाना	1	0	14	4	45	49
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	0	0	4	0	12	12
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	1 0	0 0	10 0	4 0	33 3	37 3
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण						
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	0	0	0	0	2	2
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	0	0	0	1	0	1
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	2	0	11	5	31	36
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	0	0	0	1	3	4

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पुलिस द्वारा कुल मामलों का निपटान (कॉलम.7+ कॉलम.8 + कॉलम.15+ कॉलम.18)	जांच पड़ताल स्तर पर रद्द मामले	जांच पड़ताल स्तर पर स्थगित मामले	वर्ष के अंत में जांच पड़ताल के लंबित मामले (कॉलम.6–कॉलम.9–कॉलम 19–कॉलम.20)	आरोप पत्र दाखिल करने की दर (कॉलम.18 / कॉलम. 19) *100	लंबित प्रतिशत्ता (कॉलम.22 / कॉलम.6) *100
1	2	19	20	21	22	23	24
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	7424	13	21	2362	83.3	24.1
1क.1	हत्या	175	0	0	75	95.4	30.0
1क.2	हत्या करने का प्रयास	132	0	0	56	95.5	29.8
1क.3	साधारण चोट	1564	1	2	392	84.1	20.0
1क.4.1	गंभीर चोट	102	2	1	78	98.0	42.9
1क.4.2	एसिड हमला	100	2	1	78	98.0	43.3
1क.4.3	एसिड हमले का प्रयास	0	0	0	0	–	–
1क.4.4	अन्य गंभीर चोट	0	0	0	0	–	–
1क.5	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	2	0	0	0	100.0	0.0
1क.5क	महिलाओं पर आक्रमण	812	1	2	292	88.3	26.4
1क.5क.1	महिलाओं की गरिमा को आघात पहुंचाने के इरादे से उन पर आक्रमण	707	1	2	257	86.8	26.6
1क.5क.2	यौन उत्पीड़न	434	1	1	158	83.9	26.6
1क.5क.3	निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग	154	0	0	61	91.6	28.4
1क.5क.4	ताक–झांक	35	0	1	17	85.7	32.7
1क.5क.5	पिछा करना	7	0	0	3	100.0	30.0
1क.5ख	बच्चों पर आक्रमण	77	0	0	18	93.5	18.9
1क.6	महिलाओं की गरिमा का अपमान	105	0	0	35	98.1	25.0
1क.7	अपहरण और हरण	20	0	1	27	70.0	57.4
1क.7.1	अपहरण और हरण	139	2	2	67	77.0	32.2
1क.7.1.1	लापता बच्चों को अपर्हण हुआ माना जाना	63	1	0	18	77.8	22.0
1क.7.1.2	अन्य अपहरण और हरण	16	0	0	6	75.0	27.3
1क.7.2	भीख मांगाने के उद्देश्य के लिए अपहरण और हरण	47	1	0	12	78.7	20.0
1क.7.3	हत्या करने के लिए अपहरण और हरण	3	0	0	1	100.0	25.0
1क.7.4	फिरौती के लिए अपहरण	2	0	0	1	100.0	33.3
1क.7.5	शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और महिलाओं का हरण	1	0	0	1	100.0	50.0
1क.7.6	बालिकाओं की खरीद–फरोख्त	47	1	2	30	76.6	38.5
1क	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	4	0	0	3	100.0	42.9

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष से लंबित जांच पड़ताल के मामले	वर्ष के दौरान आए मामले	जांच के लिए पुनः खोले गए मामले	जांच पड़ताल के लिए कुल मामले (कॉलम. 3+ कॉलम.4+ कॉलम.5)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 157(1) (ख) के तहत नहीं जांचे गये मामले
1	2	3	4	5	6	7
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	10	22	0	32	0
1क.8	बलात्कार	274	1110	0	1384	0
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	205	714	0	919	0
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	69	396	0	465	0
1क.9	बलात्कार का प्रयास	11	21	0	32	0
1क.10	दंगे	79	168	0	247	0
1क.11	लूट	3	11	0	14	0
1क.12	डकैती	8	6	0	14	0
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	8	6	0	14	0
1क.13	आगजनी	9	27	0	36	0
1क.14	आपराधिक धौंस	178	565	0	743	0
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	645	2744	3	3392	1
1ख	केवल अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	632	439	1	1072	0
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादत्न अपमानित करना	137	129	1	267	0
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	44	26	0	70	0
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	1	0	1	0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करनाध्सामाजिक बहिष्कार	47	34	0	81	0
1ख.4	अन्य अपराध	404	249	0	653	0
1	अजा / अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	2608	8254	9	10871	1
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	4	3	0	7	0
	अजजा के विरूद्ध अपराध नृशंसता	**2612**	**8257**	**9**	**10878**	**1**

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अन्य राज्य अथवा एजेंसी को स्थानांतरित मामले	जांच पड़ताल के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	अंतिम रिपोर्ट		
				गैर संज्ञानात्मक अंतिम रिपोर्ट के रूप में समाप्त मामले	अंतिम रिर्पोट असत्य के रूप में अंतिम मामले	गलत तथ्य या कानून या सिविल विवाद के रूप में समाप्त मामले
1	2	8	9	10	11	12
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	0	0	0	2	4
1क.8	बलात्कार	1	0	0	47	9
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	1	0	0	45	8
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	0	0	0	2	1
1क.9	बलात्कार का प्रयास	0	0	0	2	0
1क.10	दंगे	0	0	0	5	4
1क.11	लूट	0	0	0	0	1
1क.12	डकैती	0	0	1	0	0
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	0	0	1	0	0
1क.13	आगजनी	0	0	0	3	2
1क.14	आपराधिक धौंस	0	0	0	33	6
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	9	0	2	512	149
1ख	केवल अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	2	0	7	43	56
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादत्न अपमानित करना	0	0	0	19	7
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	0	0	0	4	4
1ख.3	सार्वजनिक स्थानध्रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	0	0	0	1
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करनाध्सामाजिक बहिष्कार	0	0	0	0	0
1ख.4	अन्य अपराध	2	0	7	20	44
1	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	13	0	15	937	305
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	0	0	0	0	0
	अजजा के विरूद्ध अपराध नृशंसता	**13**	**0**	**15**	**937**	**305**

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	अंतिम रिपोर्ट			आरोप पत्र दाखिल		
		सत्य किन्तु अपर्याप्त साक्ष्य या अप्रापीय या सुराग न मिलने वाले मामले	मामले जिनमें जांच पड़ताल के दौरान निवारण हुआ	कुल (कॉलम10+ कॉलम 11+ कॉलम 12+ कॉलम 13+ कॉलम14)	पिछले वर्ष के मामलों से आरोपित मामले	इस वर्ष के दौरान मामलों से आरोपित मामले	आरोपित पत्र दाखिल किये गये मामले (कॉलम 16+ कॉलम17)
1	2	13	14	15	16	17	18
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	1	0	7	2	10	12
1क.8	बलात्कार	4	0	60	150	885	1035
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	3	0	56	107	544	651
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	1	0	4	43	341	384
1क.9	बलात्कार का प्रयास	0	0	2	2	11	13
1क.10	दंगे	2	0	11	46	94	140
1क.11	लूट	0	0	1	0	7	7
1क.12	डकैती	0	0	1	4	4	8
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	0	0
1क.12.2	डकैती	0	0	1	4	4	8
1क.13	आगजनी	1	0	6	1	15	16
1क.14	आपराधिक धौंस	4	0	43	115	428	543
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	47	0	710	277	1596	1873
1ख	केवल अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	102	0	208	166	154	320
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादत्न अपमानित करना	9	0	35	28	47	75
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	12	0	20	18	14	32
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	0	0	1	0	0	0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/सामाजिक बहिष्कार	14	0	14	26	11	37
1ख.4	अन्य अपराध	67	0	138	94	82	176
1	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	181	1	1439	1092	5409	6501
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	0	0	0	0	1	1
	अजजा के विरुद्ध अपराध नृशंसता	**181**	**1**	**1439**	**1092**	**5410**	**6502**

जारी

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पुलिस द्वारा कुल मामलों का निपटान (कॉलम.7+ कॉलम.8+ कॉलम.15+ कॉलम.18)	जांच पड़ताल स्तर पर रद्द मामले	जांच पड़ताल स्तर पर स्थगित मामले	वर्ष के अंत में जांच पड़ताल के लंबित मामले (कॉलम.6– कॉलम.9– कॉलम.19– कॉलम.20)	आरोप पत्रों का दर (कॉलम 18/ कॉलम 19) * 100	लंबित प्रतिशत्ता (कॉलम 22/ कॉलम 6) * 100
1	2	19	20	21	22	23	24
1क.7.7	अन्य अपरहण तथा हरण	19	0	0	13	63.2	40.6
1क.8	बलात्कार	1096	4	0	284	94.4	20.5
1क.8.1	महिलाओं का बलात्कार	708	4	0	207	91.9	22.5
1क.8.2	बच्चों का बलात्कार	388	0	0	77	99.0	16.6
1क.9	बलात्कार का प्रयास	15	0	0	17	86.7	53.1
1क.10	दंगे	151	1	1	95	92.7	38.5
1क.11	लूट	8	0	0	6	87.5	42.9
1क.12	डकैती	9	0	0	5	88.9	35.7
1क.12.1	डकैती के साथ हत्या	0	0	0	0	-	-
1क.12.2	डकैती	9	0	0	5	88.9	35.7
1क.13	आगजनी	22	0	0	14	72.7	38.9
1क.14	आपराधिक धौंस	586	0	4	157	92.7	21.1
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	2593	2	8	797	72.2	23.5
1ख	केवल अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम	530	2	1	540	60.4	50.4
1ख.1	अपमान करने के इरादे से धौंस देना या इरादत्न अपमानित करना	110	1	1	156	68.2	58.4
1ख.2	अजा/अजजा की भूमि पर कब्जा करना/बेचना	52	0	0	18	61.5	25.7
1ख.3	सार्वजनिक स्थान/रास्ते का उपयोग रोकना/न करने देना/अवरोध पैदा करना	1	0	0	0	0.0	0.0
1ख.4	घर छोड़ने को मजबूर करना/ सामाजिक बहिष्कार	51	0	0	30	72.5	37.0
1ख.4	अन्य अपराध	316	1	0	336	55.7	51.5
1	अजा/अजजा (अत्याचार निवारक) अधिनियम संबंधी कुल मामले	7954	15	22	2902	81.7	26.7
2	नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम	1	0	0	6	100.0	85.7
	अजजा के विरूद्ध अपराध नृशंसता	**7955**	**15**	**22**	**2908**	**81.7**	**26.7**

नोटः 1. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।
2. 2019 के लिए समय पर पश्चिम बंगाल से आंकड़े न मिलने के कारण, 2018 के लिए आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
स्रोतः भारत में अपराध 2019, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4ध

मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले (आईपीसी) –2019

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दर्ज मामले	संज्ञेय अपराधों की दर (आईपीसी)++
राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	245	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.0
3	असम	201	0.6
4	बिहार	106	0.1
5	छत्तीसगढ	50	0.2
6	गोवा	38	2.5
7	गुजरात	11	0.0
8	हरियाणा	15	0.1
9	हिमाचल प्रदेश	11	0.2
10	जम्मू और कश्मीर	0	0.0
11	झारखंड	177	0.5
12	कर्नाटक	32	0.0
13	केरल	180	0.5
14	मध्य प्रदेश	73	0.1
15	महाराष्ट्र	282	0.2
16	मणिपुर	9	0.3
17	मेघालय	22	1.8
18	मिजोरम	7	0.2
19	नागालैंड	3	0.1
20	ओडिशा	147	0.3
21	पंजाब	19	0.1
22	राजस्थान	141	0.2
23	सिक्किम	0	0.0
24	तमिलनाडु	16	0.0
25	तेलंगाना	137	0.4
26	त्रिपुरा	1	0.0
27	उत्तर प्रदेश	48	0.0
28	उत्तराखंड	20	0.2
29	पश्चिम बंगाल	172	0.2
	राज्यों में कुल मामले	**2163**	**0.2**
संघ राज्यक्षेत्र:			
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	0	0.0
31	चंडीगढ़	2	0.2
32	दादर एवं नागर हवेली	0	0.0
33	दमन एवं दीव	0	0.0
34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	93	0.5
35	लक्षद्वीप	0	0.0
36	पुद्दुचेरी	2	0.1
	कुल (संघ राज्यक्षेत्र(रों) में)	**97**	**0.4**
	कुल (अखिल भारत)	**2260**	**0.2**

नोट: दर से तात्पर्य प्रति 1 लाख जनसंख्या पर रिपोर्ट किए गए मामलों से है।
जनसंख्या स्रोत: जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (नवंबर, 2019), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार
' पश्चिम बंगाल से 2019 के आंकड़े समय पर न मिलने के कारण, 2018 के आंकड़ें लिए गये हैं।
स्रोत: भारत में अपराध 2019, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4न

अनुसूचित जनजातीय प्राथमिकता वाले जिले, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	---	----
आंध्र प्रदेश (1– एलडब्ल्यूई) **कुल 6.19**	---	---	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4:) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) **कुल 9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजांव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10)पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11)तवांग 0.35 (69.7%) (12)पापुम परे 1.17 (66.4%) (13)पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1)लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2)चांगलांग 0.54 (36.3%) (3)लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	----
असम (7) **कुल 20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) **कुल 1.81**	----	----	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03(0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) **1.81**

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई)	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10)कांकेर (एल) 4.15 (55.4%)	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05 (26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%)	----
कुल 65.72	**35.4**	**30.32**	
दादर एवं नागर हवेली (1)	(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%)	----	----
कुल 1.79	**1.79**		
गुजरात (10)	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%)	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%)	----
कुल 65.7	**47.17**	**18.53**	
हिमाचल प्रदेश (3)	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%)	(1) चम्बा 1.36 (26.1%)	----
कुल 2.11	**0.75**	**1.36**	
जम्मू और कश्मीर (5)	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%)	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%)	----
कुल 7.15	**2.18**	**4.97**	
झारखण्ड (4+16 एलईडब्ल्यू)	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11(67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%)	(1) लातेहर(एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची (एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला–खरसांवा 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%)	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%)
कुल 79.45	**27.95**	**39**	**12.5**

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
लक्षद्वीप (1) कुल **0.61**	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%) **0.61**	----	----
मध्य प्रदेश (19) कुल **105.72**	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%) **47.93**	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंसरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%) **57.79**	
महाराष्ट्र (4+ 1 एलडब्ल्यूई) कुल **48.86**	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%) **11.42**	(1)गढ़चिरोली(एल) 4.15 (38.7%) (2)पालघर 11.18 (37.4%) (3)धुले 6.47 (31.6%) (4)नासिक 15.64 (25.6%) **37.44**	----
माणिपुर (5) कुल **11.11**	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%) **11.11**	----	-----
मेघालय (7) कुल **25.55**	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%) **25.55**	----	-----
मिजोरम (8) कुल **10.37**	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%) **10.37**	----	----

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
नागालैंड (11) **कुल 17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलोंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10)कोहिमा 2.25 (83.9%) (11)दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	-----	-----
ओडिशा (12+2 एलडब्ल्यूई) **कुल 76.41**	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरी(एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	--
राजस्थान (6) **कुल 51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) **22.5**	----
सिक्किम (4) **कुल 2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणी जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	----
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई) **कुल 6.57**	---	(1) खम्माम(एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	----
त्रिपुरा (5) **कुल 8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणीत्रिपुरा 1.53(35.5%) (4) उत्तरीत्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	----

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
पश्चिम बंगाल (2) **कुल 6.33**	----	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	----
कुल: 177 (142 +एलडब्ल्यूई 35)	(80 + एलडब्ल्यूई 14)	(62 + एलडब्ल्यूई 7)	14 एलडब्ल्यूई
कुल 630.75	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूई: वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक– 4प

अनुसूचित जनजातीय प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्यध्संघ–राज्य क्षेत्र तथा जिला–वार सूची

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
1		**आंध्र प्रदेश**			
1.		**पूर्वी गोदावरी**	51.54	2.13	4.14
	1	अड्डातिगाला	0.37	0.25	66.23
	2	देवीपटनम	0.28	0.16	58.18
	3	गंगावरम	0.26	0.17	67.24
	4	मरेडुमिल्ली	0.20	0.18	93.29
	5	राजावोम्मांगी	0.40	0.23	57.57
	6	राजपचोडावरम	0.39	0.31	79.30
	7	वाई. रामावरम	0.29	0.26	91.60
2.		**श्रीककुलम**	27.03	1.66	6.15
	8	सीथाम्पेटा	0.56	0.51	90.87
3.		**विशाखापट्टनम**	42.91	6.19	14.42
	9	अनंतागिरि	0.49	0.44	90.15
	10	अरकू घाटी	0.57	0.52	91.53
	11	चिंतापाल्ली	0.72	0.65	90.32
	12	दुमब्रिगुडा	0.49	0.46	94.80
	13	जी. मदुगुला	0.54	0.50	92.74
	14	गुडेमकोथा वीधि	0.63	0.57	89.84
	15	हुकुमपेटा	0.52	0.50	95.93
	16	कोय्युरु	0.51	0.41	81.39
	17	मुनचिंगी पुट्ट	0.47	0.45	93.93
	18	पडेरू	0.59	0.49	82.56
	19	पेडाबयालु	0.52	0.50	96.24
4.		**विजियानगरम**	23.44	2.36	10.05
	20	गुम्मालाक्शमिपुरम	0.50	0.43	86.69
	21	कुरूपम	0.48	0.35	71.98
5.		**पश्चिमी गोदवारी**	39.37	1.09	2.77
	22	बुट्टागगुडेम	0.53	0.34	64.58
2.		**बिहार**			
6.		**कैमुर (भभुआ)**	16.26	0.58	3.57
	23	अधौरा	0.57	0.30	51.98
3.		**छत्तीसगढ़**			
7.		**कोरिया**	6.59	3.04	46.18
	24	भरतपुर	0.89	0.58	64.89
	25	सोनहत	0.48	0.28	57.54

क्र.सं.	राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
8.	**सरगुजा**	23.60	13.01	55.11
26	रामानुजगंज	1.68	0.85	50.57
27	बलरामपुर	1.10	0.66	60.02
28	वाडरफनगर	1.61	0.95	58.97
29	प्रतापपुर	1.51	0.93	61.93
30	सामरी (कुसमी)	1.10	0.82	74.15
31	शंकरगढ़	0.72	0.53	73.27
32	औडगी	0.88	0.53	61.04
33	प्रेमनगर	0.65	0.39	60.15
34	उदयपुर	0.79	0.51	64.21
35	राजपुर	1.09	0.78	71.94
36	लुंडरा	1.20	0.81	67.78
37	सीतापुर	0.96	0.68	70.74
38	बतौली	0.70	0.55	77.67
39	मैनपाट	0.77	0.58	76.17
9.	**जशपुर**	8.52	5.30	62.28
40	बगीचा	1.72	1.21	70.58
41	कनसाबेल	0.77	0.48	62.36
42	जशपुर	0.96	0.55	57.05
43	मनोरा	0.61	0.49	80.30
44	फरसाबाहर	1.08	0.65	59.57
45	पथालगांव	1.92	1.21	63.28
10.	**रायगढ़**	14.94	5.06	33.84
46	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	2.07	1.37	66.13
47	लैलुन्गा	1.31	0.83	63.49
48	घरघोडा	0.79	0.47	58.82
11.	**कोरबा**	12.07	4.94	40.90
49	पोउंडी–उपरोडा	1.89	1.38	72.94
50	पाली	1.99	1.05	52.87
12.	**बिलासपुर**	26.64	4.98	18.71
51	पेंड्रा रोड गोरेल्ला	1.34	0.77	57.27
52	मरवाही	1.17	0.69	59.45
53	पेंड्रा	0.85	0.46	53.60
13.	**राजनंदगावं**	15.37	4.05	26.36
54	मोहला	0.87	0.61	70.06
55	मानपुर	0.89	0.66	74.39
14.	**दुर्ग**	33.44	3.97	11.88
56	डोंडी	1.55	0.80	51.66

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
15.		**रायपुर**	40.64	4.76	11.72
	57	बिंद्रानवगंढ़ (गारियाबंद)	0.95	0.53	56.11
	58	मैनपुर	1.24	0.64	51.74
16.		**धमतरी**	8.00	2.08	25.96
	59	नगरी	1.80	1.10	61.33
17.		**उत्तर बस्तर कांकेर**	7.49	4.15	55.38
	60	भानुप्रतापपुर	0.95	0.60	63.09
	61	दुर्गकोंडल	0.64	0.49	76.60
	62	कांकेर	1.24	0.62	50.10
	63	नरहरपुर	1.10	0.73	66.04
	64	अतंगढ़	0.78	0.60	77.07
18.		**बस्तर**	14.13	9.32	65.93
	65	केसकाल	0.93	0.66	71.18
	66	बडे राजपुर	0.86	0.66	76.61
	67	कोंडगांव	2.02	1.31	64.89
	68	मकड़ी	1.00	0.77	77.72
	69	फारसगांव	0.99	0.71	71.72
	70	लाहांडीगुडा	0.76	0.56	74.16
	71	बस्तानर	0.48	0.44	92.11
	72	बस्तर	1.64	1.07	65.46
	73	बकावंड	1.50	0.95	63.60
	74	तोकापल	0.78	0.56	72.72
	75	डरभा	0.79	0.66	82.87
19.		**नारायणपुर**	1.40	1.08	77.36
	76	नारायणपुर	1.05	0.75	71.65
	77	ओरछा	0.35	0.33	94.49
20.		**दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा**	5.34	4.10	76.88
	78	दंतेवाड़ा	0.94	0.61	64.23
	79	गिदम	0.81	0.56	69.03
	80	कटेकल्याण	0.43	0.40	92.21
	81	कुआकोंडा	0.65	0.45	69.41
	82	कोंटा	1.06	0.95	90.38
	83	छिन्दगढ़	0.80	0.66	82.24
	84	सुकमा	0.65	0.48	73.72
21.		**बीजापुर**	2.55	2.04	80.00
	85	भोपालपट्टनम	0.49	0.36	73.08
	86	उसुर	0.56	0.50	89.22
	87	बीजापुर	0.66	0.49	73.09
	88	भाईरामगढ़	0.84	0.70	83.45

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
4		**गुजरात**			
22.		**बनास कंठा**	31.21	2.84	9.11
	89	अमीरगढ़	1.32	0.77	58.53
	90	दंता	2.25	1.27	56.36
23.		**सबर कंथा**	24.29	5.42	22.32
	91	खेदब्रह्मा	2.93	2.21	75.38
	92	विजयनगर	1.04	0.82	78.45
	93	भीलोडा	2.39	1.38	57.57
24.		**पंचमहल**	23.91	7.22	30.18
	94	कडाना	1.30	1.01	78.20
	95	संतरामपुर	2.66	2.13	80.32
25.		**दाहोद**	21.27	15.81	74.32
	96	फतेपुरा	2.38	2.23	93.45
	97	झालोद	4.73	4.27	90.13
	98	लिम्खेडा	3.06	1.93	63.07
	99	दाहोद	4.81	3.72	77.34
	100	गर्बाडा	1.99	1.89	94.83
	101	धनपुर	1.80	1.28	71.07
26.		**वडोदरा**	41.66	11.50	27.60
	102	जेतपुर पवी	2.61	2.18	83.33
	103	छोटा उदयपुर	2.41	2.12	87.62
	104	कावंत	2.10	1.96	93.51
	105	नासवाडी	1.55	1.36	87.72
27.		**नर्मदा**	5.90	4.81	81.55
	106	तिलकवाड़ा	0.64	0.35	55.42
	107	नंडोड	2.41	1.77	73.29
	108	डेडीपाडा	1.74	1.68	96.41
	109	सगबारा	1.11	1.01	91.19
28.		**भरूच**	15.51	4.88	31.48
	110	झगडिया	1.85	1.27	68.68
	111	वालिया	1.45	1.14	78.25
29.		**डांग**	2.28	2.16	94.65
	112	डांग	2.28	2.16	94.65
30.		**नवसारी**	13.30	6.40	48.11
	113	चिखली	3.10	2.20	71.05
	114	बंस्दा	2.31	2.09	90.59
31.		**वलसाडा**	17.06	9.03	52.93
	115	धरमपुर	2.16	1.98	91.92
	116	कपराडा	2.59	2.49	96.20

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप—जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
32.		**सूरत**	60.81	8.57	14.09
	117	उमरपाडा	0.84	0.81	96.73
	118	मांडवी	1.96	1.51	77.07
	119	महुवा	1.45	1.18	81.21
33.		**तापी**	8.07	6.79	84.18
	120	निजार	1.30	1.05	80.82
	121	यूच्छल	0.88	0.87	98.05
	122	सोनगढ़	2.30	1.95	84.91
	123	व्यारा	2.68	2.28	84.84
	124	वलोड	0.91	0.65	71.63
5		**झारखण्ड**			
34.		**गढ़वा**	13.23	2.06	15.56
	125	चिनिया	0.39	0.19	50.05
	126	भंडारिया	0.66	0.40	60.00
35.		**गोड्डा**	13.14	2.79	21.26
	127	बोआरीजोर	1.38	0.77	55.62
	128	सुन्दरपहाड़ी	0.65	0.50	76.58
36.		**साहिबगंज**	11.51	3.08	26.80
	129	मांड्रो	0.76	0.41	54.42
	130	बोरियो	0.98	0.60	61.05
	131	बरहैत	1.30	0.70	53.93
	132	तलझारी	0.76	0.42	55.48
	133	पथना	0.82	0.47	57.22
37.		**पाकुर**	9.00	3.79	42.10
	134	लिट्टीपाड़ा	1.06	0.76	72.23
	135	अमरपाड़ा	0.65	0.54	82.13
	136	पकुरिया	1.09	0.70	64.18
38.		**लोहरडगा**	4.62	2.63	56.89
	137	किसको	0.55	0.34	61.06
	138	पेशरार	0.31	0.26	82.56
	139	कैरो	0.38	0.24	62.28
	140	सेन्हा	0.70	0.43	62.34
	141	भांद्रा	0.57	0.37	63.93
39.		**पूर्वी सिंहभूम**	22.94	6.54	28.51
	142	पोटका	2.00	1.05	52.45
	143	दुमरिया	0.62	0.45	71.88
	144	धालभूमगढ़	0.62	0.34	54.38
	145	गुरबंधा	0.43	0.29	66.59

क्र.सं.	राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
40.	लातेहार	7.27	3.31	45.54
146	बारवाडीह	0.99	0.51	51.35
147	महुआदानर	0.75	0.59	78.68
148	गारू	0.30	0.24	79.93
41.	**दुमका**	13.21	5.71	43.22
149	गोपीकंदार	0.42	0.36	84.58
150	काथीकुंड	0.71	0.45	63.54
151	शिकारीपाड़ा	1.31	0.80	60.49
152	मसालिया	1.25	0.73	58.58
42.	**रांची**	29.14	10.42	35.76
153	अंगारा	1.13	0.62	55.05
154	नामकुम	1.46	0.87	59.98
155	नगरी	0.76	0.38	50.14
156	मंदार	1.29	0.77	59.99
157	चानहु	1.08	0.58	53.59
158	बेरो	1.13	0.70	61.86
159	लापुंग	0.63	0.47	74.22
43.	**खूंटी**	5.32	3.90	73.25
160	कर्रा	1.09	0.81	74.19
161	तोरपा	0.93	0.68	73.16
162	रनिया	0.39	0.27	69.46
163	मुरहु	0.85	0.68	79.19
164	खूंटी	1.24	0.82	65.79
165	ईरकी (तामर II)	0.81	0.64	79.17
44.	**गुमला**	10.25	7.07	68.94
166	बिसुनपुर	0.62	0.56	89.94
167	घाघरा	1.14	0.89	77.63
168	सिसाई	1.17	0.75	64.37
169	वेरनो	0.85	0.62	73.83
170	कामदारा	0.64	0.45	70.61
171	बासिया	0.81	0.52	63.96
172	गुमला	2.14	1.22	57.25
173	चौनपुर	0.57	0.46	81.85
174	डुमरी	0.49	0.40	82.20
175	अल्बर्टएक्का (जरी)	0.31	0.24	76.74
176	रैंदीह	0.71	0.46	64.72
177	पालकोट	0.81	0.49	60.11
45.	सिमडेगा	6.00	4.24	70.78
178	सिमडेगा	1.15	0.69	60.10

क्र.सं.	राज्य / जिला / उप—जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
179	पकर तानर	0.38	0.26	68.29
180	कुरदेग	0.48	0.35	72.33
181	केरसाई	0.39	0.32	80.33
182	बोलबा	0.31	0.22	72.87
183	येथाइतनगर	0.87	0.70	80.53
184	कोलेबिरा	0.71	0.45	62.55
185	जलडेगा	0.64	0.53	82.92
186	बान्सजोर	0.26	0.22	85.58
187	बानो	0.80	0.51	63.16
46.	**पश्चिमी सिंहभूम**	15.02	10.11	67.31
188	सोनुआ	0.78	0.48	61.21
189	गुदरी	0.38	0.35	91.01
190	बंदगांव	0.87	0.70	79.97
191	खुंतपानी	0.83	0.69	83.47
192	गोईलकेरा	0.74	0.63	85.39
193	आनंदपुर	0.44	0.31	68.81
194	मनोहरपुर	0.90	0.61	67.37
195	नोआमुंडी	1.13	0.66	58.14
196	टोंटो	0.60	0.48	80.82
197	हाट गमहारिया	0.67	0.50	73.91
198	चाईबासा	1.56	0.87	55.73
199	तंतनगर	0.64	0.49	76.37
200	मंझारी	0.68	0.53	76.75
201	झिंकपानी	0.54	0.32	59.80
202	जगन्नाथपुर	0.99	0.59	59.62
203	कुमारदुंगी	0.55	0.42	75.75
204	मझगांव	0.73	0.53	73.28
46.	**सरायकेला—खरसावां**	10.65	3.75	35.18
205	कुचाई	0.64	0.50	78.00
206	गोविंदपुर (राजनगर)	1.37	0.72	52.69
	मध्य प्रदेश			
48.	**शिवपुर**	6.88	1.61	23.47
207	काराहाल	1.08	0.69	63.87
49.	**उमरिया**	6.45	3.01	46.64
208	पाली	1.08	0.64	59.02
209	नोवरोजाबाद	0.78	0.43	54.20
50.	**रतलाम**	14.55	4.10	28.17
210	सैलाना	1.35	1.10	81.77
211	बाजना	0.80	0.76	95.22

क्र.सं.	राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
212	रावती	0.84	0.78	92.47
51.	**देवास**	15.64	2.73	17.44
213	बागली	1.95	1.01	51.99
52.	**धार**	21.86	12.23	55.94
214	सरदारपुर	2.97	1.81	60.99
215	गंधवानी	1.56	1.42	90.74
216	कुकशी	3.22	2.31	71.62
217	दही	1.14	0.96	84.45
218	मानावर	3.08	1.94	62.96
53.	**खरगोन (पश्चिम निमाड़)**	18.73	7.30	38.98
219	सेगांव	0.83	0.64	76.24
220	भगवानपुरा	1.93	1.68	87.13
221	झिरानया	2.02	1.62	80.23
54.	**बड़वानी**	13.86	9.62	69.42
222	बड़वानी	2.11	1.24	58.76
223	पाटी	1.62	1.36	84.01
224	राजपुर	2.13	1.51	70.96
225	पनसेमाल	1.58	1.10	69.80
226	निवाली	1.13	0.98	87.42
227	सेंधवा	2.31	1.64	70.82
228	वारला	1.29	1.12	87.39
55.	**बेतुल**	15.75	6.67	42.34
229	भैंसदेही	2.89	2.07	71.62
230	चिचोली	0.87	0.56	64.50
231	शाहपुर	1.13	0.75	66.40
56.	**हरदा**	5.70	1.60	27.99
232	रेहतगांव	0.96	0.50	51.58
57.	**जबलपुर**	24.63	3.75	15.23
233	कुंदम	1.23	0.87	70.60
58.	**डिण्डोरी**	7.05	4.56	64.69
234	शाहपुरा	2.17	1.46	67.19
235	डिण्डोरी	4.87	3.10	63.58
59.	**मंडला**	10.55	6.11	57.88
236	निवास	1.25	0.89	71.66
237	नारायणगंज	1.09	0.79	72.77
238	घुघारी	1.73	1.21	69.78
239	बिछिया	2.58	1.61	62.17
60.	**छिंदवाड़ा**	20.91	7.70	36.82
240	तामिया	1.14	0.89	78.33

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	241	हर्राई	1.35	1.03	76.38
	242	जमाई	2.41	1.21	50.35
	243	बिछुआ	0.88	0.49	55.79
61.		**सिवनी**	13.79	5.20	37.69
	244	घनसौर	1.43	0.87	61.12
	245	धनोरा	0.85	0.49	57.90
62.		**बालाघाट**	17.02	3.83	22.51
	246	बैहर	2.84	1.59	55.74
	247	पारसवाड़ा	1.08	0.56	52.29
63.		**शहडोल**	10.66	4.76	44.65
	248	जैतपुर	1.62	1.00	61.77
64.		**अनूपपुर**			
	249	पुष्पारंगढ़	2.30	1.77	76.84
65.		**सीधी**			
	250	कुसमी	0.81	0.50	61.40
66.		**झाबुआ**	10.25	8.92	87.00
	251	थांदला	1.82	1.63	89.49
	252	पेटलावाड	2.33	1.86	79.71
	253	मेघनगर	1.72	1.55	89.93
	254	झाबुआ	3.23	2.87	88.67
	255	रानापुर	1.15	1.02	88.76
67.		**अलीराजपुर**	7.29	6.49	88.98
	256	भावरा	0.91	0.83	91.22
	257	जोबट	1.91	1.74	90.96
	258	अलीराजपुर	4.46	3.91	87.67
68.		**खंडवा (पूर्वी निमाड़)**	13.10	4.59	35.05
	259	खालवा	2.23	1.54	69.17
69.		**बुरहानपुर**	7.58	2.30	30.36
	260	खकनार	1.33	0.86	64.47
	261	नेपानगर	1.91	1.14	59.89
7		**महाराष्ट्र**			
70.		नंदुरनार	16.48	11.42	69.28
	262	अकलकुआ	2.46	2.10	85.25
	263	अकरानी	1.96	1.88	95.94
	264	तालोड	1.60	1.24	77.44
	265	सहादे	4.08	2.21	54.20
	266	नवापुर	2.72	2.33	85.52
71.		धुले	20.51	6.47	31.56
	267	सकरी	4.65	2.48	53.34

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
71.		**अमरावती**	28.88	4.04	13.99
	268	धरनी	1.85	1.42	77.00
	269	चिकलदारा	1.19	0.93	78.32
72.		**गढ़ चिरौली**	10.73	4.15	38.71
	270	कुरखेदा	0.86	0.47	54.40
	271	कोरची	0.43	0.31	73.19
73.	272	धनोरा	0.83	0.59	71.04
	273	ऐटापल्ली	0.82	0.67	81.50
	274	भामरगढ़	0.36	0.29	81.10
74.		**नासिक**	61.07	15.64	25.62
	275	सुरगाना	1.76	1.70	96.51
	276	कालवन	2.08	1.44	68.95
	277	डिंडोरी	3.16	1.75	55.57
	278	पींट	1.20	1.16	96.44
	279	त्रिम्बकेश्वर	1.68	1.35	80.20
75.		**थाने**	110.60	15.42	13.95
	280	तालासारी	1.55	1.40	90.61
	281	दहानु	4.02	2.78	69.11
	282	विक्रमगढ़	1.38	1.26	91.82
	283	ज्वाहर	1.40	1.28	91.64
	284	मोखदा	0.83	0.77	92.08
76.	285	वाडा	1.78	1.02	57.02
8.		**ओडिशा**			
		झारसुगुडा	5.80	1.77	30.50
	286	लैकेरा	0.99	0.51	51.40
77.		**संबलपुर**	10.41	3.55	34.12
	287	गोविंदपुर	0.59	0.37	62.67
	288	माहुलपल्ली	0.77	0.46	59.93
	289	जामनकिरा	0.59	0.33	56.42
	290	जुजोमुरा	0.57	0.32	55.61
78.		**सुन्दरगढ़**	20.93	10.62	50.75
	291	लेफ्रीपाड़ा	0.71	0.40	56.12
	292	धारुआडीही	0.35	0.20	56.91
	293	सुन्दरगढ़	0.74	0.46	61.84
	294	किंजरकेला	0.57	0.40	70.22
	295	तालसारा	0.80	0.55	68.40
	296	बारगांव	0.78	0.51	66.02
	297	कुत्रा	0.66	0.51	76.10
	298	राजगंगापुर	1.66	1.04	62.46

क्र.सं.	राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
299	राइबोगा	0.43	0.35	80.55
300	बिरमित्रपुर	0.97	0.60	61.55
301	हातीबाड़ी	0.62	0.40	65.31
302	बिसरा	0.98	0.58	59.20
303	ब्राह्मणी तरंग	0.58	0.45	78.58
304	लठीकटा	0.25	0.14	56.23
305	चंदीपोष	0.22	0.18	81.17
306	कमरपोष बलंग	0.43	0.33	76.09
307	कोइदा	0.41	0.27	65.93
308	लाहुनीपारा	0.78	0.48	62.05
309	गुरुदिया	0.35	0.30	84.39
310	टिकायतपल्ली	0.24	0.19	82.37
311	महुआपाडा	0.19	0.15	80.07
79.	**केंदुझर**	18.02	8.19	45.45
312	रूगुडी	0.17	0.11	68.53
313	बामेवारी	0.56	0.35	61.97
314	बरिया	0.74	0.38	50.91
315	तुरूमुंगा	0.69	0.34	50.04
316	पाटाना	1.05	0.59	56.62
317	केंदुझर सदर	1.57	0.89	56.84
318	नयाकोट	0.46	0.35	75.49
319	कंजीपानी	0.22	0.19	87.30
320	तेलकोई	0.96	0.50	51.76
321	पंडापारा	0.63	0.40	63.39
322	घाटगांव	1.07	0.66	61.66
323	हरिचंदनपुर	0.81	0.41	51.17
324	दैतारी	0.28	0.20	72.26
80.	**मयूरभंज**	25.20	14.80	58.72
325	तिरिंग	1.01	0.71	71.07
326	जमदा	0.49	0.39	78.99
327	गुरुमहिशानी	0.48	0.36	74.80
328	झारपोखरिया	1.00	0.58	57.63
329	बिसोई	0.74	0.51	69.42
330	राईरंगपुर	0.82	0.50	61.20
331	बदामपहाड	0.64	0.43	67.97
332	जशीपुर	1.21	0.83	68.29
333	ररूआन	0.78	0.47	60.36
334	घागरबेडा	0.29	0.14	50.08
335	करजिंया	1.14	0.69	60.12

क्र.सं.	राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
336	ठाकुरमुंडा	0.58	0.42	72.39
337	बरीपदा सदर	0.87	0.62	70.76
338	कोलियाना	0.83	0.55	66.88
339	बंगिरीपोशी	1.05	0.73	69.77
340	चंदुआ	0.63	0.37	58.69
341	रसगोविंदपुर	0.97	0.53	54.61
342	बारशाही	1.33	0.70	52.68
343	खूंटा	1.24	0.82	66.33
344	उदला	1.10	0.76	69.31
345	कपटीपडा	0.76	0.39	50.81
346	शारता	0.77	0.62	80.36
347	माहुलदिहा	0.47	0.37	78.06
81.	**बलेश्वर**	23.21	2.76	11.88
348	बरहमपुर	0.58	0.39	67.27
82.	**जाजापुर**	18.27	1.51	8.29
349	कालियापानी	0.39	0.22	56.13
83.	**धेनकानल**	11.93	1.62	13.59
350	कनकदाहाद	0.61	0.35	56.96
84.	**गंजम**	35.29	1.19	3.37
351	रामागिरी	0.13	0.11	87.47
85.	**गजपति**	5.78	3.14	54.29
352	अदवा	0.59	0.35	58.34
353	मोहाना	0.74	0.44	58.76
354	आर. उदयगिरी	0.86	0.63	73.38
355	सेरांगो	0.78	0.61	78.67
356	रायगढ़ा	0.46	0.35	76.78
357	गड़ाबंद	0.29	0.19	65.09
358	रामगिरी	0.30	0.26	85.09
86.	**कंधमाल**	7.33	3.93	53.58
359	गोछापाड़ा	0.36	0.22	62.39
360	फुलावानी	0.42	0.24	57.23
361	जी.उदयगिरी	0.49	0.26	52.70
362	टिकाबली	0.49	0.26	53.50
363	सारंगागढ़	0.35	0.20	57.40
364	फिरिंगिया	0.54	0.30	55.39
365	बलीगुडा	0.97	0.51	52.28
366	तुमुडिबंधा	0.29	0.16	56.51
367	बेलाघर	0.20	0.13	66.29
368	कोटागढ़	0.48	0.28	59.47

क्र.सं.	राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
369	ब्राह्मणीगांव	0.37	0.19	52.18
370	दारिंगबाडी	0.64	0.43	67.42
371	रैकिया	0.53	0.30	56.14
87.	**कालाहांडी**	15.77	4.49	28.50
372	थुआमुल रामपुर	0.78	0.45	58.18
88.	**रायगढ़ा**	9.68	5.42	55.99
373	चंदरपुर	0.29	0.21	71.75
374	विष्मकटक	0.88	0.56	63.81
375	कल्याणसिंगपुर	0.66	0.43	65.12
376	काशीपुर	0.71	0.41	58.76
377	टिकिरी	0.35	0.24	67.42
378	दौरागुडा	0.19	0.11	54.03
379	शेशखल	0.48	0.39	80.91
380	गुनूपुर	1.15	0.61	53.52
381	गुदरी	0.66	0.40	60.78
382	पदमापुर	0.45	0.23	50.58
383	पुत्तासिंग	0.39	0.34	86.81
89.	**नवरंगपुर**	12.21	6.81	55.79
384	राइघर	1.34	0.86	64.59
385	कुनडेरी	0.50	0.34	68.63
386	उमरकोट	2.06	1.12	54.40
387	झरीगन	0.83	0.51	62.03
388	दाबुगन	1.55	1.00	64.20
389	पपराहांडी	1.00	0.55	54.91
390	कोडिंगा	1.06	0.64	60.08
391	कोसागुमुडा	0.93	0.58	62.04
392	तेंदुलीखूंटी	0.70	0.35	50.14
90.	**कोरापुट**	13.80	6.98	50.56
393	कोटपाड	1.21	0.69	56.95
394	बोरीगुमा	0.98	0.52	52.80
395	दसमंतापुर	0.51	0.32	62.78
396	लक्ष्मीपुर	0.40	0.30	74.39
397	नरायणपटना	0.44	0.37	84.39
398	बंधुगांव	0.59	0.47	79.80
399	ककीरीगुमा	0.25	0.16	63.79
400	कुंडुरा	0.57	0.30	52.93
401	बोइपड़ीगुडा	1.25	0.72	57.68
402	पदुआ	0.55	0.28	52.08
403	पोटांगी	0.88	0.55	62.32

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप—जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
91		**मलकानगिरी**	6.13	3.55	57.83
	404	मलकानगिरी	1.78	1.03	57.90
	405	मथिली	0.84	0.59	69.54
	406	मुडुलीपडा	0.30	0.21	70.51
	407	चित्रकोंडा	0.34	0.23	68.02
	408	पापरमेटला	0.15	0.14	88.75
	409	जोदांबा	0.15	0.11	77.42
	410	ओरकेल	0.75	0.40	53.26
	411	पोडिया	0.28	0.19	65.53
9		**राजस्थान**			
92.		**सिरोही**	10.36	2.92	28.22
	412	आबूरोड	2.24	1.14	50.96
93.		**डूंगरपुर**	13.89	9.83	70.82
	413	डूंगरपुर	4.95	3.85	77.71
	414	असपुर	2.24	1.19	53.11
	415	सागवारा	3.43	2.03	59.22
	416	सिमलवारा	3.26	2.76	84.78
94.		**बांसवाड़ा**	17.97	13.73	76.38
	417	घटोल	2.87	2.31	80.57
	418	गढ़ी	2.99	1.73	57.93
	419	बांसवाड़ा	4.59	3.07	66.94
	420	बागीडोरा	3.74	3.19	85.32
	421	कुशलगढ़	3.79	3.43	90.36
95.		**उदयपुर**	30.68	15.25	49.71
	422	कोटरा	2.31	2.21	95.82
	423	झडोल	2.49	1.89	75.78
	424	लसादिया	0.91	0.80	88.17
	425	सालुम्बार	2.48	1.32	53.34
	426	सरदा	2.31	1.47	63.65
	427	रिषभदेव	1.73	1.46	84.18
	428	खेरवारा	2.07	1.51	73.26
96.		**प्रतापगढ़**	8.68	5.50	63.42
	429	धरियावढ़	1.90	1.50	78.74
	430	पीपलखूंट	1.54	1.44	93.33
	431	अरनोड	1.41	0.95	67.32
10		**तमिलनाडु**			
97.		**सालेम**	34.82	1.19	3.43
	432	येरकौड	0.42	0.28	67.16

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
11		**तेलंगाना**			
98.		**आदिलाबाद**	27.41	4.96	18.09
	433	इंदरवैली	0.48	0.27	57.25
	434	नरनूर	0.49	0.33	67.14
	435	जयनूर	0.31	0.19	59.55
	436	उतनूर	0.63	0.33	51.98
	437	सिरपुर	0.26	0.22	85.30
	438	तिरयानी	0.26	0.19	73.62
99.		**वारंगल**	35.13	5.31	15.11
	439	तडवैयी	0.23	0.12	51.91
	440	कोथागुडा	0.40	0.24	61.64
	441	गुदुर	0.56	0.32	57.30
100.		**खम्माम**	27.97	7.66	27.37
	442	चेरला	0.43	0.24	55.62
	443	दुक्मुगुडेम	0.47	0.33	69.48
	444	कुनावरम	0.26	0.16	60.53
	445	चिंतुर	0.41	0.31	76.71
	446	वारारामचंद्रपुरम	0.26	0.16	62.94
	447	वेलैरपडु	0.23	0.14	62.23
	448	टेकुलापल्ली	0.48	0.37	77.54
	449	गुंडाला	0.28	0.22	77.54
	450	बैयाराम	0.43	0.21	50.16
	451	गरला	0.37	0.19	51.56
	452	सिंगरैनी	0.55	0.34	61.10
	453	जुलुरपाड	0.33	0.17	51.77
	454	मुलकालापल्ली	0.35	0.21	61.55
12		**पश्चिमी बंगाल**			
101.		**पुरुलिया**	29.30	5.41	18.45
	455	बुंदवान	0.95	0.49	51.86
पहाड़ी राज्य					
1		**हिमाचल प्रदेश**			
102.		**चम्बा**	5.19	1.36	26.10
	456	पांगी	0.19	0.17	90.18
	457	होली	0.14	0.11	77.61
	458	भरमौर	0.25	0.21	84.66
103.		**लाहौल एवं स्पीति**	0.32	0.26	81.44
	459	स्पीति	0.12	0.11	84.64
104.		किन्नौर	0.84	0.49	57.95
	460	कालपा	0.19	0.11	57.96

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
2		**जम्मू एवं कश्मीर**			
105.		**लेह (लद्दाख)**	1.33	0.96	71.81
	462	लेह	0.94	0.63	66.85
	463	नुबरा	0.22	0.16	73.35
	464	खलसी	0.17	0.17	97.05
106.		**कारगिल**	1.41	1.22	86.89
	465	कारगिल	0.86	0.72	83.49
	466	संकु	0.41	0.36	89.96
	467	झांसकर	0.14	0.14	99.16
107.		**राजौरी**	6.42	2.33	36.24
	468	बुढाल	1.23	0.70	56.95
108.		**बांदीपुर**	3.92	0.75	19.22
	469	गुरेज	0.38	0.31	81.84
3		**उत्तराखंड**			
109.		देहरादून	16.97	1.12	6.58
	470	चकराता	0.50	0.25	50.21
	471	तियुनी	0.34	0.20	57.68
	472	कालसी	0.47	0.27	58.03
पूर्वोत्तर राज्य					
1		**अरूणाचल प्रदेश**			
110.		**तवांग**	0.50	0.35	69.65
	473	तवांग सर्कल	0.19	0.10	54.24
111.		**पश्चिमी कामेंग**	0.84	0.46	55.25
	474	दिरांग	0.18	0.14	74.28
112.		**पूर्वी कामेंग**	0.79	0.72	92.01
	475	सेवा	0.29	0.25	86.05
113.		**पापुम पारे**	1.77	1.17	66.38
	476	ईटानगर	0.65	0.39	59.27
	477	नहरलागुर	0.49	0.29	59.38
114.		**अपर सुबांसिरी**	0.83	0.78	93.86
	478	तलिहा	0.13	0.13	98.14
	479	दपोरिजो	0.20	0.16	82.33
115.		**पश्चिम सियांग**	1.12	0.93	82.64
	480	आलो	0.35	0.25	70.73
116.		**पूर्वी सियांग**	0.99	0.70	70.53
	481	पासीघाट	0.36	0.19	52.94
	482	खोंसा	0.26	0.20	76.83
	483	लोंगडिंग	0.17	0.16	93.76
	484	पंगचाओ	0.12	0.12	99.19

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	485	वाक्का	0.11	0.11	99.04
117.		**लोअर सुबांसिरी**	0.83	0.73	87.81
	486	जिरो (सदर)	0.23	0.18	78.00
	487	पुराना जिरो	0.20	0.18	92.72
118.		**कुरुंग कुमे**	0.92	0.91	98.58
	488	संग्राम	0.11	0.11	98.86
2		**असम**			
119.		**गोलपाड़ा**	10.08	2.32	22.97
	489	धुधनाई	0.81	0.54	66.30
120.		**धेमजी**	6.86	3.26	47.45
	490	जोनाई	1.70	1.16	68.21
121.		**कार्बी आंगलोंग**	9.56	5.39	56.33
	491	धोनका	2.95	1.94	65.52
	492	फुलोनी	2.80	1.49	53.25
	493	सिलोनीजन	0.91	0.57	62.35
122.		**दिमा हसाओ**	2.14	1.52	70.92
	494	उमरांगसो	0.50	0.32	64.95
	495	हफलोंग	0.77	0.49	64.19
	496	माहुर	0.34	0.29	85.52
	497	मबोंग	0.54	0.41	76.91
123.		**कामरूप**	15.18	1.82	12.00
	498	बोको	1.12	0.71	63.18
124.		**बक्सा**	9.50	3.31	34.84
	499	सरूपूटा (पीटी)	0.55	0.30	53.86
	500	जलाह (पीटी)	0.82	0.43	52.84
125.		**उदलगुड़ी**	8.32	2.67	32.15
	501	खोइराबाड़ी (पीटी)	0.81	0.43	52.68
3		**मणिपुर**			
126.		**सेनापती**	4.79	4.19	87.49
	502	सदर हिल पश्चिम	0.72	0.46	63.73
	503	सैतु–गंफाझोल	0.59	0.48	81.80
	504	सदर हिल पूर्वी	0.63	0.61	96.05
	505	माओ–मारम	1.63	1.45	88.67
	506	पाओमाता	0.54	0.53	98.28
	507	पुरूल	0.68	0.67	98.10
127.		**तामेंगलोंग**	1.41	1.35	95.72
	508	तामेंगलोंग पश्चिम	0.28	0.27	96.05
	509	तामेंगलोंग उत्तर	0.28	0.27	96.58
	510	तामेंगलोंग	0.48	0.47	97.58

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	511	नुंगबा	0.37	0.34	92.35
128		**चुराचांदपुर**	2.74	2.55	92.94
	512	तिपैमुख	0.29	0.27	94.53
	513	थानलोन	0.18	0.18	98.34
	514	चुराचांदपुर उत्तर	0.31	0.29	95.52
	515	चुराचांदपुर	1.74	1.59	91.33
	516	सिंगंगट	0.22	0.21	95.50
129		**उखरूल**	1.84	1.74	94.35
	517	उखरूल उत्तर	0.31	0.30	96.15
	518	उखरूल मध्य	1.07	1.00	92.90
	519	कामजोंग–चसाद	0.17	0.16	93.25
	520	फंग्यार–फैसट	0.17	0.16	98.04
	521	उखरूल दक्षिण	0.12	0.12	99.05
130		**चंदेल**	1.44	1.28	88.97
	522	माची	0.20	0.19	97.26
	523	तेंगनौपाल	0.39	0.30	77.00
	524	चंदेल	0.32	0.30	92.75
	525	चकपिकारोंग	0.53	0.49	92.44
4		**मेघालय**			
131		**पश्चिम गारो पहाडियां**	6.43	4.74	73.69
	526	दादेंगगिरी	0.42	0.40	97.01
	527	टिकरीकिला	0.58	0.53	90.31
	528	रौंग्राम	1.34	1.07	79.99
	529	बेतासिंग	0.72	0.66	91.23
	530	झिकझैक	0.75	0.50	66.84
	531	गमबेगरे	0.34	0.32	96.83
	532	दालु	0.54	0.47	87.08
132		**पूर्वी गारो पहाडियां**	3.18	3.05	95.99
	533	रेसुबेलपाड़ा	1.05	1.01	96.40
	534	दंबो रोंगजेंग	0.53	0.51	97.06
	535	खरकुट्टा	0.51	0.50	97.90
	536	संगसक	0.53	0.51	96.46
	537	समंदा	0.56	0.52	92.07
133		**दक्षिण गारो पहाडियां**	1.42	1.34	94.31
	538	चोकपोट	0.40	0.39	96.58
	539	गासुवापाड़ा	0.28	0.27	95.15
	540	बाघमारा	0.51	0.46	91.78

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	541	रोंगारा	0.23	0.22	94.85
134		**पश्चिमी खासी पहाडियां**	3.83	3.75	97.82
	542	मावशइनरूट	0.74	0.73	98.12
	543	नोंगस्टोइन	0.82	0.81	98.89
	544	मावथाड्रेसन	0.49	0.48	98.46
	545	मैरांग	0.82	0.82	98.86
	546	रानीकौर	0.41	0.38	91.41
	547	मावकिरवट	0.54	0.54	98.48
135		**रिभोई**	2.59	2.30	88.89
	548	उमलिंग	0.87	0.75	86.70
	549	जिरांग	0.31	0.30	97.65
	550	उम्सनिंग	1.41	1.24	88.32
136		**पूर्वी खासी पहाडियां**	8.26	6.61	80.05
	551	मावफलांग	0.71	0.71	99.48
	552	माइलियम	4.43	2.94	66.39
	553	मावरंगनेंग	0.67	0.66	98.61
	554	मावकाइनरे	0.45	0.44	99.31
	555	खतरसनोंग लैतकरोह	0.34	0.33	99.73
	556	मावसैनरम	0.54	0.50	92.79
	557	शेला भोलागंज	0.54	0.45	82.41
	558	पैइनुरसला	0.58	0.57	98.66
137		**जैयंतिया हिल्स**	3.95	3.76	95.19
	559	थाडलास्केइन	1.38	1.30	94.55
	560	लस्केइन	0.90	0.87	96.28
	561	अम्लारेम	0.44	0.40	92.32
	562	ख्लीरियाट	0.86	0.82	95.11
	563	सैपुंग	0.37	0.37	98.43
5		**मिजोरम**			
138		मामित	0.86	0.82	95.04
	564	जालनुयाम	0.47	0.44	93.11
	565	पश्चिम फाइलेंग	0.21	0.21	97.36
	566	रियेक	0.18	0.17	97.36
139		**कोलासिब**	0.84	0.74	87.68
	567	'एन' थिंगडौल	0.20	0.19	94.85
	568	बिलखौबथ्रिर	0.58	0.50	84.65
140		आईजोल	4.00	3.74	93.31
	569	तालांगनुयाम (भाग)	3.12	2.87	92.07

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	570	डारलान	0.26	0.25	97.85
	571	फुलेन	0.13	0.13	98.67
	572	एवोंक	0.17	0.17	98.03
	573	थिंगसुलथ्लिया (भाग)	0.32	0.31	96.98
141		**चम्फाई**	1.26	1.23	98.19
	574	नगोपा	0.19	0.18	97.14
	575	खौजाल	0.36	0.35	98.48
	576	चम्फाई	0.43	0.42	98.15
	577	खौवंग	0.22	0.22	98.56
142		**सरछिप**	0.65	0.63	96.85
	578	सरछिप	0.44	0.42	95.95
	579	पूर्वी लुंगडर (भाग)	0.15	0.15	98.82
143		लुंगलई	1.61	1.54	95.11
	580	पश्चिम बुंधमुन	0.19	0.19	98.76
	581	लुंगसेन	0.39	0.38	96.90
	582	लुंगलई	0.77	0.71	92.09
	583	नाथियाल	0.26	0.26	98.76
144		**लोंगत्लाई**	1.18	1.12	95.30
	584	चौंगते	0.45	0.44	98.17
	585	लौंगत्लाई	0.39	0.35	89.66
	586	'एस' बुंग्लांग	0.17	0.17	96.82
	587	संगाउ	0.17	0.17	99.01
145		**सैहा**	0.57	0.55	96.59
	588	तुईपांग	0.21	0.21	98.69
	589	सैहा	0.36	0.34	95.34
6		नागालैंड			
146		**मोन**	2.50	2.38	95.21
	590	टिजिट	0.22	0.19	84.10
	591	मोन सदर	0.48	0.46	95.53
	592	वाकचिंग	0.13	0.13	98.24
	593	अबोइ	0.14	0.14	95.48
	594	लोंगसेन	0.20	0.20	99.35
	595	फोमंचिंग	0.13	0.12	99.45
	596	चेन	0.19	0.18	98.36
	597	अंगजांगीयांग	0.20	0.20	98.87
	598	मोपोंग	0.15	0.15	99.09
	599	तोबू	0.17	0.17	99.03
	600	मोंयाक्षु	0.23	0.23	99.10

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
147		**मोकोकचुयांग**	1.95	1.78	91.68
	601	एलोंगकिमा	0.12	0.12	98.03
	602	तुली	0.23	0.21	88.54
	603	चांगतोंगया	0.17	0.17	96.45
	604	चुचुयिमलांग	0.18	0.18	98.35
	605	कुबुलांग	0.13	0.12	98.30
	606	मगकोलेम्बा	0.13	0.11	84.96
	607	ओंगपोंगलोंग	0.84	0.76	90.79
148		**जुनहेबोतो**	1.41	1.37	97.02
	608	सुरहोतो	0.14	0.14	98.03
	609	ओघुनोतो	0.18	0.18	98.95
	610	जुनेहेबोतो सदर	0.36	0.34	93.47
	611	सताखा	0.15	0.14	95.23
149		**वोखा**	1.66	1.57	94.16
	612	एतेपियांग	0.16	0.16	99.35
	613	भंडारी	0.17	0.16	93.89
	614	सुंगरो	0.13	0.13	99.48
	615	वोखा सदर	0.58	0.55	93.75
	616	इंगलान	0.13	0.12	96.29
	617	चुकीतोंग	0.10	0.10	99.61
150		**दिमापुर**	3.79	2.24	59.13
	618	कुहोबोतो	0.13	0.10	81.58
	619	चुमुकेडिया	1.25	0.90	71.51
	620	धनसीरीपर	0.17	0.14	79.56
	621	मेदजिफेमा	0.24	0.18	76.55
151		**फेक**	1.63	1.57	96.16
	622	सेकरूजु	0.11	0.11	99.25
	623	फेक सदर	0.27	0.25	90.32
	624	मेलुरी	0.14	0.13	94.73
	625	चोजुवा	0.15	0.15	98.46
	626	चेथेवा	0.17	0.17	98.68
	627	फुतसेरो	0.31	0.30	95.26
	628	चिजामी	0.10	0.10	98.76
152		**तुवेगसांग**	1.97	1.91	97.11
	629	नोकसेन	0.14	0.14	99.24
	630	चारे	0.11	0.11	98.09
	631	लोंखिम	0.17	0.17	98.84
	632	तुवेंगसांग सदर	0.48	0.44	92.90

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप—जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	633	सोतोकु	0.11	0.11	99.22
	634	नोकलाक	0.20	0.19	98.44
	635	पानसो	0.11	0.11	99.64
	636	शमातोर	0.13	0.13	99.03
	637	तोंनोकन्यु	0.19	0.18	94.63
153		**लोंगलेंग**	0.50	0.49	96.30
	638	लोंगलेंग	0.23	0.22	96.07
154		**किफिर**	0.74	0.71	96.52
	639	किफिर सदर	0.22	0.21	93.77
	640	पुंगरो	0.14	0.14	97.65
155		**कोहिमा**	2.68	2.25	83.86
	641	सेमेन्यु	0.51	0.51	98.79
	642	चिफोवोजोयु	0.20	0.17	88.32
	643	केजोचा	0.16	0.14	86.15
	644	जखामा	0.34	0.31	90.40
	645	कोहिमा सदर	1.17	0.87	74.39
	646	सेचु—जुवजा	0.17	0.13	75.95
156		**पारेन**	0.95	0.84	88.47
	647	जालुकी	0.28	0.21	72.46
	648	अथिवुंग	0.14	0.13	93.61
	649	तेनिंग	0.26	0.26	99.06
7		त्रिपुरा			
157		**पश्चिम त्रिपुरा**	17.26	4.32	25.03
	650	हेजामारा	0.36	0.33	93.54
	651	पदमाविल	0.36	0.33	92.82
	652	तुलाशिखर	0.43	0.33	76.16
	653	मुंगीयाकुमी	0.29	0.28	95.68
	654	मंडाई	0.45	0.41	92.20
	655	जम्पुईजाला	0.46	0.43	94.66
158		**दक्षिण त्रिपुरा**	8.76	3.45	39.36
	656	किला	0.41	0.39	96.07
	657	अमरपुर	0.57	0.32	56.66
	658	ओंपी	0.39	0.33	84.75
	659	करबुक	0.45	0.36	79.24
	660	रुपईछारी	0.48	0.40	82.74
159		**धलाई**	3.78	2.11	55.68
	661	मनु	0.84	0.58	68.64
	662	अंबासा	0.55	0.40	72.52
	663	छमानु	0.34	0.29	85.85

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप–जिला	जनसंख्या लाखों में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	664	दंबुरनगर	0.59	0.48	81.02
160		**उत्तर त्रिपुरा**	6.94	1.79	25.86
	665	दंबछारा	0.28	0.23	81.89
	666	पेंचरथाल	0.43	0.26	59.20
	667	दसदा	1.02	0.69	67.35
	668	जम्पुई हिल्स	0.12	0.11	92.53
8		**सिक्किम**			
161		**उत्तरी जिला**	0.44	0.29	65.70
	669	मंगन	0.34	0.24	71.96
संघ राज्यक्षेत्र					
1		**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**			
162		**निकोबार**	0.37	0.24	64.28
	670	कार निकोबार	0.18	0.15	84.23
2		दादर और नगर हवेली			
163		**दादर और नगर हवेली**	3.44	1.79	51.95
	671	दादर और नगर हवेली	3.44	1.79	51.95
3		लक्षद्वीप			
164		**लक्षद्वीप**	0.64	0.61	94.80
	672	एंड्रॉट	0.11	0.11	97.83

टिप्पणी:

(1) स्रोतरू जनगणना 2011

(2) 10,000 से अधिक तथा 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, प्राथमिकता वाले उप–जिले।

अनुलग्नक–4फ

अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
1	**आन्ध्र प्रदेश**			
	1. येनादिस, चेलायेनादी, कप्पाला येनादी, मांछी येनादी, रेड्डी येनादी	5.34	20.3	%
	2. येरूकुलस, कोरचा, दब्बा येरूकुला, कुंछापुरी येरूकुला, युप्पु येरूकुला	3.75	14.3	%
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7	%
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0	%
	5. सवारस, कापु सवारस, मलिया सवारस, खुट्टो सवारस	1.38	5.2	%
	6. बगता	1.33	5.0	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6**	%
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8	%
	कुल	**26.31**	**100**	**%**
2	**बिहार**			
	1. संथाल	4.06	30.4	%
	2. गोंड	2.57	19.2	%
	3. थारू	1.60	12.0	%
	4. उरांव, धनगढ़	1.44	10.8	%
	5. खारवार	1.26	9.4	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8**	%
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8	%
	कुल	**13.37**	**100**	**%**
3	**छत्तीसगढ़**			
	1. गोंड , अराख ,अगारिया, असुर, भटोला, भीम्मा, भूटा/भूटी..., भार, मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोंघिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9	%
	2. कवर,कनवर,चेरवा,राठिया, तंवर,चत्री	8.87	11.3	%
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9**	%
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.56	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4	%
	कुल	**78.23**	**100**	**%**
4	**गोवा**			
	1. गवडा	1.07	71.5	%
	2. वेलिप	0.32	21.5	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9**	%
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4	%
	कुल	**1.49**	**100**	**%**
5	**गुजरात**			
	1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे	42.16	47.3	%
	2. धूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2	%
	3. राठवा	6.42	7.2	%
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1	%
	5. नायकदा, नायका	4.60	5.2	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0**	%
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4	%
	कुल	**89.17**	**100**	**%**
6	**हिमाचल प्रदेश**			
	1. गद्दी	1.78	45.4	%
	2. गुज्जर	0.93	23.6	%
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0	%
	4. भोत, बोध	0.27	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0**	%
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7	%
	कुल	**3.92**	**100**	**%**
7	**जम्मू और कश्मीर****			
	1. गुज्जर	9.81	65.7	%
	2. बकरवाल	1.13	7.6	%
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4**	%
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5	%
	कुल	**14.93**	**100**	**%**
8	**झारखंड**			
	1. संथाल	27.55	31.9	%
	2. ओरांव, धनगढ़ (ओरांव)	17.17	19.9	%
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2	%
	4. हो	9.28	10.7	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	चिह्नित (928 अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0	%
	कुल	**86.45**	**100**	**%**
9	**कर्नाटक**			
	1. नायकडा, नयका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका, नाइक, नायक, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6**	%
	चिह्नित (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3	%
	कुल	**42.49**	**100**	**%**
10	**केरल**			
	1. पनियान	0.88	18.2	%
	2. कुरिच्चान, कुरिचियान	0.35	7.3	%
	3. मलाई अरायान, माला अरायान	0.33	6.9	%
	4. माविलान	0.31	6.4	%
	5. कुरुमांस, मुल्लुकुरुमन, मुल्लाकुरुमान, माला कुरुमान	0.25	5.1	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8**	%
	चिह्नित (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9	%
	कुल	**4.85**	**100**	**%**
11	**मध्य प्रदेश**			
	1. भील, भिलाला, बरेला,पटेलिया	59.94	39.1	%
	2. गोंड, अरख, अर्रख, अगारिया, असुर, बादी मारिया, बडा मारिया, ,भटोला, भिम्मा, भूटा, कोइलाभूटा, कोलियाभूटी, भार, बिसोनहोर्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गौंड गोवरी, हिल मारिया, कंदरा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुछा मारिया, कुचकी मारिया, मादीया, मारिया, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोगिया, मोंग्घया, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, वाडे मारिया, वडे मारिया, दरोई	50.93	33.3	%
	3. कोल	11.68	7.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0**	%
	चिह्नित (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7	%
	कुल	**153.17**	**100**	**%**
12	**महाराष्ट्र**			
	1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया, भिलाला,पावरा, वसावा, वसावे	25.89	24.6	%
	2. गोंड, राजगोंड, अराख, अर्रख, अगरिया, असुर, बाडी मारिया, भटोला, भिम्मा, भूटा, कोइलाभूटा, कोलियाभूटा, भर, बिश्नोर मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गौंड गोवरी, हिल मारिया, कान्द्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया,			

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	मादिया, मारिया, माना, मान्नेवर, मोघिया, मूडिया, मुरिया, नगारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे मारिया, वडे मारिया	16.18	15.4	%
	3. कोली महादेव, डोंगर कोली	14.60	13.9	%
	4. वर्ली	7.96	7.6	%
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5	%
	6. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर, मा ठाकुर, मा ठाकर	5.68	5.4	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4**	%
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7	%
	कुल	**105.10**	**100**	**%**
13	**ओडिशा**			
	1. खोंड, कोंद, कंधा, ननगुली कंधा, सीता कंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगारिया कोंध, कुटिया, कंधा, कंधा गउदा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कोंध, राजा कोंध, राज कोंध	16.27	17.0	%
	2. संथाल	8.95	9.3	%
	3. गोंड, गौंडो, राजगोंड, मारिया गौंड, धुर गौंड	8.89	9.3	%
	4. कोल्हा	6.25	6.5	%
	5. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागवंशी मुंडा, ओरिया मुंडा	5.59	5.8	%
	6. साओरा, सवर, सौरा, सहारा, अरसी सौरा, बासेड सौरा, भिमा सौरा, भिम्मा सौरा, छुमुरा सौरा, जारासवर, जादूसौरा, जटीसौरा, जौरी सौरा, कम्पु सौरा, काम्पु सौरा, कापो सौरा, किन्डाल सौरा, कुम्बी कंचेरसौरा, कालापिठिया सौरा, किराट सौरा, लंजिया सौरा, लम्बा लंजिया सौरा, लौरा सौरा, लौर सौरा, लारिया सवर, मालिया सौरा, माला सौरा, उरिया सौरा, राइका सौरा, सुद्दा सौरा, शारदा सौरा, तंकाला सौरा, पतरो सौरा, वेसु सौरा	5.35	5.6	%
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4	%
	अ.ज.जा.(7) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9**	%
	चिह्नित (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3	%
	कुल	**95.91**	**100**	**%**
14	**राजस्थान**			
	1. मीना	43.46	47.0	%
	2. भील, भील गरासिया, धोली भील, डूंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी, भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया, भिलाला,पावरा, वसावा, वसावे	42.10	45.5	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**85.56**	**92.5**	%
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6	%
	कुल	**92.39**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
15	**सिक्किम**			
	1. भूटिया, (छुम्बिपा, दोपथापा, दुकपा, कागते, शेरपा, तिबतन, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)	0.70	33.7	%
	2. लिम्बू	0.54	26.0	%
	3. लेप्चा	0.43	20.8	%
	4. तमांग	0.38	18.3	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8**	%
	चिह्नित (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2	%
	कुल	**2.06**	**100**	**%**
16	**तमिलनाडु**			
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरुलार'	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन'	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**	%
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल	**7.95**	**100**	**%**
17	**तेलंगाना**			
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3	%
	2. कोया , डोली कोया, गुट्टा कोया, कम्मारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पट्टीडी कोया, राजह, राशा कोया, लिंगाधारी कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीनेकोया, राजकोया	4.86	14.8	%
	3. गोंड, नाइकपोड, राजगोंड, कोइतुर	2.98	9.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**28.30**	**86.1**	%
	चिह्नित (29) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.96	9.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.61	4.9	%
	कुल	**32.87**	**100**	**%**
18	**उत्तर प्रदेश**			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राज गौंड (मेहराजगंज, सिद्धार्थ नगर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मउ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)	5.69	50.2	%
	2. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)	1.61	14.2	%
	3. थारु	1.05	9.3	%
	4. सहरिया (ललितपुर जिले में)	0.71	6.2	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.06**	**79.8**	%
	चिह्नित (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3	%
	कुल	**11.34**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
19	**उत्तराखंड**			
	1. थारु	0.91	31.3	%
	2. जानसारी	0.89	30.4	%
	3. बुक्सा'	0.54	18.5	%
	4. भोटिया	0.39	13.4	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6**	%
	चिह्नित (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2	%
	कुल	**2.92**	**100**	**%**
20	**पश्चिम बंगाल**			
	1. संथाल	25.12	47.4	%
	2. ओरांव	6.44	12.1	%
	3. भूमिज	3.76	7.1	%
	4. मुंडा	3.66	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6**	%
	चिह्नित (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6	%
	कुल	**52.97**	**100**	**%**
	पूर्वोत्तर राज्य			
21	**अरूणाचल प्रदेश**			
	1. न्यईशी	2.50	26.2	%
	2. गलोंग	0.79	8.3	%
	3. अदी	0.68	7.1	%
	4. तगिन	0.63	6.6	%
	5. वांचो	0.57	6.0	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3**	%
	चिह्नित (99) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3	%
	कुल	**9.52**	**100**	**%**
22	**असम**			
	1. बोरो, बोडोकचारी	13.62	35.1	%
	2. मिरि	6.80	17.5	%
	3. कार्बी	4.30	11.1	%
	4. राभा	2.96	7.6	%
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8**	%
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6	%
	कुल	**38.84**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
23	**मणिपुर**			
	1. थाडोऊ	2.16	18.5	%
	2. थंगखुलं	1.79	15.3	%
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9	%
	4. काबुई	1.04	8.9	%
	5. आओ	0.93	8.0	%
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3**	%
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8	%
	कुल	**11.67**	**100**	**%**
24	**मेघालय**			
	1. खासी, जयंतिया,सैन्तेंग,प्नार, वार, भोइ,लिग्यंम	14.12	55.2	%
	2. गारो	8.21	32.1	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4**	%
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8	%
	कुल	**25.56**	**100**	**%**
25	**मिजोरम**			
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9	%
	2. चकमा	0.97	9.4	%
	3. पावी	0.51	5.0	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2**	%
	चिह्नित (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7	%
	कुल	**10.36**	**100**	**%**
26	**नागालैंड**			
	1. नागा	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5**	%
	चिह्नित (125) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5	%
	कुल	**17.11**	**100**	**%**
27	**त्रिपुरा**			
	1. त्रिपुरा , त्रिपुरी, तिप्पेरा	5.92	50.8	%
	2. रियांग'	1.88	16.1	%
	3. जमातिया	0.83	7.1	%
	4. चकमा	0.80	6.8	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9**	%
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1	%
	कुल	**11.67**	**100**	**%**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
	संघ राज्यक्षेत्र			
28	**अंदमान निकोबार द्वीप समूह**			
	1. निकोबारी	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2**	%
	चिह्नित (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1	%
	कुल	**0.29**	**100**	**%**
29	**दादर और नगर हवेली*****			
	1. वर्ली	1.12	62.8	%
	2. कोकना	0.28	15.6	%
	3. धोडिया	0.24	13.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	1.64	91.9	%
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8	%
	कुल	**1.79**	**100**	**%**
30	**दमन एवं दीव*****			
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2	%
	2. धोडिया	0.02	15.2	%
	3. वर्ली	0.01	9.0	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5**	%
	चिह्नित (2) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3	%
	कुल	**0.15**	**100**	**%**
31	**लक्षद्वीप**			
	1. समस्त एसटी	0.61	99.99	%
	कुल	**0.61**	**100**	**%**

टिप्पण:

(1) विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5%जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाए गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चंढीगढ़ और पुद्दुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अ.ज.जा. अधिसूचित नहीं है।

' () में दिये गये आंकड़े अजजा समुदाय की संख्या दर्शाते हैं

'' जम्मू और कश्मीर राज्य का – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में
विभाजित होने से पूर्व

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकडे, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

अनुलग्नक–5क

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर–कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची(संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र पदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची(संशोधन) आदेश, 1956 का शुद्धि पत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादर एवं नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैंड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनगर्ठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 का शुद्धि पत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
24.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार
25.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
26.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
35.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी
36.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019की संख्या 34)	9.8.2019	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
37.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 4)	19.3.2020	कर्नाटक

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–5ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. अंध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध, कोडी, कोधु, देसाया कोंध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, येनिती कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कामारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिंगधारी कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मालिस
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना
28. सवारस, कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापट्टनम और विजयनगरम के जिलों में)

अरूणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, तारोंन
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों मे:

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजातिः –
   (i) बिआत, बिएत
   (ii) चांगसान
   (iii) चोंगलाइ
   (iv) डुंगेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगते
   (vii) गुइते
   (viii) हन्नेंग
   (ix) हाओकिप, हाउपिट
   (x) हओलई
   (xi) हेंगना
   (xii) होंगसुंग
   (xiii) हरंखबाल, रंगखोल
   (xiv) जोंगबी
   (xv) खाओचुंग
   (xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
   (xvii) खेलमा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेंगथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवुन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रियांग
   (xxix) साइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थांगनगेऊ
   (xxxvi) उइबुह
   (xxxvii) वाइफेइ
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13 पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहितः

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनवाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बंजारा
4. बाथूड
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, धेलकी खारिया, दूध खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी–कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अंध
3. बैगा
4. भाइना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जबार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डान्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकु
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान, धानका, धनगड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v) राजनंध गांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंदरानावगढ़ राजीम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील (viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सवर, सवरा
42. सोनर

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गडवा
8. वेलिप

गुजरात

1. बरदा
2. बवाचा, बमाचा
3. भारवाड (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चारन (एल्वा, बारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाड जिलों में)
7. चौधारा
8. धनका, तडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोडिया, धोदी
10. दुबला, तलविया, हलपती
11. गामित, गामता, गावित, मावची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कथोडी, ढोर कतकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी, कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी, अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबारी (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
25. राठवा
26. सिद्दी, सिद्दी–बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोडिया,
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनौर, किन्नरा
6. लाहउला
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी–कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धांगर (ओरांव)
26. परहइया
27. सन्थाल
28. सौरिया पहाडिया
29. सवर
30. भूमिज
31. कवर
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चेंचु, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी, पदवी, वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलर
14. इरूलिगा
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तालुका में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगत तालुक में)
19. कथोडि, कतकारी, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारी
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कुकना
22. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलाकुडी
28. कुरूबा (कुर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडी
32. मलासर
33. मलायेकान्डी
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराती (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गौरिया, बुरूद
38. नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवार और तलवार भी हैं), चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेडा, बेदार और वाल्मीकि
39. पल्लियन
40. पानियां
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. राठवा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारली
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियान
2. अरान्दन, अरांदन
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, माला पुलायन, कुरम्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलर, इरूलान
6. कदार, वायनाड कदार
7. हटा दिया गया
8. कनिकरन, कनिक्कर
9. कट्टूनायकन
10. कोच्चुवेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया, मेलाकुडि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, मुला कुरूमान, माला कुरूमान
18. कुरूम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यन, माला आर्यन
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीगोड जिलों को छोड़कर)
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. मराति (कसार गौड जिले का होसदुर्ग और कसार गौड तालुका)
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पुलेयान, पल्लीयान, पल्लीयार, पल्लीयान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकन
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेटा कुरुमान
43. माला पनिक्कर

मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. अंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिआ, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भट्‌ट्रा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अराख, अर्रख, अगेरिया, अगारिया, असुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डन्डीमी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरली, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मुडिया, मुरिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वदे मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कोरकु
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री
21. (हटा दिया गया)
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकु बोपची, मैआसी, निहाल, नहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोडाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, धांका, धांगड
36. पानिका ((i)छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और(पप)दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील में)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. हटा दिया गया
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, हकिया ((i) छिन्दवाडा, मंडला, डिंडौरी तथा सिवनी जिलों में (ii) बालाघाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंसडेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) तथा विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लॉक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लॉक (vii) नरसिंहपुर जिला, और (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में)
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावर, सावरा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित,मावछी पाडवी
18. गोंड, राजगोंड, अरख, अर्रख, अगारिया, असुर, बादी मारिआ, बडा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहोर्न मारिआ, छोटा मारिआ, दन्दमी मारिआ, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गट्टा, गाट्टी, गैट्टा, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंघया, मूदिया, मुरिया, नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी

20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध, खोंध, कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल, बोन्धी, बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया, नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी, सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंचेर, फान्स परधी, फान्से परधी, लांगोली परधी, बहेलिया, बहेल्लिया छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार, ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर, मा ठाकुर, मा ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई, इन्पुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लेइंगमेई, जेमे
10. कोइराओ, थंगल
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17. कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी, जयंतिया, सइनतेग, प्नार, वार, भोइ, लइनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:–
   i. बिअते, बिएते
   ii. चंगसान
   iii. चोंगलोइ
   iv. डोउन्गेल
   v. गमाल्हू
   vi. गंगत
   vii. गुइते
   viii. हान्नेंग
   ix. हाओकिप, हाउपिट
   x. हाओलाई
   xi. हेंगन
   xii. होनसुंघ
   xiii. हरांगख्वाल, रंगखोल
   xiv. जोंगबे
   xv. खावचांग
   xvi. खवथलांग, खोथलांग
   xvii. खेल्मा
   xviii. खोल्हू
   xix. किपजेन
   xx. कुकी
   xxi. लेनथांग
   xxii. ल्हांगम
   xxiii. ल्होउजेम
   xxiv. ल्होउवुन
   xxv. लुपहेंग
   xxvi. मांगजेल
   xxvii. मिसाओ
   xxviii. रिआंग
   xxix. सइरहेम
   xxx. सेलनाम
   xxxi. सिंगसन

xxxii. सितल्होउ
xxxiii. सुक्ते
xxxiv. थाडो
xxxv. थागंनगेऊ
xxxvi. उइबुह
xxxvii. वाइफेई

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेंग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
   (i) बिअते या बिएते
   (ii) चंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (iv) डोउन्गेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होनसुंघ
   (xiii) हरांगख्वाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi) खवथलांग या खोथलांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवुन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थाडो
   (xxxv) थागंनगेऊ
   (xxxvi) उइबुह
   (xxxvii) वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बैगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हलदी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भुंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बांडा परोजा
14. चेंचू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज

17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18. दिदायी, दिदाई परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो, गडाबा,गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगा गडाबा, सानो गडाबा
20. गांडिया
21. घारा
22. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवर, कंवर
29. खारिया, खरियनबेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुलीकंधा, सीथा कंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंध, मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लोहरस, कोल लोहरस
35. खोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खाइश, खयारा
39. कोरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग, झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदियापरोजा, सानो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, केम्पा साओरा, कापोसओरा, किंदल साओरा, कंबी कंचेरसाओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरासाओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गारासिया (राजपूत गारासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, धोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवालानायक, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

सिक्किम

1. भूटिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबेतन, तरोमोपा, योल्मो सहित)
2. लेप्चा
3. लिम्बू
4. तमांग

तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलर
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकरन, कनीक्कर (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8. कनियन, कन्यान
9. कट्टूनायकन
10. कोचु वेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्यन
21. मलाई पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोटपुदु कोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मार
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधु, देसाया कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोन्ध, येनिती कोन्ध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उडिया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. पोरजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी धोरा
26. रोना, रेना
27. सवारस, कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
29. थोटी (औदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में)
30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा, येरूकुला, कुंछापुरी, येरन्कुला, उप्पू येरून्कुला
32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहितः–

   (i) बालते (ii) बेलालहुट (iii) छाल्या (iv) फन (v) हजांगो (vi) जांगतेइ (vii) खारेंग (viii) खेपफोंग (ix) कुन्तेइ (x) लाइफांग (xi) लेन्तई (xii) मिजेल (xiii) नामते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रांगचांग (xvi) रांगखोले (xvii) थांगलुइया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. संताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, तिप्पेरा
19. उछाई

उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्र जिल में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्वती, योल्मो
6. बिरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरो
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा, खेरिया, खारिया
24. लोहारा, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. मल पहारिया
29. मेच
30. मरू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. राभा
36. संताल
37. सउरिया पहारिया
38. सवर
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमन

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो, येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगे
5. सेंटाइनलीस
6. शोमपेन्स

दादर और नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हलपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नइकदा या नायक
7. वर्ली

दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नइकडा (तालावीया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वर्ली।

लक्षद्वीपः

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः–

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता–पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे।

"बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः– 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (I) (छ) में परिभाषित किया गया है।

पुद्दुचेरी

इरूलर (विल्ली और वेट्टईकरण सहित)

नोटःयदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक–5 ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश' (तेलगंना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

(1) बालमोर (2) कोदनांगोल (3) बनाल (4) बिलाकास (5) धारावरम (6) अप्पाइपाली (7) रासुल छेरवु (8) पुलेछेलमा (9) मारलापया (10) बुर्ज गुंडाल (11) अगारला पेन्टा (12) पुल्लाइपल्ली (13) दुक्कान पेन्टा (14) बिकिट पेन्टा (15) कारकार पेन्टा (16) बोरमाछेरन्वू (17) येमेलापाया (18) इरलापेंटा (19) मुदारदीपेंटा (20) तेरकालदारी (21) वकारमामिदी पेंटा (22) मेडीमानकल (23) पंडीबोर (24) संगरी गुण्डल	(25) लिंगबोर (26) रामपुर (27) अप्पापुर (28) मालापुर (29) जलाल पेंटा (30) पीमान पेंटा (31) रायलेट (32) वेटोलापल्ली (33) पातुर बयाल (34) भावी पेंटा (35) नारदी पेंटा (36) तपासी पेंटा (37) चन्द्रगुप्ता (38) युल्लुकारतरेवु (39) तिम्मारेड्डीपल्ली (40) सारलापल्ली (41) ततिगुण्डाल (42) इल्पामायेहेना (43) कोमान पेंटा (44) कोल्लामपेंटा (45) मानानूर (46) माछाराम (47) मलहामाम्डी	(48) वेकेटेश्वरला बावी (49) अमराबाद (50) तिरमालपुर (51) उपनुटोला (52) मघवनपल्ली (53) जगमरेड्डी पल्ली (54) पेदरा (55) वेंकेश्वरम (56) चितलाम कुंटा (57) लाछमापुर (58) उदमेला (59) मारेड़ (60) इप्पालापल्ली (61) मड्डीमाडाग (62) अक्काराम (63) अइनोल (64) सिद्दापुर (65) बमानपल्ली (66) गनपुरा (67) मानेवारपल्ली

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा, (2) अनकानपुर, (3) जामुलाधारी, (4) लोकारी, (5) वेंकेट, (6) तान्तोली, (7) सीतागोंटी, (8) बुरनूर, (9) नवगांव, (10) पीपलदारी, (11) पारदी बुजुर्ग, (12) यापाल गुदा, (13) छिनछूघाट, (14) वानकोली, (15) कानपा,	(16) अवसोदा बुरकी, (17) मलकापुर, (18) जारी, (19) पालसी बुजुर्ग, (20) आरिल खुर्द, (21) नन्दगांव, (22) वाघापुर, (23) पालसीखुर्द, (24) लिंगी, (25) काफर देनी, (26) रतनापुर, (27) कोसाइ, (28) उमारी, (29) मदनपुर, (30) अम्बूगांव,	(31) रूयेअडी, (32) सकानपुर, (33) दादगांव, (34) कसलापुर, (35) डोरली, (36) साहाजी, (37) सांगवी, (38) खोगदूर, (39) कोबाई, (40) पोनाला, (41) छापराला, (42) मंगरोल, (43) कोपा अरगूने, (44) सोअनखास, (45) खिडकी,

(46) खासल खुर्द,	(55) खानापुर,	(64) बोदाद,
(47) खासल बुजुर्ग,	(56) खण्डाल,	(65) छांदपेल्ली,
(48) जामनी,	(57) तीपा,	(66) पीतगेन,
(49) बोरगांव,	(58) हाती घोता,	(67) येकोरी,
(50) सयेद पुर,	(59) करोदखुर्द,	(68) सादारपुर,
(51) खारा,	(60) करोनी बुजुर्ग,	(69) वारूर,
(52) लोहारा,	(61) सिंगापुर,	(70) रोहार,
(53) मारीगांव,	(62) वुरानपुर,	(71) तकली,
(54) छिछदारी,	(63) नागराला,	(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,	(25) केरल,	(49) पटोड़ा,
(2) बोदरी,	(26) कोठारी,	(50) जवारला,
(3) छिकली,	(27) गोकुड़ा,	(51) पीपलगांव,
(4) कामताला,	(28) गोगरवुडी,	(52) कानकी सिंगोरा,
(5) घोती,	(29) मलकापुर,	(53) डोगरगांव,
(6) मांडवा,	(30) धोनोरा,	(54) पीपल सेंधा,
(7) मेरेगांव,	(31) रामपुर,	(55) जुरूर,
(8) मालबोर गांव,	(32) पातरी,	(56) मिनकी,
(9) पटोडा,	(33) परोधी,	(57) तुलसी,
(10) दहीगांव,	(34) बाओथ,	(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(11) दोमोन घारी,	(35) दरसांगी,	(59) मुरली,
(12) दरसांगी,	(36) नोरगांव,	(60) टाकरी,
(13) डिघरी,	(37) उनरसी,	(61) पारसा,
(14) सिंदगी,	(38) गोदी,	(62) वारसा,
(15) कनकवाड़ी,	(39) साउरखेर,	(63) उमरा,
(16) कोपरा,	(40) नायकवाड़ी,	(64) अष्ठता,
(17) मलाकवाडी,	(41) सरकानी,	(65) हिंगनी,
(18) निसपुर,	(42) वाझेरा,	(66) तिमारपुर,
(19) एन्डा,	(43) मारदाप,	(67) बाजरा,
(20) पीपलगांव,	(44) अंजेरखेर,	(68) बानोला,
(21) बलजा,	(45) गोण्डवारसा,	(69) पाटसोन्डा,
(22) वारोली,	(46) पलाइगुडा,	(70) धनोरा,
(23) अन्जी,	(47) करालगांव,	(71) साकुर
(24) भीमपुर सिरमेती,	(48) पाल्सी,	(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,	(11) सुरदापुर,	(21) खाहदीगुडी,
(2) बाकरी,	(12) पोलमामदा,	(22) राजुरवाड़ी,
(3) पारधी,	(13) बाल्हनपुर,	(23) इसपुर,
(4) करतान्डा,	(14) धर्मपुरी,	(24) घानपुर,
(5) सेरलापाल्लि,	(15) गाकोड़ां,	(25) जतेरला,
(6) नेरादी कोन्डा,	(16) भोताई,	(26) खान्तेगांव,
(7) डालीगाओ,	(17) कोरसेकाल,	(27) साउरी,
(8) कुनताला,	(18) पतनापुर,	(28) इछोरा,
(9) वेंकटपुर,	(19) तेजापुर,	(29) मुतनपुर,
(10) हसनपुर,	(20) गुरूज,	(30) गुडी हाटनूर,

(31) तालमेडी, (32) गेरजाम, (33) छिनछोली, (34) सिरछेलमा, (35) मनकापुर, (36) नारसापुर,	(37) धर्मपुर, (38) हरकापुर, (39) धामपुर, (40) निगनी, (41) अजारवजार, (42) चिन्तलबोरी,	(43) चिंताकारवा, (44) रामपुर, (45) गंगापुर (46) गयात्पल्ली

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव।

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार है:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट, (2) गुंजाला, (3) इंघानी, (4) समेला, (5) तेजपुर, (6) कन्नारगांव, (7) कन्टागुडा, (8) शांकेपल्ली, (9) जामुलधारी, (10) गुडी, (11) छोरपल्ली, (12) सालेगुडा, (13) बादीगुडा, (14) सवाती, (15) ढाबा, (16) छोपनगुडा, (17) नीमगांव, (18) खिरदी, (19) मेटापिपरी, (20) साकरा, (21) सांगी, (22) देवुरपल्ली, (23) खोटरा—रिंगनघाट, (24) निशानी, (25) कोटा परानडोली, (26) मेसापुर, (27) गोइगांव, (28) धनोरा, (29) पारधा,	(30) सुरदापुर, (31) केरीनेरी, (32) मुरकीनोनकी, (33) देवापुर, (34) छिन्ताकारा, (35) इहेरी, (36) आरा, (37) दासनपुर, (38) कापरी, (39) बेलगांव, (40) सिरसगांव, (41) मोआर, (42) बादाम, (43) धामिरीगुडा, (44) दाल्लनपुर, (45) छालवारडी, (46) इहोरघाट, (47) वाली झारी, (48) साकमगुंडी, (49) आरा, (50) उप्पाल नवगांव, (51) अंकसोरपुर, (52) चिराकुन्ता, (53)इल्लिपिट्टा डोरली, (54) मन्डरन्मेरा, (55) दन्तान्पल्ली, (56) देवदुर्ग, (57) तुनपाली, (58) धांगलेश्वर,	(59) पादिबान्दा, (60) तामरिन, (61) मलगुण्डी, (62) कन्दन मोओआर, (63) जिओनेना, (64) कुटेदा, (65) तिलानी, (66) कानेपल्ली, (67) बोरवांउम तेलुन्डी, (68) मौगीलोड़ीगुड़ा, (69) मोइड़ा—गुड़ी पेट, (70) चीन्नेदारी, (71) कोइटेलुण्ड़ी, (72) मदुरा, (73) देवैगुड़ा, (74) आरे गुडा, (75) गरडेपल्ली, (76) तकेपाली, (77) चोउतेपाली, (78) राने कन्नेपल्ली, (79) सुंगापुरा, (80) राला सामकेपल्ली, (81) छोपरी, (82) दोदा अर्जुनी, (83) सेरवाई, (84) रापल्ली, (85) टेकमाडवा (86) मीता अर्जुनी

7. आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव निम्नानुसार है:

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम, (2) कासीपेत, (3) दांडे पल्ली, (4) छेलमपेटा, (5) राजमपेट, (6) मुत्तीमपेट,	(7) वेंकटपुर, (8) राली, (9) कौवाल, (10) तारापेत, (11) देवपुर, (12) गाथापल्ली,	(13) रोतपल्ली, (14) माझडामारी, (15) धर्मारोपेत, (16) वेंकटपुर, (17) चिंतागुडा (18) मुत्तेमपल्ली

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव।
राजुरा तालुका

1) बेंडवी,	(21) कानारगांव,	(41) कारकी,
(2) छिनछोली,	(22) छेनाई,	(42) नोकारी,
(3) गोइगांव,	(23) कैरगांव,	(43) मनोली,
(4) हीरापुर,	(24) सामलहीरा,	(44) सोनपुर,
(5) साकरी,	(25) धनोली,	(45) इनापुर,
(6) बालापुर,	(26) मारनगांडी,	(46) मानगी,
(7) मनोली,	(27) येल्लापुर,	(47) उपारवाई,
(8) अन्तारगांव,	(28) काटलबोरी,	(48) तुत्ता,
(9) विरूर,	(29) इसपुर,	(49) लकमापुर,
(10) डोगरगांव,	(30) देवती,	(50) किरदी,
(11) टिमबेरवाई,	(31) पाण्डेरवानी,	(51) इनजापुर,
(12) सेरसी,	(32) वानसारी,	(52) जमीनी,
(13) बडोरा,	(33) पेरदा,	(53) हरगांव,
(14) व्मरजीरी,	(34) वारगांव,	(54) छिकली,
(15) लाकारकोट,	(35) नोकारी,	(55) पाटन,
(16) डरगांव,	(36) मीरापुर,	(56) कोसुंडी,
(17) किरदी,	(37) पारधी,	(57) कोतारा
(18) सोंदो,	(38) कुतोडा,	(58) सोनोरली
(19) देवरा,	(39) परसेवारा,	
(20) खोरुना,	(40) मंगलरा,	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।
सिरपुर तालुका

(1) रालपेट,	(10) उसू रामपल्ली,	(19) दामदा,
(2) किस्तामपेट,	(11) अरपल्ली,	(20) ढोरपल्ली,
(3) तकलपाल्ली,	(12) बोपालपट्टनम,	(21) कनकी गारलापेट,
(4) छाकलपल्ली,	(13) बालासागा,	(22) गुदलाबोरी,
(5) अनाराम,	(14) पारधी,	(23) गुरूमपेट,
(6) भेटपल्ली,	(15) तुमरीहाती,	(24) लोमवेली,
(7) कोरसनी इसगांव,	(16) छिन्तालमानोपल्ली,	(25) मोगुरदागर,
(8) छिन्तागुडा,	(17) छिन्ताम,	(26) विरदान्डी
(9) अंकोरा,	(18) गुल्लातालोदी,	(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।
मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा,	(13) कोंडरेड,	(25) भूताराम,
(2) अंकनगुड्डा,	(14) छिन्तागुडा,	(26)अक्केला,
(3) राघवापट्टनम,	(15) कोंडापारथी,	(27) सिरवारपुर,
(4) मेडारमोला,	(16) येलसेथिपाल्लि,	(28) गंगाराम,
(5) कोएटला,	(17) अल्लामरिघुनपुर,	(29) भूपतिपुर,
(6) पारसा नागाराम,	(18) रामपुर,	(30) पुम्बापुर,
(7) मुथापुर,	(19) माल्कपल्लि,	(31) रामपुर,
(8) मोटलागुड्डा,	(20) छेत्ताल,	(32) अंकामपाली,
(9) वेंगलपुर,	(21) भूपतिपुर,	(33) कामाराम,
(10) येलपाक,	(22) गंगाराम,	(34) कामसेलिगुण्डम,
(11) कानेबोएनपल्लि,	(23) कन्नइगुडा,	(35) आष्ठानागुडा,
(12) मेदाराम,	(24) राजन्नापेट,	(36) येल्लापुर,

(37) अल्लागुड़ा, (38) नरसापुर, (39) पुस्छापुर, (40) भातुपल्लि, (41) लावनाल, (42) वाङ्गुडा, (43) कोथूर, (44) पेगदापाल्लि, (45) सारवापुर, (46) भुस्सापुर, (47) चेलवाई, (48) रंगपुर, (49) गोविन्दराओपेट, (50) बालपाली, (51) धुमपालागुडा, (52) केलापाली, (53) लखनवरम,	(54) परसा, (55) गोनेपाली, (56) पडगापुर, (57) नरलापुर, (58) कलवापाली, (59) उरातम, (60) कोंडिया, (61) मलयत, (62) अचलपुर, (63) डोल्डा, (64) कमाराम, (65) तादवी, (66) बुदीगुडा, (67) बन्न्जी, (68) बन्दाम, (69) सेलपाक, (70) कन्तलपल्ली,	(71) सरवाई, (72) गंगागुडा, (73) तुपालकालगुदा, (74) अकुलवारी, (75) घानपुर, (76) शाहपल्ली, (77) गागपल्ली, (78) छिन्ना–विओपल्ली, (79) वेंकटापुर, (80) नरसापुर, (81) अनवाराम, (82) लिंगाल, (83) बालेपापल्ली, (84) बंडल (85) थूनमापुर

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली, (2) पोलारा, (3) बाकाचिन्ताफाद, (4) गांजाद, (5) त्रिमागुल्डा, (6) गोपालपुर, (7) खिस्तापुर, (8) तातीनारी वेनपल्ली, (9) पत्तल भूपति, (10) चन्देलपुर, (11) बत्तालपल्ली, (12) अदवारमपेट, (13) सात्यानगर, (14) दुत्ला, (15) मोथवाडा, (16) मंगालावारपेत, (17) कारलाई, (18) अरकालकुंत्ता, (19) कोदसापेत, (20) गुडेरपल्ली, (21) मसामी, (22) बत्तवारतीगुदेम, (23) ममीदीगुदम, (24) पंगोन्डा,	(25) रोतुराई, (26) सतरेड्डीपल्ली, (27) कोनापूर, (28) कोंदापुरम, (29) पोगुलापल्ली, (30) गोविन्दपुरम, (31) माकदापल्ली, (32) पागुलदापल्ली, (33) मुराइगुडेम, (34) येलछागुडेम, (35) तुम्मापुरम, (36) जगांमवारतीगुडेम, (37) रंगामुडेम, (38) पेड्डापल्ली, (39) येर्रावरम, (40) कुन्दापल्ली, (41) नीलमपल्ली, (42) दारावारिनापल्ली, (43) कारनेगुंड, (44) महादेवागुडेम, (45) मारिगुडेम, (46) जंगनपल्ली, (47) बवारगुडा, (48) ओआरवाक,	(49) गंगारामम, (50) मुछेरला, (51) अमरोन्छा, (52) कामाराम, (53) छिन्टागुंडम, (54) निलावाच्छा, (55) कांगागिड्डा, (56) मडागुड्डेम, (57) दालुरपेट, (58) कोठागुडेम, (59) कोटापल्ली, (60) दुर्गाराम, (61) दूबागुडेम, (62) रून्दावाराम, (63) नरसूगुडाम, (64) कोमातलागुडेम, (65) काटेरवम, (66) सेमर राजपेट, (67) मारेपल्ली, (68) गोआरूर, (69) राधियापुर, (70) गजलगुडेम, (71) राजवेपल्ली (72) वोल्लिपल्ली

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनीऔर सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (i) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव(पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र ख्एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर,2 खविशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम,

15. पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र 2ख्रामचन्द्रपुरमगांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित,

16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्स्रेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).

II. गुजरात**

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधवालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
6. बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप–तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11.1975द्वारा निर्दिष्ट

[1]मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

[2]आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

IV. महाराष्ट्र:

1. थाणे जिले में निम्निलिखित:
   (क) धाहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील
   (ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11.1975द्वारा निर्दिष्ट

पालघर तहसील

(1) तारापुर
(2) कुदन
(3) दहसीर टर्फ तारापुर
(4) घिवाली
(5) वावे
(6) अक्कारपत्ती
(7) कुरगांव
(8) पारनाली
(9) वेनगानी
(10) पठारवाली
(11) नेवले
(12) शिगांव
(13) गारगांव
(14) चिंचारे
(15) अकेगावान
(16) नानीवाली
(17) अंबेढे
(18) बरहानपुर
(19) सलगांव,
(20) खुताद,
(21) खानीवाड़े,
(22) रावते,
(23) अकोली,
(24) असेरी,
(25) सोते,
(26) परस्थाल,
(27) बोइसार,
(28) बोरसेती
(29) महागांव,
(30) किराते,
(31) वाडे,
(32) खाडवाने,
(33) मेंधवान
(34) विलसेय,
(35) कोडगांव
(36) कारसूद
(37) बेतेगांव,
(38) वारगंदे
(39) लालोंडे,
(40) घनेडे
(41) काम्बलगांव
(42) मान
(43) घानेघर,
(44) वाढ़े
(45) छारी बुदर्ग
(46) बिरवाडी
(47) काल्लाले,
(48) पाद्घे
(49) पोले,
(50) नानडोरे,
(51) गिरनोली,
(52) बोरान्डे,
(53) देवखोपे,
(54) सागवे,
(55) कोसबाद
(56) कोकानेर,
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल,
(61) छिलहर,
(62) भोपोली,
(63) नीहे,
(64) दामखाण्ड,
(65) कोंधान,
(66) आवनधान,
(67) बेगारचीले,
(68) शील,
(69) लोवारे,
(70) बंधान,
(71) नंद गांव टर्फ मानोर,
(72) शील शेट,
(73) कताले,
(74) अम्भान,
(75) वासरोली
(76) खारशेट,
(77) मानोर,
(78) ताकवाल,
(79) सवारखण्ड,
(80) नालशेट,
(81) केव,
(82) वाकाडी,
(83) मासवान,
(84) वान्डीवाली,
(85) नेताली
(86) साये,
(87) तेन,
(88) कारालगांव,
(89) गोवादे,
(90) तामसाइ,
(91) दुरवेस,
(92) धुकतान,
(93) पोछादे,
(94) होलाले,
(95) खामलोली,
(96) वाहदोली,
(97) बोत,
(98) इम्बूर इराम्बी,
(99) दानिसारी टर्फ मानोनर,
(100) कुडे,
(101) गुण्डावे,
(102) सीतावली,
(103) वेहालोली,
(104) सवारे,
(105) वराई,
(106) जानसाई
(107) खाइरे,
(108) ढेकाले,
(109) गांजे,
(110) जायेशेते,
(111) शेलवाडे,
(112) वेमुर,
(113) अम्बादी,
(114) नवाली,
(115) मोरावाली,
(116) वारखुन्ती,
(117) कामार,
(118) टोकराले,
(119) बन्डाते,
(120) जांजरोली,
(121) छाडे,
(122) वसारे,
(123) खादकोली,

(124) सखारे, (125) रोथे, (126) लालथाने, (127) नवाजे, (128) तान्डुलवाडी, (129) गिराले, (130) पारगाव,	(131) नागवे टर्फ–मानोर, (132) उम्बारपदा नानड़ाडे, (133) उचावाली, (134) सफाले, (135) सोनावे, (136) माकने कापसे, (137) करवाले,	(138) वाधिव सरावली, (139) पेनान्ड, (140) कान्डारवान, (141) दाहीवाले, (142) दारशेट, (143) नवगढ़ (घाटीम) (144) उम्बारपादा टर्फ–मानोर

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार, (2) कोशिम्बे, (3) तुलिंज, (4) सकवार, (5) छिमान, (6) हेडवडे, (7) काशिदकोपर, (8) खानीवाडे, (9) भालीवाली, (10) कावेहर, (11) शिरसाद (12) मान्डवी (13) छानदीप, (14) भातने, (15) शिवनसाई	(16) उसगांव, (17) मेधे, (18) वादघर, (19) भीनार, (20) एम्बोडे, (21) कालभोन, (22) अनदने, (23) सायावान, (24) पारोल, (25) शिरवाल, (26) माझीवाली, (27) कारांजोन, (28) तिलहर, (29) धानिव, (30) पेल्हार,	(31) अहोले, (32) वालिव, (33) सतिवाली, (34) राजवली, (35) कोल्ही, (36) छिनछोती (37) जुचंद्र, (38) बापने, (39) देवदल, (40) कामन, (41) सरजामोरी (42) पोमन (43) शिलोत्तर (44) ससुनवघर (45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

भिवांडी तहसील

(1) भिवाली, (2) गनेशपुर, (3) वाडावाली वाजरेश्वरी, (4) अकोली, (5) सवारोली, (6) खातीवाली, (7) उसगांव, (8) घोटगांव, (9) वाढ़े, (10) वारेथ, (11) चाने, (12) असनोली–टर्फ–दुगद (13) दुगद, (14) मनीवाली, (15) वादवाली–टर्फ–दुगद, (16) मालबीडी, (17) मोहिली, (18) नन्दीथान, (19) देपोली, (20) सखरोली, 21) सूपेगांव,	(22) पिलांजे खुर्द, (23) पिलांजे बुदुर्क, (24) अलखीवाली (25) वाघीवाले, (26) देवचोले (27) सागोआं, (28) इकसाल, (29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे, (30) डूधानी, (31) वापे (32) घदाने, (33) कुंडे, (34) घोतावाडे, (35) माइंडे, (36) करमाले, (37) कांडली बुदर्क, (38) केल्हे, (39) कांडली खुर्द, (40) दीघाशी, (41) नेवादे, (42) अम्बादी,	(43) दालोंड, (44) जाम्भीवाली टर्फ–खाम्बाले, (45) उम्बारखंड, (46) आशिवाली, (47) जिदके, (48) खारीवाली (49) बासे, (50) गांडोडे, (51) पहारे, (52) सेदगांव, (53) पच्छापुर, (54) गोंड्रवली, (55) जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे, (56) असनोली–टर्फ–कुंडे, (57) शिरोले, (58) दाभाद, (59) महानडुल, (60) शिरगांव, (61) पिंपल सेठ भुसेठ, (62) खादकी खुर्द, (63) खादकी बुदरूक,

(64) चिम्बीपाडे, (65) कूहे, (66) घामने,	(67) लाखीवाली, (68) पालीवाली, (69) पाये,	(70) गाने, (71) दाहयाले, (72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मुरबाद तहसील

(1) कासगावं,
(2) किसाल,
(3) वाडावाली,
(4) सखारे,
(5) खुटालबोरगांव,
(6) अम्बेल खुर्द,
(7) सयाले,
(8) इंदे,
(9) खेडाले,
(10) तलवाली—टर्फ—घोराट,
(11) इकलाहारे,
(12) चाफे—टर्फ—खेडुल,
(13) पिम्पालघर,
(14) देहगांव,
(15) पारहे,
(16) कांडली,
(17) धासाई,
(18) अल्यानी,
(19) पालू,
(20) देवघर,
(21) माढ,
(22) सोनावाले
(23) वेलुक,
(24) अलावे,
(25) बरसुंगे,
(26) मांडुस
(27) खेड,
(28) वनोटे,
(29) शाई,
(30) शेलगांव,
(31) शिरोशी,
(32) तालेगांव
(33) फंगाकोशी,
(34) मेरडी,
(35) वाल्हीवारे,
(36) माल,
(37) जडाई,
(38) अम्बीवाली,
(39) डिधेफाल,
(40) दीवानपाडा,
(41) कोचरे खुर्द,
(42) कोचने बुद्रुक,
(43) चोसाले,
(44) खुटल बंगला,
(45) नयाहाडी,
(46) मोरोशी,
(47) फंगुलगांवाहन,
(48) सवरने,
(49) थिताबी—टर्फ—वैशाखहरे,
(50) कुदसेट,
(51) फंगाने,
(52) खपारी,
(53) हेडावाली,
(54) कारचोंडे,
(55) जडघर
(56) उडालदोहा,
(57) महोरांडे,
(58) टोकवडे,
(59) बालेगांव,
60)तलवाली (बडागांव),
(61) वैशाखरे,
(62) मनवाली—टर्फ—खेडुल,
(63) पेनढारी,
(64) उमरोली बुदर्क,
(65) ओजीवाल,
(66) मांदवत,
(67) महाज,
(68) पडाले,
(69) कोलोशी,
(70) जयगांव,
(71) कलामबाद (भोंडीवाले),
(72) खेवारे,
(73) दुधानोली,
(74) उमारोली खुर्द,
(75) खोपीवाली,
(76) मील्हे,
(77) गोरखागड

2. नासिक जिले में निम्न:

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल, (2) भनवाड, (3) डेहारे, (4) कारंजली, (5) गंडोले, (6) पलासविहिर, (7) वारे, (8) वनजोले, (9) अम्बाद, (10) वनारे, (11) तितवे,	(12) देवधान, (13) नानाशी, (14) चारोसे, (15) देवघर, (16) कौदासर, (17) वनी खुर्द (18) पिंपलगांव धूम (19) जोरान, (20) महाजे, (21) सदराले, (22) नालवाडी,	(23) ओजे, (24) गोलशी, (25) जलखेड, (26) निगडोल, (27) कोकानगांव बुर्दक, (28) उम्ब्राले खुर्द, (29) अम्बेगान, (30) चाचादगांन, (31) वाघाद, (32) पोफलवाडे, (33) धाउर,

(34) उम्बाले बुद्रुक,	(59) मंडाने,	(84) नीलवांडी,
(35) जम्बूतके,	(60) कोशिम्बे,	(85) पिपंलगांव केतकी
(36) पिम्पराज,	(61) पुनेगांव,	(86) राजापुर,
(37) नालेगांव,	(62) पंडाने,	(87) डिंडोरी,
(38) विलवांडी,	(63) अंबानेर,	(88) जोपुल,
(39) रासेगांव,	(64) चंदीकपुर,	(89) माडकी जाम्ब,
(40) कोचारगांव,	(65) भाटोडे,	(90) पालखेड
(41) तिलहोली,	(66) दाहिवी,	(91) इन्दोर,
(42) रावलगांव,	(67) मुलाने,	(92) कोरहते,
(43) देहेर वाडी,	(68) कोकनगांव खुर्द,	(93) चिंचखेड,
(44) ढागुर,	(69) मालेगांव,	(94) टालेगांव डिंडोरी,
(45) देवसाने,	(70) पिम्परखेड,	(95) अकराले,
(46) सरसाले,	(71) फोपासी,	(96) मोहाडी,
(47) करांजखेड,	(72) वानी कास्बे,	(97) पिम्पसालानारे,
(48) पंगलवाडी,	(73) संगमनेर,	(98) खाटवाड,
(49) इकलाहारे,	(74) खेडले,	(99) रामसेज,
(50) चउसाले,	(75) मवाडी,	(100) अम्बे डिंडोरे,
(51) पिम्प्री अंचला,	(76) करंजवान,	(101) ढाकम्बे,
(52) अहिवंतवाडी,	(77) डाहेगांव,	(102) जानोरी,
(53) गोलडारी,	(78) वागलूड,	(103) मानोरी,
(54) हास्ते,	(79) कृष्णागांव,	(104) शिवनाई,
(55) कोलहेरी,	(80) वारखेड,	(105) वारवांडी,
(56) जिरवाडे,	(81) कदवामहालुंगी,	(106) जौलके डिंडोरी
(57) चामदारी,	(82) गोंडेगांव,	
(58) मालदुमाला,	(83) हतनोर,	

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए है तथा इगतपुरी शहरः

(1)	ढाडोशी,	(26)	ओडंली,	(51)	गिरनार,
(2)	भीलमाल,	(27)	सातुरली,	(52)	तितोली,
(3)	पाहिने,	(28)	अवाली डुमला,	(53)	बोरटम्भे,
(4)	जारवाड खुर्द,	(29)	कारहाले,	(54)	तालोशी,
(5)	टाकेहर्षा,	(30)	रायाम्बे,	(55)	नन्दगांव साडे,
(6)	असवाली हर्षा,	(31)	टाकेडेगांव,	(56)	पिंपरी सदरोद्दीन,
(7)	समुन्दी,	(32)	मेटेलयाची,	(57)	तालेघा,
(8)	खारोली,	(33)	बितुरली,	(58)	कंचनगांव,
(9)	कोजोली,	(34)	वालविहिर,	(59)	शेनवाड बुद्रुक,
(10)	अवहाते,	(35)	भलवी बुद्रुक,	(60)	फंगुलगांवन,
(11)	कुशेगांव,	(36)	पिंपलगांव भटाटा,	(61)	बोरली,
(12)	मेचन्द्रायची,	(37)	कोपारगांव,	(62)	मानवेधे,
(13)	अलवांड,	(38)	कुरनोली,	(63)	भवाली खुर्द,
(14)	दापुरे,	(39)	ढारनोली	(64)	कालूस्ते,
(15)	मेत हुम्बाची,	(40)	वाकी,	(65)	जामुन्डे,
(16)	जारवाड बुद्रुक,	(41)	चिंचाले (खाइरे),	(66)	गाहुन्डे,
(17)	महासुरली,	(42)	ट्रिंगलवाडी,	(67)	भारवाज,
(18)	शेवगेडांग,	(43)	अदवान,	(68)	कारूंगवादी,
(19)	वानजोले,	(44)	अवालखेडे,	(69)	निरपन,
(20)	देवगांव,	(45)	पारदेरी,	(70)	मनजारगांव,
(21)	अहुरली,	(46)	बलायदूरी,	(71)	अम्बेवाडी,
(22)	नन्दादगांव,	(47)	खम्बाला,	(72)	खाडकेड,
(23)	वावी हर्षा,	(48)	टाके घोटी,	(73)	इन्दोर,
(24)	नागोसली,	(49)	घोटी बुद्रुक,	(74)	उम्बारकोन,
(25)	ढारगांव,	(50)	तालेगांव (1),	(75)	सोमाज घादगा,

(76) उभाडे (वंजुलवाजी),	(82) पिम्पलगांव मोरे,	(88) ताकेड बुद्रुक,
(77) मेगारे,	(83) धामनी,	(89) खेड,
(78) बेलगांव तारहाले,	(84) अदसारे खुर्द,	(90) वारसिंगवे,
(79) धामनगांव,	(85) अदसारे बुद्रुक,	(91) सोनोशी,
(80) देओले,	(86) अहारवाड,	(92) मइदारा धानोशी,
(81) खैरगांव,	(87) ताकेड खुर्द,	(93) वासाली

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः

नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,	(25) खामबाले,	(49) नागलवाडी,
(2) कोने,	(26) सापगांव	(50) ओजारखेडी,
(3) खारवाल,	(27) काचुरली,	(51) चांदशी,
(4) वरासविहिर,	(28) अंजनेरी,	(52) गंगम्हौंगी,
(5) वघेरा,	(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(53) जलालपुर,
(6) रोहिले,	(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,	(54) सावरगांव,
(7) नन्दगांव,	(31) वाधोली,	(55) गोवरधान,
(8) गोरथान,	(32) उभरांडे,	(56) शिवनगांव,
(9) हिरदी,	(33) कालमुस्ते,	(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,
(10) मालेगांव,	(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),	(58) राजेवाडी,
(11) वेलुन्जे,	(35) हर्षेवाडी,	(59) गंगावारहे,
(12) गणेशगांव वघेरा,	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,	(37) मुलेगांव,	(61) गणेशगांव नाशिक,
(14) मेट कवारा,	(38) लादाची,	(62) वसाली,
(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(39) नाकवाडी,	(63) दूदगांव,
(16) तोरनानगान,	(40) वेले,	(64) महिरावनी,
(17) धूमोदी,	(41) सादगांव,	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(18) बेसे,	(42) यादगांव,	(66) जाटगांव,
(19) चकोरे,	(43) मनोली,	(67) सारूल,
(20) अम्बोली,	(44) ढोंडेगांव,	(68) पिंपलाड नासिक,
(21) अम्बाई,	(45) दारी,	(69) राजुबहुला,
(22) शीरासगांव,	(46) गिरनाते,	(70) दहीगांव
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(47) दुगांव,	
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(48) देओरगांव,	

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैः

बागलान तहसीलः

(1) बोरहाते,	(14) कोंधाराबाद,	(27) सालहेर,
(2) मोहलांगी,	(15) अंतापुर,	(28) कटारवेल,
(3) जैतपुर,	(16) रावर,	(29) भीलवाड,
(4) गोलवाड,	(17) जामोती,	(30) तुंगन,
(5) हतनूर,	(18) अलिआबाद,	(31) दसवेल,
(6) मालीवाड,	(19) अजांडे,	(32) जाखोड,
(7) अम्बापुर,	(20) मुलहेर,	(33) मुंगासे,
(8) जाड,	(21) बाबुलने,	(34) भावाडे,
(9) वीसापुर,	(22) मोरने–दिगर,	(35) दसाने,
(10) शेवारे,	(23) बोरदइवत,	(36) मालगांव खुर्द,
(11) खाराड़,	(24) भीमखेत,	(37) सालवान,
(12) वाड डिगार,	(25) वाघम्बे,	(38) पिसोर,
(13) देवथान,	(26) मनूर,	(39) करसाने,

(40) विथोड, (41) पाठवेडीगर, (42) तालवेडीगर, (43) मोरकुरे, (44) किकवारी खुर्द, (45) केलजार,	(46) ततानी, (47) भीलडार, (48) किकवारी बुर्दुक, (49) जोरान, (50) साकोड़े, (51) करांजखेड,	(52) डांग सौडाने, (53) निकबेल, (54) बन्धाते, (55) दाहिन्डुले, (56) सरवार, (57) वाडीचौलहेर

3. धूले जिले में निम्न:–

(i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

सकरी तहसील

(1) चौपाले, (2) रोथोड, (3) जामखेल, (4) खूरूसवाडे, (5) सुतारे, (6) धानेर, (7) अमाले, (8) माचमाल, (9) खांडवारे, (10) रायकोट, (11) बुरूदके, (12) पानगांव, (13) लागडवाल, (14) रायतेल, (15) ब्रहमणवेल, (16) आमखेल, (17) जाम्बोरे, (18) वारसस, (19) जामकी, (20) रूनमाली, (21) वसखेडी, (22) डामकानी, (23) सालटेक, (24) दाहीवेल, (25) भोनगांव, (26) बादगांव, (27) मेनडाने,	(28) दापुर, (29) रोहन, (30) जेबापुर, (31) अमोडे, (32) किरवाड़े, (33) घोडाडे, (34) सुरपान, (35) कोरडे, (36) वालव्हे, (37) विटावे, (38) कासबे छाडवेल, (39) बसार, (40) इसारडे, (41) पेटाले, (42) पिंपलगांव, (43) मोहाने, (44) तेम्भे, परगाने वारसे, (45) शिरसोले, (46) उमारपीटा, (47) मालगांव, परगान वारसे, (48) खारगांव, (49) कालाम्बे, (50) चोरवाड, (51) लाखाले, (52) वारसे, (53) शेनवाड, (54) कुदाशी,	(55) मनजारी, (56) मापालगांव, (57) डांगशिरवाडे, (58) बोपखेल, (59) शिव, (60) खात्याल, (61) वारदोली, (62) काकसाद, (63) पानखेडे, (64) सामोडे, (65) महासदी, परगने, पिम्पलनेर, (66) पिंपलनेर, (67) चिकासे, (68) जीरापुर, (69) कोकनागांव, (70) शेवागे, (71) धामानधार, (72) विरखेल, (73) पारगांव, (74) मंडाने, (75) बालहाने, (76) देशिरवाडे, (77) काडयाल, (78) ढ़ोगाड्गिार, (79) शेलबारी, (80) डेगांव

(ii) नंदुरबार तहसीलव के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैऔर नंदुरबार शहर:

(1) भंगाडे, (2) मंगलूर, (3) वसलाई, (4) अर्दितारा, (5) धानोरा, (6) पावले, (7) कोठडे, (8) उमज, (9) कोथाली खुर्द,	(10) वदाजकान, (11) निंबोन बुद्रुक, (12) जालखे, (13) शिरवादे, (14) रनाले खुर्द, (15) नटवाड, (16) करांजवे, (17) शेजवे, (18) पिंपलोड–टर्फ–धानोर,	(19) लोया, (20) वेलावाड, (21) व्याहुर, (22) धुलवाड, (23) गुजर भवाली, (24) गुजर जम्बोली, (25) कर्णखेडे, (26) फुलसारे, (27) उमरदे बुद्रुक (28)

नारायणपुर,	(46) लोंखेडे,	(65) हट्टी उर्फ इंडि,
(29) घिरासगांव,	(47) कराजकुपे,	(66) पलाशी,
(30) धेकवाड,	(48) नालवे खुर्द,	(67) घुली,
(31) बिलाड़ी,	(49) सुंदारदे,	(68) राकसवाडे,
(32) खैराले,	(50) नालवे बुद्रुक,	(69) वाघोडे,
(33) खामगांव,	(51) दुधाले,	(70) पाटोंडे,
(34) नागासार,	(52) नंदारखे,	(71) हाल—टर्फ—हवेली,
(35) विरचक,	(53) भाने,	(72) खोडासगांव,
(36) टोकारटाले,	(54) वसादारे,	(73) शाहदे,
(37) वाघाले,	(55) बावद, (56) चाकले,	(74) शिंदे,
(38) ओजारदे,	(57) दहींडुले बुद्रुक,	(75) कोल्डे,
(39) अस्हते,	(58) दहींडुले खुर्द,	(76) भगसारी,
(40) थानेपाडा,	(59) कथोरे दिगर,	(77) धामदोड,
(41) अमरावे,	(60) उमारदे खुर्द,	(78) सवाल्दे,
(42) पथराई,	(61) चौपाले,	(79) कोरित,
(43) धामदाई,	(62) अखाराले,	(80) सुजातपुर,
(44) वारुल,	(63) वादबारे,	(81) तिशि,
(45) अदाच्छी,	(64) अखातवाड़े,	(82) धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकताली, गांव नीचे दर्शाए गए है:

शाहदा तहसील

(1) आकासपुर,	(31) तवलाई,	(61) बिलाडी—टर्फ—हवेली,
(2) नवागांव (वन ग्राम),	(32) मुबारकपुर,	(62) बहिरपुर,
(3) वीरपुर,	(33) वेलवाड,	(63) ब्राह्मणसपुर,
(4) दारा,	(34) कलमाडी—टर्फ—बोअरडी,	(64) सुल्तानपुर,
(5) भूटा,	(35) वाडी,	(65) रायखेड,
(6) कनसाइ (वन ग्राम),	(36) सोनावद—टर्फ—बोअरडी,	(66) खेड दिगर,
(7) नन्दया कुसुमवाडे (वन ग्राम),	(37) थेंगचे,	(67) नावलपुर,
(8) चिराडे,	(38) जावडे—टर्फ—बोअरडी,	(68) चांदसाइली,
(9) नागजिरि (वन ग्राम),	(39) तारहाडी—टर्फ—बोअरडी,	(69) गोदीपुर,
(10) कुसुमवाडे,	(40) वारघे,	(70) पडालडे खुर्द,
(11) नन्दया (वन ग्राम),	(41) पारी,	(71) भागा पुर,
(12) पिम्परानी,	(42) कोठाली—टर्फ—हवेली,	(72) जावखेडे,
(13) रानीपुर (वन ग्राम),	(43) औरंगपुर,	(73) सोनवाई—टर्फ—हवेली,
(14) फट्टेपुर,	(44) चिखाली बुद्रुक,	(74) कवालीथ,
(15) लक्कडकोट (वन ग्राम),	(45) करनखेडे,	(75) तुकी,
(16) कोटबन्धानी (वन ग्राम),	(46) नन्दारडे,	(76) सावरखेडे,
(17) पिम्पलोड,	(47) वैजाली,	(77) कारजोत,
(18) कुड्डावाड,	(48) वाघोडे,	(78) लोहारे,
(19) लाच्छोरे,	(49) परकाशे,	(79) गोगापुर,
(20) कनाडी—टर्फ—हवेली,	(50) धामलाड,	(80) कुरांगी,
(21) शीरूद—टर्फ—हवेली,	(51) काथारेडे बुद्रुक,	(81) तिधारे,
(22) अमोडे,	(52) काथारडे खुर्द,	(82) दमाल्डे,
(23) अलखेड,	(53) कलसाडी,	(83) कालामंड—टर्फ—हवेली,
(24) पाडाल्डे बुद्रुक,	(54) धुरखेडे,	(84) चिखाली खुर्द,
(25) बुदिगावन,	(55) भाडे,	(85) भारेटेक,
(26) उमारती,	(56) पिगाने,	(86) श्रीखेडे,
(27) पिम्परी,	(57) गानोर,	(87) ओजारटे,
(28) महासवाद,	(58) अदगांव,	(88) उखालशेम,
(29) अनकवाडे,	(59) खारागांव,	(89) वघारदे,
(30) सुलवाडे,	(60) कोचरारे,	(90) जाम,

(91) जवादे–टर्फ–हवेली, (92) तितारी, (93) होल मुबारकपुर (वन ग्राम), (94) वडगांव, (95) पिम्पारदे, (96) असलोड, (97) मंडाने, (98) अवागे, (99) तिखोरे, (100) उन्तावाद, (101) होल, (102) मोहिडे–टर्फ–हवेली, (103) जुनवाने, (104) लोनखेडे, (105) तेम्भाली, (106) होलगुजारी, (107) आसुस,	(108) बुपकारी, (109) मलोनी, (110) डोगंरगांव, (111) कोथाल–टर्फ–शहादा, (112) मटकुट, (113) बोराले, (114) कामरावद, (115) कहतुल, (116) वादछिल, (117) लोंधारे, (118) उधालोड, (119) निम्बोरे, (120) धांड़रे बुद्रुक, (121) चिरखान (वन ग्राम), (122) असलोड (नया) (वन ग्राम), (123) जैनघर, (124) धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),	(125) मनमोडया (वन ग्राम), (126) दुतखेडे (वन ग्राम), (127) भोंगारा (वन ग्राम), (128) वदाली, (129) कोंधावाल, (130) भुलाने (वन ग्राम), (131) चांदसाइली (वन ग्राम), (132) उभादगाड (वन ग्राम), (133) काकरडे खुर्द, (134) खापरखेडे (वन ग्राम), (135) मालगांव (वन ग्राम), (136) लंगादी भवानी (वन ग्राम), (137) शहना (वन ग्राम), (138) काकरडे बुद्रुक, (139) अम्भानपुर बुद्रुक, (140) काटघर, (141) निम्बारडी (वन ग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए है:–
शिरपुर तहसील:

(1) बोरपानी (वन ग्राम), (2) मलकाटार (वन ग्राम), (3) फत्तेपुर (वन ग्राम), (4) गधाडदेव (वन ग्राम), (5) कोडिड (वन ग्राम), (6) गुरहाडपानी (वन ग्राम), (7) भुदाकी (वन ग्राम), (8) वाघपाडे (वन ग्राम), (9) सइगारपाडा (वन ग्राम), (10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम), (11) चौंडी (वन ग्राम), (12) भुदाकी (वन ग्राम), (13) चंदसुरया (वन ग्राम), (14) बोरादी (नया) (वन ग्राम), (15) काकडमल (वन ग्राम), (16) वाकवाड (वन ग्राम), (17) उमरदा (वन ग्राम), (18) डुराबड्या (वन ग्राम), (19) मोहिडे (वन ग्राम), (20) डोंडवाडा (वन ग्राम), (21) तेम्भा (वन ग्राम),	(22) खैरीखान (वन ग्राम), (23) बोअरडी, (24) वसारदी, (25) नन्दारदे, (26) चान्दसे, (27) वाडी बुद्रुक, (28) वाडी खुर्द, (29) जालोड, (30) अभानपुर खुर्द, (31) तारहाड, (32) उखालवाडी, (33) मुखेड, (34) नीमजारी, (35) वरजाडी, (36) वाघबारदा, (37) समरयामापद, (38) लउकी, (39) सूले (61), (40) फत्तेपुर, (41) हेदाखेड़, (42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),	(43) संगवी, (44) हाटेड, (45) जेन्दया अन्जन, (46) पलासनेर, (47) खाम्बले, (48) पानाखेड (वन ग्राम), (49) खेंरखुटी (वन ग्राम), (50) जोयादा (वन ग्राम), (51) चिलारे (वन ग्राम), (52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम), (53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम), (54) मालापुर (वन ग्राम), (55) रोहिणी, (56) भोइती, (57) अम्बे, (58) खामखेडे परगने अम्बे, (59) हिवारखेडे (वन ग्राम), (60) हिगांव, (61) वाडेल खुर्द, (62) कालापानी (वन ग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित:–

(क) (i) चोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए है:

(1) मराठा (वन ग्राम),	(10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),	(19) कुंडयापानी (वन ग्राम),
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),	(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),	(20) इच्छापुर परगने अडवाड़
(3) उमारती (वन ग्राम),	(12) मालापुर (वन ग्राम),	(21) बधावानी,
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),	(13) बोरामाली (वन ग्राम),	(22) बधाई,
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),	(14) करजाने (वन ग्राम),	(23) कनदाने,
(6) अंगुरने,	(15) मेलान (वन ग्राम),	(24) मोहराद,
(7) खारया पडव (वन ग्राम),	(16) विशनपुर (वन ग्राम),	(25) असालवाडी (वन ग्राम)
(8) वैजापुर (राजस्व) (52),	(17) देवहारी (वन ग्राम),	
(9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),	(18) देवजिरि (वन ग्राम),	

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए है:

यावल तहसील

(1) मानापुरी,	(6) हरिपुरा (वन ग्राम),	(11) जामन्या (वन ग्राम),
(2) टोलाने,	(7) वाघाजीरा (वन ग्राम),	(12) गदरया (वन ग्राम),
(3) खालकोट,	(8) प्रसादे बुद्रुक,	(13) उसमाली (वन ग्राम)
(4) इचखेडे,	(9) बोरखेड़े खुर्द,	
(5) मलोद,	(10) लांगदा अम्बा,	

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए है:

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वन ग्राम),	(8) चिनचाती,	(15) लोहारे,
(2) पिम्परकुंड (वन ग्राम),	(9) पाल,	(16) कुसुम्भे बुद्रुक,
(3) अन्धारमालि (वन ग्राम),	(10) मारव्हाल,	(17) कुसुम्बे खुर्द,
(4) तड्या (वन ग्राम),	(11) जिनसी,	(18) पिम्परी,
(5) निमड्या (वन ग्राम),	(12) सहसरालिंग (वन ग्राम),	(19) मोहगांन बुद्रुक,
(6) गारबारदी (वन ग्राम),	(13) लालमाटी (वन ग्राम),	(20) पडाले बुद्रुक,
(7) जानोरी,	(14) अवहोडे बुद्रुक,	(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखित:–

(क) अकोले तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं:–

अकोले तहसील

(1) तिरधे,	(12) सावरगांव पाट,	(23) मानहेरे,
(2) पडोशी,	(13) मुथालने,	(24) शेलविहीरे,
(3) महाजुंगी,	(14) बारी,	(25) पंजारे,
(4) एकडारे,	(15) वारंघुसी,	(26) चिनचोंडी,
(5) संगावी,	(16) लाडागांव,	(27) वाकी,
(6) केली रूमहानवाडी,	(17) शेनित,	(28) तितावी,
(7) बिताका,	(18) पाभुलवांडी,	(29) पिंपरकाने,
(8) खिरवीरे,	(19) बाभुलवांडी,	(30) उदादावाने,
(9) कोम्भालने,	(20) अंबेवांगन,	(31) कोदानी,
(10) तहकारी,	(21) देवगांव,	(32) घाटघर,
(11) समशेरपुर,	(22) पेंडशेट,	(33) सिगनवाडी राजुर,

(34) मुरशेट, (35) शेंडी, (36) समराड, (37) भंडारडारा, (38) रानाड बुद्रुक, (39) रानाड खुर्द, (40) मालेगांव, (41) कोहोन्डी, (42) दिगम्बर, (43) गुहिरे, (44) कतालपुर, (45) रतनवाडी, (46) मुतखेल, (47) तेरूंगन, (48) राजुर, (49) विथे, (50) कोल्टेम्भे, (51) केलुंगन, (52) जामगांव, (53) शिरपुंजे बुद्रुक, (54) सवारकुटे,	(55) कुमशेट, (56) शिरपुंजे खुर्द, (57) घामनवन, (58) अम्बित, (59) बालथान, (60) मानिक ओजार, (61) पुरूचवाडी, (62) मवेशी, (63) शिसवाद, (64) वापजुलसेत, (65) गोंडोशी, (66) खादकी, (67) साकिरवाडी, (68) पचनाई, (69) चिंचवाने, (70) पदालने, (71) शेलाद, (72) पिम्परी, (73) घोटी, (74) पैथान, (75) लवाली कोतुल,	(76) वाघदारी, (77) शिलवांडी, (78) कोहोने, (79) लिवाली ओतुर, (80) ताले, (81) कोथाले, (82) सोमलवाडी, (83) विहिर, (84) शिंडा, (85) अम्बित खिंड, (86) पालसुंडे, (87) पिसेवाडी, (88) फोपसांडी, (89) सातवाडी, (90) केली ओतुर, (91) केली कोतुल, (92) खेतेवाडी, (93) इसारथाव, (94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखितः—

(i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अम्बेगांव तहसील

(1) डोन, (2) पिम्परागाने, (3) अघाने, (4) अहूपे, (5) तिरपाड, (6) नहावेद, (7) असाने, (8) मलीन, (9) नानावाडे, (10) अमाडे, (11) वरसावने, (12) कोंढारे, (13) आदिवारे, (14) बोरघर, (15) पाटन, (16) कुसीरे खुर्द, (17) पंचाल बुद्रुक, (18) कुसीरे बुद्रुक, (19) दिगाद,	(20) पंचाल खुर्द, (21) महिलुंगे–टर्फ–अम्बेगांव, (22) सवारली, (23) मेघोली, (24) वाचपे, (25) साकेरी, (26) पिम्परी, (27) अम्बेगांव, (28) जाम्भोरी, (29) कालम्बाई, (30) कोन्ढावाल, (31) फुलवाडे, (32) फलोडे, (33) कोलटावाडे, (34) तेरूनगांव, (35) दिम्भे बुद्रुक, (36) महालुंगे–टर्फ–घोडा, (37) राजपुर, (38) चिखाली,	(39) राजेवाडी, (40) सूपघर, (41) तालेघर, (42) मापोली, (43) डिम्भे खुर्द, (44) पोखारी, (45) गोहे बुद्रुक, (46) निगाडाल, (47) गोह खुर्द, (48) अपाती, (49) गंगापुर खुर्द, (50) अमोंडी, (51) कनासे, (52) गंगापुर बुद्रुक, (53) सिनोली, (54) पिम्पालगाव–टर्फ–घोडा, (55) साल, (56) ढाकले

(i) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए है:–

जुन्नार तहसील

(1) चिल्हेवाडी,	(23) हदसर,	(45) वानेवाडी,
(2) अम्बेहवहन,	(24) देवाले,	(46) अपटाले,
(3) जामभूलशी,	(25) खाइरे,	(47) कोली,
(4) खिरेश्वर,	(26) घाटघर,	(48) शिवाली,
(5) माथालाने,	(27) जलवांडी,	(49) उतचिल,
(6) कोल्हेवाडी,	(28) हिरदी,	(50) बोटा,
(7) कोपारे,	(29) उनदेखादक,	(51) धालेवाडी–टर्फ–मिनहर,
(8) मंडावे,	(30) राजुर,	(52) भिवाडे बुद्रुक,
(9) सिंगनोरे,	(31) खाटकाले,	(53) इंगालून,
(10) आलू,	(32) मणिकडोह,	(54) भिवाडे खुर्द,
(11) खूबी,	(33) खाड कुम्बे,	(55) घंगालडारे,
(12) पिम्पालगांव जोगा,	(34) उरसान,	(56) सोनावाले,
(13) कारंजाले,	(35) वेवादी,	(57) ताम्बे,
(14) माध,	(36) तेजुर,	(58) हिवारे–टर्फ–मिनहेर,
(15) पांगरी–टर्फ–माध,	(37) फंगलघावन,	(59) हतविज,
(16) कोलवाडी,	(38) चावन्द,	(60) अम्बे,
(17) परगांव–टर्फ–मोध,	(39) पुर,	(61) पिंपरवाडी,
(18) तालेरान,	(40) खानगांव,	(62) सुकालवधे,
(19) सीतेवाडी,	(41) मानकेश्वार,	(63) गोदरे,
(20) वटखाले,	(42) सुराले,	(64) खामगांव,
(21) निमगिर,	(43) अम्बोली,	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले,	(44) शिरोली–टर्फ–कुकादनेर,	

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखित:–

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित है:

(1) तकली,	(23) अंजानखेड,	(45) पिंपलसेंडा,
(2) पदसा,	(24) भोराड़,	(46) सरखानी,
(3) सायपाल,	(25) चोराड़,	(47) देलही,
(4) मुरली,	(26) धनोरा (सिंदखेड),	(48) निराला,
(5) वादसा,	(27) रामपुर,	(49) नूरगांव,
(6) कोली,	(28) पाथरी,	(50) टिट्वी,
(7) अश्ता,	(29) खाम्बला,	(51) लिंगी,
(8) गोण्डेगांव	(30) पारदी,	(52) नागपुर,
(9) मदनापुर (महोर),	(31) सिन्दखेड,	(53) जुनुनी,
(10) बोंडगांवन,	(32) सिंचखेड,	(54) दिगदवाजरा, (55) डारसांगवी (सिंदखेड़),
(11) उमरा,	(33) हटोला,	
(12) मछन्द्रा पारदी,	(34) वाइफानी,	(56) सिंगोडा,
(13) करालगांव,	(35) धुंद्रा,	(57) सिरपुर,
(14) सावरखेड,	(36) गउरी,	(58) वेम्भी,
(15) डिगडी (कुटेमार),	(37) बोथ,	(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,
(16) वाई,	(38) सइलू,	(60) मांडवी,
(17) हरदाप,	(39) करन्जी (सिन्दखेड़),	(61) जवारला,
(18) नाइकवाडी,	(40) भगवती,	(62) पालसी,
(19) हिन्गानी,	(41) वाराज बुद्रुक,	(63) बेलगांव,
(20) वाजरा,	(42) उमरी,	(64) कनकी,
(21) तुलशी	(43) उनकदेव,	(65) कोठारी (सिंदखेड़),
(22) गोंडवाडसा,	(44) चाइस,	(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),

(67) डोंगरगांव (सिंदखेड़),	(96) भीमपुर,	(125) अंधाबोरी (चिखली),
(68) जरूर,	(97) पिंपलगांव (किनवत),	(126) कोपारा,
(69) मिनकी,	(98) धोगारवाडी,	(127) पीपर फोडी,
(70) पचुण्डा,	(99) गोकुंडा,	(128) पटोडा (चिखली),
(71) वनोला,	(100) माण्डवा (130),	(129) पिपरी,
(72) साकुर,	(101) डिग्डी (मंगाबोड़ी),	(130) धानोरा (चिखली),
(73) मैंडकी,	(102) नागजरी,	(131) सवारी,
(74) डिगडी (मोहनपुर),	(103) कोठारी (चिखली),	(132) धारा,
(75) धानोरा (डिगडी),	(104) प्रधान संगवी,	(133) पोथ रेड्डी,
(76) मोहापुर,	(105) बेन्डी,	(134) सिगारवाडी,
(77) मुंग्शी,	(106) अमाडी,	(135) अन्जेगांव,
(78) सिंगदी (किनवत),	(107) मदनापुर (चिखली),	(136) भंडारवाडी,
(79) मालबोरगांव,	(108) शानीवार पेठ,(109) दभादी,	(137) जलधारा (चद्रपुर),
(80) नेजपुर,	(110) चिखाली,	(138) बेलोरी (चिखली),
(81) राजगड,	(111) हुदी (चिखली),	(139) मालकोलारी,
(82) वडोली,	(112) एन्धा,	(140) डिगरास,
(83) अनजी,	(113) भूलजा,	(141) डोंगरगांव (चिखली),
(84) कनकवाडी,	(114) डारसंगवी,	(142) शिवोनी (चिखली),
(85) लोनी,	(115) मालकवाडी,	(143) परोटी,
(86) धामनधारी,	(116) पेन्डा,	(144) स्वरगांव,
(87) पंधारा,	(117) परधी खुर्द,	(145) जलधारा (इस्लापुर),
(88) बेल्लोरी,	(118) केरल,	(146) कोठारी,
(89) मारेगांव,	(119) डेगांव,	(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(90) कमथाला,	(120) लिंगधारी,	(148) करांजी (इस्लापुर),
(91) अम्बादी,	(121) परदी बुद्रुक,	(149) कुपटी खुर्द,
(92) खेरदा,	(122) बोधादी खुर्द,	(150) कुपटी बुद्रुक,
(93) मलकापुर,	(123) बोधादी बुद्रुक,	(151) वागधारी,
(94) घोती,	(124) सिंदगी (चिखली),	(152) तलारी
(95) सिरमेत्ती,		

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः–
चिखलाधार और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः–
(i) मारेगांव तहसील के 130 गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

1) घोगुलदारा	(17) चिंचाला,	(33) सराती
(2) शिओनाला	(18) पंघार्कवाला (53)	(34) बुरांडा (88)
(3) बुरांडा	(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(35) दुर्गादा
(4) पहपल	(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(36) वागधारा
(5) कान्हलगांव	(21) फपरवाड़ा	(37) मेंधानी
(6) खेकडवाई	(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(38) घानपुर
(7) घोदाधारा	(23) दोलदोंगरगांव	(39) खंडानी
(8) नरसाला	(24) मचिन्द्रा	(40) खापी
(9) धामनी	(25) पंडविहोर	(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)
(10) मदनापुर	(26) जाल्का	(42) मारेगांव (वन ग्राम)
(11) बोरी खुर्द	(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(43) खंडानी
(12) पिस्गांव	(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(44) महासदोदका
(13) वड़गांव (40)	(29) चिंचोनी बोटोनी	(45) पालागांव
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(46) बोटोनी
(15) भालेवाड़ी	(31) कान्हलगांव (85)	47) गिर्जापुर (वन ग्राम)
(16) पथारी (51)	(32) खारीगांव (86)	(48) पछपोहर

(49) अम्बेजारी (50) रोहपात (51) रायपुर (52) सगनपुर (53) हिवारा बरसा (54) रामपुर (55) कातली बोरगांव (56) पारदी (116) (57) शिबला (58) चियाली (वन ग्राम) (59) बोरगांव (वन ग्राम) (60) पेंधारी (61) अर्जुनी (62) कागांव (63) रजनी (64) माजरा (65) गंगापुर (वन ग्राम) (66) भोइकुंड (वन ग्राम) (67) वाधोना (68) सुसारी (69) सुरला (131) (70) गोदानी (71) निमानी (72) दरारा (73) आसन (74) जागलोन (75) जामकोला (76) इसापुर	(77) किलोना (78) उमरघाट (79) वल्लासा (80) जुनोनी (वन ग्राम) (81) लेंचोरी (82) चिंचघर (83) अम्बिजारी खुर्द (84) अम्बेजारी बुदुर्क (85) करगांव खुर्द (86) निम्बादेवी (87) टेम्फी (88) कुंडी (89) मांडिव (90) जुनोनी (91) पारम्भा (92) पोखरनी (वन ग्राम) (93) पिवारदोल (94) भोराद (वन ग्राम) (95) चिखालदोह (96) मुल्गवान (97) भीमनाला (98) चटवान (99) अराइकवाड़ (100) गवारा (101) माथार्जुन (102) महदापुर (103) पंधारवानी (104) देमाद देवी	(105) मंडवा (106) डोंगारगांव (वन ग्राम) (107) दभाड़ी (108) उमरी (192) (109) मुधाती (110) द्यसोदी (111) कोंडपखिंडी (112) मंगरुल खुर्द (113) मंगरुल बुदुर्क (114) गोपालपुर (115) रामपेठ (116) चालबरडी (117) जामनी (118) शिरोला (119) अदकोली (120) खालकलोह (121) बिरसापेठ (122) मुछी (123) मारकी बुदुर्क (124) मारकी खुर्द (125) गणेशपुर (126) पंवार (वन ग्राम) (127) कृष्णपुर (वन ग्राम) (128) खेकाड़ी (वन ग्राम) (129) शेकापुर (130) यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील

(1) लोहारा (2) एकलारा (3) सोनेर्डी (4) वाटखेड (5) जलका (6) वार्हा (7) पिंपारी दुर्ग (8) मांडवा (9) कोलवान (10) शोइत (11) वरुद (12) बुकाई (13) जरगद (14) खादकी सुकली (15) डोंगरगांव	(16) तेजानी (17) अंजी (18) लोनी (19) बोराती (वन गांव) (20) साराती (21) खैरगांव कसार (22) वारधा (23) भुलगद (24) पिंपलाशेंडा (75) (25) अतमुर्दी (26) सावरखेड (27) चोंधी (28) वधोड़ा (29) खेमकुन्ड (30) पार्डी (वन गांव)	(31) उमरविहार (32) अदनी (33) खटारा (34) मुंजाला (35) पलासकुन्ड (36) वीरगांव (37) खैर गांव (38) देवधारी (39) सिंगल दीप (40) सोनुर्ली (41) सिन्दोला (42) जोतिगदारा (43) साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवाड़ा कस्बा शामिल किया गया:
केलापुर तहसील

(1) मोदारी	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(71) पंधारवानी बुदुर्क (वन गांव)
(2) जोगीन कोहला	(37) पेधारी	(72) कोंधी
(3) मीरा	(38) पिल्पाली	(73) वेदार
(4) जीरा	(39) डोंगारागांव (308)	(74) बागी
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(40) बेथ	(75) घनमोडे
(6) साखी बुदुर्क	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(76) नन्दगांव
(7) वधोना खुर्द	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(77) गणेशपुर (370)
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(43) मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	(78) टाटापुर
(9) कराजी	(44) दरियापुर	(79) जुन्जापुर
(10) वधोना बुदुर्क	(45) पिल्वाहरी	(80) गेंडवाकाडी
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(46) अर्ली	(81) चलबर्दी
(12) कोथाड़ा	(47) हिवरी	(82) बेलुरी
(13) सुरदेवी	(48) पिंपालशेंडा (333)	(83) टादुमारी
(14) चनई	(49) कारेगांव (334)	(84) बरगांव (377)
(15) असोली	(50) वाडवत	(85) अकोली बुदुर्क
(16) मोहादा	(51) खैरी (336)	(86) महानदोली
(17) कारेगांव (163)	(52) घुवाडी	(87) सखारा
(18) चिखालदारा	(53) कोंघारा	(88) मराठवाकाडी
(19) कृष्णापुर	(54) सखरा बुदुर्क	(89) ढोकी (382)
(20) दाभा	(55) धारना	(90) वल्लारपुर
(21) मोरवा	(56) मांगी (343)	(91) टोकवनजारी
(22) खैरगांव (199)	(57) ढोकी (344)	(92) वानजारी (382)
(23) वघोली	(58) वायी	(93) खारीगांव बुदुर्क
(24) कुसल	(59) पिंपालपुर	(94) टिमभी
(25) चोपन	(60) गणेशपुर (347)	(95) राधापुर (वन गांव)
(26) मल्कापुर (वन गांव)	(61) खैरगांव (348)	(96) पिखाना (वन गांव)
(27) केगांव	(62) पाधे	(97) वासारी
(28) वादनेर	(63) निलजई	(98) अन्धारवाडी
(29) जुली	(64) मारगांव (352)	(99) येदलापुर (वन गांव)
(30) भाद उमारी	(65) अभोरा	(100) चनाखा
(31) पटोडा	(66) डोंगरगांव (358)	(101) निमधेली
(32) पहापल	(67) पिंपारी (353)	(102) रुधा
(33) नागजारी खुर्द	(68) खैरगांव (360)	(103) सुकली
(34) बहततार	(69) मुची	
(35) सुसारी	(70) मगुर्दा	

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तसील

(1) मारवेली	(19) मनुसधारी	(37) रासा (वन गांव)
(2) रजुरवाडी	(20) अयाते	(38) जताला
(3) लिंगी	(21) काप	(39) चिखालवर्धा
(4) कोली खुर्द	(22) कवाथा बुद्रुक	(40) तड़—सवाली
(5) कोली बुदुर्क	(23) बिलायत	(41) सैफल
(6) रामपुर उन्धार्नी	(24) खादकी (260)	(42) नागेजरी बुदुर्क
(7) कापशी	(25) चिमटा	(43) कवाथा(वन गांव)
(8) डेटोडी	(26) कोपरी खुर्द	(44) पारवा
(9) गुधा	(27) चिंचोली (268)	(45) मझाडा
(10) वारुड (240)	(28) किंघी (वन गांव) (269)	(46) पार्दी
(11) जपारवाडी	(29) गवारा (वन गांव)	(47) जम्ब
(12) उमरी(242)	(30) टिटवी	(48) कालेश्वर
(13) पलोडी	(31) मुरादगवन(वन गांव)	(49) शेराद
(14) कोपरी (244)	(32) पिंपाल खुटी(वन गांव)	(50) धुंकी (वन गांव)
(15) घोटी	(33) खरोनी (वन गांव)	(51) मथानी (वन गांव)
(16) बुडाडी	(34) वधोना	(52) राजागांव(वन गांव)
(17) मुधाटी (वन गांव)	(35) डोर्ली	(53) खापरी(वन गांव)
(18) जलान्द्री	(36) राहती	(54) होनेगांव
		(55) गनेरी

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित:

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील।

(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

गढ़चिरोली तहसील :

(1) नावगांव (636)	(22) मुदजा तुकुम	(43) राजनगुद्दा
(2) चाक चुरचुरा	(23) करुपाला	(44) बनोली
(3) कुराधी	(24) मसली	(45) सूर्यडोंगरी
(4) चाक मउसी	(25) रणभूमि	(46) सलाईटोला
(5) मरमेडी	(26) चन्द्राला	(47) विटानटोआ
(6) बोथेडी	(27) रणमोल	(48) पोटेगांव
(7) पेलनदुर	(28) कुम्भी पत्व	(49) रजोली (734)
(8) गिलगांव (658)	(29) कुम्भी मोकासा	(50) म्रदास
(9) चाक खरपुर्डी	(30) मादे मुल	(51) जालेर
(10) जपरा	(31) मारोदा	(52) दैवापुर
(11) चाक धिबाना	(32) कोसामघाट	(53) रामगाड (738)
(12) मेरेउमबोडी	(33) रायपुर (718)	(54) गावलहेटी
(13) कुरकेडी	(34) रवानजोरा	(55) डेउडा
(14) खुरसा	(35) पेकिनकासा	(56) खरादगुडा
(15) वीजापुर	(36) सवेला	(57) तालकुडा
(16) सोनापुर	(37) सुईमारा	(58) जामगांव
(17) मोंधा (680)	(38) सखेरा	(59) खाडसी
(18) सावरगांव (683),	(39) कर्कजारा	(60) कोरकुटी
(19) कनरी	(40) कन्हलगांव (725)	(61) नागवेली
(20) पुलखाल	(41) केलीगाटा	(62) जालेगांव
(21) मुदजा बुदुर्क	(42) तोहागांव	

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6) (2) कालमगांव (3) कुरल (4) सलेडा तुकाम (5) सलेडा लाम्बा (6) कसारी तुकाम (7) कसारी गांव (8) शिवराजपुर (29) (9) पोटेगांव (30) (10) विहिरगांव (33) (11) पिपांलगांव (12) अरात–तोन्डी (13) डोंगारगांव (हलाबी) (14) प्लासगांव (43) (15) नवारगांव (16) पाथरगोटा (49) (17) मगेवड़ा (18) अर मोरी (19) सलमारा (20) थानेगावं (21) पटानवेड़ा (22) पुरानवैरागड (23) देउलगांव (69) (24) सुकला (25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी	(26) चाक केरपाडा (27) लोहारा (78) (28) चाक सोनपुर (29) हिरापुर (80) (30) डोंगर तामसी (31) सियानी खुर्द (32) चावहेला (33) मोहाताला चाक कुकोडी (34) मेंधा (89) (35) डोंगारतमसी (36) नगरवाडी (37) चाक नरोती (38) चाक कुरोंडी (39) वाडेगांव (40) थोटीबोडी (41) देलवांडी (42) मेनापुर (43) कोसारी (44) मनगोडा (45) तुलतुली (46) चकनागारवाही (47) विहिरगांव (48) कुरांडी (49) उमारी (50) यंगाडा	(51) पिसेवाडढ़ा (52) परासवाडी (113) (53) डवाडी (54) खादकी (115) (55) भाकरांडी (56) नरोती मालगुजार (57) कारेगांव (119) (58) वारखेडा (59) खराडी (60) भंशी (61) डोर्ली (62) वनारचुवा (63) जमभाली (127), (64) मिंधा(128), (65) नारचोली (66) खेहारी (67) मारगांव पेच (68) मारगांव (140) (69) चाक मारगांव (70) चाक चिंचोली (71) मुसी खुम्ब (72) वेलगांव (144), (73) चिचोली (145), (74) वानखेडा

(iii) चामरोसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चामरोसी तहसील:

(1) सगानपुर (758) (2) बनढोना (764) (3) गिलगांव (765) (4) भिंडी कनाल (771) (5) दातारी (6) चाइट कनवर (7) कालमगांव (8) कुरुड (9) मालेर, (10) कुलेगांव (11) नाचनगांव (12) भादभिद (788) (13) वालसारा (14) चाक बिसापुर (15) जोगाना (16) मुरमुरी (17) रावनपल्ली (18) सोनापुर	(19) डरर्ली (20) रेखागांव (21) येदानूर (22) पेलसानपेथ (23) पन्धारी भटाल (24) राजनगेट्टा (25) चाक अमरगांवन.1(809) (26) मुतनूर (27) अबापुर (28) मुरानदेपी (29) लिनगुडा (30) अदयल (31) कर्कापल्ली (32) चाक कर्कापल्ली (33) जंगामरकुरल (34) फियूजर (35) दिकानी (36) चाक मुदोली न..2,	(37) लक्ष्मणपुर (38) सगानपुर (829) (39) अम्बोली (40) गहुबोदी (41) छाक नारायणपुर संख्या 1 (42) छाक नाराणपुर संख्या 2 (43) राजुर वुदर्क (44) भादविड (835), (45) मांगनेर (46) चिंचापल्ली (47) वानारचुवा (48) जयरामपुर (49) वाइगांव (50) नाराणपुर (51) राजुर खुर्द (52) हलदवाही (53) मुधौली (54) कोठारी (845)

(55) बम्हानी देव (56) सोमनपल्ली (57) कान्हलगांव (848) (58) सिंगेला (59) बेलगाट्टा (60) पेठताला (61) छाक पेठाताला सं. 1, (62) परादीदेव (63) यादवपल्ली (64) राजपुर (856) (65) जाम्भालीरिथ (66) मेटेगुडा (67) छाक बेलगत्ता (68) मांजी गांव (69) मच्छालीघोट (70) छाक माक्केपल्लि सं.4 (71) दुर्पन गुडा (72) छाक माक्केपल्लि सं.2 (73) छाक माक्केपल्लि सं.3 (74) गारांजी (75) छाक मेड आमगांव (76) छाक मेड आमगांव सं.1 (77) छाक मेड आमगांव सं.2 (78) तुमडी (79) गिरगाडी (80) माकेपल्लि मालगुजारी	(81) बोरघाट (82) अस्टी नोकेवाडा (83) ब्राहमणपेठ (84) बेंगानूर (85) नोकेवाडा (86) अल्लापल्ली (87) रेगेवाही (88) कोलपल्ली (89) अम्बेला(वन गांव) (90) गाट्टा(वन गांव) (91) अडगेपल्लि (93) येल्लूर (94) थाकरी (95) राजगट्टा (908) (96) लोहरा (97) मुकारीटोला (98) भोलखांडी(वन गांव) (99) हेतलकासा (100) बोलपल्ली (101) पुलीगुड्म (102) कुनधादा (103) कोलसापुर (104) गंगापुर (105) चंदन खेड़ी (106) मालेरा (107) बसारवाड़ा	(108) चापराला (109) छइदमपट्टी (110) मुकाडी(वन गांव) (111) फुस्की (112) सिगनपल्ली (113) धामनपुर (114) कोठारी (930) (115) अम्बाटपालि (116) गोमानी (117) लागमहेट्टी (118) दामनपुर (119) बन्दुकपल्ली (120) कोड़ीगांव (121) चिचेला (122) नागुलवाही (123) छितुगुंहा (124) तुमुगुडा (125) माछिनगट्टा (126) येल्ला (127) टिकपाल्ली (128) मारपाल्ली (129) जामगांव (130) कुलथा (131) रामपुर (132) लागम चक

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखित:
राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
राजुरा तहसील:

(1) पारसौदा (2) रायपुर (3) कोथोडा खुर्द (4) गोविंदपुर (5) कोथोडा बुदुर्क (6) मेंहदी (7) पर्दी (8) जैवरा (9) चनाई खुर्द (10) अकोला (11) कोरपाना (12) दुर्गादी (13) रुपापेठ (14) चुनाई बुदुर्क (15) मांडवा (16) कानेरगांव बुदुर्क (17) कटलावोडी (18) शिवपुर (19) चौपान (20) करमवौडी	(21) कुकुलवोंडी (22) टीपा (23) मंगुलहीरा (24) खादकी (27), (25) जमुलधारा (28), (26) वोरगांव बुदुर्क (27) वोरगावं खुर्द (28) आशापुर (29) तांगाला (30) खेरगांव (33), (31) हतलौनी (32) एरगांव (33) उमारजारा (34) येल्लापुर (35) शिंगार पारार (36) लम्बोंरी (37) सेदवई (38) नरपाथर (39) कोदापुर (40) घरपाना	(41) नाकेवाडा (42) गुडसेल (43) वानी (44) केकाजारी (45) मोहदा (46) पुदियाल मोहदा (47) कमलापुर (48) चिंचखोंड (49) वनसाडी (50) पराम्बा (51) देवघाट (52) कुसाल (53) दाहेगांव (54) सोनुरलो (70) (55) कारगांव खुर्द (71) (56) धानोली (57) पिपराडा (58) छिनछोली (59) कारगांव बुदुर्क (60) मारकागोंडी (76)

(61) बेलगांव (62) जुलबारदी	(122) कावादगोंडी (123) सोराकासा (124) कुसुम्बी (125) जनकपुर (126) पुनागुडा (नावेगांव) (127) डेवड़ा (128) खदकी रायपुर (129) गोवेन्दपुर (130) मारियापट्न (131) उमराजारा (176) (132) राहपल्लि खुर्द (133) धार्मराम (134) भोकसापुर (135) बाम्बेजारी (136) भारी (137) पांडरवानी (182) (138) सिंडोलाटा (139) सोंडो (140) बेलगांव (185) (141) काकड़घाट (142) गनेरी (143) खिरदी (144) सेदवई (145) बाबरपुर (146) हीरापुर (200), (147) सखारी (148) मनोली खुर्द (149) गोयेगांव (150) हरडोना खुर्द (151) हरडोना बुदुर्क (152) विनिरगांव (224) (153) मागी (154) वांगी (155) पाढंरपुनी (227) (156) अहेरी (157) कोच्छी (158) गोरजा (159) बारुर (160) रानीवेली (161) भेडोडा (162) ताम्भुरवाही	(163) चिरुड़ (164) छिंछवोडी

#महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (स.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश,, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

V. ओडिशा:

1. मयूरभंज जिला
2. सुदरंगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब–डिवजीन और तेलकोइ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें
6. बौध–खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब दृडिवजीजन की खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा सब–डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें ।
7. गंजाम जिले आर, उदयगिरी और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब–डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम ।
8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप–मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें ।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब–डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंधओडिसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान

1. बांसवाडा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. प्रतापगढ़ जिला
4. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :–

(क) फलासिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और लसादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के पंचायत–वार निम्नलिखित 81 गांव

1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव
2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपलती और नया खेड़ा गांव
3) नाई पंचायत का नाई गांव
4) दोदावली पंचायत का, दोदावली कालीवास, कार नाली, सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव
5) बड़ी उन्दरी पंचायत के बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमरिया खेरवा गांव
6) आलसीगढ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव
7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव
8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव
9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव
10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव
11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव
12) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव
13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव
14) तीतारदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकनकोटरा, धुलिया की पट्टी और सावीना खेरा गांव
15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव
16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव
17) चांदसदा पंचायत के चंदसा, दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरागुंजारन, सतपुरामीना, जली का घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव
18) जगत पंचायत का जगत गांव
19) दातीसार पंचायत के दातीसार, रुनीजा, बासू और रोद्दा गांव
20) लॉकरवास पंचायत के लोकार वास तथा परोला गांव
21) भला का गुरहा पंचायत के भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

5. चित्तोड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील
6. सिरोही जिले की आबूरोड तहसील में आबूरोड खंड

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र(भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र(राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

VII. झारखण्ड@

1.	रांची जिला	7.	पश्चिमी– सिंहभूम जिला	13.	पलामू जिला–सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरियापंचायतें
2.	लोहरदगा जिला	8.	सरायकेला–खरसावां जिला	14.	गढ़वा जिला–भंडारिया ब्लॉक
3.	गुमला जिला	9.	साहेबगंज जिला	15.	गोडा जिला–सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक
4.	सिमडेगा जिला	10.	दुमका जिला		
5.	लातेहर जिला	11.	पाकुर जिला		
6.	पूर्वी–सिंहभूम जिला	12.	जामतारा जिला		

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र(भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26. 1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचितक्षेत्र(बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र(छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचितक्षेत्र(झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश@@

1. झाबुआ जिला
2. मंडला जिला
3. डिन्डोरी जिला
4. बरवानी जिला
5. धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी धर्मपुरी, गंधवानी और मानवार तहसील
6. खरगोन(पश्चिम निमाड़) जिले के भगवानपुर, सेगांव, भीकनगांव, खरगोन और महेश्वर तहसील
7. खण्डवा (पूर्व निमाड़) जिले केखाकनार तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरसुद तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजवा
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और भैंसदेही, शाहपुर तहसीले
10. सियानी जिले के लाखनडोन, घनसौर और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जय–सिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सिधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।

    बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं० 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किलसं० 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं० 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं० 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं० 28 के नीलकंठ औरधवादिखापा गांव।

IX. छत्तीसगढ़ @@

1.	सरगुजा जिला		सर्किल	11.	राजनांदगांव जिले में चौकी,मानपुर और मोहला जनजातिविकास खंड
2.	कोरिया जिला	7.	कोरबा जिला	12.	रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुरऔर छूरा जनजाति विकास खंड
3.	बस्तर जिला	8.	जशपुर जिला	13.	धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खण्ड
4.	दांतेवाड़ा जिला	9.	रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड		
5.	कांकेर जिला	10.	दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति जनजाति विकास खंड		
6.	बिलासपुर जिले मेंमारवाही, गौरेला– 1, विकास खंडगौरेला–2 आदिवासी विकास खंड और राजस्व निरीक्षक				

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र(भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहतविनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र(बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़,झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192)दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक–5घ

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1.	आंध्र प्रदेश	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
3.	गुजरात	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
4.	झारखंड	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6.	मध्य प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
8.	ओडिशा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
9.	राजस्थान	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
10.	तेलंगाना (2 जून 2014 को राज्य अस्तित्व में आया)	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त

अनुलग्नक 6क

वर्ष 2018—19, 2019—20 और 2020—21 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बाध्यता, आंवटन और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टी एस पी बाध्यता	2018—19 (वास्तविक)			2019—20 (संशोधित अनुमान)			2020—21 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.3	2508.72	106.71	4.25	2488.61	105.91	4.26	2729.00	118.65	4.35
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	8.6	45547.95	3354.76	7.37	101367.02	8717.57	8.60	133809.77	11507.65	8.60
3	दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग	8.6	698.49	69.29	9.92	729.37	78.92	10.82	780.00	68.56	8.79
4	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	4.3	106355.26	6.00	0.01	114109.76	0.50	0.00	121097.92	--	0.00
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.6	39143.19	3490.82	8.92	45568.86	4042.09	8.87	49600.00	4300.00	8.67
6	उच्चतर शिक्षा विभाग	8.6	7237.25	1264.48	17.47	8626.41	1605.00	18.61	8706.90	1640.00	18.84
7	भूमि संसाधन विभाग	10	1853.83	189.98	10.25	1887.97	178.30	9.44	2238.65	223.87	10.00
8	ग्रामीण विकास विभाग	17.5	111824.91	5377.64	4.81	122541.57	5882.27	4.80	119874.43	5026.00	4.19
9	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.7	39831.05	4900.56	12.30	46748.72	5831.61	12.47	50600.00	5844.00	11.55
10	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.3	2233.44	99.03	4.43	2601.00	111.84	4.30	3202.00	137.69	4.30
11	दूरसंचार विभाग	4.3	6913.59	504.47	7.30	7884.20	140.75	1.79	13279.50	357.89	2.70

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	टी एस पी बाध्यता	2018–19 (वास्तविक)			2019–20 (संशोधित अनुमान)			2020–21 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
12	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.3	555.97	4.00	0.72	590.04	26.00	4.41	841.00	37.70	4.48
13	कोयला मंत्रालय	8.6	654.32	30.53	4.67	871.55	95.16	10.92	819.98	70.52	8.60
14	संस्कृति मंत्रालय	4.3	483.29	24.45	5.06	426.92	22.51	5.27	578.32	24.86	4.30
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.6	1944.43	567.13	29.17	2648.10	750.87	28.36	3027.65	822.92	27.18
16	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	10	18396.81	1852.04	10.07	18338.88	1833.89	10.00	21494.10	2149.41	10.00
17	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.7	3328.54	225.76	6.78	3212.52	215.24	6.70	3958.00	265.19	6.70
18	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.3	39138.78	288.36	0.74	40766.94	324.71	0.80	46333.01	164.03	0.35
19	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.6	8934.43	748.62	8.38	10667.05	929.06	8.71	11371.49	977.95	8.60
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.6	6462.82	826.92	12.80	6953.40	618.96	8.90	7515.35	634.13	8.44
21	खान मंत्रालय	4.3	112.42	10.59	9.42	775.15	25.55	3.30	854.83	23.23	2.72
22	पंचायती राजभाषा मंत्रालय	8.6	663.67	62.82	9.47	471.52	61.15	12.97	867.73	74.62	8.60
23	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.3	77183.93	2355.56	3.05	82861.39	2610.00	3.15	91656.45	2920.00	3.19
24	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.6	2562.75	219.11	8.55	2247.00	172.71	7.69	2726.03	209.65	7.69

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	टी एस पी बाध्यता	2018–19 (वास्तविक)			2019–20 (संशोधित अनुमान)			2020–21 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
25	वस्त्र मंत्रालय	8.6	6621.42	74.26	1.12	4743.19	184.99	3.90	3428.76	222.55	6.49
26	पर्यटन मंत्रालय	4.3	1975.51	0.00	0.00	1291.00	55.00	4.26	2375.21	102.00	4.29
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100	5954.35	5954.78	100.00	7293.66	7293.66	100.00	7355.76	7355.76	100.00
28	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	8.6	6643.50	108.91	1.64	6652.75	237.81	3.57	8092.54	279.63	3.46
29	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.6	22773.52	1466.55	6.44	25915.50	2232.83	8.62	29720.38	2555.95	8.60
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय	8.6	1028.56	121.20	11.78	1555.50	182.82	11.75	1745.92	201.35	11.53
31	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.6	1588.52	78.41	4.94	1645.62	95.35	5.79	1943.23	127.00	6.54
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.6	4403.81	188.18	4.27	3743.70	322.00	8.60	5646.50	486.00	8.61
33	पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग	8.6	2857.16	251.49	8.80	2610.00	221.80	8.50	3105.00	270.89	8.72
34	वाणिज्य विभाग	4.3	5355.35	25.01	0.47	6184.51	29.01	0.47	5306.00	25.00	0.47
35	उपभोक्ता मामले विभाग	4.3	1679.09	2.58	0.15	1950.00	1.72	0.09	2195.00	2.58	0.12
36	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.3	589.16	5.75	0.98	889.43	38.25	4.30	1081.41	46.50	4.30
37	ऊर्जा मंत्रालय	8.6	13819.19	496.02	3.59	12272.92	803.78	6.55	12327.16	857.00	6.95
38	मत्स्यपालन विभाग	--	--	--	--	455.25	49.44	10.86	570.00	53.00	9.30

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टी एस पी बाध्यता	2018–19 (वास्तविक)			2019–20 (संशोधित अनुमान)			2020–21 (बजट अनुमान)		
			कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल स्कीम परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल परिव्यय का %
39	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	--	32282.02	--	--	42780.31	1619.80	3.79	42802.44	1840.50	4.30
		कुल	**632141.00**	**35352.77**	**5.59**	**745367.29**	**47748.83**	**6.41**	**825657.42**	**52024.23**	**6.30**

टिप्पणी: एसटीसी निधियों के निर्धारण के लिए अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य सहित सार्वभौमिक कवरेज की प्रकृति में व्यय का ध्यान निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा नहीं रखा गया है:

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
(ii) उपभोक्ता मामले विभाग
(iii) ग्रामीण विकास विभाग
(iv) वाणिज्य विभाग
(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुलग्नक–6 ख

वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक राज्य जनजातीय उप–योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा टीएसपी आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र.	अजजा की जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	वित्तीय वर्ष 2018–19					वित्तीय वर्ष 2019–20#					वित्तीय वर्ष 2020–21*				
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी आवंटन %	टीएसपी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	89942.21	4176.61	4.64	3537.94	84.71	92696.81	4988.53	5.38	3281.46	65.78	104334.90	5177.54	4.96	3847.63	74.31
2	अंडमान और निकोबार	7.5	4659.60	236.12	5.07	236.08	99.98	5029.16	130.03	2.59	127.65	98.17	5234.26	260.09	4.97	99.02	38.07
3	अरुणाचल प्रदेश	68.8	एनआर	17.69	एनए	17.69	100.00	एनआर	51.11	एनए	51.11	100.00	एनआर	75.13	एनए	75.13	100.00
4	असम	12.4	12503.16	1482.07	11.85	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
5	बिहार	1.3	82269.22	1254.97	1.53	1067.59	85.07	102977.40	1194.28	1.16	1126.97	94.36	105262.34	1049.18	1.00	18.57	1.77
6	छत्तीसगढ	30.6	77073.34	23329.55	30.27	17279.95	74.07	76546.17	22012.66	28.76	16422.09	74.60	95438.85	20919.60	21.92	4627.71	22.12
7	गोवा	10.2	16739.71	391.34	2.34	213.64	54.59	19548.69	404.42	2.07	227.86	56.34	21056.35	413.95	1.97	22.78	5.50
8	गुजरात	14.8	92102.00	13278.00	14.42	11744.00	88.45	106308.00	14567.00	13.70	12809.00	87.93	110529.00	14106.00	12.76	3375.00	23.93
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	6300.00	567.00	9.00	466.18	82.22	7100.00	639.00	9.00	639.00	100.00	7900.00	711.00	9.00	एनआर	एनए
10	झारखंड	26.2	45619.60	19957.24	43.75	16156.61	80.96	49142.62	20886.15	42.50	16312.27	78.10	48924.94	20201.43	41.29	1119.87	5.54
11	कर्नाटक	7.0	209181.37	8500.00	4.06	8167.59	96.09	234153.00	8842.38	3.78	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
12	केरल	1.5	29150.00	699.69	2.40	616.48	88.11	30610.00	866.26	2.83	504.36	58.22	27610.00	781.36	2.83	178.22	22.81
13	लक्षद्वीप	94.8	5.74	5.74	100.00	एनआर	एनए	5.47	5.47	100.00	एनआर	एनए	6.93	6.93	100.00	एनआर	एनए
14	मध्य प्रदेश	21.1	68580.22	27474.57	40.06	24235.18	88.21	83514.99	33466.66	40.07	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
15	महाराष्ट्र	9.4	95000.00	8969.05	9.44	7274.14	81.10	99000.00	8531.00	8.62	6833.55	80.10	108000.00	8853.00	8.20	2144.91	24.23
16	मेघालय	86.1	14104.00	14104.00	100.00	12158.64	86.21	16199.00	16199.00	97.45	15785.74	97.45	17375.00	16912.64	97.34	16912.64	100.00
17	ओडिशा	22.8	67200.00	14816.49	22.05	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
18	राजस्थान	13.5	105703.91	14584.20	13.80	13576.47	93.09	111080.15	14981.24	13.49	13819.01	92.24	110200.82	16017.65	14.53	8355.99	52.17
19	सिक्किम	33.8	1220.35	6.12	0.50	2.53	41.34	637.34	2.63	0.41	1.51	57.41	818.43	1.00	0.12	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	1.1	55498.17	794.25	1.43	632.94	79.69	56849.96	1277.84	2.25	447.74	35.04	64255.96	1299.47	2.02	एनआर	एनए
21	तेलंगाना	9.3	104757.90	9693.12	9.25	6510.00	67.16	75263.24	7184.87	9.55	6357.84	88.49	104612.62	9771.28	9.34	3583.12	36.67
22	त्रिपुरा	31.8	5705.64	2368.31	41.51	1538.99	64.98	6205.25	2772.42	44.68	1794.55	64.73	6529.34	2573.98	39.42	777.22	30.20
23	उत्तर प्रदेश	0.6	499135.11	977.24	0.20	686.91	70.29	526809.21	1027.01	0.19	823.37	80.17	512860.72	1195.97	0.23	507.67	42.45
24	उत्तराखंड	2.9	47884.28	515.06	1.08	262.21	50.91	51145.29	516.54	1.01	302.93	58.65	53526.97	498.64	0.93	36.34	7.29
25	पश्चिम बंगाल	5.8	80172.87	5563.91	6.94	5189.60	93.27	89328.56	6287.53	7.04	एनआर	एनए	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
	कुल	8.6	1810508.40	173762.35	9.60	131571.36	75.72	1840150.31	166834.03	9.07	97668.01	58.54	1504477.44	120825.84	8.03	45681.81	37.81

मिलान किया जा रहा है * अनंतिम आंकड़े

अनुलग्नक –6ग

2011–12 से 2020–21 के दौरान जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	2211.83	12470.50	1104.00
2	आंध्र प्रदेश	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	3500.00	5000.42	3624.77	5617.39	9224.29	4483.00
3	असम	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	5844.00	3407.80	0.00	0.00	2710.08	2161.09
4	बिहार	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26	743.74	0.00	0	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10809.64	11717.82	14327.57	10342.65	9415.53	4306.01
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68	559.09	352.31	0.00	724.26
7	गुजरात	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10566.50	9488.00	10270.41	11765.38	8975.55	7216.30
8	हिमाचल प्रदेश	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	475.00	1959.39	2291.20	3628.00	2394.18	1367.00
9	जम्मू और कश्मीर	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00	3671.61	3626.50	3749.80	4509.00	0.00
10	झारखंड	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	10000.00	9820.75	11372.49	8564.52	6201.49	4336.38
11	कर्नाटक	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00	5100.00	5955.37	5347.76	7434.00	0.00
12	केरल	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50	808.09	808.43	335.00	0.00	459.15
13	मध्य प्रदेश	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21	19236.61	22828.70	16968.97	13415.25	0.00
14	महाराष्ट्र	7055.93	0.00	7728.00	11726.19	12514.91	9547.00	13760.38	13802.57	11929.09	0.00
15	मणिपुर	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00	2260.00	3790.38	5442.48	1434.02	0.00
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	2739.20	3788.00	0.00
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	1220.00	3140.00	313.47
18	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	3225.00	2951.12	0.00
19	ओडिशा	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	14728.52	11806.27	11975.00	17553.22	8691.18	9010.42
20	राजस्थान	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10190.00	11072.90	10051.83	10327.93	11461.41	5910.50
21	सिक्किम	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00	1497.62	5986.00	0	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	600.00	894.10	315.00	450.56	377.47
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	3541.00	4000.00	3845.35	4493.55	2850.32	5361.29	2341.00
24	त्रिपुरा	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	2400.07	1345.76	1649.77	1294.38	1362.97	1173.30
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00	0.00	679.00	1012.88	600.00	757.80
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51	121.92	458.35	0	779.91	508.83
27	पश्चिम बंगाल	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6233.00	5995.50	5397.11	5833.41	5862.58	3746.00
	कुल	**96234.09**	**85254.35**	***10500000***	***103999.38***	***113217.12***	***119502.23***	**134800.00**	**13450000**	**13456200**	**50295.98**

* 31.12.2020 तक

अनुलग्नक – 6घ

वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधियां अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31.12.2020 तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	आंध्र प्रदेश	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	5500.00	2869.43	4591.11	6390.77	8942.43	2055.55
2	अरुणाचल प्रदेश	772.00	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80	6580.53	8378.82	12170.52	13202.25	4894.00
3	असम	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00	844.12	0.00	3916.32	10802.85	4592.3726
4	बिहार	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1467.58	991.89	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31	10488.52	10964.49	11352.92	22500.77	8484.425
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	103.00	345.66	0.00	0.00
7	गुजरात	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11680.00	9739.02	11384.08	11648.20	16833.88	5940.04
8	हिमाचल प्रदेश	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99	523.20	1595.87	2074.70	3378.16	5314.70	1161.00
9	जम्मू और कश्मीर	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00	3539.66	3049.06	2051.79	5410.00	0.00
10	झारखंड	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	12202.96	9489.38	12386.93	7354.30	11166.77	7029.71
11	कर्नाटक	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74	5220.61	10435.46	3305.68
12	केरल	405.00	463.00	510.00	510.00	748.94	1085.44	695.58	803.17	472.28	633.29	0.00
13	मध्य प्रदेश	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15	14971.43	22399.48	24635.30	44938.92	3689.47
14	महाराष्ट्र	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	13374.00	11536.53	13862.24	17015.91	23136.70	4573.16
15	मणिपुर	819.00	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	1216.00	1694.40	2308.80	5367.65	6151.91	0.00
16	मेघालय	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	1507.67	1576.21	3603.40	5129.79	4799.53	0.00
17	मिजोरम	922.96	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41	3507.71	6598.83	1909.71
18	नागालैंड	2047.42	2301.00	2454.00	2886.9 3	2067.15	5469.34	6368.00	4434.11	9194.49	6802.11	1717.38
19	ओडिशा	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15	15110.66	4685.24
20	राजस्थान	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58	13769.23	15586.19	9011.00
21	सिक्किम	226.00	259.00	272.58	302.90	370.30	1250.30	1147.00	405.30	355.34	3175.35	516.00
22	तमिलनाडु	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80	798.24	378.00	773.57	6356.07	0.00
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40	6090.00	3608.05	5015.32	3248.89	9973.28	2517.00
24	त्रिपुरा	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1600.68	1280.99	2040.99	2006.73	2952.63	0.00
25	उत्तर प्रदेश	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74	1138.62	189.00	252.43	2760.71	927.43
26	उत्तराखंड	250.00	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02	0.00	1577.56	1255.27	428.37	0.00
27	पश्चिम बंगाल	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	7000.00	5814.37	5376.51	9235.73	12127.17	4041.14
	कुल योग	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.98**	**113264.14**	**139226.78**	**126581.37**	**150939.99**	**181498.72**	**266140.83**	**71050.3076**

अनुलग्नक –7

दिनांक 31.08.2020 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण:

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 31.08.2020 तक प्राप्त दावों की संख्या			31.08.2020 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या			खारिज किए गए दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों की तुलना में निपटान किये गये दावों का %	प्राप्त दावों की संख्या की तुलना में वितरित अधिकार–पत्रों का प्रतिशत %
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	1,77,446	4,062	1,81,508	96,675	1,374	98,049	75,927	1,73,976	95.85%	54.02%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	NA/NR	58,802	37.93%	37.93%
3	बिहार	8,022	NA/NR	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%	1.51%
4	छत्तीसगढ़	8,58,682	31,558	8,90,240	4,01,251	21,967	4,23,218	4,61,590	8,84,808	99.39%	47.54%
5	गोवा	9,758	378	10,136	17	8	25	47	72	0.71%	0.25%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	90,767	3,516	94,283	62,256	1,56,539	82.36%	49.61%
7	हिमाचल प्रदेश	2,642	261	2,903	129	35	164	47	211	7.27%	5.65%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%	55.95%
9	कर्नाटक	2,75,446	5,903	2,81,349	14,667	1,406	16,073	1,80,956	1,97,029	70.03%	5.71%
10	केरल	43,237	1,012	44,249	26,256	174	26,430	12,073	38,503	87.01%	59.73%
11	मध्य प्रदेश	5,85,266	42,187	6,27,453	2,29,988	27,976	2,57,964	3,58,767	6,16,731	98.29%	41.11%
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	45,525	2,17,641	58.08%	45.93%
13	ओडिशा	6,21,732	15,073	6,36,805	4,39,436	6,577	4,46,013	1,47,698	5,93,711	93.23%	70.04%
14	राजस्थान	74,414	1,441	75,855	38,007	103	38,110	36,299	74,409	98.09%	50.24%
15	तमिलनाडु	32,983	1,005	33,988	6,111	276	6,387	11,742	18,129	53.34%	18.79%
16	तेलंगाना	1,83,252	3,427	1,86,679	93,639	721	94,360	83,757	1,78,117	95.41%	50.55%
17	त्रिपुरा	2,00,696	277	2,00,973	1,27,931	55	1,27,986	68,657	1,96,643	97.85%	63.68%
18	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	93,500	99.85%	19.81%
19	उत्तराखंड	3,574	3,091	6,665	154	1	155	6,510	6,665	100.00%	2.33%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%	31.76%
कुल		**41,03,177**	**1,49,912**	**42,53,089**	**19,09,528**	**76,383**	**19,85,911**	**17,55,705**	**37,41,616**	**87.97%**	**46.69%**

अनुलग्नक–8क

स्वीकृत ईएमआरएस की सूची (ब्लाक–वार)(31.12.2020 तक)

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	वाई. रामावरम	पी. येर्रागोंडा	ईएमआरएस वाई रामावरम	1998–99	कार्यशील	पूर्ण	0	407	407
2	आंध्र प्रदेश	एसपीएस नेल्लौर	कोडावलुर	कोडावलुरु	ईएमआरएस कोडावलुर	2003–04	कार्यशील	पूर्ण	0	480	480
3	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	डोरनाला	दोरनाला	ईएमआरएस डोरनाला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	0	430	430
4	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	गुडेम कोठा वीधी	गुडेम कोठा विदेह	ईएमआरएस जीके वीधी	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	480	0	480
5	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	बुचिनाइंदु खंडरिगा	कनामनमबेदु	ईएमआरएस खंडरिगा	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	73	86	159
6	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	मारेदुमिली	मारेदुमिली	ईएमआरएस मारेदुमिली	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	81	79	160
7	आंध्र प्रदेश	एसपीएस नेल्लौर	ओजिलि	ओजिली	ईएमआरएस ओजिली	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	83	79	162
8	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	मेलिअपुत्ति	मेलिअपुत्ती	ईएमआरएस मेलिअपुत्ति	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	55	57	112
9	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	भामिनी	भामिनी	ईएमआरएस भामिनी	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	53	58	111
10	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	मुंचिंगीपुट्टु	मुंचिंगिपुट्टु	ईएमआरएस मुंचिगापुट	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	92	96	188
11	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	दुम्बरीगुडा	डुम्बरीगुडा	ईएमआरएस डुम्बरीगुडा	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	100	118	218
12	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम	मक्कुवा	पानसभद्रा	ईएमआरएस अनसाभद्रा	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	61	10	71
13	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम	कुरुपम	कुरुपम	ईएमआरएस कुरुपम	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	23	118	141
14	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम	पछिपेंटा	गुरुविनाइदेपेता	ईएमआरएस कोटिकापेंटा	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	0	76	76
15	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी	बुत्तेयागुदेम	बट्टेयागुडेम	ईएमआरएस बट्टायागडेम	2018–19	कार्यशील	प्रगति पर	28	27	55
16	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	चिंतूर	कुंदरू	ईएमआरएस चिंतूर	2018–19	कार्यशील	प्रगति पर	18	20	38
17	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	राजावोमांगी	तल्लापल्म	ईएमआरएस राजवोमंगी	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	18	22	40
18	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	चिंतापल्ली	चिंतापल्ली	ईएमआरएस चिंतापल्ली	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	30	30	60
19	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम	गुम्मा लक्ष्मीपुरम	गुम्मलक्ष्मीपुरम	ईएमआरएस जीएल पुरम	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	18	18	36
20	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	पेडा बयालू	लक्यापुट्ट	ईएमआरएस लक्यापुट्ट	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अनंतगिरी	अनंतगिरी	ईएमआरएस अनंतगिरी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
22	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	हुकुमपेटा	चत्रिपुट्ठ	ईएमआरएस हुकुमपेटा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
23	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	पडेरू	चिन्तला वीधि	ईएमआरएस चिन्टला वीधि	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
24	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जी.मदुगुला	पी.जी.मदुगुला	ईएमआरएस जी मदुगुला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
25	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	कोय्युरु	बालाराम	ईएमआरएस बालाराम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
26	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अराकु वेली	मज्जवलसा	ईएमआरएस अराकु वेली	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
27	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग	बाना	बानाकैम्प (नया सोपुंग)	ईएमआरएस बानाकैम्प	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	60	60	120
28	अरूणाचल प्रदेश	तवांग	लुमला	लुमला	ईएमआरएस लुमला	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	41	47	88
29	अरूणाचल प्रदेश	कुरुंगकुमे	नयापीन	काम्पु, न्यापन	ईएमआरएस न्यापन	2015–16	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
30	अरूणाचल प्रदेश	तिरप	खोंसा	खेला	ईएमआरएस खेला	2015–16	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
31	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	तिरबिन	तिरबिन	ईएमआरएस तिरबिन	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश	लोहित	वकरो	मेदो	ईएमआरएस मेदो	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
33	अरूणाचल प्रदेश	निचली दिबांग घाटी	दम्बुक	दम्बुक	ईएमआरएस दम्बुक	2017–18	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
34	अरूणाचल प्रदेश	पापुम पारे	इटागगर (बोरुम)	इटानगर	ईएमआरएस इटानगर	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
35	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग	सेप्पा	लुमडुंग	ईएमआरएस लुमडुंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
36	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	आलो	आलो	ईएमआरएस आलो	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
37	असम	बक्सा	बक्सा	बागनपारा	ईएमआरएस दलबारी	2010–11	अकार्यशील	प्रगति पर	240	240	480
38	असम	बारपेटा	बाजली	खारा धरा	ईएमआरएस खारा धरा	2015–16	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
39	असम	कोकराझार	चापर (पीटी)	बेदालंगमारी	ईएमआरएस बेदालंगमारी	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
40	असम	कारबी अंगलोंग	लुम्बजॉन्ग (दिफू)	थेसो अजुर सोनसिंग तरांग	ईएमआरएस लुंबजॉन्ग	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
41	असम	डिमा हासाओ	हाफलोंग	अरदोपुर	ईएमआरएस अरदोपुर	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
42	असम	बक्सा	जलाह (पं)	डाओधरा	ईएमआरएस जालान (पं)	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
43	असम	धेमाजी	जोनाइ	पुराण जेलोम पं (एल)	ईएमआरएस जोनाई	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
44	असम	कारबी अंगलोंग	फुलौनी	डोंगरप हावड़ाघाट	ईएमआरएस फुलौनी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
45	असम	कारबी अंगलोंग	सिलोनिजन	थेंगुर तेरांग, डायरिंग	ईएमआरएस सिलोनीजन	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
46	असम	पश्चिम इदकारबी अंगलोंग	डोनका	तारालंगसो दोनकमुकम	ईएमआरएस डोनका	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
47	बिहार	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसंडी	ईएमआरएस बेलाटांडी	2014–15	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
48	बिहार	जमुई	झाझा	झाझा	ईएमआरएस झाझा	2014–15	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
49	बिहार	कैमूर (भभुआ)	अधौरा	खाम खुर्द	ईएमआरएस अधौरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
50	छत्तीसगढ़	बस्तर	बकावंद	करपावंड	ईएमआरएस करपावंड	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	378	0	378
51	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	पारछली	ईएमआरएस कटेकल्याण	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	30	303	333
52	छत्तीसगढ़	जशपुर	बगिचा	सन्ना	ईएमआरएस सन्ना	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	0	417	417
53	छत्तीसगढ़	कांकेर	अंतागढ़	लमकनर	ईएमआरएस अंतागढ़	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	370	0	370
54	छत्तीसगढ़	कबीरधाम	बोदला	तारेगांव	ईएमआरएस तारेगांव	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	328	0	328
55	छत्तीसगढ़	रायगढ़	खरसिया	छोटे मुदपर	ईएमआरएस छोटे मुदपार	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	374	0	374
56	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	भैयाथान	शिवप्रसादनगर	ईएमआरएस शिवप्रसादनगर	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	404	0	404
57	छत्तीसगढ़	सरगुजा	मैनपाट	कमलेश्वरपुर	ईएमआरएस मैनपाट	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	315	0	315
58	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भैरमगढ़	पुसनार	ईएमआरएस भैरमगढ़	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	186	177	363
59	छत्तीसगढ़	कोरबा	कटघोरा	छुरीखुर्द	ईएमआरएस छूरी	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	196	204	400
60	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	राजनंदगांव	पेंड्री	ईएमआरएस पेंड्री	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	188	200	388
61	छत्तीसगढ़	कोरिया	खड्गंवा	पोड़ीडीह	ईएमआरएस पोड़ीडीह	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	170	189	359
62	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	कोंडागांव	गोलवंद	ईएमआरएस गोलवांड	2012–13	कार्यशील	पूर्ण	120	120	240
63	छत्तीसगढ़	बस्तर	बस्तर	बेसोली	ईएमआरएस बेसोली	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	140	141	281
64	छत्तीसगढ़	गौरेला पेंड्रा मरवाही	मरवाही	डोंगरिया	ईएमआरएस डोंगरिया	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	119	119	238
65	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	नारायणपुर	भटपाल	ईएमआरएस छेरीबेड़ा	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	120	119	239
66	छत्तीसगढ़	बालोद	डोंडी	डोंडी	ईएमआरएस डौंडी	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	83	87	170
67	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	बलरामपुर	महाराजगंज	ईएमआरएस बलरामपुर	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	90	90	180
68	छत्तीसगढ़	बलौदा बाजार	कसडोल	सोनाखान	ईएमआरएस सोनाखान	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	87	87	174
69	छत्तीसगढ़	धमतरी	नागरी	पथरीडीह	ईएमआरएस पथरडीह	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	89	90	179
70	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	गरियाबंद	केशोदर	ईएमआरएस गरियाबंद	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	89	90	179
71	छत्तीसगढ़	जांजगीर चांपा	सक्ती	पालड़ी खुर्द	ईएमआरएस पालदीखुर्द	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	86	87	173
72	छत्तीसगढ़	महासमुंद	पिथौरा	लाहड़	ईएमआरएस महासमुंद	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	90	90	180
73	छत्तीसगढ़	मुंगेली	लोरमी	बंधवा	ईएमआरएस बंधवा लोरमी	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	87	89	176
74	छत्तीसगढ़	सुकमा	सुकमा	सुकमा	ईएमआरएस सुकमा	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	83	80	163

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
75	छत्तीसगढ़	गौरेला पेंड्रा मरवाही	पेंड्रा (गौरेला –1)	लता	ईएमआरएस लता पेंड्रा	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
76	छत्तीसगढ़	कोरबा	पाली	लफा	ईएमआरएस लफा	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
77	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	ओरछा	ओरछा	ईएमआरएस ओरछा	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
78	छत्तीसगढ़	रायगढ़	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	बैसी	ईएमआरएस धर्मजिगढ़	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
79	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रतापपुर	खोरमा	ईएमआरएस प्रतापपुर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
80	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	ओडगी	ओडगी	ईएमआरएस ओडगी	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
81	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	वड्रफनगर	मदनपुर	ईएमआरएस वाड्रफनगर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
82	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	सामरी (कुसमी)	रामनगर	ईएमआरएस कुसमी	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
83	छत्तीसगढ़	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	ईएमआरएस रिखी उद्यान	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
84	छत्तीसगढ़	कोरिया	सोनहत	बेलिया	ईएमआरएस घुघरा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
85	छत्तीसगढ़	जशपुर	जशपुर	घोलेंग	ईएमआरएस घोलेंग	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
86	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	मानपुर	ख्वासफाकदी	ईएमआरएस मानपुर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
87	छत्तीसगढ़	बस्तर	तोकापाल	मेटावाडा, खोपाल, राजपुर	ईएमआरएस तोकापाल	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
88	छत्तीसगढ़	कांकेर	कांकेर	देवरी (बड़ादेवी)	ईएमआरएस कांकेर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
89	छत्तीसगढ़	बीजापुर	बीजापुर	एजुकेशन सिटी नुकनपाल	ईएमआरएस बीजापुर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
90	छत्तीसगढ़	सुकमा	कोंटा	इराबोर	ईएमआरएस एर्राबोर (कोंटा)	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
91	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	मेटापाल	ईएमआरएस दंतेवाड़ा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
92	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	रामानुजगंज	देवीगंज	ईएमआरएस रामानुजगंज	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
93	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	शंकरगढ़	दोहना	ईएमआरएस शंकरगढ़	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
94	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	राजपुर	बुड्ढा बगिचा	ईएमआरएस राजपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
95	छत्तीसगढ़	बस्तर	लोहंदीगुड़ा	गढिया	ईएमआरएस गढ़िया	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
96	छत्तीसगढ़	बस्तर	बस्तर	कोडेनार	ईएमआरएस कोडेनार	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
97	छत्तीसगढ़	बस्तर	दरभा	छिंदवाड़ा	ईएमआरएस छिंदवाड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
98	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भोपालपट्टनम	रुद्रम	ईएमआरएस रुद्रम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
99	छत्तीसगढ़	बीजापुर	उसूर	दुगुइगुडा	ईएमआरएस दुग्गुगुड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
100	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	पेंड्रा रोड गोरेला	समाचार	ईएमआरएस न्यूज पेंड्रा रोड	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
101	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	गिडम	हराम	ईएमआरएस गिडम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
102	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	कुआकोंडा	कुआकोंडा	ईएमआरएस कुआदोंडा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
103	छत्तीसगढ़	गरियाबंद	मैनपुर	गिरहोला	ईएमआरएस मैनपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
104	छत्तीसगढ़	जशपुर	कंसबेल	धुर्रंदंद	ईएमआरएस धुद्रुदंड	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
105	छत्तीसगढ़	जशपुर	पत्थलगांव	रायरुमाकला (शुकरपारा)	ईएमआरएस रायरुमाकला (सुखरापा)	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
106	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	केसकाल	बेदमा	ईएमआरएस बेडमा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
107	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	बडे राजपुर	कोरगांव	ईएमआरएस कोरगांव	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
108	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	मकड़ी	मकड़ी	ईएमआरएस मकड़ी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
109	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	फरसगाँव	चिचड़ी	ईएमआरएस चिचड़ी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
110	छत्तीसगढ़	कोरबा	पोदी उपरौदा	रामपुर	ईएमआरएस पोंडी उप्र	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
111	छत्तीसगढ़	कोरिया	भरतपुर	जामठान पोस्ट कांजी / घुघरा	ईएमआरएस जामथान	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
112	छत्तीसगढ़	रायगढ़	घरघोडा	चतुरंगगढ़	ईएमआरएस छत्रतगढ़गढ़ घरघोड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
113	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	मोहला	मदिंग–पिडलिंग–धेनु	ईएमआरएस मोहला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
114	छत्तीसगढ़	सुकमा	छिंदगढ़	बलातीकरा	ईएमआरएस बालाटिकरा (छिंदगढ़)	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
115	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रेमनगर	बाकिरमा	ईएमआरएस प्रेमनगर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
116	छत्तीसगढ़	सरगुजा	सीतापुर	पेटला	ईएमआरएस पेटला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
117	छत्तीसगढ़	सरगुजा	बटौली	शिवपुर	ईएमआरएस शुवपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
118	छत्तीसगढ़	कांकेर	भानुप्रतापपुर	फरासकोट	ईएमआरएस भानुप्रतापपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
119	छत्तीसगढ़	कांकेर	दुर्गाकोंडल	दुर्गाकोंडल	ईएमआरएस दुर्गाकोंडल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
120	छत्तीसगढ़	कांकेर	नरहरपुर	नरहरपुर	ईएमआरएस नरहरपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
121	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	शेल्टी	ईएमआरएस शेल्टी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
122	गुजरात	नर्मदा	तिलकवाड़ा	तिलकवाड़ा	ईएमआरएस तिलकवाड़ा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	223	257	480
123	गुजरात	अरवल्ली	भिलोदा	शालमपुर	ईएमआरएस शालमजी – I	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	175	186	361
124	गुजरात	सूरत	बारडोली	मोटा	ईआरएमएस मोटा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	196	284	480

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
125	गुजरात	डैंग	अहवा	अहवा	ईएमआरएस अहवा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	246	231	477
126	गुजरात	वलसाड	पारदी	बलदा	ईएमआरएस पारडी	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	175	208	383
127	गुजरात	वलसाड	कपर्दा	कपर्दा	ईएमआरएस कापरड़ा	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	240	220	460
128	गुजरात	नवसारी	वंसदा	बारतद (उनाई)	ईएमआरएस बार्टड	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	148	332	480
129	गुजरात	तापी	निजार	खोदड़ा	ईएमआरएस खोडडा	2003–04	कार्यशील	पूर्ण	231	249	480
130	गुजरात	बनास कॉंठा	दंता	अम्बाजी	ईएमआरएस अंबाजी	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	234	244	478
131	गुजरात	दाहोद	दाहोद	केरेड्डी	ईएमआरएस केरेड्डी	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	250	226	476
132	गुजरात	पंच महल	कलोल	वेजलपुर	ईएमआरएस वेजलपुर	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	191	188	379
133	गुजरात	नर्मदा	गरुड़ेश्वर	गोरा	ईएमआरएस गोरा (नंदोद)	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	191	209	400
134	गुजरात	अरवल्ली	भिलोदा	मंधारी	ईएमआरएस शालमजी 2	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	153	154	307
135	गुजरात	डैंग	अहवा	सपूतरा	ईएमआरएस सापुतारा	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	221	238	459
136	गुजरात	वडोदरा	वाघोडिया	वाघोडिया	ईएमआरएस वाघोडिया 2	2011–12	कार्यशील	प्रगति पर	171	148	319
137	गुजरात	बनास कॉंठा	पालनपुर	जगण	ईएमआरएस जगन्ना	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	243	183	426
138	गुजरात	दाहोद	धानपुर	लुखड़िया	ईएमआरएस लुखड़िया	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	193	185	378
139	गुजरात	महिसागर	कडाना	दिवाडा	ईएमआरएस कडाना	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	166	180	346
140	गुजरात	तापी	व्यारा	आईएनडीयू	ईएमआरएस इंदु	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	142	156	298
141	गुजरात	तापी	सोनगढ़	पथरदा	ईएमआरएस उकाई	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	173	197	370
142	गुजरात	वलसाड	धरमपुर	धरानपुर	ईएमआरएस धर्मपुर	2011–12	कार्यशील	चालू नहीं	174	194	368
143	गुजरात	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	पुण्यवंत	ईएमआरएस पुण्यवंत	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	193	166	359
144	गुजरात	सबर कंथा	पोशीना	चंद्रना	ईएमआरएस पोशीना	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	99	101	200
145	गुजरात	भरूच	नेत्रंग	नेत्रंग	ईएमआरएस वागलखोद	2016–17	कार्यशील	चालू नहीं	94	78	172
146	गुजरात	नर्मदा	सागबारा	सागबारा	ईएमआरएस सागबारा	2017–18	कार्यशील	चालू नहीं	86	87	173
147	गुजरात	छोटाउदेपुर	नासवडी	लिंडा	ईएमआरएस नासवाड़ी	2017–18	कार्यशील	चालू नहीं	87	76	163
148	गुजरात	सूरत	बारडोली	मांडवी	ईएमआरएस मंडावी	2017–18	कार्यशील	चालू नहीं	90	84	174
149	गुजरात	बनास कॉंठा	अमीरगढ़	अमीगढ़	ईएमआरएस अमीरगढ़	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	11	15	26
150	गुजरात	भरूच	झगडिया	बोरिदारा (सरकारारी)	ईएमआरएस झगड़िया	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	17	15	32

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
151	गुजरात	तापी	उच्छल	कटासवन	ईएमडीबीएस उच्छल	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
152	गुजरात	दाहोद	सिंगवड	सिंगवड	ईएमआरएस सिंगवाड़	2018–19 (पुराना)	कार्यशील	चालू नहीं	23	23	46
153	गुजरात	छोटाउदेपुर	कावंत	कावंत	ईएमआरएस कांवेंट	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	25	22	47
154	गुजरात	दाहोद	गरबड़ा	गरबड़ा	ईएमआरएस गरबड़ा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
155	गुजरात	महिसागर	संतरामपुर	संतरामपुर	ईएमआरएस संतरामपुर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	23	28	51
156	गुजरात	नर्मदा	डेडियापाड़ा	डेडियापाड़ा	ईएमआरएस डेडियापाड़ा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	24	24	48
157	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	निकर	कास्पो (31 / 9)	ईएमआरएस निखार	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	105	105	210
158	हिमाचल प्रदेश	चंबा	ब्रह्मौर	खानी	ईएमआरएस ब्रह्मौर	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	17	17	34
159	हिमाचल प्रदेश	लाहौल और स्पीति	लाहुल (कुकुमसेरी)	बैरिंग (5 / 14)	ईएमआरएस लाहौल	2018–19 (पुराना)	कार्यशील	प्रगति पर	17	17	34
160	हिमाचल प्रदेश	चंबा	पांगी	घंगित (27)	ईएमआरएस पांगी	2018–19 (पुराना)	कार्यशील	प्रगति पर	17	17	34
161	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग	सालिया	ईएमआरएस सालिया	1997–98	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
162	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम	मंजगाम (दमहल हंजिपोरा)	तौंगमर्ग	ईएमआरएस तंगमार्ग	2003–04	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
163	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	राजौरी	राजौरी	ईएमआरएस राजौरी	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
164	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	पूंछ	पूंछ	ईएमआरएस पुंछ	2017–18	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
165	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	गुरेज	गुरेज	ईएमआरएस गुरेज	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
166	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	बुधल	कोटरंका	ईएमआरएस कोटरंका	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
167	झारखंड	दुमका	दुमका	काठिजोरिया	ईएमआरएस काठिजोरिया	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	0	486	486
168	झारखंड	रांची	बुंडू	सालगाडीह	ईएमआरएस सालगाडीह	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	473	0	473
169	झारखंड	साहेबगंज	बरहैत	भोगनाडीह	ईएमआरएस भोगनाडीह	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	480	0	480
170	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	चाईबासा	टोरसिड्री	ईएमआरएस टोरसिड्री	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	0	476	476
171	झारखंड	गुमला	बसिया	सोलंगबीरा	ईएमआरएस बसिया	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	234	9	243
172	झारखंड	गोड्डा	सुंदरपहाड़ी	तसरिया	ईएमआरएस तसरिया	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	0	300	300
173	झारखंड	लोहरदगा	लोहरदगा	कुजरा	ईएमआरएस कुजरा	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	0	380	380
174	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	बहरागोड़ा	पूर्णा पाणि	ईएमआरएस पूर्ण पाणि	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	120	0	120
175	झारखंड	सिमडेगा	सिमडेगा	गरजा	ईएमआरएस गरजा	2013–14	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
176	झारखंड	चतरा	कान्हाचट्टी	चारु	ईएमआरएस चारु	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	120	0	120

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
177	झारखंड	दुमका	काठीकुंड	फीटकोरिया	ईएमआरएस फितकोरिया	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	120	0	120
178	झारखंड	गिरिडीह	पीरटांड	पालगंज	ईएमआरएस पालगंज	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	120	0	120
179	झारखंड	पाकुर	लिट्टीपारा	कुमारभजा	ईएमआरएस कुमारभजा	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	120	0	120
180	झारखंड	पलामू	मनतु	बंसीखुर्द	ईएमआरएस बांसखुर्द	2014–15	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
181	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	गुदड़ी	कासकेल	ईएमआरएस कासकेल	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	120	0	120
182	झारखंड	जामताड़ा	फतेहपुर	चौकुंडा	ईएमआरएस चौकुंडा	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
183	झारखंड	खूंटी	कर्रा	सियाक्ल	ईएमआरएस सियाक्ल	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
184	झारखंड	लातेहार	लातेहार	अनिष्ट करना	ईएमआरएस नेगैन	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
185	झारखंड	सरायकेला खरसावां	निमदिह	झिमिरी	ईएमआरएस झिमिरी	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
186	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	कुमारडुंगी	गंडकीड़ा	ईएमआरएस गांधीकिडा	2017–18	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
187	झारखंड	रांची	बर्मु	कंधार	ईएमआरएस कांडर	2017–18	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
188	झारखंड	खूंटी	खूंटी	रीवा	ईएमआरएस खुंटी	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
189	झारखंड	खूंटी	तोरपा	श्रीदेल	ईएमआरएस तोरपा	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
190	झारखंड	धनबाद	टुंडी	नवाटांड	ईएमआरएस नवाटांड	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
191	झारखंड	गढ़वा	भंडरिया	भंडरिया	ईएमआरएस भंडरिया	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
192	झारखंड	खूंटी	मुरहू	गम्हरिया	ईएमआरएस मुरहू	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
193	झारखंड	लातेहार	बरवाडीह	मंगरा	ईएमआरएस मंगरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
194	झारखंड	लातेहार	गारू	हेठटोली	ईएमआरएस हेठटोली, गारू	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
195	झारखंड	लोहरदगा	सेन्हा	सेन्हा	ईएमआरएस कोरामबे	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
196	झारखंड	लोहरदगा	भंडारा	भंडारा	ईएमआरएस सोरांव	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
197	झारखंड	लोहरदगा	पेशरार	एकगारा	ईएमआरएस वनगारा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
198	झारखंड	लोहरदगा	काइरो	ताती (काइरो)	ईएमआरएस ताती	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
199	झारखंड	गुमला	अल्बर्ट एक्का (जरी)	सिसी करमटोली	ईएमआरएस अल्बर्ट एक्का जरी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
200	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	नोआमुंडी	महुदी	ईएमआरएस महुदी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
201	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	मनोहरपुर	रोंगो	ईएमआरएस रोंगो	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
202	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	तांतनगर	सिलपुंजी	ईएमआरएस सिलपुंजी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
203	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	सोनुआ	लोटा	ईएमआरएस लोटा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
204	झारखंड	सिमडेगा	पाकर तानर	सोगरा	ईएमआरएस पाकतरन	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
205	झारखंड	सिमडेगा	बंसजोर	बंसजोर	ईएमआरएस बंसजोर	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
206	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	मंगलसाई	ईएमआरएस मंगलासाई पोटका	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
207	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	डुमरिया	कटशोल	ईएमआरएस कटाशोल	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
208	झारखंड	रांची	अंगारा	अंगारा	ईएमआरएस अंगारा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
209	झारखंड	रांची	चन्हो	चन्हो	ईएमआरएस चान्हो	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
210	झारखंड	रांची	लापुंग	लेटी	ईएमआरएस लेटी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
211	झारखंड	सरायकेला खरसावां	राजनगर (गोबिंदपुर)	खैरबानी	ईएमआरएस खैरबानी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
212	झारखंड	पाकुर	पाकुड़िया	राजबरी	ईएमआरएस पाकुड़िया	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
213	झारखंड	दुमका	शिकारीपाड़ा	शिकारीपाड़ा	ईएमआरएस शिकारीपारा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
214	झारखंड	दुमका	मसलिया	मसलिया	ईएमआरएस मसलिया	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
215	झारखंड	गुमला	चौनपुर	बेंदोरा	ईएमआरएस चौनपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
216	झारखंड	गुमला	डुमरी	ताती (डुमरी)	ईएमआरएस डुमरी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
217	झारखंड	गुमला	घाघरा	बद्री	ईएमआरएस घाघरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
218	झारखंड	गुमला	गुमला	सिलफारी	ईएमआरएस गुमला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
219	झारखंड	गुमला	कामदरा	अरहारा	ईएमआरएस कामदरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
220	झारखंड	गुमला	पालकोट	मलाई	ईएमआरएस प्लाकोट	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
221	झारखंड	गुमला	रायडीह	केराडीह	ईएमआरएस रायडीह	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
222	झारखंड	गुमला	सिसई	कुल्हुपि	ईएमआरएस सिसई	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
223	झारखंड	गुमला	भरनो	सुकुरहुतु	ईएमआरएस भर्नो	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
224	झारखंड	खूंटी	रनिया	तंगरकेला	ईएमआरएस तंगरकेला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
225	झारखंड	खूंटी	अर्की (तामार प)	बीरबांकी	ईएमआरएस अर्की	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
226	झारखंड	लातेहार	महुआडानर	महुआडानर	ईएमआरएस महुआडानर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
227	झारखंड	लोहरदगा	किसको	खड़की	ईएमआरएस खड़की	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
228	झारखंड	पाकुर	अमरापारा	मंडरो संथाली	ईएमआरएस अमरापारा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
229	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	आनंदपुर	रूंगी	ईएमआरएस आनंदपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
230	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	बंदगांव	कांसेया	ईएमआरएस बंदगांव	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
231	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	हथगामरिया	सियालजोर	ईएमआरएस हट गम्हरिया	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
232	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	झिंकपानी	बिष्टुमपुर	ईएमआरएस झिंकपानी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
233	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	कुमारडुंगी	गंडकीड़ा	ईएमआरएस कुमारडुंगी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
234	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	मझगांव	हल्दिया	ईएमआरएस मझगांव	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
235	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	मंझारी	रोलाडीह	ईएमआरएस मंझारी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
236	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	टोंटो	हेसूरनिया	ईएमआरएस टोंटो	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
237	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	ढालभूमगढ़	घोराधुआ	ईएमआरएस घोराधुआ	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
238	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	गुरबंध	गुरबंध	ईएमआरएस गुरबंधा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
239	झारखंड	रांची	नामकुम	सरवाल	ईएमआरएस सरवाल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
240	झारखंड	रांची	नगरी	नगरी	ईएमआरएस नागरी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
241	झारखंड	रांची	मंदार	तिगोई अम्बातोली	ईएमआरएस तिगोरई अम्बातोली	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
242	झारखंड	रांची	बेरो	हाथु लमकाना	ईएमआरएस बेरो	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
243	झारखंड	सरायकेला खरसावां	कुचाई	गलुडीह	ईएमआरएस गलुडीह	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
244	झारखंड	सिमडेगा	बोलबा	लेताबारा	ईएमआरएस बोलबा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
245	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	गोईलकेरा	डुमरिया	ईएमआरएस डुमरिया	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
246	कर्नाटक	बेलगावी	गोकक	तवाग	ईएमआरएस तवाग	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	225	199	424
247	कर्नाटक	कोडागू	विराजपेट	बालुगोडु	ईएमआरएस बालुगोडु	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	173	199	372
248	कर्नाटक	चिक्कमगलुरु	मुदिगेरे	तरुवे	ईएमआरएस तरुवे	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	139	138	277
249	कर्नाटक	रायचुर	देवदुर्गा	कोठोडोडी	ईएमआरएस कोठोडोडी	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	174	178	352
250	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	हिरियूर	देवरकोट्टा	ईएमआरएस देवरकोट्टा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	125	129	254
251	कर्नाटक	तुमकुरु	कोराटगेरे	बज्जनाहल्ली	ईएमआरएस बजजानहल्ली	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	142	134	276
252	कर्नाटक	मैसूर	हेगादेवदेवकोटे	सोलापुरा	ईएमआरएस सोलापुर	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	139	136	275
253	कर्नाटक	चामराजनगर	कोलेगाला	मनागल्ली	ईएमआरएस मानागला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	136	68	204
254	कर्नाटक	कालाबुरागी	चित्तपुर	कोंचूर	ईएमआरएस कोंचूर	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
255	कर्नाटक	बल्लारी	बल्लारी	कोलागल्लू	ईएमआरएस कोलागल्लू	2010–11	अकार्यशील	पूर्ण	197	139	336
256	कर्नाटक	कोलार	श्रीनिवासपुर	गंगानगरिपल्ली	ईएमआरएस गंगानगरिपल्ली	2012–13	कार्यशील	पूर्ण	156	127	283
257	कर्नाटक	यादगीर	यादगीर	बँधाली	ईएमआरएस बंदल्ली	2015–16	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
258	केरल	वायनाड	कालपेट्टा (व्यथरी)	पुकोडे	ईएमआरएस पुकोडे	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	135	155	290
259	केरल	इडुक्की	इडुक्की	दर्दवु	ईएमआरएस इडुक्की	1998–99	कार्यशील	पूर्ण	123	122	245
260	केरल	पलक्कड़	अट्टापडी (मनारकड़)	अगली	ईएमआरएस अट्टापडी	2017–18	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
261	केरल	कासरगोड	वेल्लारिक्कुंडु	किन्नूर	ईएमआरएस कासरगोड	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
262	लद्दाख	कारगिल	कारगिल	कारगिल	ईएमआरएस कारगिल	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
263	लद्दाख	लेह	लेह	नुबरा	ईएमआरएस स्टोगस्टोक नुब्रा	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
264	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	जैतहरी	बरबसपुर	ईएमआरएस अनूपपुर	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	168	187	355
265	मध्य प्रदेश	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी खुर्द	ईएमआरएस बड़वानी	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	184	192	376
266	मध्य प्रदेश	बेतुल	शाहपुर	शाहपुर	ईएमआरएस शाहपुर	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	176	168	344
267	मध्य प्रदेश	धार	कुक्षी	कुक्षी	ईएमआरएस कुक्षी	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	0	366	366
268	मध्य प्रदेश	झाबुआ	थांदला	अग्रल	ईएमआरएस थांदला अग्रल	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	214	146	360
269	मध्य प्रदेश	मंडला	बिछिया	सिझौरा	ईएमआरएस सिजोरा	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	169	173	342
270	मध्य प्रदेश	रतलाम	सैलाना	सैलाना	ईएमआरएस सैलाना	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	166	151	317
271	मध्य प्रदेश	सिवनी	घनसौर	घनसौर	ईएमआरएस घनसोर	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	178	184	362
272	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	ईएमआरएस डिंडोरी	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	192	199	391
273	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	जमाई	जुन्नारदेव	ईएमआरएस जुन्नारदेव	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	167	162	329
274	मध्य प्रदेश	सिद्धी	कुसमी	तनसार	ईएमआरएस तानसर	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	137	144	281
275	मध्य प्रदेश	उमरिया	पाली	पाली	ईएमआरएस पाली	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	151	165	316
276	मध्य प्रदेश	गुना	गुना	गुना	ईएमआरएस (पीटीजी) गुना	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	145	79	224
277	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर ग्रामीण	मोरोद	ईएमआरएस (पीटीजी) इंदौर	2008–09	कार्यशील	पूर्ण	148	105	253
278	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	रामपुर छापर	ईएमआरएस (पीटीजी) जबलपुर	2008–09	कार्यशील	पूर्ण	157	150	307
279	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	सोंडवा	सोंडवा	ईएमआरएस सोंडवा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	201	204	405
280	मध्य प्रदेश	बालाघाट	परसवाड़ा	परसवाड़ा	ईएमआरएस उकवा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	172	185	357

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
281	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	बिछुआ	सिंगारदीप	ईएमआरएस सिंगारदीप	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	169	179	348
282	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	केसला	केसला	ईएमआरएस केसला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	150	173	323
283	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	नरै नाला	ईएमआरएस नरै नाला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	192	202	394
284	मध्य प्रदेश	झाबुआ	राणापुर	मर्दुंडिया	ईएमआरएस मोर्दुंडिया	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	186	181	367
285	मध्य प्रदेश	खंडवा	खलवा	खलवा	ईएमआरएस खलवा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	158	175	333
286	मध्य प्रदेश	शाहडोल	सोहागपुर	सोहागपुर	ईएमआरएस सोहागपुर	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	183	196	379
287	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	भाबरा	चंद्रशेखर आजाद नगर	ईएमआरएस सेजवाड़ा	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	145	149	294
288	मध्य प्रदेश	बड़वानी	सेंधवा	सेंधवा	ईएमआरएस सेंधवा	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	150	201	351
289	मध्य प्रदेश	सीहोर	बुदनी	बंसपुर	ईएमआरएस बुदनी	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	139	120	259
290	मध्य प्रदेश	धार	धार	गर्दवाड़	ईएमआरएस गार्डावड	2014–15	कार्यशील	चालू नहीं	112	85	197
291	मध्य प्रदेश	सतना	मैहर	अरकंडी (मेहर)	ईएमआरएस अरकानी	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	124	106	230
292	मध्य प्रदेश	सतना	मझगवां	चित्रकूट	ईएमआरएस चित्रकूट	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	101	82	183
293	मध्य प्रदेश	खरगोन	खरगोन	खरगोन	ईएमआरएस खरगोन	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	120	115	235
294	मध्य प्रदेश	मंडला	मंडला	मंडला	ईएमआरएस मंडला	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	115	116	231
295	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	देवसर	बरगावन	ईएमआरएस सिंगरौली	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	120	120	240
296	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	हरराई	हरराई	ईएमआरएस हर्राई	2018–19	कार्यशील	प्रगति पर	0	234	234
297	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	तामिया	तामिया	ईएमआरएस तामिया	2018–19	कार्यशील	प्रगति पर	0	120	120
298	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	शाहपुरा	पिपराड़ी	ईएमआरएस शाहपुरा	2018–19	कार्यशील	प्रगति पर	0	269	269
299	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	ईएमआरएस अलीराजपुर	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	0	268	268
300	मध्य प्रदेश	बड़वानी	राजपुर	नरवाला	ईएमआरएस राजपुर	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	0	168	168
301	मध्य प्रदेश	धार	गंधवानी	गंधवानी	ईएमआरएस गांधीवानी	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	0	173	173
302	मध्य प्रदेश	झाबुआ	पेटलावद	कर्दावद (ग्रामीण)	ईएमआरएस पेटलावद	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	0	223	223
303	मध्य प्रदेश	झाबुआ	मेघनगर	मेघनगर	ईएमआरएस मेघनगर	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	0	132	132
304	मध्य प्रदेश	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	ईएमआरएस झिरन्या	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	2	218	220
305	मध्य प्रदेश	शाहडोल	शहडोल (सोहागपुर)	हारिज	ईएमआरएस शहडोल (सोहागपुर)	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	108	102	210
306	मध्य प्रदेश	इंदौर	महू	जमानिया	ईएमआरएस इंदौर (महू)	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	85	81	166

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
307	मध्य प्रदेश	भोपाल	फंदा	बावड़िया	ईएमआरएस भोपाल (फंदा)	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	240	240	480
308	मध्य प्रदेश	जबलपुर	पनागर	महगांवा	ईएमआरएस महगांवा	2019–20	कार्यशील	प्रगति पर	117	117	234
309	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	जोबट	जोबट	ईएमआरएस जोबट	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
310	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बैहर	बैहर	ईएमआरएस बैहर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
311	मध्य प्रदेश	बड़वानी	पति	बडी	ईएमआरएस बुदी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
312	मध्य प्रदेश	बड़वानी	निवाली	पुरुषखेड़ा	ईएमआरएस पुरुषखेड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
313	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	मेहदवानी	मेहदवानी	ईएमआरएस मेधावानी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
314	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	करंजिया	करंजिया	ईएमआरएस करंजी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
315	मध्य प्रदेश	बेतुल	भैंसदेही	भैसेधि	ईएमआरएस भैसेधि	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
316	मध्य प्रदेश	बेतुल	चिचोली	चिचोली	ईएमआरएस चिचोली	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
317	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	खकनार	मंजरोदकला	ईएमआरएस मंजरोदकला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
318	मध्य प्रदेश	धार	दही	पीथनपुर	ईएमआरएस पीथनपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
319	मध्य प्रदेश	धार	मनावर	देवला	ईएमआरएस डेवला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
320	मध्य प्रदेश	हरदा	रहटगांव	रहटगांव	ईएमआरएस रहटगांव	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
321	मध्य प्रदेश	मंडला	निवास	निवास	ईएमआरएस निवास	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
322	मध्य प्रदेश	मंडला	नारायणगंज	संघनपुर चौकी	ईएमआरएस कराहल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
323	मध्य प्रदेश	मंडला	घुघरी	छतरपुर	ईएमआरएस छतरपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
324	मध्य प्रदेश	रतलाम	बाजना	रतलाम	ईएमआरएस रतलाम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
325	मध्य प्रदेश	शाहडोल	जैतपुर	बीरोडी	ईएमआरएस बीरोडी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
326	मध्य प्रदेश	श्योपुर	कराहल	ढेंगडा	ईएमआरएस ढेंगड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
327	महाराष्ट्र	अमरावती	चिखलदारा	चिखलदारा	ईएमआरएस चिखलदरा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	193	204	397
328	महाराष्ट्र	नागपुर	रामटेक	खैरी	ईएमआरएस खैरी परसोदा	1997–98	कार्यशील	प्रगति पर	171	182	353
329	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक	नासिक	ईएमआरएस पेठ रोड	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	193	207	400
330	महाराष्ट्र	पालघर	पालघर	कंबलगाँव	ईएमआरएस कंबलगांव	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	199	195	394
331	महाराष्ट्र	गडचिरोली	अहेरी	अहेरी	ईएमआरएस अहेरी	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	181	179	360
332	महाराष्ट्र	गोंदिया	देवरी	बोरगांव बाजार	ईएमआरएस बोरगांव	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	207	187	394

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
333	महाराष्ट्र	नंदुरबार	नंदुरबार	नंदुरबार	ईएमआरएस नंदुरबार	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	173	162	335
334	महाराष्ट्र	नासिक	इगतपुरी	पिंपरी सदरुद्दीन	ईएमआरएस पिमप्रीसाद्रदीन	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	177	158	335
335	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अकोले	मवेशी	ईएमआरएस मवेशी	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	148	149	297
336	महाराष्ट्र	थाइन	शाहपुर	शेंडे	ईएमआरएस शीदेगाँव	2014–15	कार्यशील	प्रगति पर	124	119	243
337	महाराष्ट्र	नासिक	बगलान	अजमीर सौंदाने	ईएमआरएस अजमेर सौदें	2014–15	कार्यशील	पूर्ण	150	150	300
338	महाराष्ट्र	धुले	सकरी	पिंपलनेर	ईएमआरएस पिंपलनेर	2015–16	कार्यशील	चालू नहीं	144	144	288
339	महाराष्ट्र	नांदेड़	किनवट	वाकी बी.के.	ईएमआरएस शाहस्त्रकुंड	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	115	91	206
340	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	राजुरा	देवादा	ईएमआरएस देवड़ा	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	202	178	380
341	महाराष्ट्र	गडचिरोली	चामोर्शी	चामोर्शी	ईएमआरएस चामोर्शी	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	54	42	96
342	महाराष्ट्र	नासिक	डिंडोरी	टिट्वे	ईएमआरएस टिटवे	2016–17	कार्यशील	चालू नहीं	88	81	169
343	महाराष्ट्र	नंदुरबार	तलोदा (अक्रानी)	अमल किया हुआ	ईएमआरएस धडगांव	2017–18	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
344	महाराष्ट्र	यवतमाल	मारेगांव	चिनकोनी बॉटोनी	ईएमआरएस बोटोनी	2017–18	कार्यशील	चालू नहीं	30	30	60
345	महाराष्ट्र	पालघर	तलसारी	सावने	ईएमआरएस सावने	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
346	महाराष्ट्र	पालघर	जवाहर	जवाहर	ईएमआरएस जवाहर	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
347	महाराष्ट्र	नासिक	सुरगण	शिंदे दिगर	ईएमआरएस शिंदे दिगर	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
348	महाराष्ट्र	नंदुरबार	नवापुर	दोंगसंगली	ईएमआरएस डोंगसंगली	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
349	महाराष्ट्र	नंदुरबार	अक्कलकुवा	अक्कलकुवा	ईएमआरएस अक्कलकुवा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
350	महाराष्ट्र	नासिक	कलवन	चाणकपुर	ईएमआरएस चनकापुर	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
351	महाराष्ट्र	गडचिरोली	कुरखेड़ा	गेवारधा	ईएमआरएस गेवारधा	2019–20	कार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
352	महाराष्ट्र	गडचिरोली	कोच्चि	खुनारा	ईएमआरएस कोच्चि	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
353	महाराष्ट्र	गडचिरोली	धनौरा	धनौरा	ईएमआरएस धनौरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
354	महाराष्ट्र	गडचिरोली	भमरागढ़	भमरागढ़	ईएमआरएस भमरागढ़	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
355	महाराष्ट्र	नंदुरबार	शहादे	मोहिदा	ईएमआरएस शाहाडे	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
356	महाराष्ट्र	पालघर	दहानू	दापचेरि	ईएमआरएस दहानू	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
357	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलांग	तामेंगलांग (सीटी)	ईएमआरएस तमेंगलांग	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	229	251	480
358	मणिपुर	टेंगनौपाल	टेंगनौपाल	मोरेह वार्ड नंबर 1	ईएमआरएस मोरेह	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	240	240	480

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
359	मणिपुर	कांगपोकपी	सैतु गमपजोल	गमनोम सपेरमिना	ईएमआरएस गमनोम सपेरमिना	2000–01	कार्यशील	पूर्ण	225	255	480
360	मणिपुर	छुरछंदपुर	हेंगलेप	तोकपा कबुई	ईएमआरएस लोकतक	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
361	मणिपुर	कामजोंग	फुंग्यार	रिहा (टी)	ईएमआरएस कामजोंग	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
362	मणिपुर	सेनापति	माओ मराम	माखन केंद्र	ईएमआरएस माखन केंद्र	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
363	मणिपुर	तामेंगलांग	नुंगबा	दुइबांसुई	ईएमआरएस दुइबांसुई	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
364	मणिपुर	चंदेल	चंदेल	मन्त्री पन्थ	ईएमआरएस मन्त्री पन्थ	2018–19(पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
365	मणिपुर	सेनापति	पांवटा	लीयै खुनौ	ईएमआरएस लियाई खुनौ	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
366	मणिपुर	छुरछंदपुर	सिंगिंगट	सुमिंचवम	ईएमआरएस सुमिंचवम	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
367	मणिपुर	कांगपोकपी	सदर हिल्स ईस्ट	थायंग	ईएमआरएस थायंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
368	मणिपुर	चुराचांदपुर	चुराचांदपुर उत्तर	थिंगचोम	ईएमआरएस थिंगचोम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
369	मणिपुर	चुराचांदपुर	चुराचांदपुर	मातमुलतम	ईएमआरएस मातमुलतम	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
370	मणिपुर	कांगपोकपी	सदर हिल्स पश्चिम	एल. जंगलम्हाई (वेतुमखुनोउ)	ईएमआरएस एल. जंगनपोहाई	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
371	मणिपुर	तामेंगलांग	तामेंगलोंग उत्तर	पल्लोंग	ईएमआरएस पल्लोंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
372	मेघालय	री भोई	उम्सनिंग	पहासीम	ईएमआरएस री भोई	2016–17	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
373	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	मावकेनरियु	खारंग	ईएमआरएस खारंग	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
374	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	नोंगस्टोइन	सोहपरु	ईएमआरएस सोहपरु	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
375	मेघालय	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	मवकीरवत	डोमजिरती	ईएमआरएस डोमजिरती	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
376	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स	खर्कुट्टा	खर्कुट्टा	ईएमआरएस खर्कुट्टा	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
377	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स	रोंगरा	रोंगरा	ईएमआरएस रोंगरा	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
378	मेघालय	वेस्ट जयन्तिया हिल्स	थाडलास्केन	थाडलास्केन	ईएमआरएस थाडलास्केन	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
379	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	समंद	नेंगखरा	ईएमआरएस नेंगखरा	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
380	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	टिकरी–किला	रबुकोंग	ईएमआरएस रबुकोंग	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
381	मेघालय	री भोई	उम्सनिंग	उमतराइ	ईएमआरएस उमतराइ	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
382	मेघालय	ईस्ट जैंतिया हिल्स	खलीह्रियत	कैरांग	ईएमआरएस कैरांग	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
383	मेघालय	साउथ वेस्ट गारो हिल्स	जिकजक	बोल्डमग्रे	ईएमआरएस बोल्डमग्रे	2018–19	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
384	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	समंद	नेंगकरा	ईएमआरएस समंदा	2018–19(पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
385	मेघालय	वेस्ट जैंतिया हिल्स	लास्केन	लास्केन	ईएमआरएस लास्केन	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
386	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	दमबो रोंगजेंग	रिकवारंगरे	ईएमआरएस रिकवारंगरे	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
387	मिजोरम	लुंगलेई	लुंगलेई	पुकपुई	ईएमआरएस लुंगलेई	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	98	98	196
388	मिजोरम	सेरछिप	सेरछिप	कवलितलंग	ईएमआरएस सेरछिप	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	103	97	200
389	मिजोरम	लांगतलाइ	चवंगते	कमलानगर IV	ईएमआरएस चवंगते	2014–15	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
390	मिजोरम	लांगतलाइ	लांगतलाइ	चवन्हु	ईएमआरएस लांगतलाइ	2014–15	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
391	मिजोरम	सीअहा	तुईपांग	तुईपांग वी– I	ईएमआरएस तुईपांग	2014–15	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
392	मिजोरम	चम्फाई	नगोपा	नगोपा	ईएमआरएस नगोपा	2015–16	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
393	मिजोरम	आइजोल	तेलंगनुम (भाग)	तेलंगनुम	ईएमआरएस तेलंगनुम	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
394	मिजोरम	कोलासिब	बिलखथ्लिर	बिलखथ्लिर	ईएमआरएस बिलखथ्लिर	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
395	मिजोरम	मामित	जवलनुम	जवलनुम	ईएमआरएस जवलनुम	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
396	मिजोरम	सीअहा	सैहा	नोहतल्लाह	ईएमआरएस नोहतल्लाह	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
397	मिजोरम	आइजोल	थिंग्सुथ्लिया (भाग)	तलुंगवेल	ईएमआरएस तलुंगवेल	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
398	मिजोरम	आइजोल	डार्लोन	सवलेंग	ईएमआरएस सवलेंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
399	मिजोरम	चम्फाई	ख्वाजवाल	ख्वाजवाल	ईएमआरएस ख्वाजवाल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
400	मिजोरम	चम्फाई	खवाबंग	खवाबंग	ईएमआरएस ख्वाबंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
401	मिजोरम	लुंगलेई	फेफड़ा	फेफड़ा	ईएमआरएस लुंगसेन	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
402	मिजोरम	लुंगलेई	हनथालियाल	थिल्लतांग	ईएमआरएस हनथालियाल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
403	मिजोरम	मामित	वेस्ट फीलेंग	वेस्ट फीलेंग	ईएमआरएस वेस्ट फीलेंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
404	नगालैंड	तुएनसांग	संगसंगु	नगांग पोंग	ईएमआरएस यून्सांग	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	96	98	194
405	नगालैंड	दीमापुर	मेडजिपेमा	डुहुपर	ईएमआरएस दिफुपर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	119	108	227
406	नगालैंड	सोमवार	टिजिट	तिजित ग्राम	ईएमआरएस तिजित	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	97	101	198
407	नगालैंड	कोहिमा	त्सम्युनु	फेनशुनिया	ईएमआरएस फेनसून्यू	2015–16	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
408	नगालैंड	फेक	फुटसेरो	काडे	ईएमआरएस फुटसेरो	2015–16	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
409	नगालैंड	पेरेन	जलुकी	पेलहांग	ईएमआरएस पेलहांग	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
410	नगालैंड	किफिरे	किफिरे	किफिरे सदर	ईएमआरएस किफिर सदर	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
411	नगालैंड	वोखा	वोखा	वोखा सदर	ईएमआरएस वोखा सदर	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
412	नगालैंड	मोकोकचुंग	तुली	तुली	ईएमआरएस तुली	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
413	नगालैंड	कोहिमा	कोहिमा	कोहिमा सदर	ईएमआरएस कोहिमा सदर	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
414	नगालैंड	दीमापुर	चुमुकेदिमा	विदिमा	ईएमआरएस विदिमा	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
415	नगालैंड	मोकोकचुंग	मंगकोलेम्बा	जापु	ईएमआरएस जापु	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
416	नगालैंड	लोंगलेंग	तमलु	तमलु	ईएमआरएस तमलु	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
417	नगालैंड	मोकोकचुंग	ओंग्पांगकांग (उत्तर)	लोंगसा	ईएमआरएस लोंगसा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
418	नगालैंड	कोहिमा	बोत्सा	बोत्सा	ईएमआरएस बोत्सा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
419	नगालैंड	तुएनसांग	नोकसेन	नोकसेन	ईएमआरएस नोकसेन	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
420	नगालैंड	जुन्हबोतो	सुरहुतो	सुरहुतो	ईएमआरएस सूरहुतो	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
421	नगालैंड	पेरेन	टेनिंग	नादान्जामं टेनिंग	ईएमआरएस तेनिंग	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
422	नगालैंड	तुएनसांग	नोक्लाक	नोक्लाक	ईएमआरएस नोक्लाक	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
423	ओडिशा	कोरापुट	सेमीलिगुडा	पुंगर	ईएमआरएस पुंगर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	201	199	400
424	ओडिशा	मयूरभंज	खुंटा	धनघेरा	ईएमआरएस धनघेरा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	191	195	386
425	ओडिशा	रायगढ़	गुदड़ी	सिरिगुडा	ईएमआरएस सिरिगुडा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	202	201	403
426	ओडिशा	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़	भवानीपुर	ईएमआरएस भवानीपुर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	192	204	396
427	ओडिशा	गजपति	मोहना	चंद्रगिरी	ईएमआरएस चंद्रगिरी	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	209	208	417
428	ओडिशा	कंधमाल	बालीगुडा	महासिंघी	ईएमआरएस महासिंघी	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	203	206	409
429	ओडिशा	केंदुझार	केंदुझर सदर	रंकी	ईएमआरएस रंकी	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	207	205	412
430	ओडिशा	नबरंगपुर	नबरंगपुर	हिरली	ईएमआरएस हिरली	2001–02	कार्यशील	पूर्ण	193	192	385
431	ओडिशा	सुंदरगढ़	लहुनीपारा	शारघापुर	ईएमआरएस लहुनीपारा	2002–03	कार्यशील	पूर्ण	187	192	379
432	ओडिशा	सुंदरगढ़	राजगंजपुर	लैंग	ईएमआरएस लैंग	2002–03	कार्यशील	पूर्ण	197	193	390
433	ओडिशा	जाजपुर	दानगाड़ी	रम्पिलो	ईएमआरएस रामपिलो	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	204	206	410
434	ओडिशा	मल्कानगिरी	मल्कानगिरी	चंपानगर	ईएमआरएस मलकानगिरी	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	193	176	369
435	ओडिशा	नुआपाड़ा	नुआपाड़ा	सखतोरा (केंदुबाहरा)	ईएमआरएस नुआपाड़ा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	178	190	368
436	ओडिशा	बलांगीर	पुंतिला	डुमरबहाल	ईएमआरएस डुमरबहाल	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	57	58	115

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
437	ओडिशा	कालाहांडी	कोकसारा	मधुपुर	ईएमआरएस मधुपुर	2011–12	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
438	ओडिशा	मयूरभंज	रायरंगपुर	रायरंगपुर	ईएमआरएस रायरंगपुर	2011–12	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
439	ओडिशा	मयूरभंज	बंगरीपोसी	श्यामसुंदरपुर	ईएमआरएस बंगरीपोसीi	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	59	60	119
440	ओडिशा	रायगढ़	गुनुपुर	बिक्रमपुर	ईएमआरएस बिक्रमपुर	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	58	55	113
441	ओडिशा	मयूरभंज	करंजिया	बायुरिया	ईएमआरएस करंजिया	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	58	60	118
442	ओडिशा	संबलपुर	कुचिंडा	कुचिंडा	ईएमआरएस कुचिंडा	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	60	57	117
443	ओडिशा	सुंदरगढ़	कौरमुंडा	कुरमुंडा जीपी मुख्यालय	ईएमआरएस कुरमुंडा	2015–16	कार्यशील	पूर्ण	58	57	115
444	ओडिशा	कंधमाल	फिरंजिया	फिरंजिया	ईएमआरएस फिरिंगिया	2015–16	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
445	ओडिशा	बालासोर	निलगिरि	निलगिरि	ईएमआरएस नीलगिरि	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
446	ओडिशा	देवगढ़	देवागढ़	तिलेइबानी	ईएमआरएस टाइलिबानी	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
447	ओडिशा	झारसुगुडा	लईकेरा	किरिमिरा	ईएमआरएस किरिमिरा	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
448	ओडिशा	क्योंझर	चम्पुआ	चम्पुआ	ईएमआरएस चंपुआ	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
449	ओडिशा	कोरापुट	जयपोर	जेयपोर	ईएमआरएस जेयपोर	2016–17	अकार्यशील	पूर्ण	0	0	0
450	ओडिशा	मालकानगिरि	मैथिली	मैथिली	ईएमआरएस मैथिली	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
451	ओडिशा	कोरापुट	कोतपद	कोतपद	ईएमआरएस कोतपद	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
452	ओडिशा	गजपति	नौगाडा	नौगाडा	ईएमआरएस नुआगड़ा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
453	ओडिशा	धेनकनाल	कांकादहाद	कांकादहाद	ईएमआरएस कंकड़हड़	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
454	ओडिशा	झारसुगुडा	लईकेरा	लईकेरा	ईएमआरएस लाईकेरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
455	ओडिशा	कंधमाल	फूलबनी	फूलबनी	ईएमआरएस फूलबानी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
456	ओडिशा	कंधमाल	टिकबाली	टिकबाली	ईएमआरएस टिकबाली	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
457	ओडिशा	कंधमाल	रायकिया	रायकिया	ईएमआरएस रायकिया	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
458	ओडिशा	कंधमाल	देरिंगबाडी	देरिंगबाडी	ईएमआरएस दरिंगबाड़ी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
459	ओडिशा	कंधमाल	जी उदयगिरी	जी. उदयगिरी	ईएमआरएस जी उदयगिरी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
460	ओडिशा	कोरापुट	बोरीगुमा	बोरीगुमा	ईएमआरएस बोरीगुमा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
461	ओडिशा	कोरापुट	नारायणपटना	नारायणपटना	ईएमआरएस नारायणपटना	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
462	ओडिशा	मल्कानगिरी	ओर्केल	ओर्केल	ईएमआरएस ऑर्केल	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
463	ओडिशा	मयूरभंज	बिसोई	बिसोई	ईएमआरएस बिसोई	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
464	ओडिशा	मयूरभंज	जमदा	बडकुलीबिरा	ईएमआरएस बडकुलीबीरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
465	ओडिशा	मयूरभंज	तिरिंग	तिरिंग	ईएमआरएस तिरिंग	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
466	ओडिशा	मयूरभंज	बादामपहर (कुसुमी)	कुसुमी	ईएमआरएस कुसुमी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
467	ओडिशा	नवरंगपुर	कोसागुमुदा	कोसागुमुदा	ईएमआरएस कोसागुमुडा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
468	ओडिशा	नवरंगपुर	झारिगम	झारिगम	ईएमआरएस झारिगाम	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
469	ओडिशा	नवरंगपुर	पापरहंडी	पापरहंडी	ईएमआरएस पापरहंडी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
470	ओडिशा	नवरंगपुर	तेंतुलीखूंटी	तेंतुलीखूंटी	ईएमआरएस टेंटुलिखुट्टी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
471	ओडिशा	रायगडा	काशीपुर	काशीपुर	ईएमआरएस काशीपुर	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
472	ओडिशा	रायगडा	गुदड़ी	गुदड़ी	ईएमआरएस गुदड़ी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
473	ओडिशा	रायगडा	बिषमातक	कोलनारा	ईएमआरएस कोलनारा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
474	ओडिशा	सम्बलपुर	गोविंदपुर (बमरा)	गोविंदपुर	ईएमआरएस गोविंदपुर	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
475	ओडिशा	सम्बलपुर	जमनाकीरा	जमनाकीरा	ईएमआरएस जमनकीरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
476	ओडिशा	सुंदरगढ़	तलेसरा	तलेसरा	ईएमआरएस तलसरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
477	ओडिशा	सुंदरगढ़	कुटरा	कुटरा	ईएमआरएस कुटरा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
478	ओडिशा	सुंदरगढ़	हटिबरी (नुआगाँव)	हटिबरी	ईएमआरएस हटिबरी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
479	ओडिशा	सुंदरगढ़	लहिपड़ा	लहिपड़ा	ईएमआरएस लेरीपाड़ा	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
480	ओडिशा	सुंदरगढ़	बारागॉव	भोइपली	ईएमआरएस बारगाँव	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
481	ओडिशा	सुंदरगढ़	बिसरा	बीजादि	ईएमआरएस बिसरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
482	ओडिशा	केंदुझर	पतना	इरेनदेई	ईएमआरएस पाटाना	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
483	ओडिशा	केंदुझर	तेलोकी	जगमोहनपुर	ईएमआरएस तेलकोई	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
484	ओडिशा	कालाहांडी	थुआमुल रामपुर	साईसुर्नी	ईएमआरएस थुआमुल रामपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
485	ओडिशा	मल्कानगिरी	चित्रकौंडा	चित्रकौंडा	ईएमआरएस चित्रकोंडा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
486	ओडिशा	मयूरभंज	गोरुमहिसानी (रायरंगपुर)	जरीहिल	ईएमआरएस रायरंगपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
487	ओडिशा	मयूरभंज	जशपुर	जमदा	ईएमआरएस जशपुर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
488	ओडिशा	मयूरभंज	ररुआन	बदरुआन	ईएमआरएस रारुआन	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरुष	महिला	कुल
489	ओडिशा	मयूरभंज	ठाकुरमुंडा	घुघुलिया	ईएमआरएस महुलडीहा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
490	ओडिशा	मयूरभंज	कोलियाना	दुधकुंडी	ईएमआरएस कोलियाना	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
491	ओडिशा	मयूरभंज	बरसही	बादलीगाँव	ईएमआरएस बादशाही	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
492	ओडिशा	मयूरभंज	कपटीपाड़ा	दीवानबाहली	ईएमआरएस दीवानबाहली	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
493	राजस्थान	बांसवाडा	कुशलगढ़	चुराडा	ईएमआरएस कुशलगढ़	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	350	0	350
494	राजस्थान	बारां	शाहबाद	हनोटिया	ईएमआरएस हनोटिया	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	300	0	300
495	राजस्थान	सिरोही	आबू रोड	दनवाव, वार्ड नंबर 31	ईएमआरएस दनवाव	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	446	0	446
496	राजस्थान	उदयपुर	कोट्रा	कोट्रा	ईएमआरएस कोटड़ा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	319	0	319
497	राजस्थान	डूंगरपुर	सिमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	ईएमआरएस सिमलवाड़ा	1998–99	कार्यशील	पूर्ण	393	0	393
498	राजस्थान	टोंक	निवाई	निवाई (ग्रामीण)	ईएमआरएस निवाई	1999–00	कार्यशील	पूर्ण	0	453	453
499	राजस्थान	उदयपुर	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा छौनी (सीटी)	ईएमआरएस खेरवाड़ा	1999–00	कार्यशील	पूर्ण	308	0	308
500	राजस्थान	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	तीमारवा	ईएमआरएस टिमरवा	2007–08	कार्यशील	पूर्ण	0	350	350
501	राजस्थान	अलवर	राजगढ़	मल्लाना	ईएमआरएस मल्लाना	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	142	75	217
502	राजस्थान	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	पंडोला	ईएमआरएस पडोला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	168	164	332
503	राजस्थान	डूंगरपुर	सबला	परदा चुंडावत	ईएमआरएस परदा चुंडावत	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	0	193	193
504	राजस्थान	जयपुर	बस्सी	बिहारीपुरा	ईएमआरएस बिहारीपुरा	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	156	63	219
505	राजस्थान	करौली	टोडाभीम	रानोली	ईएमआरएस रानोली	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	105	87	192
506	राजस्थान	सवाई माधोपुर	बामनवास	बरनाला	ईएमआरएस बरनाला	2010–11	कार्यशील	पूर्ण	146	117	263
507	राजस्थान	अलवर	रेनी	पाटन	ईएमआरएस पाटन	2011–12	कार्यशील	पूर्ण	107	110	217
508	राजस्थान	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	सुंदराव	ईएमआरएस सुंदरव	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	204	0	204
509	राजस्थान	उदयपुर	गोगुन्दा	दादिया	ईएमआरएस गोगुन्दा	2013–14	कार्यशील	पूर्ण	0	111	111
510	राजस्थान	जयपुर	जमवा रामगढ़	मथासोला	ईएमआरएस जामवा रामगढ़	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	80	0	80
511	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	अबापुरा (गामडा)	ईएमआरएस अबापुरा (गामडा)	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
512	राजस्थान	प्रतापगढ़	पीपलखोंट	मथुगमदा	ईएमडीबीएस पीपलखूंट	2018–19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
513	राजस्थान	डूंगरपुर	डूंगरपुर	शारदा	ईएमआरएस सारदा	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
514	राजस्थान	उदयपुर	शारदा	पीपलखूंट	ईएमआरएस पीपलखूंट	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
515	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	पार्खेला	ईएमआरएस गढ़ी पारखेला	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
516	राजस्थान	बांसवाड़ा	बागीदौरा	बंसिया	ईएमआरएस बागीदौरा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
517	राजस्थान	डूंगरपुर	सागवाड़ा	सूरजगाँव	ईएमआरएस सागवाड़ा	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
518	राजस्थान	प्रतापगढ़	धरियावद	पंचगुराह	ईएमआरएस धरियावद	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
519	राजस्थान	प्रतापगढ़	अरनोद	नागदेरा	ईएमआरएस अरनोद	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
520	राजस्थान	उदयपुर	झाड़ोल	जोतना	ईएमआरएस झाड़ोल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
521	राजस्थान	उदयपुर	लसाडिया	कुन	ईएमआरएस लसाड़िया	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
522	राजस्थान	उदयपुर	सलूम्बर	प्रेम नगर	ईएमआरएस सैलम्बर	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
523	सिक्किम	उत्तरी जिला	कबी ६ मंगन	स्वयंवर	ईएमआरएस स्वयंवर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	188	222	410
524	सिक्किम	पश्चिम जिला	युकसोम	गंगईप	ईएमआरएस गंगईप	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	187	188	375
525	सिक्किम	दक्षिण जिला	सुम्बुक	सुनतली	ईएमआरएस मेली	2015–16	कार्यशील	प्रगति पर	42	18	60
526	सिक्किम	पूर्वी जिला	पाक्योंग	अकबोंग	ईएमआरएस पारखा	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	65	69	134
527	तमिलनाडु	विल्लुपुरम (कालाकुरुची)	कालरेयान हिल्स (चिन्नासेलम)	वेलिमालई	ईएमआरएस वेल्लिमलाई	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	471	0	471
528	तमिलनाडु	सलेम	पेद्दनैकेनपालयम	पुथिरा	ईएमआरएस अबिनवम	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	0	472	472
529	तमिलनाडु	थिरुवन मलाई	जवाथू हिल्स	गौंडमपलायम	ईएमआरएस अथिपट्टु	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	166	146	312
530	तमिलनाडु	नीलगिरी	उधगमंडम	अथिपट्टु	ईएमआरएस कोडापमुंडु	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	122	117	239
531	तमिलनाडु	नमक्कल	कोलीमलई	नंजनद	ईएमआरएस सेंगरई	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	181	56	237
532	तमिलनाडु	वेल्लोर	तिरुपत्तुर	एडापुलिनाडु	ईएमआरएस विशमंगलम	2016–17	कार्यशील	प्रगति पर	162	94	256
533	तमिलनाडु	कांचीपुरम	थिरुपोरुर	विशमंगलम	ईएमआरएस पट्टिपुलम	2017–18	कार्यशील	प्रगति पर	67	59	126
534	तमिलनाडु	सेलम	यरकौड	मेलुर	ईएमआरएस यरकौड	2018–19	कार्यशील	चालू नहीं	50	23	73
535	तेलंगाना	आदिलाबाद	नारनूर	नारनूर	ईएमआरएस (बी) नारनूर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	180	0	180
536	तेलंगाना	महबूबनगर	बालानगर	बालानगर	ईएमआरएस (बी) बालानगर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	480	0	480
537	तेलंगाना	महबुबाबाद	कुरावी	कुरवी	ईएमआरएस (जी) कुरवी	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	0	480	480
538	तेलंगाना	राजन्ना सिरसिल्ला	येलारेडिपेट	येलारेडिपेट	ईएमआरएस (जी)येलारेडिपेट	1998–99	कार्यशील	पूर्ण	0	480	480
539	तेलंगाना	कामारेड्डी	गांधारी	गांधारी	ईएमआरएस (बी) गांधारी	1998–99	कार्यशील	पूर्ण	480	0	480
540	तेलंगाना	राजन्ना सिरसिल्ला	कोनारोपेट	मरिमदला	ईएमआरएस (जी)मैरिमडला	2003–04	कार्यशील	पूर्ण	480	0	480

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक / तालुका	ग्राम / बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील / अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019—20)		
									पुरूष	महिला	कुल
541	तेलंगाना	महबूबाबाद	कुरवी	सीरोल	ईएमआरएस (जी) सेरोल	2014—15	कार्यशील	पूर्ण	0	480	480
542	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	दम्मापता	दम्मापता	ईएमआरएस (जी) गंदुगुलापल्ली	2015—16	कार्यशील	प्रगति पर	0	180	180
543	तेलंगाना	निजामाबाद	इंदलवई	इंदलवई	ईएमआरएस (जी) इंदलवाई	2015—16	कार्यशील	प्रगति पर	0	180	180
544	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	पलवांचा	पांडुरंगपुरम	ईएमआरएस (जी) पलवंचा	2017—18	कार्यशील	प्रगति पर	0	120	120
545	तेलंगाना	नगरकुरनूल	जदचेरला	जदचेरला	ईएमआरएस (बी) कालवाकुर्ती	2017—18	कार्यशील	प्रगति पर	120	0	120
546	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	टेकुलपल्ले	टेकुलपल्ली	ईएमआरएस तेलुकापल्ली	2018—19	कार्यशील	प्रगति पर	60	0	60
547	तेलंगाना	कोमाराम भीम आसिफाबाद	सिरपुर	कागजनगर	ईएमआरएस सिरपुर	2018—19	कार्यशील	प्रगति पर	60	0	60
548	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	गुंडला	ममाकन्नु	ईएमआरएस गुंडला	2019—20	कार्यशील	चालू नहीं	0	60	60
549	तेलंगाना	आदिलाबाद	उतनूर	उतनूर	ईएमआरएस उतनूर	2019—20	कार्यशील	प्रगति पर	60	0	60
550	तेलंगाना	महबुबाबाद	बयाराम	बयाराम	ईएमआरएस बयाराम	2019—20	कार्यशील	प्रगति पर	0	60	60
551	तेलंगाना	आदिलाबाद	इंदिरावेल्ली	इंद्रावली	ईएमआरएस इंद्रावली	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
552	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	चेर्ला	चावल—पेठा	ईएमआरएस चेरला	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
553	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	डममुगुडेम	सीताराम पुरम राजस्व	ईएमआरएस डुमुगुडेम	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
554	तेलंगाना	भद्रादि कोठागुडेम	मुल्कलपल्ले	मूकामामिदि	ईएमआरएस मुल्कलपल्ले	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
555	तेलंगाना	खम्मम	सिंगरेनी	उसिरिकायापल्ली राजस्व	ईएमआरएस सिंगरेनी	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
556	तेलंगाना	महबुबाबाद	कोठागुडम	पोगुलपाल	ईएमआरएस कोठागुड़ा	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
557	तेलंगाना	महबुबाबाद	गुडूर	गुडूर	ईएमआरएस गुडूर	2020—21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
558	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	बेलबारी	राधापुर	ईएमआरएस खुमुलवंग	1997—98	कार्यशील	पूर्ण	210	210	420
559	त्रिपुरा	उनाकोटी	कुमारघाट	पाबियछारा(दरचावी एडीसी गांव)	ईएमआरएस कुमारघाट	1997—98	कार्यशील	पूर्ण	210	210	420
560	त्रिपुरा	गोमती	बोकाफा	बीरचंद्रनगर	ईएमआरएस बीरचंद्रनगर	1998—99	कार्यशील	पूर्ण	210	210	420
561	त्रिपुरा	खोवाई	तुलाशीखर	पसचिम राजनगर	ईएमआरएस राजनगर	2010—11	कार्यशील	पूर्ण	206	214	420
562	त्रिपुरा	गोमती	अमरपुर	पुरबा दुलुमा	ईएमआरएस पूर्बा दुलुमा	2016—17	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
563	त्रिपुरा	धलाई	अम्बासा	पुरबा नालिचरा	ईएमआरएस पूर्वी नालिचरा	2016—17	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
564	त्रिपुरा	धलाई	छमनु	छमनु	ईएमआरएस छमनू	2018—19	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
565	त्रिपुरा	गोमती	किल्ला	किल्ला	ईएमबीडीएस किला	2018—19	अकार्यशील	प्रगति पर	30	30	60
566	त्रिपुरा	सिपाहीजला	जम्पुइजला	प्रवापुर	ईएमआरएस जम्पुइजाला	2018—19 (Old)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

क्र. सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	ग्राम/बस्ती	विद्यालय का नाम	स्वीकृति का वर्ष	कार्यशील/अकार्यशील	भवन की स्थिति	नामांकन (2019–20)		
									पुरूष	महिला	कुल
567	त्रिपुरा	गोमती	रूपाचारी	रूपाचारी	ईएमआरएस रूपाचारी	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
568	त्रिपुरा	खोवाई	मुनगीकुमी	मुनगीकामी	ईएमआरएस मुनगीकामी	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
569	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	हिजामारा	हिजामारा	ईएमआरएस हिजामारा	2019–20	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
570	त्रिपुरा	गोमती	करबूक (सिलाचारी)	करबुक	ईएमआरएस करबुक	2019–20	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
571	त्रिपुरा	धलाई	मनु	मनु	ईएमआरएस मनु	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
572	त्रिपुरा	खोवाई	पद्मबिल	पद्मबिल	ईएमआरएस पद्मबिल	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
573	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	मण्डी	मांडवी	ईएमआरएस मांडवी	2020–21	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0
574	उत्तर प्रदेश	खेरी	पलिया	सौनहा	ईएमआरएस सौनहा	1997–98	अकार्यशील	पूर्ण	183	200	383
575	उत्तर प्रदेश	बहरीच	मिहिनपुरवा	बोझिया	ईएमआरएस बोझिया	2010–11	अकार्यशील	पूर्ण	45	45	90
576	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	चोपन	पीपरखंड	ईएमआरएस पीपरखंड	2010–11	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
577	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	बार	बानपुर	ईएमआरएस ललितपुर	2016–17	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
578	उत्तराखण्ड	देहरादून	देहरादून (कलसी)	कलशी (जोगला)	ईएमआरएस कलशी	2003–04	कार्यशील	पूर्ण	200	193	393
579	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	बजपुर	दियोहारी	ईएमआरएस बाजपुर	2017–18	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
580	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	खटीमा	खटीमा	ईएमआरएस खटीमा	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	प्रगति पर	0	0	0
581	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	नगराकाटा	सुलकापारा	ईएमआरएस नागराकाटा	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	228	169	397
582	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	खतरा	गोराबारी	ईएमआरएस मुकुटमणिपुर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	204	196	400
583	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	मनबाजार – II	शुसीना	ईएमआरएस सुसुनिया	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	214	175	389
584	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धमान	कंकसा	रघुनाथपुर	ईएमआरएस रघुनाथपुर	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	200	177	377
585	पश्चिम बंगाल	झारग्राम	झारग्राम	झारग्राम (सत्यवानपल्ली)	ईएमआरएस सत्यबंनपल्ली	1997–98	कार्यशील	पूर्ण	197	193	390
586	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	बोलपुर श्रीनिकेतन	कांकुटिया	ईएमआरएस कंकुटिया	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	202	201	403
587	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	बंशीहारी	कुअरसाई	ईएमआरएस कुमरसाई	2005–06	कार्यशील	पूर्ण	185	196	381
588	पश्चिम बंगाल	कलिम्पोंग	कलिम्पोंग	कलिम्पोंग	ईएमआरएस कलिम्पोंग	2018–19 (पुराना)	अकार्यशील	चालू नहीं	0	0	0

अनुलग्नक–8ख

2020–21 के दौरान ईएमआरएस के लिए आवर्ती लागत हेतु राज्य ईएमआरएस सोसायटी को निर्मुक्त निधि (31.12.2020 तक)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	2,799.12
2	अरुणाचल प्रदेश	–
3	असम	–
4	छत्तीसगढ	6,508.12
5	गुजरात	4,684.46
6	हिमाचल प्रदेश	255.06
7	झारखंड	1,641.13
8	कर्नाटक	2,495.83
9	केरल	–
10	मध्य प्रदेश	10,583.36
11	महाराष्ट्र	2,337.16
12	मणिपुर	1,177.20
13	मिजोरम	323.73
14	नागालैंड	285.51
15	ओडिशा	4,758.67
16	राजस्थान	4,044.17
17	सिक्किम	800.33
18	तमिलनाडु	1,008.29
19	तेलंगाना	3,237.30
20	त्रिपुरा	1,411.65
21	उत्तर प्रदेश	386.68
22	उत्तराखंड	321.28
23	पश्चिम बंगाल	1,262.45
	कुल	**50,321.50**

अनुलग्नक–8ग

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (31.12.20 तक निर्मुक्ति)
			लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार	5.00	222	5.62	249	12.33
2	आंध्र प्रदेश	1210.81	0	736.32	28124	1433.80
3	असम	0.00	12933	0.00	2869	-
4	बिहार	0.00	46096	7131.47	46096	-
5	छत्तीसगढ	4755.63	194413	4796.94	143986	1614.55
6	दादर और नगर हवेली	20.00	4399	38.49	5044	234.00
7	दमन और दीव	0.00	332	5.89	262	-
8	गोवा	80.83	3582	80.56	3332	41.35
9	गुजरात	4482.31	0	5248.34	0	2198.84
10	हिमाचल प्रदेश	38.91	3494	83.92	2709	-
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	25920	0.00	0	-
12	झारखंड	2345.92	119877	1514.49	106761	-
13	कर्नाटक	1256.31	62126	1846.92	87364	-
14	केरल	308.73	12121	287.31	7858	116.56
15	लद्दाख	0.00	0	0.00	0	42.27
16	मध्य प्रदेश	5884.33	359092	7698.9	318870	5429.34
17	मणिपुर	773.00	21006	443.33	24760	-
18	मिजोरम	319.79	14880	702.21	16890	167.86
19	नागालैंड	0.00	0	0.00	2000	60.75
20	ओडिशा	6665.88	204916	6157.65	219875	3923.12
21	राजस्थान	1716.12	136915	5346.97	184163	3126.90
22	सिक्किम	7.97	247	3.57	415	9.41
23	तमिलनाडु	0.00	12800	589.74	13423	241.00
24	तेलंगाना	693.84	354	0.00	5570	-
25	त्रिपुरा	0.00	12353	386.18	10980	82.13
26	उत्तराखंड	0.00	2572	0.00	2829	-
27	पश्चिम बंगाल	584.62	33870	894.18	36962	788.22
	कुल	**31150.00**	**1284520**	**43999.00**	**1271391**	**19522.44**

अनुलग्नक–8घ

अ.ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसके लाभार्थियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018–19		2019–20		2020–21 (31.12.20 तक निर्मुक्ति)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	10.09	544	11.34	447	13.29
2	आंध्र प्रदेश	13945.02	71687	7797.07	158195	6039.35
3	अरुणाचल प्रदेश	1883.82	18863	6113.41	20500	5712.96
4	असम	3248.03	26867	4867.20	25163	5413.54
5	बिहार	0.00	9950	1525.43	13938	708.22
6	छत्तीसगढ	4609.57	143320	7022.69	144453	4336.77
7	दादर और नगर हवेली	0.00	0	88.66	2327	1688.14
8	दमन और दीव	3.41	196	0.00	351	-
9	गोवा	536.26	4442	732.79	5870	458.18
10	गुजरात	32429.12	214605	14004.48	202667	22977.64
11	हिमाचल प्रदेश	278.15	10747	2468.81	3774	-
12	जम्मू और कश्मीर	637.93	16905	1048.29	0	-
13	झारखंड	5281.32	73385	7862.86	79823	-
14	कर्नाटक	7341.33	101059	15003.43	118083	-
15	केरल	2674.37	16111	1641.52	16583	3285.25
16	लद्दाख	0.00	0	0.00	0	738.00
17	मध्य प्रदेश	13405.24	272714	12198.58	244126	12344.00
18	महाराष्ट्र	15238.15	147262	15575.38	139550	18149.52
19	मणिपुर	2026.76	59661	6235.55	57773	-
20	मेघालय	2457.52	35305	0.00	0	-
21	मिजोरम	3528.21	51983	4415.78	44311	3446.82
22	नागालैंड	4716.66	28949	3268.73	40164	3226.37
23	ओडिशा	14801.92	185888	16640.15	171532	12824.01
24	पुदुचेरी	-	-	-	-	19.56
25	राजस्थान	13598.95	135523	25950.52	286652	16340.17
26	सिक्किम	1134.36	2962	566.80	5159	553.83
27	तमिलनाडु	3933.65	21605	5025.19	0	3328.99
28	तेलंगाना	9921.68	153845	19610.6	130007	27297.83
29	त्रिपुरा	3626.55	23020	2355.78	23720	2931.46
30	उत्तर प्रदेश	1210.54	2779	1822.71	0	2218.67
31	पश्चिम बंगाल	2219.39	90395	2411.00	62234	2256.42
	कुल	**164698.00**	**1928907**	**186264.75**	**1997402**	**156308.99**

अनुलग्नक–9क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों के नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		बोडो गडाबा
3		गुटोब गडाबा
4		डोंगरिया खोंड
5		कुटियाखोंड
6		कोलम
7		कोंडारेड्डी
8		कोंडोसवारा
9		बोंडो पोरजा
10		खोंड पोरजा
11		पारेंगी पोरोजा
12		थोटी
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरिजिया
16		हिल खारिया
17		कोरवा
18		मल पहारिया
19		परहइया
20		सौरिया पहारिया
21		सावर
22	गुजरात	कोलघा
23		कथोडी
24		कोतवालिया
25		पधार
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनू कुरुबा
28		कोरागा
29	केरल	चोलानाइकायन(कट्टूनायकन का एक क्षेत्र)
30		कदार
31		कट्टूनायकन
32		कोरागा
33		कुरुम्बा
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबूझ मारिया
35		बैगा
36		भारिया

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों के नाम	पीवीटीजी का नाम
37		बिरहोर
38		हिल कोरबा
39		कमार
40		सहारिया
41	महाराष्ट्र	कतकारी
42		कोलम
43		मारिया गोंड
44	मणिपुर	मारम नागास
45	ओडिशा	चुकटिया भुंजिया
46		बिरहोर
47		बोंडो
48		डिडाई
49		डोंगरिया खोंड
50		जुआंग
51		खारिया
52		कुटिया कंध
53		लानजिया सौराव
54		लोधा
55		मनकिर्दिया
56		पौडी भूयान
57		साउरा
58	राजस्थान	सेहारिया
59	तमिलनाडु	इरुलर
60		कट्टूनायकन
61		कोटा
62		कुरुम्बा
63		पानियान
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रियांग
66	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बुकसा
67		राजी
68	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69		लोधा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानी
72		जारवा
73		ओन्गी
74		सेंटिनेली
75		शोमपेन

अनुलग्नक–9ख

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि का सारांश (31.12.2020 तक)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1.	आंध्र प्रदेश	1837.00	3713.43	1245.51
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	1051.50	1311.35	494.50
5.	गुजरात	604.00	429.05	276.10
6.	झारखंड	3295.79	847.00	1136.06
7.	कर्नाटक	460.00	1933.01	219.23
8.	केरल	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	7998.09	8064.89	1094.05
10.	महाराष्ट्र	1230.26	2510.00	753.67
11.	मणिपुर	1157.55	0.00	0.00
12.	ओडिशा	3626.00	976.38	394.75
13.	राजस्थान	1008.00	968.10	484.00
14.	तमिलनाडु	0.00	819.48	551.08
15.	तेलंगाना	533.00	538.50	370.00
16.	त्रिपुरा	789.53	1960.82	115.715
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	41.02
18.	उत्तराखंड	565.86	489.53	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	843.42	437.47	0.00
	कुल	**25000.00**	**24999.01**	**7175.68**

अनुलग्नक–10क

"टीआरआई को सहायता" स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्ति 2019–20 (लाख रुपए में)			कुल निर्मुक्ति 2020–21 (31.12.2020 तक) (लाख रुपए में)		
		जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	150.00	350.00	500.00	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	71.20	852.65	923.85	-	-	-
4	असम	70.70	164.94	235.64	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	-	-	-
6	गुजरात	515.72	1203.34	1719.06	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	20.41	47.64	68.05	-	-	-
8	जम्मू और कश्मीर	92.65	216.19	308.84	-	-	-
9	झारखंड	496.36	1158.14	1654.50	-	-	-
10	कर्नाटक	55.65	129.85	185.50	-	-	-
11	केरल	0.00	0.00	0.00	-	-	-
12	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	-	-	-
13	महाराष्ट्र	42.30	98.70	141.00	-	-	-
14	मणिपुर	203.10	673.90	877.00	-	-	-
15	मिजोरम	369.00	1143.00	1512.00	0.00	1048.22	1048.22
16	नागालैंड	109.62	165.38	275.00	-	-	-
17	ओडिशा	234.01	546.03	780.04	-	-	-
18	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	-	-	-
19	सिक्किम	24.75	57.75	82.50	-	-	-
20	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	-	-	-
21	तेलंगाना	167.17	390.08	557.25	-	-	-
22	त्रिपुरा	100.66	234.86	335.52	-	-	-
23	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	-	-	-
24	पश्चिम बंगाल	44.77	104.48	149.25	-	-	-
25	मेघालय	0.00	0.00	0.00	-	-	-
26	उत्तराखंड	229.92	463.08	693.00	-	-	-
	कुल	**2997.99**	**8000.01**	**10998.00**	**-**	**-**	**-**

अनुलग्नक–10 ख

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर – 744101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, आदिम जाति कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, राजस्व कॉलोनी, विजयवाड़ा – 520010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जनजातीय मामले, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी–सेक्टर। नाहरलागुन, पिनः 791110, अरुणाचल प्रदेश।
4	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहर नगर, एन.एच.–37, गुवाहाटी–781022
5	जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर –4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014,गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला– 171005, हिमाचल प्रदेश
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, झारखंड सरकार, मोराबाड़ी रोड, रांची – 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, नागरिक सचिवालय, जम्मू 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सरकार, सं. 15ध्40, अनिकेतन रोड कुवेम्पुनगर, मैसूर –570023
11	केरल अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अध्ययन, केरल सरकार, कोजिकोड–673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल– 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वीन्स गार्डेन, पुणे –411011

क्र.सं.	पता
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार, चिंगमिरांग, इंफाल–795001
15	अ.जा.ध्अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा सरकार, इकाई–VIII, सीआरपी स्क्वेर, भुवनेश्वर–751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पो. बॉक्स नं. 86, उदयपुर–313001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, सम्य कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5 वीं माइल, लमसे, तडोंग, गंगटोक –737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु सरकार, एम. पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरि जिला, तमिलनाडु, ऊटी–643004
19	टीसीआर एवं टीआई, तेलंगाना सरकार, डीएसएस भवन, मसब टैंक, हैदराबाद–500028
20	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेक चोवेमाहुई, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा– 799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, पी 6–1/4 सीआईटी योजना, VII–एम, वीआईपी रोड, कांकुरगाछी, कोलकाता–700054
22	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खंड–गोमती नगर, लखनऊ –226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाजिक कल्याण निदेशालय, चलटंग, आइजोल, मिजोरम 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, नागालैंड।
25	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, सुभाष रोड, , सचिवालय, देहरादून – 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबाडम, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय

अनुलग्नक–11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
वर्ष 2020–21 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2020 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी	सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	14	33
2.	छत्तीसगढ	15	78
3.	हिमाचल प्रदेश	-	2
4.	केरल	63	152
5.	मध्य प्रदेश	591	1930
6.	मणिपुर	37	53
7.	मेघालय	2	9
8.	मिजोरम	410	902
9.	नागालैंड	28927	48211
10.	ओडिशा	950	1913
11.	त्रिपुरा	102	445
12.	तेलंगाना	178	565
13.	उत्तराखंड	-	2
14.	पश्चिम बंगाल	1567	1607
	कुल	**32856**	**55902**

अनुलग्नक–13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के पते एवं कार्यअधिकार क्षेत्र

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	संपर्क विवरण	अधिकार–क्षेत्र (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
1.	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52–क, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011 (मध्य प्रदेश)	अनुसंधान अधिकारी दूरभाष संख्याः 0755 2576530 0755 2578272 (फैक्स), ईमेलः ro-bhopal@ncst.nic.in	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, और लक्षद्वीप
2.	एन–1/297 आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर–751015 (ओडिशा)	सहायक निदेशक दूरभाष संख्याः 0674 2551616, 0674 2551818 (फैक्स), ईमेलः robbsr@ncst.nic.in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुदुचेरी
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023 (राजस्थान)	निदेशक दूरभाष संख्याः 0141 2236462, 0141 2235488 (फैक्स) ईमेलः ro-jaipur@ncst.nic.in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ।
4.	ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16, प्रथम तल जिला न्यायालय के पीछे, पूर्णिमा विद्यालय के समीप रायपुर–492001 (छत्तीसगढ़)	अनुसंधान अधिकारी, दूरभाष संख्याः 0771 2443334 0771 2443335 (फैक्स), ईमेलः ro-raipur@ncst.nic.in	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची–834002 (झारखंड)	सहायक निदेशक दूरभाष संख्याः 0651 2341677, 0651 2340368 (फैक्स), ईमेलः ro-ranchi@ncst.nic.in	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमिरे, शिलांग–793001 (मेघालय)	सहायक निदेशक, दूरभाष संख्याः 0364 2504202 0364 2221362 (फैक्स), ईमेलः ro-shilong@ncst.nic.in	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा

अनुलग्नक–14क (i)

2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के तहत वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
आंध्र प्रदेश								
1	ग्राम अभ्युदय सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट,6 वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला अनंतपुर, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2584299	185	2303961	200	651307	100
2	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.नं.15–155, मयलावरम (वीएंडएम), गड्डामनुगु, कृष्णा जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	2959425	400	2349951	400	569976	200
3	एकीकृत रूरल इम्प्रूवमेंट (शिरी) के लिए सोसाइटी, 7/163–ए प्रकाश रोड, जिला–अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4412710	300	325521	100	-	-
4	सिंहपुरी विद्या सेवा समिति, सोमशेखर पुरम, नेल्लोर–जिला, आंध्र प्रदेश	10–बिस्तर वाला अस्पताल	2919920	19081	2093035	17950	-	-
5	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुसंधान केंद्र, 16–11–131,पोगाथोटा, नेल्लोर, 524, 001	10 से अधिक बिस्तर वाला अस्पताल	-	-	3084750	8256	2634019	12215
	कुल		**12876354**	**19966**	**10157218**	**26906**	**3855302**	**12515**
अरुणाचल प्रदेश								
6	अरुणाचल पली विद्यापीठ, चंगखाम, जिला लोहित, अरुणाचल प्रदेश		479100	2393	2139472	2510	2937375	2139
7	बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सोसायटी, ऊपरी गाम्पा, पीओ /पी.एस बमदिला, जिला वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	6795737	535	-	-	1050573	225
8	बुद्धिस्ट सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, ग्राम/पोस्टः तवंग, जिला–तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1580895	198	-	-	-	-
9	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला–तिरप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	15305392	16723	10630627	13542	-	-
10	आर.के. मिशन, पोस्टः विवेकानन्दनगर, अलोंग, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, छात्रावास सचल पुस्तकालय सह ए.वी. इकाई	14735580	52969	888786	12679	3081902	19720

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
11	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट–रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	1313337	19504	15514473	180034	-	-
12	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोंसा, जिला तिरप, पिन– 786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	7516140	600	6422329	600	-	-
13	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समाराक सदन, नई दिल्ली 110055 (हेडक्वार्टर) परियोजना रूप में	छात्रावास	985163	100	-	-	-	-
	कुल		**48711344**	**93022**	**35595687**	**209365**	**7069850**	**22084**
असम								
14	भारत सेवाश्रम (गुवाहाटी शाखा) असम एटी– ग्राम– गंगनहर, जिला–छाचर, असम	आवासीय विद्यालय	1351107	100	-	-	-	-
15	डा. अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपातरी, जिला कामरुप, असम	10–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	4717350	52486	229510	9844	-	-
16	ग्राम विकास परिषद, पताःरंगालो, जिला नगाँव, असम	सचल औषधालय	1142250	11072	2358919	6960	-	-
17	पथारी वोकेशनल इंस्टिट्यूट, पता–टॉप फ्लोर, बार लिब्रींग, जिला–नगाँव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	323100	30	-	-	-	-
18	आर.के.मिशन आश्रम, उलुबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय	2345066	26416	1626134	23808	-	-
19	आर.के मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	1200768	64	223655	64	-	-
20	सदाउ असोम ग्राम्य पुथिभराल संस्था, टेलीपती, चन्यसाई रोड, जिला नगाँव, असम	पुस्तकालय और गैर–आवासीय विद्यालय	1804078	1176	305590	345	-	-
21	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ. पनिगांव, जिला–नगांव, असम –782001		1151402	5674	-	-	-	-
22	दयानन्द सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकजन, कारबी, एंगलोंग, असम(अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) बोकजन में परियोजना–2 इकाइयां, जपारजन और दिफु	छात्रावास (4 इकाई)	4841831	350	178729	50	-	-
23	सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य विकास समिति असम सदन में न. 35 सिक्स मील जयनगर रोड गुवाहाटी 781022 असम	सचल औषधालय	-	-	1290868	8080	-	-
	कुल		**18876952**	**97368**	**6213405**	**49151**	**0**	**0**

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
छत्तीसगढ़								
24	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, पता/पी.ओ.: बुधवानी, जिला राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	4295678	275	1995000	182	-	-
25	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, कल्याण एवं सेवा (विश्वास), छत्तीसगढ़	3 हेल्थ पोस्ट और 1 फेयर शॉप	651330	8296	-	-	-	-
26	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, दिव्यांग एग्री. प्राटी व संबद्ध विषय, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और सीटीसी	6086303	3000	5862900	4380	-	-
	कुल		**11033311**	**11571**	**7857900**	**4562**	**0**	**0**
गुजरात								
27	भारत सेवाश्रम संघ, पता/पी.ओ.– डेडियापाड़ा, जिला – नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	1944113	33495	1786556	24906	-	-
28	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर– आवासीय विद्यालय (सह–शिक्षा), सचल औषधालय (4), मोबाइल ए वी यूनिट	8989380	144865	8451520	134612	2444150	71457
29	भारत यात्रा केंद्र, पता/पी.ओ.–डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, पिन– 393040, गुजरात	छात्रावास	1696005	127	724000	96	-	-
30	आईएनआरईसीए, रायपिपला रोड, टिमबापड़ा, डेडियापाड़ा, जिला–नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	2060762	200	1628120	200	-	-
31	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, पीओ–सनाली, तालुका–दांता जिला.–बनासकांठा, गुजरात	आवासीय विद्यालय	-	-	2450331	166	-	-
	कुल		**14690260**	**178687**	**15040527**	**159980**	**2444150**	**71457**
हिमाचल प्रदेश								
32	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ऑफ की गोम्पा, पी.ओ.: की गोम्पा, जिला–लाहोल और स्पिती, हिमाचल प्रदेश		1950362	300	1686279	200	-	-
33	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पी.ओ. बोक्स नं.98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला–कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5664627	470	-	-	-	-
34	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, पता–टबो, जिला–लाहोल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश.	आवासीय विद्यालय	6862813	507	4741709	500	-	-
35	35रामधा बुद्धिस्ट सोसाइटी, गांव/पी.ओ..: सिधपुर, वाया–दरी, नोरबुलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1815885	200	1683686	200	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
36	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील–धर्मशाला, ग्राम काजाताह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस), मुन्सेल–लिंग –305, रंगरिक, जिला लाहौल और स्पीति	9222500	393	8049410	782	2132958	240
37	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीती डेवलेपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील– धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम कज़ाताह, स्पीति जिला लाहौल स्पीटी (प्राथमिक सह–शिक्षा)	2499525	592	1078669	200	-	-
कुल			**28015712**	**2462**	**17239753**	**1882**	**2132958**	**240**
जम्मू और कश्मीर								
38	हिमालयन बुद्धिष्ट कल्चरल सोसाइटी, ग्रा.: गुलाबगढ़, पी.ओ.: अथौली, जिला–डोडा, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1968822	100	-	-	-	-
39	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, देवचरण साहू डीएचओ, पी.ओ. 22 लेह लद्दाख 194101 जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	-	-	1587901	366	-	-
कुल			**1968822**	**100**	**1587901**	**366**	**0**	**0**
झारखण्ड								
40	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पता/पो./जिलाः पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	10770657	591	6896331	2238	1327724	200
41	भारत सेवाश्रम संघ (सोनरी), सोनरी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन–831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत और बांस, एवी यूनिट, के एंड वीविंग सेंटर (2), 20–बिस्तर वाला अस्पताल (2) तथा आवासीय विद्यालय (2) तथा पीवीटीजी	80486996	315236	42371254	209849	-	-
42	भारत सेवाश्रम संघ, पता– पथरा, पो.– रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2) 20–बिस्तर वाला अस्पताल सचल औषधालय	20004390	57158	10344086	35022	953839	150
43	भारत सेवाश्रम संघ (रांची इकाई) देवी मंडप रोड़, तुपुदाना, पीओ. हतिया, रांची– 834003	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	5235841	13018	5157571	9394	-	-
44	आर.के.मिशन मठ, पता/पी.ओ./जिलाः जामतारा–815351, झारखण्ड	सचल औषधालय	984790	3950	-	-	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
45	आर.के. आश्रम विवेकानंद सोसायटी, बिस्तुरपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड	छात्रावास, सचल औषधालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टंकण और आशुलिपि केंद्र, मोबाइल–लाइब्रेरी–सह–एवी यूनिट	2880659	77817	2059623	41308	-	-
46	46आर.के. मिशन आश्रम, मुरेबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान इकाई, सचल औषधालय, सचल पुस्तकालय, पुस्तकालय	2632938	23988	4256193	11331	856688	11712
47	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	50–बिस्तर वाला अस्पताल ग्राम ढूंगरी, ब्लॉक–नामकुम	5411988	36399	11780246	21417	-	-
48	भारत सेवाश्रम संघ (बराजुरी इकाई) घाट सिला, झारखण्ड	कृषि प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, बुनाई प्रशिक्षण केंद्र और रस्सी बनाना शिक्षण केंद्र बनाना	4546063	10973	3937831	7792	-	-
49	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची,झारखण्ड	70–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	9962048	106505	19408503	165355	854459	51008
50	विकास भारती बिशनुपुर, ब्लॉक बिशनुपुर, जिला–गुमला–835231 झारखण्ड	आवासीय विद्यालय	-	-	1341225	120	757554	100
	कुल		**142916370**	**645635**	**107552863**	**503826**	**4750264**	**63170**
कर्नाटक								
51	आशीर्वाद रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच.बी. कॉलोनी, जिला–गुडीबन्डे, कर्नाटक	10–बिस्तर वाला अस्पताल	3508739	41064	2339600	22562	-	-
52	भारती ऐजुकेशनल ट्रस्ट, पता–पथापल्ली तालुक, बगेपल्ली, जिला कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2851335	200	2187690	200	-	-
53	डा. अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी (आर), पता–नालकुडूर गोमाला, नालकुडूर, पिन–577544, चन्नागिरी तालुक, देवेंगेरी जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2424476	174	492739	96	-	-
54	हरिहरा ग्रामीणवृद्धि संघ, चिक्काबाल्लपुर तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	1277250	13561	778800	19122	295064	10124
55	55प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता–गेराहल्ली, चिक्काबाल्लपुर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2700450	200	2160360	200	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
56	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी, सेदाम रोड, जगत, जिला–गुलबरगा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2851223	191	2195246	200	-	-
57	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला दावणगेरे, कर्नाटकआवासीय विद्यालय	आवासीय विद्यालय	2731129	184	1797368	180	-	-
58	श्री स्वामी सर्वधर्म शरानायला ट्रस्ट, रंगापुरा, जिला तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय तथा 10 बिस्तर वाला अस्पताल	4231294	32669	3570448	8723	-	-
59	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पी.ओ., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिला माइसोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय(2), 10–बिस्तर वाला अस्पताल (2) और सचल औषधालय	17714615	43446	8293049	27944	-	-
60	नवज्योति इंस्टीट्यूट फॉर हेल्प एंड रूरल डेवलेपमेंट, हवेरी, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	968247	90	-	-	-	-
61	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्लस, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन–571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल, गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	5513121	47480	795336	19681	-	-
62	समरपना विकास संगठन, रायचूर, कर्नाटक	छात्रावास	-	-	886833	86	-	-
	कुल		**46771879**	**179259**	**25497469**	**98994**	**295064**	**10124**
केरल								
63	श्री रामकृष्णा अदवैता आश्रम, पी.ओ. कालडी, जिला एनारकुलम, केरल	छात्रावास	1288319	102	-	-	-	-
64	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर, मुत्तिल, जिला– वयनाद, केरल	सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	2256625	61847	-	-	2005686	35607
65	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, पता–पेरिया–34, पी.ओ.रू पेरिया, जिला वयनाद, केरल	आवासीय विद्यालय	1204947	110	-	-	-	-
66	विनोबा निकेतन, पीओरू विनोबा निकेतन, जिला त्रिवेंद्रम, केरल	छात्रावास और मोबाइल डिस्पेंसरी	-	-	-	-	-	-
67	वयनाड गिरीजन सेवा ट्रस्ट, मट्टीलयम पोस्ट, वीलामुंडा (द्वारा) वैयनाड जिला, केरल–670731	आवासीय विद्यालय	2980201	200	-	-	2173500	200
	कुल		**7730092**	**62259**	**0**	**0**	**4179186**	**35807**
मध्य प्रदेश								
68	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पी.ओ. अमरपुर, जिला डिनडोरी, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	616075	100	-	-	-	-
69	सांसद आदिवासीसेवक संघ, जयसिंह नगर शहडोल, म.प्र	आवासीय विद्यालय	5147005	373	32495	197	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
70	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	4930880	327	647545	133	-	-
71	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	5525969	390	-	-	524731	197
72	72पांडे शिक्षा समिति, मध्यप्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	2397325	197	-	-	2521250	162
73	बंधेवाल शिक्षा समिति, नसरुल्लागंज, जिला–सेहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय	1634513	200	1351990	200	-	-
74	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्रा.– सिद्धपुर (दुभ), पी.ओ. –सेमिरि हरिचंद, तहसील–बबाई, जिला– होसंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1245861	100	-	-	-	-
75	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166–ई, उज्जैन म.प्र.	आवासीय विद्यालय	2868907	190	2202177	180	-	-
76	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल पता–तिकारिया, जिला–डिनडोरी, म.प्र.	गैर–आवासीय विद्यालय	2172318	200	1833200	200	-	-
77	पुष्पा कोनवेंट शिक्षा समिति, सी–537–538, पुष्पा नगर कॉलोनी,भोपाल–462010 (म.प्र.)	गैर–आवासीय विद्यालय	1647711	200	-	-	-	-
78	रामा एज्युकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, वरियालखेडा, मलिबाया, ब्लॉक– रहती, जला– शहोर, भोपाल, एमपी	गैर–आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2000318	269	1331956	194	-	-
79	सेवा भारती (मध्य प्रदेश) मातृछाया (शिशु केन्द्र), स्वामी रामतीर्थ नगर, नया मैदा मिल, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462011, एमपी	आवासीय विद्यालय(2), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3) तथा छात्रावास (2)	508397	40	-	-	-	-
80	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्युट, 7–ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय मझगवां में, सतना जिला, म.प्र (बालिकाएं)	-	-	2852051	240	-	-
	कुल		**30695279**	**2586**	**10251414**	**1344**	**3045981**	**359**
महाराष्ट्र								
81	जय हिन्द मित्र मंडल, कोल्हा, जिला–फुलवानी, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय (2013–14 से)	4298022	288	2135734	200	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
82	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, बसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय (बसर) और आवासीय विद्यालय (वरूड)	5020964	400	4554338	400	-	-
83	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने, मालेगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय (2013–14 से)	2949660	200	2088934	200	-	-
84	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी, प्रतापपुर, तहसील तलोडा, जिला–नन्दुरवार–425413, महाराष्ट्र	छात्रावास	2173748	200	246406	100	-	-
85	श्री स्वामी श्याम सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला– धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2290216	200	4798417	9113	-	-
86	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नन्दगांव, तहसील, नन्दगांव, जिला–नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय	3009038	200	2160742	200	-	-
87	उज्ज्वल रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पता/पी.ओ. नेवाडे, तहसील–सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	1726402	180	1394100	160	964351	120
88	चंद्रराई महिला मंडल, पता/पी.ओ.–पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2592405	300	5194350	600	-	-
89	तापी प्रसार एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट, पता–नेवाडे, जिला–धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2308905	200	3423836	300	-	-
90	राजमाता शिक्षण प्रसारक मण्डल, पता–दाईथान, तालुका– अशति, जिला–बीड़, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2772669	185	1961622	200	-	-
91	श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोटुल, तालुका–अकोले, जिला–अहमदनगर, पिन 422610 (महाराष्ट्र)	आवासीय विद्यालय	1348980	100	7576221	548	-	-
92	महामानव बाबा आम्टे बहुद्देशीय सामाजिक विकास सेवा संस्था, पता– पोस्ट चिकली, तालुका–श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर पिन–413728	छात्रावास	740535	97	-	-	239534	97
93	श्री महागणपति समाजसेवी संगठन, पी.ओ. –वदनेर बीके, तालुका–पारनेर, जिला अहमदनगर, पिन–414306		-	-	2209301	114	-	-
94	मलमाथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर, धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	-	-	4516502	306	-	-
	कुल		**31231544**	**2550**	**42260503**	**12441**	**1203885**	**217**

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
मणिपुर								
95	आदिम जाति शिक्षा आश्रम, चिंग मेरोंग खोंगनांग एनी करक, डी.एम. रोड, इम्फाल प. जिला इम्फाल मणिपुर – 795001 (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थक्कर बापुर स्मारक सदन की यूनिट नई दिल्ली–110055 (इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास	988133	75	2292300	200	1245679	100
96	चिल चिल एशियन मिशन चौम्प कैम्पस, कांगलातोंगबाई, 795151, सेपापती मणिपुर	आवासीय विद्यालय	-	-	4639500	600	3002063	200
97	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्लस, तमंगलोग, मुख्यालय, पिन–795141,मणिपुर	आवासीय विद्यालय	5086170	300	2636790	200	-	-
98	इंटेग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन, (आईईएसडीओ)? इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	-	-	2271780	272	3748365	212
99	इंटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट एण्ड एज्युकेशनल ऑर्गनाइजेशन, वंगबाल, पी.ओ. थोबाल,मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	2944214	216	6285432	272	-	-
100	रुरल एजुकेशनल और सोशियो–इकोनोमिक्स डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, (आरईएयईडीओ) पता–थंगा टोंगब्राम लेकाई, बीपीओ थंगा, जिला बिशनुपुर,मणिपुर	गैर–आवासीय विद्यालय	938250	100	-	-	-	-
101	सैमसिनपावलपी, (पैटे स्टूडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लेक्स, बुंगनूल, पी.ओ. बोक्स न.99, जिला–लम्का, पिन–795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	9248164	961	8783173	1000	2028780	500
102	टाईप राईटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रुरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल,, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	-	-	1469002	622	-	-
103	सोसाइटी फॉर वूमेनस एजुकेशन एक्शन एण्ड रेफलेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर), अथोकपाम खुनाउ, पी.ओ.–थोबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	706950	1216	1413900	2603	706950	1310
104	यूनिटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस), एचओरूहेरोक हेतुपोकपी, जिला–थाउबाल,मणिपुर	आवासीय विद्यालय	-	-	1593270	100	1410457	75

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
105	वोलुनट्रीस फॉर रुरल हेल्थ एण्ड ऐक्शन (वीओआरएचए), लामडिंग, वंग्गिंग,, मणिपुर	सचल औषधालय और टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	706950	1323	-	-	-	-
106	द नॉर्थ ईस्टर्न बॉयज स्काउट एंड गर्ल्स एसोसिएशन, मणिपुर		-	-	1712357	100	-	-
107	ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, सेनापति, मणिपुर	मोबाइल डिस्पेंसरी	-	-	-	-	706950	4810
108	108यूनिक ट्रस्ट, क्यामणी मायाई, लेखी इम्पाथल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर–795003	सचल डिस्पेंसरी	-	-	-	-	1111950	287
कुल			**20618831**	**4191**	**33097504**	**5969**	**13961194**	**7494**
मेघालय								
109	आर.के.मिशन, लैथुमख्रुम, पी.ओ. बोक्स–9,ब्लाक/मंडल, पो.ओ. शिलांग 793003 जिला ईस्ट खादी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय (2 इकाई)	2906138	57532	1888306	55405	-	-
110	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापुंजी, जिला ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी/एमई/माध्यमिक–गैर–आवासीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैर–आवासीय विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औषधालय, सीटीसी पुस्तकालय, एम.ए.वी. इकाई, कताई और बुनाई	79572242	125118	142226887	127838	-	-
111	नोंगक्रेम यूथ डेवलेपमेंट एसोसिएशन, पो–नोंगक्रेम, शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास और ग्रामीण रात्रि विद्यालय	-	-	1232460	125	-	-
कुल			**82478380**	**182650**	**145347653**	**183368**	**0**	**0**
मिजोरम								
112	मिजोरम हेमिथाई एसोशिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2900250	200	549810	100	-	-
113	सोशल गाइडेंश एजेंसी,, टुइकॉल (ए) 6 फ्लोर लालट चौक नियर सोलोमन केव, आइजोल 796001, मिजोरम	सचल औषधालय	1432180	7836	727134	5136	-	-
114	सोशल गाइडेंश एजेंसी,, टुइकॉल (ए) 6 फ्लोर लालट चौक नियर सोलोमन केव, आइजोल 796001, मिजोरम	सचल औषधालय	494370	80	1304347	80	1424047	529

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
115	थुतक नुनपुइटु ट्रीम, मुन्ना वेंग जुअनगटुई, मिजोरम, आईजोल 796014	आवासीय विद्यालय	4546456	286	2130237	186	-	-
	कुल							
नागालैण्ड								
116	दयानन्द सेवाश्रम संघ, नहारबार, जिला–दिमापुर, नागालैण्ड, (अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 315, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली की 1 इकाई)	छात्रावास	718015	50	-	-	-	-
117	वुमन वेल्फेयर सोसायटी, अटोइजु, दीमापुर, नागालैण्ड		525879	50	-	-	-	-
118	नागालैण्ड चिल्ड्रन होम, दिमापुर, पोस्ट नम्बर–10, पिन–797112, जिला–दीमापुर, नागालैण्ड	छात्रावास	559994	43	-	-	-	-
	कुल		**1803888**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**
दिल्ली								
119	भारतीय आदिम जातिसेवक संघ, ठक्कर बापा 5 मरमक सदन, डॉ. अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड), नई दिल्ली –55	छात्रावास	540869	50	-	-	631096	48
	कुल		**540869**	**50**	**0**	**0**	**631096**	**48**
ओडिशा								
120	आदिवासी सोशल और कल्चरल सोसाइटी पता/पी.ओ. कुचिंदा, जिला सम्बालपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1614870	100	-	-	-	-
121	सद्ज्योतिका, कटक, ओडिशा	छात्रावास	2169806	212	1671690	212	-	-
122	ऑरगेनाइजेशन फॉर द रूरल वुमन एंड यूथ डेवलेपमेंट, रघुनाथपुर, पी.ओ.–भोदुआसोले, विया–नालागाजा, जिला–मयूरभंज, पिन–757073	आवासीय विद्यालय	2962290	200	2462020	200	877640	100
123	मा बिन्ध्याबसिनी अनाथ शिक्षाश्रम, जगन्नाथपुर, पी.ओ.–जिल्लिंदा, पीएस–नारासिंहपुर, जिला–कुट्टक,ओडिशा पिन–754032	छात्रावास	749574	100	1806730	200	-	-
124	संकल्प,कटक, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	6720711	651	8205678	774	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
125	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर, पता– अश्वाखोला, पो.रूकारमुल, जिला धेनकानल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2906743	260	2706516	260	1771536	190
126	एसोशिएशन फॉर वोलुनटारी ऐक्शन पता–दिमापुर, जिला–पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2559397	200	2901908	200	-	-
127	बनवासी सेवा समिति, पो–बालीगुडा, जिला कंधमाल, पिन–762103, ओडिशा	छात्रावास	4428338	400	1625636	200	-	-
128	बंकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी, जिला–कुट्टक, ओडिशा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 इकाई)	[illegible]579902	250	1839385	200	-	-
129	नेहरु सेवा संघ, पता/ पी.ओ.रूबानपुर, जिला खुरडा, उड़ीसा	छात्रावास	1827916	158	2349623	272	-	-
130	निखिला उत्कल हरिजन सेवा संघ, निलादरी विहार, सल्लाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	1683821	150	2245095	150	3329843	300
131	आर.के.मिशन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास तथा पुस्तकालय	1586948	120	149872	60	-	-
132	आर.के. मिशन पुरी,पिन कोड़ 751002 ओडिशा	छात्रावास, सचल औषधालय और टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	1193782	140	312143	70	-	-
133	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजुर ओफिस बिल्डिंगस, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) प्रोजेक्ट पता– पडवा, जिला– कोरापुट, उड़ीसा	ओडिशा में सचल औषधालय	1837005	6829	208515	2800	-	-
134	सेवा समाज, पोस्टः गुनुपुर, जिला– रायगाडा, ओडिशा	छात्रावास	2363580	200	-	-	1299420	100
135	श्री आर.के.मिशन आश्रम, पी.ओ.– रामपुर, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि और संबद्ध विषय और मोबाइल और दिव्यांन में प्रशिक्षण	8739420	16274	3948721	27872	-	-
136	सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता विकास औरआर्थिक सेवा (स्वदेशी), गोपालबंधु नगर, फुलबनी, जिला– कालाहांडी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1579307	100	-	-	0	0
137	विश्वा जीवन सेवा संघ, पता– सारधापुर, जिला खुरदा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	4647252	400	4020926	400	0	0

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
138	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, 138 ईस्ट सिंहभुज पिन 831011जमशेदपुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय श्कश तथा 'ख' (2 इकाई), 10–बिस्तर वाला अस्पताल और बुनाई वन अधिकार अधिनियम, 2006 कताई हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र (सुंदरगढ़ में सभी परियोजनाएं) ओडिशा)	18632563	120754	4939513	49806	0	0
139	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठा, मनसापोले, जिला– जजपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	2724750	200	2338594	200	0	0
140	कलिंगा इंस्टीटयूट ऑफ इंड्रस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, कोल केम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (प्राइमरी और माध्यमिक)	148777436	18000	191473875	30000	0	0
	कुल		**222285411**	**165698**	**235206440**	**113876**	**7278439**	**690**
राजस्थान								
141	बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, पोस्ट बनस्थली विद्यापीठ, तहसील–नेवाई, जिला टोंक, पिन–304022, राजस्थान	ए और एन सहित एनई एसटी लड़कियों के लिए वजीफा योजना	6760975	254	3424438	170	1153687	90
142	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पी.ओ. भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1406862	80	-	-	-	-
143	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पी. ओ.– झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर, राजस्थान	गैर–आवासीय विद्यालय	4434115	770	841605	437	3534410	746
144	प्रेरणामूर्ति लोक कल्याण संस्थान, पूछियावाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान	गैर–आवासीय विद्यालय	-	-	1467532	172	1753943	169
	कुल		**12601952**	**1104**	**5733575**	**779**	**6442040**	**1005**
सिक्किम								
145	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, सिक्किम ऑफ गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	4337775	380	867555	190	-	-
146	मुयल लियांग ट्रस्ट, योंग्डा हिल्स, डीपीसीए, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	4163852	237	2178971	222	-	-
	कुल		**8501627**	**617**	**3046526**	**412**	**0**	**0**

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
तमिलनाडु								
147	न्यू लाइफ एजेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू) जिला वैल्लोर, तमिलनाडु	छात्रावास	2078588	150	-	-	-	-
148	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट, सेलम, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	9601451	1446	-	-	579975	189
149	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पी.ओ. कोयमबटूर, तमिलनाडु	20–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	9526951	111587	5880493	119942	1630070	37983
150	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, सईदापेट, पिन कोड– 600017, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	-	-	1564195	100	-	-
151	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन, कोटागीरि, नीलगिरि, तमिलनाडु	60–बिस्तर वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तर वाला अस्पताल, (3)सचल औषधालय	11706003	369436	12800437	71140	-	-
152	भारथिर्माक्कल नलवलुसंघम, 82, संन्यासी कुंडू एक्सट I, किचलिपालयम, सलेम–636015।	10 बिस्तर वाला अस्पताल	-	-	3992400	3048	-	-
153	सामुदायिक सेवा केंद्र, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	-	-	1845045	115	1564132	85
154	जीआरजी ट्रस्ट, कोयंबटूर, तमिलनाडु	गैर–आवासीय विद्यालय	-	-	2826182	274	-	-
	कुल		**32912993**	**482619**	**28908752**	**194619**	**3774177**	**38257**
तेलंगाना								
155	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11.10. 635/1, बुरहानपुरा, जिला खम्माम, तेलंगाना–507001	आवासीय विद्यालय	1367190	100	-	-	-	-
156	जीयर एजूकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कॉलोनी, डोमालगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	3996695	300	-	-	1625258	204
157	बंजारा सेवा समिति 7–1–57–2/ए, एस2, सनमुखा अपार्टमेंट डीके रोड, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना	छात्रावास	-	-	1096770	91	2981476	188
	कुल		**5363885**	**400**	**1096770**	**91**	**4606734**	**392**
त्रिपुरा								
158	बहुजन हिताय एजुकेशनल ट्रस्ट, पी.ओ., सबरुम, जिला साउथ त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	2700695	200	2170883	200	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
159	त्रिपुरा महिला आदिबासी महिला समिति, अगरतला, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	3071070	200	2485230	200	-	-
	कुल		**5771765**	**400**	**4656113**	**400**	**0**	**0**
उत्तराखंड								
160	अशोक आश्रम, पीओरू अशोक आश्रम, वाया डाकपत्थर, जिला– देहरादून, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	6689443	470	-	-	-	-
161	भारत की जनजातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पी.ओ. झाझरा, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड (झझारा में परियोजना, ब्लॉक सहसपुर, जिला देहरादून)	आवासीय विद्यालय	1314018	100	-	-	1344140	100
162	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पता/ पो. रूग्वालदन, जिला–चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	-	-	706950	1015	-	-
163	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, पता– कालसी, जिला– देहरादून, उत्तराखण्ड 2	छात्रावास (जूनियर,. प्राइमरी)	4087235	311	851220	56	729776	66
164	सरवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी,, पुणे, महाराष्ट्र (मुख्यालय) बाजपुर परियोजना उत्तराखण्ड	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	1290408	124	-	-	-	-
	कुल		**13381104**	**1005**	**1558170**	**1071**	**2073916**	**166**
पश्चिम बंगाल								
165	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), पता/ पो.: औरंगाबाद, जिला–मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	5210809	18086	705134	9701	-	-
166	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), पता– बलूरघाट, जिला–दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	हॉस्टल (6 यूनिट), लाइब्रेरी और मोबाइल लाइब्रेरी–सह एवी यूनिट	10369040	1000	9118627	1000	-	-
167	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाई), सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल और टंकण आशुलिपिक केन्द्र	13296262	32167	15212980	12443	-	-
168	भारत सेवाश्रम संघ (मूलूक) , वाई बोलपुर, जिला– बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाई) और बुनाई/कपडा और हैंडलूम	6902805	25311	6500983	25501	1608852	12096

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
169	भारत सेवाश्रम संघ (सूरि), एटी प्रानबानन्दा पाली पो.आ. सूरी 1 पिन 731204 जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	3195180	6500	2561420	6646	-	-
170	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1189060	100	-	-	1181790	100
171	भारत सेवाश्रम संघ (घाक्सोले), घाक्सोले इकाई, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	3270196	16580	2562367	16382	-	-
172	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली) ग्राम पंजिपुरकुर, जिला हूगली, प.बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	2426176	401	1643003	300	-	-
173	भारत सेवाश्रम संघ (रनघाट–पेरादंगा ब्रांच), ग्राम–कूसुरिया, पो.रूप्रीतिनगर, जिला–नोडिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (पी़एस) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और टंकण, सचल औषधालय	5539478	14641	3189206	320	1105661	12727
174	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पता/ पो. रघुनाथपुर जिला पुरुलिया, ,पश्चिम बंगाल	छात्रावास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2413960	230	232447	100	-	-
175	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	1178250	30993	2670139	20168	-	-
176	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर) ताजपुर यूनिट, जिला–मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2874398	18886	2251384	18920	-	-
177	भारत सेवाश्रम संघ (तेओर), ग्राम. पीओरू तेओर, जिला–दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	3959676	22502	3133434	22502	-	-
178	भारत सेवाश्रम संघ (कुनूर), गांव/पीओ–कुनूर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	2899819	300	5186644	358	-	-
179	बिकास भारती वेल्फेयर सोसायटी, 20d1बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल (हैडक्वार्टर) गोपीबालावपुर–II में प्रोजेक्ट, जिला– मिदनापुर	सचल औषधालय	685350	4778	-	-	-	-
180	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेंटर, ग्राम क्रांति, पो. क्रांतिहाट, जिला जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	3040469	200	-	-	-	-
181	गोहलडीहा जाति उपजाती ब्लू बर्ड महिला वेलफेयर सेंटर, गोहलडीहा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।	गैर–आवासीय विद्यालय	5814585	520	3468915	400	-	-

राज्य	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
182	हिमालयी बुद्दिस्ट सांस्कृतिक एसोसिएशन, बुद्ध काल, पता–सलगुरा, जिला–जालपागुरी, पश्चिम बंगाल–734318	गैर–आवासीय विद्यालय	-		3539439	171	-	-
183	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पेल्ली, पी.ओ.कोरा, चंड़ीगढ, मध्यग्राम, एन.24– परगना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल–743298	छात्रावास	1133365	87	-	-	-	-
184	आर.के. मिशन बॉयज हॉम, पी.ओ.–रहारा, जिला–नॉर्थ–24–परगना, कोलकाता–700118, पश्चिम बंगाल	छात्रावास–सह–आवासीय विद्यालय	2782373	200	2191376	200	701156	100
185	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट, बैकुण्ठपुर, दसपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	1088250	915	188850	462	629500	422
186	मिदनापुर वेस्ट सिस्टर निवेदिता वेलफेयर सोसाइटी, बेउंछा, सलबोनी, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	1297050	2752	840831	6200	-	-
	कुल		**80566551**	**197149**	**65197179**	**141774**	**5226959**	**25445**
	कुल योग		**891718431**	**2339893**	**807814850**	**1716678**	**74395242**	**289999**

अनुलग्नक–14क (ii)

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत वर्ष 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 50 लाख रुपये या उससे अधिक निधि पोषित की गई सहायता अनुदान वाले गैर–सरकार संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की राज्य–वार सूची'

(राशि रूपए में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक) राशि	लाभार्थी
अरूणाचल प्रदेश								
1	बौद्ध सांस्कृतिक संरक्षण सोसायटी, ऊपरी गाम्पा, पीओ/बमदिला, जिला वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	6795737	535	-	-	-	-
2	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला–तिरप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20–बिस्तर वाला अस्पताल	15305392	16723	10630627	13542	-	-
3	आर.के. मिशन, पोस्टः विवेकानन्दनगर, अलोंग, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, छात्रवास सह सचल पुस्तकालय ए.वी. इकाई	14735580	52969	-	-	-	-
4	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट–रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	-	-	15514473	180034	-	-
5	रामकृष्ण शारदा मिशन, पी.ओ. खोंसा, जिला तिरप, पिन– 786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	7516140	600	6422329	600	-	-
	कुल		**48711344**	**93022**	**35595687**	**209365**	**0**	**0**
असम								
छत्तीसगढ़								
5	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	6 छात्रावास, दिव्यांग एग्री. संबद्ध विषय, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और सीटीसी	6086303	3000	5862900	4380	-	-
	कुल		**11033311**	**11571**	**7857900**	**4562**	**0**	**0**
गुजरात								
6	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर– आवासीय विद्यालय (सह–शिक्षा), सचल औषधालय (4), मोबाइल ए वी यूनिट	8989380	144865	8451520	134612	2444150	71457
	कुल		**14690260**	**178687**	**15040527**	**159980**	2444150	71457

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक) राशि	लाभार्थी
हिमाचल प्रदेश								
7	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पी.ओ. नं.98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला–कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5664627	470	-	-	-	-
8	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, पता–टबो, जिला–लाहोल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	6862813	507	-	-	-	-
9	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पीती डेवलेपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील– धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुनसेल–लींग–305	आवासीय विद्यालय (पीएस), मुन्सेल–लिंग –305, रंगरिक, जिला लाहौल और स्पीति	9222500	393	8049410	782	-	-
	कुल		**28015712**	**2462**	**17239753**	**1882**	**0**	**0**
झारखंड								
10	भारत सेवाश्रम संघ (बाराजुरी इकाई) घाटशिला, झारखंड	कृषि प्रशिक्षण केंद्र, आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, बुनाई प्रशिक्षण केंद्र और रस्सी बनाना प्रशिक्षण केंद्र	10770657	591	6896331	2238	-	-
11	भारत सेवाश्रम संघ (सोनरी), सोनरी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन–831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत और बांस, एवी यूनिट, के एंड वीविंग सेंटर (2), 20–बिस्तर वाला अस्पताल (2) तथा आवासीय विद्यालय(2) तथा पीवीटीजी	80486996	315236	42371254	209849	-	-
12	भारत सेवाश्रम संघ, पता– पथरा, पी.ओ. – रानीश्वर, जिला–दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20 –बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	20004390	57158	10344086	35022	-	-
13	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) देवी मंडप रोड तुपुदाना पीओ– हटिया राची –834003	आवासीय विद्यालय और मोबाइल औषधालय	5235841	13018	5157571	9394	-	-
14	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	50–बिस्तर वाला अस्पताल ग्राम ढूंगरी, ब्लक–नामकुम	5411988	36399	11780246	21417	-	-
15	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	70–बिस्तर वाला अस्पताल और सचल औषधालय	9962048	106505	19408503	165355	-	-
	कुल							

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक) राशि	लाभार्थी
कर्नाटक								
16	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पी.ओ., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिला माइसोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय(2), 10–बिस्तर वाला अस्पताल (2) और सचल औषधालय	17714615	43446	8293049	27944	-	-
17	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्लस, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन–571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल , गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	5513121	47480	-	-	-	-
	कुल		**46771879**	**179259**	**25497469**	**98994**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश								
18	एमपी आदिवासी सेवक संघ, जयसिंह नगर, शहडोल, एमपी	आवासीय विद्यालय	5147005	373	-	-	-	-
19	पांडे शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश (नया आरएस)	आवासीय विद्यालय	5525969	390	-	-	-	-
	कुल		**30695279**	**2586**	**10251414**	**1344**	**0**	**0**
महाराष्ट्र								
20	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, एटः बसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राइमरी विद्यालय (बसर) और आवासीय विद्यालय (वरूड)	5020964	400	-	-	-	-
21	चंद्रमहिला मंडल, / पीओ– पिंपलर, जिला, धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	-	-	5194350	600	-	-
22	श्री कोतुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल श्रीसंपर्क मंडल कोतुल, ताल–अकोले, जिला अहमदनगर पिन 422610 (महाराष्ट्र)	आवासीय विद्यालय	-	-	7576221	548	-	-
	कुल		**31231544**	**2550**	**42260503**	**12441**	**0**	**0**
मणिपुर								
23	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्लस, तमंगलोग, एचक्यू, पिन–795141,मणिपुर	आवासीय विद्यालय	5086170	300	-	-	-	-
24	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन, (आईआरडीईओ) वांगबल, पीओ थौबल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 इकाईयाँ)	-	-	6285432	272	-	-

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन / गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक) राशि	लाभार्थी
तमिलनाडु								
32	मोनफोर्ट कम्यूनिटी ट्रस्ट, सेलम, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	9601451	1446	-	-	-	-
33	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पी.ओ. कोयमबटूर, तमिलनाडु	20–बिस्तर वाला अस्पताल, सचल औषधालय	9526951	111587	5880493	119942	-	-
34	नीलगिरी आदिवासी कल्याण एसोसिएशन, कोटागीरि, नीलगिरि, तमिलनाडु	60–बिस्तर वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तर वाला अस्पताल, (3)सचल औषधालय	11706003	369436	12800437	71140	-	-
	कुल		**32912993**	**482619**	**28908752**	**194619**	**0**	**0**
उत्तराखंड								
35	अशोक आश्रम, पीओः अशोक आश्रम, वाया डाकपत्थर, जिला– देहरादून, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	6689443	470	-	-	-	-
	कुल		**13381104**	**1005**	**1558170**	**1071**	**0**	**0**
पश्चिम बंगाल								
36	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), पता / पी. ओ.: औरंगाबाद, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	5210809	18086	-	-	-	-
37	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), पता– बलूरघाट, जिला–दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	हॉस्टल (6 यूनिट), लाइब्रेरी और मोबाइल लाइब्रेरी–कम–एवी यूनिट	10369040	1000	9118627	1000	-	-
38	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला– मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाई), सचल औषधालय, 10–बिस्तर वाला अस्पताल और टंकण आशुलिपिक केन्द्र	13296262	32167	15212980	12443	-	-
39	ग्राम–आदर्शपल्लै, पी.ओ. मूलूक, वाया–बोलपुर, जिला–बीर भूम, पिन 731204, प. बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाई) और बुनाइ / कपडा और हैंडलूम	6902805	25311	6500983	25501	-	-
40	भारत सेवाश्रम संघ (रंगत–पेराडंगा शाखा), ग्राम कुसुरिया, पीओः प्रीतीनगर, जिला. नाडिया, प.बंगाल	आवासीय विद्यालय (पी+एस) कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग और मोबाइल डिस्पेंसरी	5539478	14641	-	-	-	-
41	भारत सेवाश्रम संघ (कुन्नोर), ग्राम / पीओः कुनोर, जिला. उत्तार दिनाजपुर, प.बंगाल	छात्रावास	-	-	5186644	358	-	-

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम सहित पते	परियोजना	2018–19 राशि	लाभार्थी	2019–20 राशि	लाभार्थी	2020–21 (31.12.2020 तक) राशि	लाभार्थी
42	गोहलडीहा जाति यूपी जाती ब्लू बर्ड महिला वेलफेयर सेंटर, गोहलडीहा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।	आवासीय विद्यालय	5814585	520	-	-	-	-
	कुल		**80566551**	**197149**	**65197179**	**141774**	**0**	**0**
	कुल योग		**891718431**	**2339893**	**807814850**	**1716678**	**2444150**	**71457**

अनुलग्लक–14ख (I)

"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य वार सूची

आंकड़े रूपए में

क्र.सं.	गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2018-19	लाभार्थी	2019-20	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक)	लाभार्थी
छत्तीसगढ़							
1	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास)	6448929	384	8090715	576	-	-
	कुल	**6448929**	**384**	**8090715**	**576**	0	0
गुजरात							
2	लोक निकेतन, एटध्पीओ– रतनपुर, तालुक – पालनपुर, जिला – बनासकांठा, पिन – 385001, गुजरात	4757611	150	2847573	300	-	-
3	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, एटध्पीओ–सनाली, तह०–दांता, जिला–बनासकांठा, गुजरात	4563651	249	-	-	-	-
	कुल	**9321262**	**399**	**2847573**	**300**	**0**	**0**
झारखंड							
4	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) परियोजना लुम्बई में	3613140	150	3135406	200	-	-
	कुल	**3613140**	**150**	**3135406**	**200**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश							
5	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिड़ला रोड, ज्ञान मंडी के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	9145744	600	10895324	840	-	-
6	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86, चन्द्र शेखर आजाद मार्ग, राणापुर, पिन –457993, ब्लॉक–राणापुर, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश। (छात्रावास परियोजनाएं)	2181536	128	2040127	166	1256289	100
7	बंधेवाल शिक्षा समिति, जिला हरदा, 92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल–462038, भोपाल, मध्यप्रदेश	3297776	86	44246	86	-	-

क्र.सं.	गैर—सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2018-19	लाभार्थी	2019-20	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक)	लाभार्थी
8	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम—तिकरिया, जिला—डिण्डोरी, मध्य प्रदेश (2—शैक्षिक परिसर)	6285250	400	8412805	600	-	-
9	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166—ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	3657555	210	866963	100	-	-
10	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, मु.—पटेल नगर, ब्लॉक—गोराडोंगरी, जिला—बैतुल, पिन —462010, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	4949794	230	-	-	-	-
11	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सतना, मध्य प्रदेश	2689995	149	781870	99	376295	58
12	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सधा, मध्य प्रदेश (नई ईसी)	3226400	158	-	-	-	-
13	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एटी/पो—काठीवाड़ा, जिला—झाबुआ, मध्य प्रदेश	5079558	300	4041634	300	1712718	150
14	सव्य सांची शहरी और ग्रामीण विकास केंद्र, एट—अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला—सीधी, पिन — 486661, मध्य प्रदेश	14295980	524	3080326	314	-	-
15	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, पिन 484886, मध्य प्रदेश	2492619	124	2752682	246	-	-
16	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला—शहडोल, मध्य प्रदेश	6199440	290	6032586	386	-	-
	कुल	**63501647**	**3199**	**38948563**	**3137**	**3345302**	**308**
महाराष्ट्र							
17	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, एट—सकरी, जिला—धुले, महाराष्ट्र (ग्राम—पंखोडा, तालुका—सकरी, जिला—धुले, महाराष्ट्र में छात्रावास परियोजना)	3304300	-	3299460	100	-	-
18	श्री स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर तालुका—सकरी, पिन —424310, जिला—धुले, महाराष्ट्र (छात्रावास परियोजना)	2523770	-	-	-	-	-
19	श्री गणेश फाउंडेशन, जिला— धुले, महाराष्ट्र	6030205	178	8932936	537	3469299	240

क्र.सं.	गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2018-19	लाभार्थी	2019-20	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक)	लाभार्थी
20	नवनिर्माण शिक्षणसंस्था, बीबरटांडा, तह देगलुर, जिला–नादेड, महाराष्ट्र (हॉस्टल प्रोजेक्ट ग्राम मेंडकी, ब्लॉक माहुर, जिला–नादेड।)	4192500	200	656970	100	-	-
21	संदी निकेतन शिक्षण संस्थान, वाडगाँव, जिला नांदेड़, एम.एस.	9409620	529	7709283	528	-	-
	कुल	**25460395**	**907**	**20598649**	**1265**	**3469299**	**240**
ओडिशा							
22	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, एटः असावाखोला, पीओः करमूल, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	7217030	480	6430816	480	1607360	240
23	ब्राइट कैरियर एकेडमी, एट–डोलोमंडप, चंदनबाद क्षेत्र, पीओ–जेयपोर, जिला–कोरापुट, पिन – 764001, उड़ीसा	8860520	300	4899368	300	-	-
24	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, एट–उत्कल शाखा, पीओ–सत्यभमपुर, जिला. कुटैक, पिन –754200, उड़ीसा	4798498	260	974102		2202200	100
25	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एटी–लिंगराज नगर, पीओ–जेयपोर, जिला। कोरापुट, उड़ीसा	3711741	180	-	-	3589768	180
26	मार्र–मुनिंग आश्रम, अरबिंदो नगर, पीओ–जेपोर, जिला–कोरापुट, उड़ीसा	5820284	300	4416151	300	-	-
27	प्राकलपा, पो–ज्योतिपुर, जिला क्योंझर ओडिशा	14333280	636	10216905	600	-	-
28	सेवासमाज, एटी/ पीओ–गुनूपुर, जिला–रायगढ़, पिन 762022, उड़ीसा	3527602	200	-	-	1662614	100
29	पर्यावरण और विकास के लिए सामाजिक शिक्षा (एसईईडी),एन–2/152, आईआरसी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2885020	240	868480	100	3669180	140
30	सोसायटी फॉर नेचर एडू। स्वास्थ्य (एसएनईएच), प्लॉट नंबरएनडी 19–20, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, वीआईपी क्षेत्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा (2–शैक्षिक परियोजना)	15048235	793	9868732	675	-	-

क्र.सं.	गैर–सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों का नाम व पता	2018-19	लाभार्थी	2019-20	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक)	लाभार्थी
31	श्री रामकृष्ण आश्रम, एटी–बद्रोहिला, पीओ–कदलिमुंडा, जिला–अंगुल, पिन –759126, उड़ीसा (2–शैक्षिक परियोजना)	11520024	450	9538553	600	-	-
32	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए–47, रामेश्वर पटना, मौसीमा स्क्वायर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	6755346	450	-	-	-	-
33	सर्वोदय समिति, एटी / पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला– कोरापुट, उड़ीसा	8829331	300	1235456	180	4146001	150
34	सर्वोदय समिति, एटी / पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला– कोरापुट, उड़ीसा	8049236	221	7168935	442	4705564	300
	कुल	**101356147**	**4810**	**55617498**	**3677**	**21582687**	**1210**
राजस्थान							
35	होली होम एटीः डियानमुंडाचाक, पीओः तनवाट, जिला–नौपाड़ा, उड़ीसा	2513100	140	-	-	-	-
36	मेवाड़ सारिक शिक्षा समिति, हिंटा, पीओ–भंडार, उदयपुर, राजस्थान	14304193	494	11450920	770	4223574	385
	कुल	**16817293**	**634**	**11450920**	**770**	**4223574**	**385**
	कुल योग	**226518813**	**10483**	**140689324**	**9925**	**32620862**	**2143**

अनुलग्नक–14ख (ii)

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के तहत 2018–19 से 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान 50 लाख रुपए या उससे अधिक निधि पोषित संगठनों की राज्य–वार सूची

राशि रूपए में

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम पते सहित	2018-19 राशि	लाभार्थी	2019-20 राशि	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
छत्तीसगढ़							
1	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास)	6448929	384	8090715	576	-	-
	कुल	**6448929**	**384**	**8090715**	**576**	0	0
मध्य प्रदेश							
2	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, ज्ञान मंडी के पास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	9145744	600	10895324	840	-	-
3	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम–तिकरिया, जिला–डिण्डोरी, मध्य प्रदेश (2–शैक्षिक परिसर)	6285250	400	8412805	600	-	-
4	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, पता/पो–काठीवाड़ा, जिला–झाबुआ, मध्य प्रदेश	5079558	300	-	-	-	-
5	सव्य सांची शहरी और ग्रामीण विकास केंद्र, पता–अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला–सीधी, पिन – 486661, मध्य प्रदेश	14295980	524	-	-	-	-
6	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला–शहडोल, मध्य प्रदेश	6199440	290	6032586	386	-	-
	कुल	**63501647**	**3199**	**38948563**	**3137**	**0**	**0**
महाराष्ट्र							
7	श्री गणेश फाउंडेशन, जिला– धुले, महाराष्ट्र	6030205	178	8932936	537	-	-
8	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गॉव, जिला–नांदेड़, महाराष्ट्र	9409620	529	7709283	528	-	-
	कुल	**25460395**	**907**	**20598649**	**1265**	**0**	**0**

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन का नाम पते सहित	2018-19 राशि	लाभार्थी	2019-20 राशि	लाभार्थी	2020-21 (31.12.2020 तक राशि)	लाभार्थी
ओडिशा							
9	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर्स,: अश्वखोला, पोस्ट– करमुल, जिला, धेनकनाल, ओडिशा	7217030	480	6430816	480	-	-
10	ब्राइट कैरियर अकादमी, एट–डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया, पोस्ट–जैपोर, जिला–कोरापुट, पिन –764001, ओडिशा	8860520	300	-	-	-	-
11	मर–म्यूनिंग आश्रम, अरबिं नगर, पो–जैपोर, जिला–कोरापुट, ओडिशा	5820284	300	-	-	-	-
12	प्रकल्प, पीओ–ज्योतिपुर, जिला–क्योंझर, ओडिशा	14333280	636	10216905	600	-	-
13	सोसायटी फॉर नेचर एज्युकेशन स्वास्थ्य (एसएनईएच), प्लॉट नंबर एनडी 19–20, आईआरसी ग्राम, नयापल्ली, वीआईपी क्षेत्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा (2–शैक्षिक परियोजना)	15048235	793	9868732	675	-	-
14	श्री रामकृष्ण आश्रम, बादारोहिला, पीओ– कडालिमुंडा, जिला–आंगुल, पिन–759126, ओडिशा (2–शैक्षिक परियोजनाएं)	11520024	450	9538553	600	-	-
15	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए –47, रामेश्वर पटना, मौसिमा स्क्वेयर, भुवनेश्वर, ओडिशा	6755346	450	-	-	-	-
16	सर्वोदय समिति, पीओ–कोरापुट, पिन –764020, जिला–कोरापुट, ओडिशा	8829331	300	-	-	-	-
17	होली होम, दियांमुंडा छाक, पीओ– तानवत जिला–नौ पाडा ओडिशा	8049236	221	7168935	442	-	-
	कुल	**101356147**	**4810**	**55617498**	**3677**	**0**	**0**
राजस्थान							
18	मेवाड शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्ता, पीओ–भान्देर, उदयपुर, राजस्थान	2513100	140	-	-	-	-
19	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पोस्ट–झाडोल (फलासीया), जिला–उदयपुर,	14304193	494	11450920	770	-	-
	कुल	**16817293**	**634**	**11450920**	**770**	**0**	**0**
	कुल योग	**213584411**	**9934**	**134706345**	**9425**	**0**	**0**

अनुलग्नक–16

वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्मुक्त राशि (31.12.2020 तक की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	योजनाएं	अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	48.94	45.92	0.00	0.00	19.10	17.17	5.16	0.00	**136.29**
2	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	44.83	21.61	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	11.73	**81.31**
3	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.61	0.09	0.82	**3.20**
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	57.13	54.14	0.00	0.00	34.47	32.26	5.54	29.31	**212.85**
5	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.71	0.00	1.40	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	**2.24**
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	**1.16**
7	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)*	0.00	0.30	0.11	0.00	0.92	2.52	0.00	2.01	**5.86**
8	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	**10.48**
9	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	0.00	0.00	11.77	0.00	3.24	2.86	8.00	14.12	**39.99**
	कुल	**151.60**	**121.97**	**13.28**	**0.00**	**73.16**	**55.42**	**18.79**	**59.15**	**493.38**

*17.11.2020 तक की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक–17

वर्ष 2020–21 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीमों / कार्यक्रमों के नाम	उप–स्कीमों के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2020–21 (करोड़ रुपए में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य निष्पादन / परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
1.	अनुच्छेद 275 (1) अनुदान	मंत्रालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, अंतिम मील सड़क और संचार, वित्तीय समावेशन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य सहित प्राथमिक क्षेत्र, जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आय सृजन योजनाएं, आदि में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए उपाय करने को प्राथमिकता दी है। मौजूदा आईटीडीए को मजबूत करना / नए आईटीडीए स्थापित करना और समर्पित सूक्ष्म परियोजनाओं का समर्थन करना भी इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। अंतरों की पहचान राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।	800 रूपए	यह एक लिंग निरपेक्ष योजना है और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए है। अनुदान को प्रकृति अंतरों को भरने की है। हालांकि, राज्यों को सलाह दी जाती है कि एक तिहाई महिला लाभार्थियों को लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए।	31.12.2020 तक राज्यों को अनुच्छेद 275 (1) के तहत रु 710.50 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।
2.	टीएसएस को एससीए	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए उपाय करने के लिए प्राथमिकता दी है: (प) शिक्षा (पप) स्वास्थ्य (पपप) प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य (पअ) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएँ (अ) प्रशासनिक संरचना (जनशक्ति सहित) / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन।	रु.1350 (ब.अ.) रु.800 (सं.अ.)	अनुदान की प्रकृति अंतरों को भरने की है और किसी भी विशिष्ट प्रकार के मात्रात्मक उपायों तक ही सीमित नहीं हैं। गतिविधियों के लिए प्राथमिकता समय–समय पर आवश्यकतानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। लक्ष्य वास्तव में मंत्रालय द्वारा तय नहीं किए जाते हैं, और न ही मंत्रालय के लिए निगरानी योग्य आउटपुट / परिणामों को इंगित करना संभव है। ये लिंग निरपेक्ष कार्यक्रम हैं और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए हैं।	31.12.2020 तक राज्यों को टीएसएस को एससीए के तहत 502.95 करोड़ रु की राशि निर्मुक्त की गई है।

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम	उप–स्कीमों के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2020–21 (करोड़ रुपए में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य निष्पादन/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।	योजना के तहत अलग से बजट का आवंटन नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधियां आवंटित की गई हैं।	वित्त पोषित 12 शैक्षणिक परिसरों और 2143 एसटी लड़कियों को लाभ हुआ	2020–21 के दौरान रु। 4 राज्यों में 2143 कन्या के लाभार्थियों वाले 12 शैक्षिक परिसरों में के लिए 3.26 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं ।
4.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन	जनजातियों द्वारा आदान–प्रदान यात्रा		टीआरआई राज्य/देश के अन्य हिस्सों की यात्रा की व्यवस्था करेगा। आने वाले समूहों में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।	
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम– 1. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) 2. सावधि ऋण 3. लघु ऋण योजना 4. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना ।		सहायता प्राप्त 55902 लाभार्थियों की संख्या	एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2020–21 के लिए 31.12.2020 तक 65.14 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं। एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 55902 लाभार्थियों में से, 32856 (58.77%) महिलाएँ थीं ।
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) की योजना	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पीएमएस, पुस्तक बैंक की योजना।	1900.00 (ब.अ.) 1833.00 (सं.अ.)	1790785 छात्र योजना के तहत शामिल है (अनुमानित)	विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अजजा लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए 1563.08 करोड़ रुपये के अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं।

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम	उप–स्कीमों के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2020–21 (करोड़ रुपए में)	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य निष्पादन/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य
7.	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	400.00 (ब.अ.) 250.00(सं.अ.)	योजना के तहत शामिल किए गए छात्रों की संख्या 1075128 (अनुमानित)	अजजा लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों को 195.22 करोड़ रुपये के अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं
8.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	2.00 (ब.अ.) 4.76 (सं.अ.)	योजना के तहत शामिल छात्रों की संख्या 20	अनुसूचित जनजाति लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए योजना के तहत 1.89 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं
9.	अ.ज.जा. विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु अध्येतावृत्ति के रूप में उच्चतर शिक्षा। पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता के चिह्नित सरकारी तथा निजी संस्थानों में पाठ्यक्रम का अध्ययन।	100.00 (ब.अ.) 120.00(सं.अ.)	योजना के तहत शामिल किए गए छात्रों की संख्या 4526 है	अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए योजना के तहत 86.24 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए है
10	कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	पीवीटीजी योजना के दिशा–निर्देशों ने विशेष महिला सभाओं की बैठकों के माध्यम से संरक्षण सह विकास योजनाओं के निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है। पीवीटीजी के लिए संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय, योजना संबंधी दिशा–निर्देशों के तहत लैंगिक असंगठित जानकारी की भी सिफारिश की जाती है।	140.00	चूंकि पीवीटीजी के संरक्षण और विकास के लिए योजना एक मांग–आधारित योजना है, इसलिए परियोजनाएं राज्य सरकारों /संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को किए गए वार्षिक आवंटन के बाद उनके परियोजनाएं द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। पीएसी द्वारा इन परियोजनाओं को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को उनके महत्व, व्यवहार्यता और आवंटन के आधार पर मंजूरी दी जाती है। इसलिए, प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या को इंगित करना, इस समय, संभव नहीं होगा	31.12.2020 को 7.7.76 करोड़ रुपये की राशि। पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत राज्यों को जारी किया गया है।

अनुलग्नक–18

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर*	वाचक भत्ता (रुपए प्रति माह)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों का यदि ऐसा दिव्यांग विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है 160 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान । दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार दिव्यांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) निम्न अग्रांग दिव्यांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/– रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन लागू है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/– रुपए प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ड.) में प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

मान्यता प्राप्त प्राइवेट गैर–सहायता–प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस स्कीम के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार हैः

	गैर–सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपए में)
(i)	दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii)	दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii)	गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक दिव्यांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग दिव्यांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी ।	160
(iv)	शैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
(v)	मानसिक मंदता तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता।	240

टिप्पणीः दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

*विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार हैः

समूह	पाठ्यक्रम
समूह–I	i) चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान सहित डिग्री व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु–इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी.) आदि :– क) समूह–II के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह–III के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (vi) एल.एल.एम.
समूह–II	(i) फार्मेसी (बी–फार्मा), नर्सिंग (बी–नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन–संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम–से–कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह–I में शामिल नहीं है।
समूह–III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह–I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह–IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII) य सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।

अनुलग्नक–19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता / दूरभाष
1.	श्री नदीम अहमद (टीएसएस को एससीए)	अवर सचिव	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष 23340278
2.	श्री मनोज कुमार झा	अनुसंधान अधिकारी (टीआरआई / मीडिया)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 9968191938
3.	श्री जीवन कुमार	अवर सचिव	(आईएफडी / सतर्कता) कमरा सं. 217, द्वितीय तल, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23387007
4.	श्री एच. चिंजासन	अवर सचिव (पीवीटीजी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23340466
5.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (अनुदान / ईएमआरएस)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं..23340466
6.	श्री आर.के वर्मा	उप–निदेशक (एसटीसी)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष 23340278
7.	श्री सुशील बेडिंग	अनुभाग अधिकारी	(स्थापना) कमरा सं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 दूरभाष सं. 23387187
8.	श्रीमती हीरा कटारिया	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष 23340473
9.	श्री वीर विक्रम	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217 एफ, द्वितीय तल, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 दूरभाष सं. 23387007
10.	श्री राम नारायण	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 दूरभाष सं. 23386952
11.	श्री कामराज मलिक	अनुभाग अधिकारी	(सामान्य) कमरा सं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 दूरभाष सं. 23387469
12.	श्री आर.एस. मीना	अनुभाग अधिकारी	(छात्रवृत्ति / डीबीटी) कमरा सं. 412, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23386980

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता / दूरभाष
13.	श्रीमती एस.के. जॉली	अनुभाग अधिकारी (आजीविका)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष 23340278
14.	श्री सुशील बेडिंग	अनुभाग अधिकारी (बीएंडसी)	कमरा सं... 710, 7वां तल, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001 दूरभाष सं. 23389535
15.	श्री राजेश कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी प्रभाग)	कमरा सं.. 216 जे, द्वितीय तल, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23382114
16.	श्री अशोक कुमार	अनुभाग अधिकारी (एनसीएसटी, पीजी तथा पीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23340462
17.	श्री अनुपम सोलन्कर	संयुक्त आयुक्त, नेस्ट	कमरा सं. 402, द्वितीय तल, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23387187
18.	श्री एस.जी. टिमोथी	अनुभाग अधिकारी (सीएलएम)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष 23340278
19.	श्री संजय कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23340461
20.	श्री राहुल कुमार	उप–निदेशक	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23340463
21.	श्री सुमंता चक्रवर्ती	उप–निदेशक	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष सं. 23340478

मान्नीय मंत्री एमएसएमई, श्री नितिन गडकरी, मान्नीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा और मान्नीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता के साथ 19.01.2021 को केवीआईसी और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के हस्ताक्षर के अवसर का उद्घाटन करते हुए

मान्नीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा ''जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस)'' के प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय